षष्ठम् माला, खंड 13, अंक 37, शुक्रवार, 14 अप्रैल, 1978/24 चैत्र, 1900 (शक)

Sixth Series, Vol. XIII, No. 37, Friday, April 14, 1978/Chaitra 24, 1900 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

(4th Session)

[खंड 13 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 37, शुक्रवार 14 अप्रैल, 1978/24 चैत्र 1900 (शक)

No. 37, Friday, April 14, 1978/Chaitra 24, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 721 से 724 और 728	Starred Question Nos. 721 to 724 and 728	1-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 720, 725 से 727, 729 और 731 से 739	Starred Question Nos. 720, 725 to 727 729 and 731 to 739	81-28
अतारांकित प्रश्न संख्या 6731 से 6856 और 6858 से 6930	Unstarred Question Nos. 6731 to 6856 and 6858 to 6930	29-159
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की छठी किश्त नकद देने के सरकार के निर्णय के बारे में वक्तव्य—	Statement re. Government's decision to pay the sixth instalment of Dearness Allowance to Government Employees in cash—	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel	159
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table . . .	160
मुख्य चिनाब नदी पर सलाल पन बिजली संयंत्र के डिजाइन के बारे में भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुए करार के बारे वक्तव्य	Statement re. Agreement between India and Pakistan regarding design of Salal Hydro-electric Plant on river Chenab Main	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee . .	161
सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति—	Committee on Papers laid on the Table	
कार्यवाही सारांश	Minutes	166
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	166
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	
70वां प्रतिवेदन	Seventieth Report	166
सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति—	Committee on Papers laid on the Table	
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report	167

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव म पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति— तीसरा प्रतिवेदन	Committee on Public Undertakings Third Report	167
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under Rule 377 . . .	167
(1) पश्चिम बंगाल में कुछ पटसन मिलों के लगातार बन्द होने का समाचार	(1) Report continued closure of some Jute Mills in West Bengal	
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy . .	167
(2) भारतीय सुरक्षा सेनाओं द्वारा शिलांग समझौते के उल्लंघन का समाचार	(2) Reported violation of Shillong Agreement by India Security Forces	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	167
(3) सेवाओं में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों के लोगों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का कथित समाचार	(3) Reported inadequate representation of the people belonging to socially and educationally backward classes in services .	
श्री बी० पी० मण्डल	Shri B.P. Mandal	167
(4) 14 अप्रैल को जो डा० अम्बेदकर का जन्म दिन है, राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने का मामला	(4) Declaration of 14th of April, the Birthday of late Dr. Ambedkar, a national holiday .	
श्री रामजीलाल सुमन	hri Ramji Lal Suman .	167
(5) शाह जांच आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन संसद् के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बारे में—	(5) Re. Placing of Interim Report of Shah Commission of Inquiry before Parliament . .	
श्री हरि विष्णु कामथ	Shri Hari Vishnu Kamath	168
अनुदानों की मांगें—1978-79	Demands for Grants, 1978-79 .	168-176
श्रम मंत्रालय	Ministry of Labour .	171
श्री रामदास सिंह	Shri Ramdas Singh	168
श्रीमती मृणाल गोरे	Shrimati Mrinal Gore	169
श्री के० ए० राजन	Shri K.A. Rajan . .	170
श्री पूर्ण नारायण सिंह	Shri Purnanarayan Sinha	171
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu . .	172
श्री लारंग साय	Shri Larang Sai . .	173
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	174
श्री जनार्दन पुजारी	Shri Janardhana Poojary	174
श्री जगदीश प्रसाद माथुर	Shri Jagdish Prasad Mathur .	175
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen . . .	176
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	180
स्वदेशी कॉटन मिल्ज कम्पनी लिमिटेड, कानपुर तथा उनके अन्य एककों का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के बारे वक्तव्य—	Statement re. taking over of management of entire Group of Swadeshi Cotton Mills Company Ltd., Kanpur	
श्री जार्ज फर्नान्डीज़	Shri George Fernandes . .	177

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	
16वां प्रतिवेदन	Sixteenth Report	180
अंग्रेजी भाषा को अतिरिक्त सम्पर्क भाषा बनाए रखने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	Resolution re. Continuance of English as Additional Link Language—Negatived	180-188
श्री युवराज	Shri Yuvraj	180
श्री पायस टिर्की	Shri Pius Tirkey . . .	181
श्री बी० पी० मण्डल	Shri B.P. Mandal	181
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	182
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	183
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta . . .	184
श्री ए० सुन्ना साहिब	Shri A. Sunna Sahib . . .	184
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan . . .	185
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh . . .	186
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम	Shri S.D. Somasundaram . .	187
नेताजी राष्ट्रीय अकादमी का गठन करने के बारे में संकल्प	Resolution re. Setting up of Netaji National Academy . . .	188-192
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	188
श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य	Shri Shyamaprasanna Bhattacharyya	192
श्री उग्रसेन	Shri Ugrasen	192

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 14 अप्रैल 1978/24 चैत्र, 1900 (शक)

Friday, April 14, 1978/*Chaitra* 24, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]
[Mr. Speaker in the Chair]

Shri Surendra Bikram : Mr. Speaker, Sir, today we have to face great difficulty to come in. People are making noise. Why is it so ?

Shri Hukam Chand Kachwai : It is a first incident of its kind in the Parliament House. How could they enter ?

(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं बोल रहा हूं। यह रिकार्ड न किया जाए।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : कुछ समस्याओं को चतुराई से सुलझाना पड़ता है। लगभग 30 या 40 आदमी हैं और वे चले जाएंगे। उनकी ओर अनावश्यक ध्यान न दें।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन वसूली और वितरण संबंधी योजना

*721 **श्री के०† राममूर्ति** :

श्री सोम नाथ चटर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्नों, चीनी, मिट्टी का तेल, कपड़ा, सब्जियों और वनस्पति के उत्पादन, वसूली और वितरण संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है जिसे सरकार द्वारा अन्तिम रूप दे दिए जाने का समाचार मिला है; और

(ख) यह योजना किस प्रकार और कब कार्यान्वित की जाएगी ?

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वाणिज्य तथा पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) और (ख) आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण बढ़ाने की योजना, जो राज्य सरकारों को उनके विचार तथा सिफारिशें जानने के लिए भेजी गई हैं, की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं। इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु अंतिम रूप देने के लिए अगली कार्रवाई सभी राज्य सरकारों से उनके विचार तथा सिफारिशें मिलने पर की जाएगी।

विवरण

1. इस योजना का उद्देश्य ग्राम खपत की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना और बढ़ा हुआ उत्पादन विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों तथा कामगर जनता को समान रूप से और कुशलतापूर्वक उपलब्ध कराना है। इस नई नीति का मूल उद्देश्य पहले की तरह अल्पकालीन राहत उपायों तथा तदर्थ हल के स्थान पर एक स्थायी प्रणाली का निर्माण करना है। प्रस्तावित प्रणाली द्वारा पिछले असंतुलनों को दूर करने तथा देहाती इलाकों में भी वितरण प्रणाली लागू करने का एक प्रभावी साधन तैयार किया जाना है। इसका उद्देश्य वितरण प्रणाली का विस्तार करके इसके अंतर्गत अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुएं शामिल करने तथा उचित मूल्य की दुकानों के अधिकाधिक विस्तार के लिए प्रभावी कार्रवाई करना भी है, ताकि देश भर के दूरस्थ क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाया जा सके।

2. उन कार्यों जिनकी परिकल्पना की गई है और उन कार्यवाही योजनाओं जिनका सुझाव दिया गया है, में उन वस्तुओं का उत्पादन प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाने की आवश्यकता पर दल दिया गया है जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं और जिनके लिए अल्प कालीन तथा दीर्घकालीन दोनों प्रकार के उपाय किए जाने हैं। इस योजना को तैयार करने में वित्तीय बाध्यताओं को भी ध्यान में लिया गया है और नीति यह है कि वर्तमान आधार ढांचे की सुविधाओं और योजना परिव्ययों का अनुकूलतम उपयोग किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की नई नीति की अधिक महत्वपूर्ण बातें ये हैं:—

— वितरण प्रणाली में पहले से शामिल आवश्यक वस्तुओं का प्रभावी वितरण करना तथा उसमें और नयी वस्तुएं शामिल करना। इस योजना में प्रारम्भ में अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल, कपड़ा, वनस्पति तेल तथा वनस्पति और ग्राम खपत की चुनी विनिर्मित वस्तुएं शामिल की जानी हैं।

— ग्राम खपत की चुनी विनिर्मित वस्तुओं जैसे नहाने तथा कपड़ा धोने के साबुन, नमक, दियासलाई, चाय, कापियां, ग्राम औषध व दवाइयों के बारे में सरकार के संबंधित प्रशासनिक, मंत्रालयों को राज्य सरकारों के परामर्श से उत्पादन, उपलभ्यता तथा फुटकर मल्यों की परिवीक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं अपने ऊपर लेना है। संबंधित मंत्रालय कुल मांग का और विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों की आवश्यकताओं का जायज़ा लेने और उन्हें पूरा करने के उपाय करने के लिए उत्तरदायी होने चाहिएं;

— अनाज, दालों, खाद्ज तेलों अथवा तिलहनों, कपास आदि का बफर स्टाक बनाना और अपेक्षित आवश्यक वस्तुओं का आयात करना;

— भण्डारण, परिवहन तथा वितरण की लागत के क्षेत्रों में औचित्य लाना।

— शहरी और देहाती क्षेत्रों के बीच वस्तुओं के आवंटन तथा उनके मूल्यों के असन्तुलनों को दूर करना;

— निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में वर्तमान आधार ढांचे की सुविधाओं का अनुकूलतम उपयोग किया जाएगा। वितरण कार्य के लिए कारगर प्रणालयां विकसित करने और इसके लिए

शहरी तथा देहाती दोनों इलाकों में सहकारी समितियों का जाल बिछाने पर बल दिया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो इस उत्तरदायित्व को लेने के लिए ग्राम पंचायतों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

— दूर-दूर तक फैले क्षेत्रों को शामिल करने के लिए फुटकर बिक्री केन्द्रों की संख्या इस प्रकार बढ़ाना कि 2000 की जनसंख्या के लिए कम से कम एक बिक्री केन्द्र हो जाए।

— विवेकपूर्ण ढंग से विभिन्न वस्तुओं की बिक्री करके और न्यूनतम बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता में सुधार करना।

— उपभोक्ताओं को शामिल करते हुए सतर्कता समितियां स्थापित करना, जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पर्यवेक्षण तथा सतर्कता रखने और उपभोक्ताओं के हित का बचाव करने के लिए कानूनी शक्तियां प्राप्त हों। केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर उच्चाधिकार प्राप्त समितियों की स्थापना करना जो सम्पूर्ण वितरण के बारे में समन्वय कार्य तथा पर्यवेक्षण करेगी और गतिविधियों पर नज़र रखेंगी तथा सरकार को समय-समय पर उपयुक्त उपायों की सिफारिश करेंगी।

श्री के० राममूर्ति : महोदय, कमज़ोर वर्गों और कामगर वर्गों के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण के बारे में सरकार ने एक नई योजना बनाई है। किन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक इस प्रणाली से विशेषकर उत्पादन, वसूली और वितरण प्रणाली से बिचौलियों को समाप्त नहीं किया जाता। क्या इस बीच सरकार ऐसे मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने को तैयार है जो आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं ?

Shri Krishna Kumar Goyal: It has been clearly indicated in this scheme that certain other essential commodities are to be included in this public distribution system in addition to the essential commodities which are already covered in the present public distribution system and a buffer stock is to be created for them. Essential commodities includes not only the items of agricultural produce but the manufactured goods also. Provision has been made for the whoie scheme. But the Government do not propose to eliminate the middlemen or to nationalise such industries.

श्री के० राममूर्ति : महोदय, सभा पटल पर रखे गए विवरण में मंत्री महोदय ने कहा है कि चार हज़ार की जनसंख्या के लिए कम से कम एक उचित दर दुकान अवश्य खोली जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने कमज़ोर वर्गों तथा कामगर वर्ग को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए एक सिविल सप्लाई कारपोरेशन की स्थापना की है जिसके द्वारा सरकार ने वितरण और वसूली प्रणाली पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। यह निगम सुचारू रूप से चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार वितरण और वसूली की उस प्रणाली को पूरे देश में लागू करने के प्रश्न पर विचार करेगी।

Shri Krishna Kumar Goyal : It has been clearly stated in the reply that this scheme has been forwarded to the Chief Ministers of all the States and their suggestions and comments have been sought thereon. Suggestions and comments from certain States have already been received. From other they are yet to be received. It had been decided that the comments and suggestions should be received by the 15th April. But in certain States elections have been held very recently. All the points stated by the hon. Member are under consideration of the Government and after considering the whole matter a note will be submitted before the Cabinet for its approval. After that, action to implement the same will be taken.

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु। श्री सोमनाथ चटर्जी ने अपनी ओर से अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जिसे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी द्वारा धीरे-धीरे और योजनाबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा था, सरकार पुन: उस स्थिति में लाने में समर्थ रही है जो पहले थी तथा क्या सरकार उसके अन्तर्गत कुछ अन्य वस्तुओं को सम्मिलित कर सकी है, यदि हां, कहां तक तथा इस प्रणाली में कौन-कौन सी वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है ?

Shri Krishna Kumar Goyal : As the hon. Member knows at present cereals, sugar, kerosene oil, coal and cloth are distributed under the public distribution system. Apart from these items, when the price of mustard oil increased considerably and the mustard oil was considered to be in short supply in the country, then the refined rape seed oil was distributed through fair price shops as was demanded by the States.

श्री ज्योतिर्मय बसु : भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रणाली को पुन: पहले जैसी स्थिति में ला सकी है, क्या सरकार ने इस प्रणाली में कुछ अन्य वस्तुएं सम्मिलित की हैं जो पहले सम्मिलित नहीं थीं, यदि हाँ तो कहाँ तक ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह बता दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने प्रश्न के केवल दूसरे भाग का उत्तर दिया है। उन्होंनें तीन-चार वस्तुओं के नाम गिनाए हैं, बस।

Shri Krishna Kumar Goyal : It is a fact that during, this period fair price shops through which items of cereals were distributed were discontinued. But as the necessity arose these were strengthened. The quantity of cereals was also increased. Disparity of distribution of Sugar between the rural and urban areas has also been removed. All these provisions have been strengthened. Co-operative Sector is gradually being encouraged.

Shri S.S. Somani : The hon. Minister has just now stated that he is not in a position to eliminate middlemen and that he does not propose to eliminate middlemen. But the present position in the rural areas is this that people are unable to get sugar and controlled cloth there while bags full of sugar and the bundles of cloth are sold in Black market. Will the hon. minister make additional arrangement to check this corruption ?

Shri Krishna Kumar Goyal : The hon. Member has referred to certain defects in distribution system and black marketing. He will admit that its implementation depends on the efficiency and the working of the State Governments. Whenever such information is received, the concerned State Government is given strong warning. The State Governments have also been instructed that the vigilance committees should be revived and that they should be provided with statutory powers. Arrangements have been made to further strengthened the public distribution system.

Shri M. Ramgopal Reddy : The hon. Minister has stated that equal quantity of sugar is bei g distributed in the rural as well as urban areas. I have made enquiries in several villages of Andhra Pradesh and I have come to know that the quota of sugar given to the people of rural areas in not equal to that given in urban areas. May I know whether Central Government is responsible for it or the Stale Government? If this irregularity is

not on the part of the Central Government will the hon. Minister draw the attention of the State Government to the need of maintaining equal distribution of sugar everywhere ?

Shri Krishna Kumar Goyal : The hon. Member might be knowing that it is the declared policy of the Central Government that both in rural and urban areas 425 grams of sugar will be given to one person every month according to the Ration Card. Taking the population in 1978 as base, quota of sugar was fixed for the States and required quota was given to each of the States accordingly. Instructions were issued to the State Government that there should be no disparity of any kind in respect of distribution of sugar in rural and urban areas. The hon. Member has referred the case of Andhra Pradesh. I will ask the Government of Andhra Pradesh at my level that equal quantity of sugar should be distributed in the both rural as well as urban areas also.

वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

*722. **श्री के० ए० राजन** :

श्री पी० के० कोडियन :

क्या **वित्त** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि लगभग सभी वस्तुओं के मूल्य इस वर्ष मार्च से बढ़ने शुरू हो गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस वर्ष जनवरी से साप्ताहिक मूल्य सूचकाँक थोक और फुटकर का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या हाल में मूल्य सूचकाँक में हो रही वृद्धि का कारण बजट के नए कर प्रस्ताव हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) समस्त वस्तुओं संबंधी थोक कीमतों का सूचक अंक (1970-71=100) 25 फरवरी, 1978 को समाप्त हुए सप्ताह में 180.3 से बढ़ कर 18 मार्च को 182.4 हो गया और फिर 25 मार्च, 1978 को समाप्त हुए सप्ताह में कम होकर 181.7 हो गया यद्यपि इस अवधि में, कोयले बिजली तथा कुछ औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई है फिर भी कुछ और महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे कि खाद्यान्न, खाद्य तेलों तथा कपास की कीमतें गिरी हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि 1 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में मूल्य सूचकाँक कम होकर 180.9 हो गया है।

(ख) एक विवरण जिसमें दिसम्बर, 1977 के अंतिम सप्ताह से मुख्य समूहों के अनुसार थोक कीमतों का साप्ताहिक सूचक अंक दिया गया है, सभा पटल पर रख दिया गया है। अखिल भारतीय औद्योगिक कर्मचारी उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960=100) जिसे मासिक आधार पर संकलित किया जाता है, और जो दिसम्बर, 1977 में 330 था, जनवरी, 1978 में कम होकर 325 हो गया और फिर फरवरी, 1978 में कम होकर 320 हो गया (जो कि सबसे हाल की उपलब्ध जानकारी है)।

(ग) निस्संदेह बजट प्रस्तावों का थोक कीमतों के सूचक अंक पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा है लेकिन यह कहना ठीक नहीं होगा कि उसके परिणामस्वरूप वृद्धि की प्रवृत्ति शुरू हो गई है।

विवरण

थोक कीमतों के सूचक
(आधार
सूचक

	भारांश (प्रतिशत)	31-12-77	7-1-78	14-1-78	21-1-78	28-1-78
समस्त वस्तुएं	100.00	185.2	184.9	184.9	184.4	183.3
I. प्राथमिक वस्तुएं	41.67	183.8	183.4	184.0	183.7	181.6
क. खाद्य वस्तुएं	29.80	175.3	174.6	175.9	175.3	173.1
ख. खाद्य-भिन्न वस्तुएं	10.62	172.7	173.1	171.8	172.4	170.4
ग. खनिज	1.25	480.7	480.7	480.7	480.7	480.7
II. ईंधन शक्ति (पावर)						
बिजली तथा लुब्रीकेंट	8.46 6.6	234.1	234.1	234.1	234.1	234.1
III. विनिर्मित उत्पाद	49.87	178.0	177.8	177.3	176.6	176.2
क. खाद्य उत्पाद	13.32	175.7	174.2	171.9	169.1	167.2
ख. पेय, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	2.71	174.9	174.9	174.9	174.9	174.9
ग. वस्त्र	11.03	176.0	176.3	176.9	176.6	176.8
घ. कागज़ और कागज उत्पाद	0.85	185.4	185.6	185.6	184.9	184.9
ङ. चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	0.38	229.8	230.8	234.0	236.3	235.7
च. रबड़ और रबड़ उत्पाद	1.21	156.7	155.8	155.8	156.8	155.8
छ. रसायन और रासायनिक उत्पाद	5.55	172.4	178.3	172.2	172.8	173.0
ज. धातु-भिन्न खनिज उत्पाद	1.41	195.5	199.0	199.0	199.0	198.9
झ. बुनियादी धातुएं, मिश्र धातुएं और धातु उत्पाद	5.97	194.1	194.5	194.6	194.6	194.6
ञ. मशीनरी और परिवहन उपस्कर	6.72	173.3	173.3	173.3	173.1	174.4
ट. विविध उत्पाद	0.72	181.5	181.2	181.5	181.5	181.5

अंक—मुख्य समूह
1970-71=100)
अंक

4-2-78 अ०	11-2-78 अ०	18-2-78 अ०	25-2-78 अ०	4-3-78 अ०	11-3-78 अ०	18-3-78 अ०	25-3-78 अ०
180.8	180.4	180.0	180.3	181.4	181.9	182.4	181.7
177.6	177.3	177.0	177.7	177.2	177.9	178.2	177.5
169.8	169.1	168.6	169.2	169.0	169.9	179.3	179.3
165.0	165.5	166.6	166.7	165.6	165.5	165.4	162.9
473.4	473.4	473.4	473.4	473.6	473.6	473.6	473.6
234.4	234.4	234.4	234.4	240.4	240.4	240.4	240.4
174.8	174.2	173.7	173.6	175.0	175.4	176.0	175.3
163.7	161.7	159.8	159.8	161.4	163.1	163.9	161.9
170.5	170.5	170.5	170.5	175.7	176.2	176.8	176.8
176.8	176.7	176.2	175.6	175.8	175.7	176.6	175.9
184.7	184.7	184.7	184.7	186.7	186.7	190.7	190.7
235.3	235.3	234.5	233.6	233.6	233.7	235.2	234.8
156.7	156.7	156.7	156.7	156.7	156.7	158.3	159.0
172.4	172.1	172.1	172.5	172.5	172.6	173.0	173.0
198.3	198.4	198.9	200.2	201.0	201.0	199.9	199.9
195.0	195.1	195.1	195.1	196.4	196.0	196.8	196.8
172.7	172.6	172.6	173.0	174.9	174.8	174.9	176.2
176.7	176.7	177.3	177.3	182.9	184.1	182.3	183.6

अ०—अनन्तिम

श्री के० ए० राजन: मूल्य वृद्धि पर बजट के प्रभाव के बारे में मंत्री महोदय ने जो कहा है तथ्य उससे बिलकुल विपरीत हैं। यह आशंका है कि मूल्यों में पुनः वृद्धि हो सकती है। मंत्री महोदय का कहना है कि इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मूल्यों में और वृद्धि होगी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस बात की क्या गारंटी है कि मूल्य में और वृद्धि नहीं होगी ?

श्री एच० एम० पटेल : ऐसे मामलों में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती परन्तु ऐसी संभावना है कि मूल्यों में अब और वृद्धि नहीं होगी। इसका एक कारण यह है कि बजट के बाद से 25 फरवरी और 1 अप्रैल के बीच मूल्य में वृद्धि 0.3 प्रतिशत रही है।

Shri Ugra Sen: In his statement, the hon. Minister has told the House that the prices of a number of items have fallen. I want to know whether he is aware that in the last 15 days, the paper manufacturers have increased the price of paper by 15 per cent and there has occurred a shortage of paper. In the days to come, when schools will open, great difficulty will have to be faced in this regard. I want to know the steps being taken to face this situation.

श्री एच० एम० पटेल : कागज़ के मूल्यों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है परन्तु मैं निश्चय ही यह जाँच करूंगा कि इसकी कमी होने के क्या कारण हैं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : जब से यह सरकार सत्तारूढ़ हुई है तब से सभी वस्तुओं तथा विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बहुत वृद्धि हो रही है और बहुतायत के बीच में अभाव की स्थिति है। मंत्री महोदय ने बताया है कि मूल्यों को कम करने में बजट का कुछ अच्छा प्रभाव पड़ा है। चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है जबकि गन्ने का मूल्य यथावत है। अनाज के मामले में भी यही बात है। हमारे पास अनाज का भारी भण्डार पड़ा है और खाद्यान्न की कमी है; वितरण व्यवस्था पूरी तरह से असफल हो गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करेंगे कि मूल्य कम हों तथा क्या उपभोक्ता और उत्पादक के साथ न्याय करने के लिए विभिन्न कृषि पदार्थों को समर्थन मूल्य देने की उनकी कोई योजना है।

श्री एच० एम० पटेल : मैं माननीय सदस्य के इस कथन को स्वीकार नहीं करता कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है तब से मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। यह मूल्य आज उस समय की अपेक्षा कम हैं जब हम सत्ता में आए थे। जहां तक अन्य बातों का संबंध है, मैं केवल यह कह सकता हूं कि निश्चय ही आज आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर्याप्त है और हम यह देखेंगे कि मूल्यों में वृद्धि न होने पाए। दाल जैसी वस्तुओं को छोड़कर, जिनकी अभी भी कमी है, और ऐसा होते हुए भी उचित व्यवस्था द्वारा मूल्यों को उचित नियंत्रण में रखा जाता है। समर्थन मूल्य देने का प्रश्न नहीं उठता है। अनेक मामलों में समर्थन मूल्य दिया हुआ है। सरकार की पहले से यह नीति रही है और गेहूं, तिलहन, चना आदि के मामलों में ऐसा किया जा रहा है जिनके लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है।

Shri Hukam Chand Kachwai : While it is true that the prices of some items have fallen, the prices of some items have increased also. For example, the price of paper has gone up by 30 to 35 per cent. The price of steel utensils has gone up by 20 to 23 per cent. Cement prices have shown a rise of 15 to 18 per cent. What steps are proposed to be taken to control and check the prices of these commodities ?

अध्यक्ष महोदय : आपने कुछ, ठोस सुझाव दिए हैं।

श्री एच० एम० पटेल: यह ठीक है कि सीमेंट, जिसकी कम सप्लाई हो रही है, के मूल्य में वृद्धि हुई है। यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि आयात द्वारा अन्यथा सीमेंट की

उपलब्धता की मात्रा और अधिक संतोषजनक बनाया जा सके। हमारे विचार में सीमेंट का मूल्य नियंत्रण में रखना संभव होगा।

कागज के मूल्य के बारे में मैं विचार करूंगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : Prices of steel utensils have increased. In respect of paper also, the agents are supplied paper only after being charged Rs. 500 after per tonne (*interruptions*)

श्री एच० एम० पटेल : कागज के मूल्य के बारे में, मैंने यह जरूर कहा है कि मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसको कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।***

श्री एच० एम० पटेल: स्टेनलैस स्टील के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। परन्तु मूल्यों में कोई और वृद्धि नहीं हुई है।

Shri Ramanand Tewari : The hon. Finance Minister has himself admitted that there has been an increase in prices after the budget. The price index has gone up from 180.6 to 181.2 The Finance Minister has admitted that prices of manufactured commodities have incieased. I want to know the difference in this regard between agricultural commodities and manufactured commodities. What steps are being taken by the Finance Minister to ensure that the prices of manufactured goods do not increase and at the same time those of agricultural commodities do not come down ?

श्री एच० एम० पटेल : हम यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं कि कृषि के लिए बीज, खाद आदि के मूल्य को उचित नियंत्रण में रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 723

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगले प्रश्न के लिए कहा है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र: हमें श्री रामानन्द तिवारी के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। प्रश्न यह था कि निर्मित्त वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में कृषि उत्पादों के मूल्य की क्या स्थिति है और क्या यह सच है कि निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है और कृषि उत्पादों के मूल्य कम हो रहे हैं। मंत्री महोदय ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर दिया जाना है।

श्री एच० एम० पटल : मैंने बताया है कि कुछ निर्मित वस्तुओं की लागत में कोई वृद्धि हो रही है। लेकिन मैंने कहा है कि जहां तक कृषि के लिए खाद, बीज आदि का प्रश्न है और सीमेंट, उर्वरक आदि जैसी निर्मित वस्तुओं के मामले में हम यह सावधानी के साथ देखें कि उनके मूल्य नियंत्रणाधीन रहें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : परन्तु कृषि उत्पादों की तुलना में उनकी क्या स्थिति है।

***पीठासीन अधिकारी के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded as ordered by the Chair.

श्री एच० एम० पटेल : तुलना से आपका क्या अभिप्राय है ? निर्मित वस्तुएं सम्पूर्ण रूप में···· मुझे दुख है कि माननीय सदस्य मेरे उत्तर को अपने मन के अनुसार व्याख्या कर रहे हैं। मैंने कहा था········

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : इसको कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। आप प्रत्येक के प्रश्न में हस्तक्षेप करते हैं।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : आप केवल श्री रामानन्द तिवारी के प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री एच० एम० पटेल : मैं उत्तर दे रहा हूं। जैसा कि मैंने समझा है, माननीय सदस्य ने कहा है कि निर्मित वस्तुओं की लागत के वृद्धि हो रही है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : लागत नहीं बल्कि मूल्य।

(**व्यवधान**)

श्री एच० एम० पटेल : ठीक है, मूल्य सही। यह कहा गया था कि मूल्य में वृद्धि हो रही है (**व्यवधान**) निर्मित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है (**व्यवधान**) उन्होंने यह भी कहा है कि कृषि उत्पादों के मूल्य कम हो रहे हैं जो सही नहीं है। कृषि उत्पादों के मूल्यों में भी वृद्धि हो रही है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : गन्ने के मूल्यों की क्या स्थिति है ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

(**व्यवधान**)**

श्री एच० एम० पटेल : दोनों चीज़ों में समानता नहीं हो सकती। समानता से आपका क्या तात्पर्य है यह इस बात पर निर्भर करता है। निःसन्देह निर्मित वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं। कृषि वस्तुओं के मूल्य भी कम नहीं हो रहे हैं।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

(**व्यवधान**)

श्री एच० एम० पटेल : जब मैंने कहा है कि निर्मित वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं; कृषि वस्तुओं के मूल्य भी बढ़े हैं तथा माननीय सदस्य ने कहा है कि गन्ने के मूल्य भी बढ़े हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 723, श्री दुर्गा चन्द।

***कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

श्री वसंत साठे : श्रीमन्, आप उत्तर प्राप्त हुए बिना ही आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न पूछने का लाभ ही क्या है? जो कोई भी प्रश्न पूछे, उत्तर अवश्य दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं बोल रहा हूं। मैंने प्रश्न संख्या 723 ले लिया है। आप यदि चाहें तो आधे घण्टे की चर्चा उठा सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 723 लिया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)**

राज्यों पर ऋण

*723. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य सरकार पर केन्द्रीय सरकार का कितना ऋण है;

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा ऋण किस प्रकार चुकाया जाता है; और

(ग) राज्य सरकारों को ऋण देने के लिये सरकार की वर्तमान नीति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, जिसमें बिल्कुल हाल की उपलब्ध सूचना दी गई है।

(ख) 31 मार्च, 1974 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के जो ऋण राज्यों पर बकाया हैं, वे छठे वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई शर्तों के अनुसार वापस किये जाते हैं। बाद के ऋणों की वापसी की शर्तें प्रत्येक ऋण के स्वरूप के अनुसार अलग अलग होती हैं और वापसी अदायगी की अवधि 25 वर्षों तक की हो सकती है।

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के साधनों और उनके विकास तथा विकास भिन्न प्रयोजनों की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर राज्यों को ऋण दिये जाते हैं।

विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	राज्य	31-3-76 को बकाया ऋण की रकम
1.	आंध्र प्रदेश	7,70
2.	असम	4,43
3.	बिहार	8,36
4.	गुजरात	3,93
5.	हरियाणा	2,42

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

6.	हिमाचल प्रदेश	1,68
7.	जम्मू और कश्मीर	4,11
8.	कर्नाटक	4,86
9.	केरल	4,09
10.	आन्ध्र प्रदेश	4,83
11.	महाराष्ट्र	7,43
12.	मणिपुर	58
13.	मेघालय	20
14.	नागालैण्ड	29
15.	उड़ीसा	5,60
16.	पंजाब	2,53
17.	राजस्थान	8,20
18.	तमिलनाड	4,85
19.	त्रिपुरा	48
20.	उत्तर प्रदेश	10,73
21.	पश्चिम बंगाल	8,46
22.	सिक्कम	1
		96,77

टिप्पणी : 1976-77 और 1977-78 के लेखों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

Shri Durga Chand : In his reply, the hn. Minister has stated that loans are given to the States for developmental and non-developmental purposes. However, figures in respect of overdrafts made by the States for non-developmental purposes and the amount converted into loans out of that have not been given. At present, loans outstanding againzt the State Governments amount to Rs. 9,677 crores, the largest amounts of loans, running from Rs. 743 crores to Rs. 1073 crores, being due on Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Bihar, Maharashtra, Rajasthan and West Bengal. I want to know the meaning of non-developmental puzposes in this—what is its purport and how is this loans given ? How the overdrafts for non-developmental purposes been converted into loans ?

श्री एच० एम० पटेल: जहां तक विकास कार्यों तथा गैर-विकास कार्यों के लिये ऋणों का सम्बन्ध है, कुल लेखे तैयार करते समय इन्हें अलग कर दिया गया है। कुल ऋण के अन्तर्गत समस्त ऋण जो राज्य सरकार की ओर बाकी है, के आंकड़े दिये गये हैं।

Shri Durga Chand : I wanted to know how much of the amount relating to non-developmental purposes was converted into loans . That has not been replied to.

There are several backward States which are under heavy debt. This happens because when the pay scales increase or when the Central Government increases the dearness allowance, the States have also to pay the same and that money is given to the States in the form of loans. Have any of these backward States requested you to write off these loans ? Will the Government of India consider writing off these loans ?

श्री एच० एम० पटेल : मेरे विचार से ऋणों को समाप्त करने के किसी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाता है; परन्तु जब वित्त आयोग की बैंठक होती है तब ऐसे प्रत्येक राज्य की वित्तीय स्थिति पर ध्यान दिया जाता है उसकी पिछड़ी हुई स्थिति, तथा उसकी कठिनाइयों पर ध्यान दिया जाता है और आयोग अतिरिक्त राशि देने की सिफारिश करता है ।

श्री चित्त बसु: माननीय मंत्री महोदय मेरे विचार से सहमत होंगे कि केन्द्र के राज्य सरकारों पर 9677 करोड़ रुपये की राशि के ऋण से स्थिति चिन्ताजनक हो गई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह कागजी जमाखर्च है किसी को इसे गम्भीरता से नहीं लेना चाहिये

श्री चित्त बसु : क्या सरकार ऋणों के आंकड़े फिर से तैयार करने पर विचार करेगी ? मैं उन्हें समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं । क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने ऋणों के आंकड़े नये सिरे से तैयार करने का अनुरोध नहीं किया है । क्या मैं यह बात भी जान सकता हूं कि सरकार इस बात सहमत नहीं है कि ऋणों की इस स्थिति से ऋण वितरण की नई प्रणाली निकालना न्यायोचित है ? इस बारे में क्या सरकार समस्त प्रश्न पर, केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्धों पर, नये सिरे से विचार करेगी।

श्री एच० एम० पटेल: : ऋणों के आंकड़े फिर से तैयार करने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है । क्योंकि ये ऋण प्रत्येक राज्य के लिये मंजूर की जाने वाली विभिन्न विकास योजनाओं के कारण बनते हैं । इस सम्बन्ध में जो कुछ राशि केन्द्रीय सरकार देती वह ऋण हो जाता है । प्रत्येक वर्ष कुछ ऋणों का भुगतान हो जाता है और नये ऋण बन जाते हैं इन पर भी प्रत्येक वित्त आयोग द्वारा उसकी बैंठक में ध्यान दिया जाता है और फिर आयोग अतिरिक्त निधि के आवंटन का प्रबन्ध करता है ताकि कोई भी राज्य वित्तीय संकट में न रहे ।

जहां तक ऋण वितरण की नई प्रणाली का प्रश्न है यह इस प्रश्न का दूसरा रूप है कि क्या वित्तीय सम्बन्धों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए । जो भी ठोस सुझाव सामने आयेंगे सभी पर विचार किया जायेगा । परन्तु आज हम संविधान की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं और संविधान में इस प्रकार व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक पांचवें वर्ष नियुक्त किया जाने वाला वित्त आयोग विभिन्न नई बातों पर ध्यान देता है ताकि पांच वर्ष के अन्त में आवश्यक समायोजन किऐ जा सके ताकि केन्द्रीय सरकार की निधि में से राज्य सरकार हिस्सा ले सके ।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी: क्या पीछे कोई ऐसे उदाहरण हैं जहां वित्त आयोग द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों के ऋणों को माफ कर दिया गया हो और यदि हां, तो क्या सरकार उन राज्यों के ऋणों को माफ करने पर विचार करेगी जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और जहां प्रति व्यक्ति आय औसत आय से भी कम है ।

श्री एच० एम० पटेल: : राज्यों को अपनी स्थिति वित्त आयोग को बतानी होती है और वित्त आयोग उस पर पूरा ध्यान दता है और उचित सिफारशें करता है । साथ ही जब कोई विशेष संकट होता है केन्द्रीय सरकार स्वयं भी उस पर विचार करती है और अतिरिक्त आवंटन करती है, ऋणों को भी कम कर देती है ।

अध्यक्ष महोदय: : यह चीज रिकार्ड में मिल जायेगी ।

श्री एच० एम० पटेल: वित्त आयोग स्वयं माफ नहीं करता यह आवश्यक समायोजन की सिफारिश करता है । इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि पीछे केन्द्रीय सरकार ने स्वयं ही कोई ऋण माफ किये हों ।

मंजूरी ढांचा

*724 श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री जनार्दन पुजारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मजूरी ढांचे के स्थान पर क्षेत्रीय आधार पर मजूरी ढांचे के निर्धारण के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : : (क) और (ख) भारत सरकार ने अक्तूबर 1977 में वेतन, आय और मूल्यों के बारे में एक अध्ययन दल नियुक्त किया है जो अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित मामलों पर भी विचार करेगा :—

(i) न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए और न्यूनतम वेतन निर्धारण करने के लिए क्या प्रतिमान अपनाए जाएं।

(ii) क्या न्यूनतम वेतन एक समान होना चाहिए या उसमें विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के बीच अन्तर रखा जा सकता है ।

(iii) न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन के बीच अन्तर निर्धारित करने के लिए क्या सुसंगत मानदण्ड होने चाहिएं और क्या न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन के बीच अनुपात एक समान होने चाहिएं या विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में वे अलग-अलग रखे जा सकते हैं ।

सरकार इस मामले में अपनी कोई राय कायम करने से पहले अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त करना चाहेगी । आशा है कि अध्ययन दल अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही दे देगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : प्रश्न यह है कि क्या सरकार का विभिन्न क्षेत्रों के लिये सिद्धान्त निर्धारित करने का कोई विचार है परन्तु मंत्री महोदय कहते हैं कि सरकार केवल प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करेगी । सरकार को प्रतिवेदन कब तक मिलने की आशा है ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रतिवेदन शीघ्र ही मिलने वाला है । यदि यह इसे प्रारंभ में बताये गये समय के अनुसार प्रतिवेदन दे देती है तो वह हमें इस महीने के अन्त तक मिल जायेगा । यदि वे अतिरिक्त समय के लिये कहते हैं तो कुछ सप्ताह या थोड़ा और समय लग सकता है। परन्तु उन्होंने अभी तक अधिक समय नहीं मांगा है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या मंत्री महोदय इस समिति को कोई अभ्यावेदन दे रहे हैं या समिति मालिकों, कर्मचारियों आदि से अभ्यावेदन लेती है । क्या सरकार का विचार इस समिति को यह बताने का है ?

श्री एच० एन० पटेल : यह एक अध्ययन दल है जिसे नियुक्त किया गया है । इस अध्ययन दल ने मजदूर संघों को आगे आने और अपने विचार रखने को कहा था मैं समझता हूं कि मजदूर संघों ने इसे स्वीकार नहीं किया है । इन बातों का अध्ययन करने के लिये उन्हें हर किसी से परामर्श करने की खुली छूट थी । परन्तु मुझे पता नहीं है कि उन्होंने कैसे कार्यवाही की है ।

सरकार ने यह समिति नियुक्त की है । यह एक अध्ययन दल है । जब यह हमें प्रतिवेदन दे देगा तब यह प्रश्न उठेगा कि क्या सरकार को मजदूर संघों या अन्य सम्बन्धित पार्टियों से परामर्श करना चाहिये या नहीं ।

श्री जनार्दन पुजारी : सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययनों ने अंतिम रूप से सिद्ध कर दिया है कि कुल उत्पादन लागत में मजदूरी तथा अन्य परिलब्धियों के संदर्भ में श्रमिकों के अंश में गिरावट आ रही है जबकि औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है। आपको यह भी पता है कि श्रमिकों की आय में जीवन निर्वाह के सम्बन्ध में और कमी हुई है। मंत्री महोदय ने अध्ययन दल का उल्लेख किया है। आप सभी जानते हैं कि केन्द्रीय मजदूर संघों ने यह कह कर इस अध्ययन दल का बहिष्कार किया है कि इसके सदस्य पहले वाले तथा वर्तमान अफसरशाही लोग हैं और इस अध्ययन दल का तौर-तरीका अफसरशाही है और समाधान भी अफसरशाही ही होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन श्रमिक संघों ने एक निश्चित निष्कर्ष निकाल लिया है कि इस अध्ययन दल का गठन और इस अध्ययन दल के सदस्य, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मजूरी स्थिरीकरण की पहल करने की दिशा में एक प्रयास है, क्या सरकार इस भूतलिगम अध्ययन दल का विघटन करने के बारे में सोच रही है ?

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है और वह इसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है।

Dr. Ramji Singh : Mr. Speaker, Sir, will the hon. Minister of Finance state that this Study Group in whose terms and reference it is given—same pay for the same work—also consider about work and pay of the employees of State Governments and Local Bodies ? Does he know that the employees working in the Central Government, State Governments and Local Bodies get different salaries for same type of work which is irrational ? Will he recommend to include this factor in the terms and reference of this group ?

श्री एच० एम० पटेल : अध्ययन दल निश्चय ही इस पहलू की भी जांच करेगा।

श्री दीनन भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय इस बात का उत्तर देंगे कि सभी श्रमिक संघों ने इस अध्ययन दल का बहिष्कार किया है और उन्होंने इस अध्ययन दल को कोई ज्ञापन भी नहीं दिया है क्योंकि सरकार ने सभी क्षेत्रों--सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों—में मजूरी स्थिर करने के लिये यह अध्ययन दल गठित किया है।

श्री एच० एम० पटेल : यह बिल्कुल ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि श्रमिक संघों ने इस अध्ययन दल को कोई ज्ञापन देना या इससे मिलना उचित नहीं समझा यह दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने यह विचार कर लिया कि इस अध्ययन दल का इरादा मजूरी स्थिर करने का है।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह समिति गठित करने की पृष्ठ भूमि क्या है ? क्या यह समिति आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के सिद्धान्त की जांच करेगी ? क्या आप आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी की समस्या से सिद्धान्ततया सहमत हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : सबसे पहला निदेश पद यह है कि न्यूनतम मजूरी क्या होनी चाहिये। जहां तक उन परिस्थितियों का सम्बन्ध है जिनके कारण यह अध्ययन दल नियुक्त करना पड़ा, इस बारे में तथ्य यह है कि समूची मजूरी प्रणाली में विकृतियां आ गई थीं उदाहरण के लिए सरकारी क्षेत्र में कुछ ऐसे प्रतिष्ठान थे जहां मजूरी स्तर बहुत अधिक ऊंचा था, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से भी ऊंचा

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या अध्ययन दल गठित करने के पीछे आवश्यकता पर आधारित मजूरी तय करने का विचार था ?

श्री एच० एम० पटेल : न्यूनतम मजूरी सबसे पहला निर्देश पद है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय को मालूम होना चाहिये कि न्यूनतम मजूरी और आवश्यकता पर आधारित मजूरी दो भिन्न बातें हैं । मंत्री महोदय को समझना चाहिए कि दोनों के बीच अन्तर है ।

श्री एच० एम० पटेल : अध्ययन दल सभी पहलुओं पर विचार करेगा कि न्यूनतम मजूरी का स्वरूप क्या होना चाहिए और इसे किस आधार पर किया जाना चाहिये ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा प्रश्न अलग था·····

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका प्रश्न कर रहा हूं प्रश्न यह था कि क्या अध्ययन दल नियुक्त करने का विचार आवश्यकता पर आधारित मजूरी तय करना था ।

श्री एच० एम० पटेल : जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहला निदेश पद यह है कि न्यूनतम मजूरी कितनी होनी चाहिये और न्यूनतम मजूरी का निर्धारण करने के लिए क्या सिद्धान्त होने चाहिये । हम अध्ययन दल से आशा करते हैं कि वह हमें यह बतायें कि यह किस आधार पर किया जायेगा, क्या आवश्यकता पर आधारित मजूरी के आधार पर किया जायेगा या अन्य किसी आधार पर ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । (व्यवधान) इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित मत कीजिए ।

(व्यवधान)**

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य श्री कंवरलाल गुप्त द्वारा पूछा गया प्रश्न निदेश पदों के अन्तर्गत आ गया है । क्या यह आवश्यकता पर आधारित होगा या नहीं—यह भी एक बात है जिस पर अध्ययन दल ने विचार करना है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । (व्यवधान) इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित मत कीजिए ।

(व्यवधान)**

Shortage of Edible Oils

*728. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to lay a statement showing :

(a) whether the shortage of edible oils is likely to perrsist in the next few years;

(b) whether the production of edible oils is likely to be 20.12 lakh tons in the next five years whereas its consumption is estimated to be 34.50 lakh tons; and

(c) if so, the full details of the scheme formulated to meet the shortage and overcome the difficulty being faced in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri K.K. Goyal) : (a) Production of edible oil-seeds and oils in the country is likely to fall short of the demand till such time steps taken to augment production of oil-seeds fructify.

(b) Against the present annual estimated level of consumption of 34 lakh tonnes, it is expected that with the steps taken the annual production of edible oils is likely to go up from the present level which is ranging between 23 to 26 lakh tonnes.

(c) Edible oils are being imported liberally to meet the current shortages. In addition long-term and short-term measures have been evolved to raise the production of edible seeds and oils by providing incentives to farmers which, *inter-alia*, include :

(i) Raising the productivity per hectare both in irrigated and unirrigated areas through rapid spread of improved technology.

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

Not recorded.

(ii) Increasing the area under irrigated crops by exploiting the potential under the command of new irrigated projects.

(iii) Strengthening the seed production programme by augmenting the supply of pure seed.

(iv) Stepping up the coverage by plant protection measures, particularly by aerial spraying over large areas, wherever feasible.

(v) Fixation of support prices and making arrangements for the purchase of the produce at those prices.

(vi) Provision of subsidy on the cost of certified seed and for various plant protection operations under the Intensive Oilseeds Development Programmes and other Centrally Sponsored Schemes of the Department of Agriculture.

(vii) Extension of area under non-traditional oilseed crops, like sunflower and soya-bean, and

(viii) Increasing production of oils by modern extraction methods.

Dr. Laxmi narayan Pandeya : Mr. Speaker, Sir, as the hon. Minister has admitted that there is likelihood of shortage of about one million tonnes of edible oils and he has also stated certain measures evolved in this regard. As he has stated in Part (b and expected that as a result of the steps taken the annual production of the edible oils is likely to go up by 23 to 26 lakh tonnes in comparison to the present estimated level of consumption of 34 lakh tonnes and he has also admitted that gap would be there, I would like to know the names of edible oils that are being imported or what quantity thereof will be imported this year and what is the likely shortage to occur this year ?

As the hon. Minister has stated in para (v) of the part (c) that "Fixation of support prices and making arrangements for the purpchase of the produce at those prices", I would like to know the names of the articles about which support prices have been fixed as also the support prices fixed for soyabean, suryamukhi (Sunflower), groundnut ? If so, the names of the places where arrangements have been made to purchase the produce at the fixed prices ?

Shri K.K. Goyal : I know like to tell the hon. Member that there was demand to the time of 32 lakh tonnes during the last oil year i.e. 1976-77 against the production of 24 lakh tonnes. In this way there was a shortage of 8 lakh tonnes which was met by S.T.C. and private trade. Mr. Speaker, Sir during the oil year oil 1977-78 there is estimate of production of 24.50 lakh tonnes against the demand of 34 lakh tonnes. Thus, there is a gap of about 9 5 mlakh tonnes. The Government of India is meeting this gap by way of import. The State Trading Corporation is likely to import 7 lakh tonnes of oil out of which 5 lakh tonnes will be supplied to our vegetable oil industry and remaining 2 lakh tonnes of oil will be distributed directly for consumption. The private parties have imported 2 lakh 33 thousand 335 tonnes of oil during this very oil year. So far as the question put by the hon. Member about the support prices is concerned, I want to assure the House through you that no shortage of edible oils will be allowed to take place in the country and we shall ensure that there is not much price rise.

The hon. Member has asked the names of the articles about which we have fixed the support prices. For his information, I would like to tell that the support prices for Groundnut, Soyabean, Sunflower and mustard seeds have been announced Rs. 160/, Rs. 145/-, Rs. 165/- and Rs. 225/- respectively. The NAFED has been authorised to make purchases at these support prices.

Dr. Laxmi Narayan Pandeya : Is it a fact that the NAFED makes purchases only is Punjab, Haryana and Gujarat and it is not making purchases at the support prices in the remaining states ? I would like to know whether the NAFED will purchase groundnut and soyabean at support prices where these articles are produced in abundance ? What steps the Government are going to take regarding increasing prices of mustard seed for which support price has been fixed ?

Shri K.K. Goyal : I think the information given by the hon. Member is wrong. The support prices fixed by the Government for oil seeds so far, be it for groundnut, soyabean or mustard, no information from any place has been received that the prices of these articles have gone down in comparison to the support prices. There will be no state or place where prices will be lower than the support prices. The NAFED will make arrangements for the purchase of these artcles.

श्री हितेन्द्र देशाई : अब जबकि मूल्य में वृद्धि से सारे कीतिमान टूट गये हैं मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सस्ती दरों पर तेल के वितरण की व्यवस्था करेंगी ?

Shri K.K. Goyal : As my senior Colleague Shri Dharia has announced that rape seed oil is substituted to mustard oil. This rape seed oil is being distributed through public distribution system. Originally its price was Rs. 8/- per kilogram. It was later reduced to Rs. 7/-

Shri Multan Singh Chowdhury : As the production of wheat and sugarcane has increased, why the production of oil seeds has gone down ? Is it the reason that prices for the oil seeds are not half the cost of production and as a result of that one farmers have given up their cultivation. The Government has fixed support price for the mustard seeds at Rs. 225/-. Unless it is revised to Rs. 400/-, oil cannot be purchased easily. Farmers get good prices for wheat and sugarcane and hence they sow these things in more quantity. According to the present policy of the Government wheat worth Rs. 7000 crores was imported, if this amount would have been utilised in the Country, a good crop would have been those in India. Wil the hon. Minister consider the matter of revising the present support price of oil seeds by the times ?

Shri K.K. Goyal : I want to assure the hon. Member that import will never be promoted in the country at cost of agriculturist. The Government has not fixed the support prices of its own but it has fixed the prices of oil seeds after looking into every aspect through the Agriculture Prices Commission and these prices are fair. The support price for mustard seeds fixed by Government at Rs. 225/- per quintal is quite reasonable.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

युनाईटेड कमर्शियल बैंक के कार्यकरण के बारे में आरोप

*720. या० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1978 के अन्त में उन्हें संसद सदस्यों के अनेक पत्र मिले हैं जिनमें यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड, के कार्यकरण के बारे में बैंक प्रबन्धकों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं

(ख) यदि हां, तो क्या आरोप लगाये गये हैं, और

(ग) इन आरोपों की जांच करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) मोटे तौरपर इन आरोपों में अधिक खर्चे और ऋण स्वीकार करने में तथा बैंक में पदोन्नतियों/नियुक्तियों में अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं ।

(ग) रिजर्व बैंक ने एक प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है जिसके अनुसार बैंक के अध्यक्ष की ओर से की गई कोई गम्भीर अनियमितताओं का पता नहीं चला है ?

रिजर्व बैंक इन आरोपों का विस्तार से जांच कर रहा है ।

Office of STC

*725. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to lay a statement showing :

(a) the names of the countries in the world where the offices of State Trading Corporation have been opened ;

(b) the number of persons working therein, office-wise and the annual expenditure incurred on their maintenance; and

(c) how much trade was transacted through these offices with the foreign countries, (country-wise), where these are situated during the last three years and the full detail thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-20961/08]**

Take over of Bathing Pool Deoghar, Place of Pilgrimage

*726. **Shri Hukmdeo Narayan Yadav :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Deoghar is a big place of pilgrimage in Bihar which is visited by lakhs of persons every year and in the absence of proper arrangement for accommodation and adequate water supply people face great difficulty; and

(b) whether water of bathing pool is so dirty and stinking that people cannot take bath there and whether Government propose to tak it over and if not, the reasons therefor:

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b) All places of pilgrimage which attract a large number of pilgrims, Deoghar no doubt being one of them, suffer from inadequacy of accommodation and other amenities. The Government have no proposal to take over the bathing pool or any other amenity provided at Deoghar for pilgrims as no single agency can fully meet the requirements of the large number of pilgrims visiting Deoghar. It has thus to be a concerted effort or the part of all concerned ot improve/augment/provide requisite facilities and to ensure hygienic conditions.

दिल्ली के निकट सन्त कवि सूरदास के जन्म स्थान पर पर्यटक केन्द्र

*727. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूरदास स्मारक समिति, सीही (हरियाणा) से दिल्ली-मथुरा रोड पर दिल्ली के दक्षिण की ओर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर सन्त कवि सूरदास के जन्म-स्थान पर पर्यटक केन्द्र स्थापित करने के बारे में एक अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या इस बारे में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालयों के बीच परामर्श हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (घ) शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित की गयी सूर पंचशती समन्वय समिति में पर्यटन विभाग का भी प्रतिनिधि है। समिति ने सिफारिश की है कि पर्यटन विभाग को सूरदास के जन्म-स्थान सीही का विकास करने में हरियाणा सरकार को यथोचित रूप से सहयोग प्रदान करना चाहिये। परन्तु, राज्य सरकार से कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

Probation for Rural Bank Employees

*729. **Shri Ram Kanwar Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether the period of probation for Rural Banks employees is one year while it is six months for employees in other Banks ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : No uniform service rules, including the probation for the new recruits of the Regional Rural Banks, have yet been framed. However, the Regional Rural Banks have been advised to adopt provisionally the service rules applicable to the comparable levels of employees of the Government of the State in which they are located.

In cases of clerical and subordinate staff of commercial banks, the probation period is 6 months, but in respect of officers, such period differs from bank to bank extending up to a maximum of 2 years.

तम्बाकू का निर्यात

*731. **श्री डी०डी० देसाउ** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू का निर्यात 1977-78 में उसके लक्ष्य से अधिक हुआ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अनन्य रूप से निर्यात हेतु 'वी०एफ०सी०' तम्बाकू की खेती को बढ़ावा देने का है ?

वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) ऐसी संभावना है कि 1977-78 के लिए 110 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा अथवा इससे कुछ अधिक निर्यात हो सकता है।

(ख) अप्रैल, 1977—फरवरी, 1978 की अवधि के दौरान 105.37 करोड़ रु० मूल्य के 71,185 मे० टन तम्बाकू का निर्यात होने का अनुमान है। ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा जापान हमारे प्रमुख खरीदार बने रहे।

(ग) वी०एफ०सी० तम्बाकू की उन किस्मों की खेती पर बल दिया जाता है जिनकी बेहतर निर्यात संभावना है। तथापि, इसकी खेती पूरी तरह से निर्यात के लिए नहीं है क्योंकि वी० एफ०सी० तम्बाकू का प्रयोग देश में भी तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है।

इलाहाबाद बैंक द्वारा विभिन्न कम्पनियों को नियमों के विरुद्ध दिए गए ऋण

*732. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (एक) ई०एम०सी०–इ०एम०सी० स्टील और इससे सम्बद्ध कम्पनियों (दो) उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स कम्पनी लिमिटेड (तीन) मैकिनटोश बर्न लिमिटेड (चार) हावड़ा फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड और (पांच) बेलूर आयरन फाउंडरी एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स को इलाहाबाद बैंक द्वारा नियमों के विरुद्ध भारी धनराशि के ऋण दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त फर्मों को ये ऋण देने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति कौन-कौन हैं और इसमें कितनी राशि सम्बद्ध है; और

(ग) सरकार का विचार उक्त ऋणों को किस प्रकार वसूल करने का है?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित पांचों प्रतिष्ठानों को इलाहाबाद बैंक द्वारा, सामान्य प्रथाओं और प्रक्रियाओं के अनुसार तथा इसके बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद ऋण मंजूर किये गये थे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन सभी खातों की जांच कर ली गई है।

(ख) और (ग) बैंकों मे प्रचलित व्यवहारों और प्रथाओं के अनुसार और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सुविधियों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है।

आभूषणों का निर्यात

*733. **श्री सी०के० जाफर शरीफ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने का आयात करने और इस आयातित सोने से बने आभूषणों का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) स्वर्ण-आभूषणों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये, सोने का आयात करके अथवा सोने के सरकारी भण्डार में से, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर, सोना बेचने की सरल योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इस बारे में घोषणा जल्द ही की जायगी।

Indo-British Economic Committee

*734. **Shri Achan Singh Thakur** : Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to lay a statement showing :

(a) the details of the decisions taken in the meeting or of the Indo-British Economic Committee to promote trade between the two countries ;

(b) the manner in which these decisions would be implemented and when implementation would start; and

(c) the names of the commodities or to be purchased or by each other with a view to have a favourable balance of trade ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation Arif(a)& (b) During the Indo-British Economic Committee Meeting held in New Delhi on 10—16th March this year, discussions were held on various aspects of bilateral economic relations, including commercial and industrial cooperation. It was decided to set up joint

machinery for monitoring the process of implementation. Focal points to exchange information and or pursue possibilities to promote industrial collaboration and third country joint ventures were identified. Need for expert level studies to find out or precise are as and mechanisms or to promote commercial and industrial cooperation in such areas was alsorecognised. There was also exchange of views/discussion or on or other issues concerning Indo-EEC relationship, Common Fund, MTN etc. Although no target, time limit has yet been set, it has been decided that the Ministry of Commerce of Government of India and the Department of Trade of the Government of UK would be responsible for following up the conclusions and decisions of this meeting and will keep in constant touch with each other.

(c) India has indicated her interest to procure technology and balancing imports mainly in respect of the automotive sector, sophisticated machine tools, earth-moving equipment, quality control and testing equipment, power equipment, industrial raw material, spares and components etc. from UK. The British side assuerd maximum help to India to establish contacts with their Import Opportunities office as well as established export/import Houses to increase India's exports to UK. An illustrative list of engineering items for which there were good prospects for exports to UK was identified. This included items like machine tools and accessoires; Industrial fasteners; Auto-parts; Electronic equipment and components; diesel engines and parts; hand tools/cutting tools; pumps and valves, forgings and castings, Builder's Hardware etc.

स्वर्ण आभूषणों के निर्यात कर्ताओं का पंजीकरण

*735. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1978 से स्वर्ण मूल्य में कितनी कमी हुई है और क्या सरकार ने स्वर्ण की निर्बाध बिक्री के लिए व्यवस्था की है;

(ख) स्वर्ण आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है और स्वर्ण आभूषणों के विदेशी आयातकर्ताओं तथा खरीददारों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन स्वर्णकार किस प्रकार करेंगे; और

(ग) क्या स्वर्ण आभूषण निर्यातकर्ताओं के पंजीकरण के बारे में कोई योजना है और क्या सरकार स्वर्ण आभूषणों के निर्यात सम्वर्धन के लिए कोई वित्तीय सहायता देगी?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सोने का जो भाव, अखबारों में छपी खबरों के अनुसार 28 फरवरी, 1978 को प्रति 10 ग्राम 695 रु० था, बजट-प्रस्तावों की घोषणा के एक घंटे के अन्दर अन्दर 40 रु० कम हो गया था और नीचे जाता-जाता 5 मार्च, 1978 को 635 रु० तक पहुंच गया था। अब, वह फिर चढ़कर 11 अप्रैल, 1978 को 683 रु० पर आ गया है। सोना बेचने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और उसकी घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।

(ख) और (ग) स्वर्ण आभूषणों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सोने का, बिना सीमा-शुल्क, आयात करने की अनुमति देने अथवा सरकारी भण्डार में से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर सोना बेचने की एक सरल योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। विदेशों में माल मंगाने वालों और खरीदारों की स्वर्ण-आभूषणों सम्बन्धी आवश्यताओं का, अनुमान रत्न तथा जवाहिरात निर्यात संवर्धन परिषद् लगाती हैं। परिषद् निर्यातकर्ताओं का मार्गदर्शन भी करती है। ऐसे निर्यातकर्ताओं को, परिषद् में अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है।

जीवन बीमा निगम के बारे में मोरारका समिति की सिफारिशें

*736. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के बारे में मोरारका समिति की कितनी सिफारिशों को सरकार अथवा जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों द्वारा स्वीकार तथा क्रियान्वित किया गया है; और

(ख) कौनसी सिफारिशें अस्वीकार कर दी गई और कौनसी स्वीकार की गई और जो अस्वीकार की गई उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) आर (ख) एक विवरण [ग्रंथालय में रखा गया/ देखिए संख्या एल०टी०-2097/78] जिसमें मोरारका समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों पर 30-6-1974 तक की गई कारवाई और उस पर सरकार द्वारा किये गए फैंसले दिये गये थे, 12-5-1969 के प्रश्न संख्या 9279 और 21-7-1969 के प्रश्न संख्या 81 के उत्तरों में दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के लिए 4-9-1974 को सभा पटल पर रख दिया गया था। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें समिति के वे निष्कर्ष और सिफारिशें दी गई हैं जिन पर बाद में कारवाई की गई और उस पर सरकार द्वारा फैंसले दिये गये।

ये फैंसले जीवन बीमा निगम के कई क्षेत्रों और विभिन्न स्तरों के कार्य में सुधार करने के लिए हैं और जीवन बीमा निगम सुधार करने के लिए लगातार आवश्यक कारवाई कर रहा है।

Applications for Compromise in Income Tax Cases

737. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) State-wise number of the parties whichf have submitted applications to Government for compromise for scaling down the pending arrears of income-tax cases which are pending for the last 20 years or more;

(b) the difficulties of Government in agreeing to the suggestions made by the Income-tax Commissioners and some parties in regard to the case spending for the period referred to in part (a) above and whether Government propose to settle the cases only by realising income-tax arrear by attaching their entire property including the business; and

(c) if so, whether Government propose to consider these cases sympathetically ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) Complete information is not available. However, proposals for scaling down of income-tax demand outstanding for 20 years or more from three parties are under examination at present in the Central Board of Direct Taxes. All of them relate to the State of West Bengal.

(b) & (c): An assessee under the Income-tax Act is liable to pay the entire tax demand found due from him and necessary steps, including attachment and sale of property, are resorted to, where necessary, to realise the tax arrears. In exceptional circumstances where the prospects of recovery of the entire arrears from a tax-payer are considered remote, proposcale to scale down the tax arrears are considered on merits. In this process, the suggestions made by the Commissioners of Income-tax are duly taken into account.

विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में वृद्ध

*738. **श्री समर गुहा** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री खाद्य के रूप में उपयोग में लाई जा रही आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के बारे में 16 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित

प्रश्न संख्या 4274 के उत्तर के सम्बन्ध में निम्न.लिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित वस्तुओं के बढ़े हुए निर्यात के क्या कारण हैं :
(1) अनकुटा जौ, (2) अनकुटा मक्का, (3) गेहूं, चावल, जौ और मक्का से भिन्न अन्य अनकुटे अनाज, (4) दालें तथा उनका आटा, (5) नियत बनस्पति तेल मध्यम तोरिया, गोभी और सरसों के तेल सहित, (6) मूंगफली का जमाया हुआ तेल और बसा, (7) दुग्ध और क्रीम, (8) अंडे, (9) मछली तथा मछली की तैयार वस्तुएं, (10) मूंगफली;

(ख) क्या उक्त निर्यात के बारे में फिर से विचार किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान मदों के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य के ब्यौरे संलग्न अनुबन्ध में दिये जाते हैं। 1976-77 में मदों के निर्यातों में वृद्धि के कारण क्रमानुसार निम्नोक्त प्रकार थे :—

(1) बिना पिसा जौ

1976-77 के दौरान भरपूर फसल होने के फलस्वरूप घरेलू कीमतों में गिरावट का रुख आ गया था और कीमत समर्थन उपाय के रूप में निर्यात की अनुमति दी गई थी। इस वर्ष 34,461 मे० टन जौ के निर्यात की अनुमति द गई थी।

(2) मकई (कार्न) बिना पिसी

निर्यातों की मात्रा नगण्य रही जिसका ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :—

(मे० टन)

वर्ष	बिना पिसी मकई	अन्य बिना पिसा अनाज
1974-75	89	1
1975-76	538	62
1976-77	119	1

1976-77 के दौरान निर्यातों में गिरावट रही। मकई तथा अन्य अनाजों के निर्यात नियंत्रित हैं। 1975-76 के दौरान हमने 500 मे० टन मकई तथा 50 मे० टन बिना पिसे अन्य अनाज का वियतनाम गणराज्य को निर्यात किया जिससे 1975-76 में वृद्धि की बात स्पष्ट होती है।

(3) दलहन तथा उनका कोटा

दलहनों के निर्यात सरकार द्वारा दिये गये कोटे के आधार पर हैं। ये निर्यात भी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन के माध्यम से मार्गीकृत हैं। तथापि दलहनों के निर्यातों पर 21-10-1976 से रोक लगा दी गई थी।

(4) निर्धारित वनस्पति तेल

तेल मौसम के प्रारम्भ में मूंगफली के तेल की कीमतों में तेज गिरावट को देखते हुए 1976-77 के दौरान राज्य व्यापार निगम को 5,000 मे० टन मूंगफली के तेल के निर्यात का कोटा दिया गया था। तथापि वास्तव में 3399 मे० टन मूंगफली के तेल का निर्यात किया गया क्योंकि स्वदेशी बाजार में मूंगफली के तेल की कीमतें बढ़ गई और निर्यात बन्द कर दिये गये। इससे 1976-77 के दौरान निर्यातों के मूल्य में वृद्धि स्पष्ट होती है।

(5) हाइड्रोजेनेटिड तेल

1976-77 के दौरान 1784 मे० टन के निर्यात हुए जबकि पिछले वर्ष 1026 मे० टन के निर्यात हुए थे। देश में वनस्पति क उत्पादन की हमारी आवश्यकता से अधिक क्षमता को देखते हुए थोड़ी मात्रा में वनस्पति के निर्यात की अनुमति है।

(6) दूध तथा क्रीम

इस समूह में वाष्पित, सुखाया हुआ तथा कंडेंस्ड दूध, पूर्ण अथवा क्रीम रहित दूध के निर्यात शामिल हैं। इसके निर्यात अधिकतर नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका तथा खाड़ी के देशों को होते हैं। इसके कुल निर्यात थोड़ी मात्राओं में हुए—1976-77 में 271.8 मे० टन तथा पिछले वर्ष 42.6 मे० टन तथा 34 मे० टन हुए।

(7) अंडे

1976-77 के दौरान अंडों के निर्यात में वृद्धि का कारण था देश के भीतर अंडों के उत्पादन में तेज तथा आकस्मिक वृद्धि और भारत में अंडा बाजार में मौसमीपन निर्यातों पर 10 प्रतिशत आर०ई०पी० लाइसेंसों की हकदारी भी थी जिसके अधीन घरेलू मुर्गीपालन विकास के लिए अपेक्षित प्रजनन स्टाक आयात किया जा सकता था। मात्रावार निर्यात उत्पादन के आधे प्रतिशत भी नहीं हैं।

(8) मछली तथा मछली से बनी वस्तुएं

इन मदों के निर्यातों को प्रतिबन्धित करने के लिए कोई उपाय नहीं किये गये जो अधिकतर उच्च मूल्य की झींगा मछली के हैं।

(9) मूंगफली

एच०पी०एस० मूंगफली के निर्यात सरकार द्वारा घोषित निर्यात कोटे के आधार पर हैं। निर्यातों के मूल्य में वृद्धि का कारण हमारी एच०पी०एस० मूंगफली की इकाई मूल्य प्राप्ति में वृद्धि होना है।

(ख) तथा (ग) : 1977-78 में आवश्यक वस्तुओं की निर्यात नीति की समीक्षा की गई है। आवश्यक वस्तुओं तथा आम खपत की मदों के निर्यातों की अनुमति अब केवल उस सीमा तक ही दी जाती है, जहां तक स्पष्ट अधिशेष होता है। तथापि हम उन वस्तुओं के निर्यात की अनुमति देते हैं जिनकी सप्लाई के सम्बन्ध में कोई मजबूरी नहीं है। इस प्रकार 1977-78 में जौ, मक्का और एच०पी०एस० मूंगफली के निर्यात की अनुमति नहीं दी गई। इसी प्रकार दालों, खाद्य फलों, दूध, पाउडर मिल्क (क्रीम रहित या पूरा क्रीम वाला) बेबी मिल्क पाउडर और स्ट्रेसलाइज्य तरल दूध के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। घरेलू खपत से सम्बन्धित हाइड्रोजेनटिड नल और कुछ सस्ती मछली तथा मछली उत्पादों निर्यातों के लिए कोटे निर्धारित कर दिये गये हैं। अनाज के निर्यात विनियमित किये जाते हैं और सामान्यतः केवल पड़ोसी तथा मित्र देशों कोते उनके निर्यात किये जा हैं।

विवरण

निर्यात

मद	ईकाई		1974-75		1975-76		1976-77	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. मोटे अनाज								
(i) बिना पिसी जौ . .	मे० टन	लाख रु०	62	0.4	150	1.2	34461	371.6
(ii) मकई (कार्न) बिना पिसी .	,,	,,	89	3.7	538	21.3	119	2.5
(iii) अन्य बिना पिसे अनाज	,,	,,		नगण्य	62	5.3	1	नगण्य
2. दालें तथा उनका आटा . .	,,	,,	5395	157.0	6947	219.5	8093	238.1
(3.1) फिक्संड वनस्पति तेल साफ्ट (इसमें मूंगफली तोरिया कोलज्म तथा सरसों का तेल शामिल है)								
(क) मूंगफली का कच्चा तेल .	,,	,,	—	—	—	—	494	28.20
(ख) शुद्ध किया हुआ तथा शोधित मूंगफली का तेल . . .	,,	,,	102	9.00	49	3.74	2905	168.31
(ग) गंध रहित मूंगफली का तेल .	,,	,,	नगण्य	नगण्य	6	0.55	—	—
(घ) सूरज मुखी का तेल . .	,,	,,	—	—	—	—	33	2.39
(ङ) सरसों का तेल तोरिया तथा कोल्जा सहित . . .	,,	,,	239	22.40	202	14.04	84	4.46
(ii) हाइड्रोजेनेटिड तेल . .	हजार किग्रा	,,	547.6	46.6	1026.0	104.2	1783.8	153.3

(4.1) दूध तथा क्रीम .	हृ० किग्रा	,,	34.0	3.3	42.6	4.4*	271.8	25.6
(ii) अंडे . .	सौ	,,	—	4.1	—	5.9**	—	86.6
(क) छिल्का सहित अंडे .	सौ	,,	5533	3.3	25303	5.9	2100096	86.5
(ख) छिल्का रहित अंडे . .	हृ०किग्रा०	,,	10.5	0.8	—	—	—	—
(iii) मछली तथा मछली से बनी वस्तुएं	हृ० टन	,,	38.9	6617	52.4	12718	58.8	18025
5. मूंगफली	हृ० मे० टन	,,	55.72	2557	143.3	6291	136.54	6524

* दूध तथा क्रीम का संशोधित मूल्य 5.0 लाख रुपये है जिसके लिए संशोधित मात्रा उपलब्ध नहीं है।

** अंडे का संशोधित मूल्य 8.1 लाख रुपये है जिसके लिए संशोधित मात्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महानिदेशालय, प्रकाशन।

"एयर इंडिया लीव्स 130 इंडियनस इन लर्च एट तेहरान शीर्षक से समाचार"

***739. श्री जगदीश प्रसाद माथुर**

श्री जी० एम० बनतवाला :

या **पर्यटन तथा नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मार्च, 1978 के इंडियन एक्सप्रेस में छपे "एअर इंडिया लीव्स 130 इंडियन्स इन लर्च एट तेहरान" शीर्षक के समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) मामले के तथ्यों को देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है। तथापि, मामले की और आगे जांच की जा रही है ।

विवरण

एयर इंडिया को इंडियन एसोसियेशन के सदस्यों को तेहरान से बम्बई लाने के लिए कोटेशन देने के बारे में एक आवेदन शुरू में 14 दिसम्बर, 1977 को प्राप्त हुआ था । एयर इंडिया ने 30 दिसम्बर, 1977 को एक उत्तर भेज दिया जिसमें 3.55 लाख रुपए की चार्टर कोटेशन दी गयी थी । बाद में, एयर इंडिया से 16 मार्च, 1978 को एक चार्टर उड़ान का परिचालन करने का अनुरोध किया गया जिसकी पुष्टि एयर इंडिया ने 22 फरवरी, 1978 को कर दी जिसमें उसने तेहरान से चार्टर उड़ान परिचालित करने के लिए अपनी 16 मार्च, 1978 की अनुसूचित मस्कट/बम्बई उड़ान ए०आई-816 को "ब्लॉक ऑफ" करने का प्रस्ताव किया । यह ऑफर इन शर्तों पर की गयी थी कि (क) एयर इंडिया को नागर विमानन के स्थानीय महानिदेशक द्वारा अवतरण/यातायात अधिकार प्रदान किए जाएंगे, और (ख) अगर अनुसूचित उड़ान ए०आई-816 एयर इंडिया की ऑफर के मंजूर किये जाने की तारीख को चार्टर के रूप में "ब्लॉक आफ" करने के लिए अभी उपलब्ध होगी । इस प्रकार एयर इंडिया की ऑफर सशर्त थी, और उस पर कोई पक्का वायदा नहीं किया गया था ।

2. इंडियन एसोसियेशन से 16 मार्च, 1978 की उड़ान के बारे में मंजूरी एयर इंडिया को 5 मार्च, 1978 को प्राप्त हुई । तेहरान के प्राधिकारियों से इसकी क्लीयरेंस 9 मार्च, 1978 को ही प्राप्त हुई । उस समय तक, 16 मार्च, 1978 की उड़ान ए०आई०-816 की इकॉनामी श्रेणी में पहले ही बिक्री पूरी हो चुकी थी, तथा यात्रियों को दूसरी उड़ानों में स्थानांतरित करने के सभी प्रयत्न बेकार रहे । एयर इंडिया द्वारा तदर्थ आधार पर परिचालित सभी चार्टरों को उनके परिचालन की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले ब्लॉक ऑफ करना पड़ता है । क्योंकि यह स्वीकृति इंडियन एसोसियेशन से परिचालन की प्रस्तावित तारीख, अर्थात् 16 मार्च, 1978, से केवल 10 दिन पहले ही प्राप्त हुई थी, इसलिए एयर इंडिया इस चार्टर का परिचालन नहीं कर सकी ।

3. इंडियन एसोसियेशन से कोई पक्का वायदा नहीं किया गया था और हालांकि चार्टर की लागत 3.55 लाख रुपए थी जिसका कि भुगतान तेहरान में स्थानीय मुद्रा में किया जाना था, एयर इंडिया ने एसोसियेशन से कोई अग्रिम राशि नहीं ली थी । एयर इंडिया, तेहरान, ने यात्रियों को रविवार, 19 मार्च, 1978 को "एक्सट्रा सेक्शन फ्लाइट" पर ले जाने की वैकल्पिक व्यवस्था करने की पेशकश की, परन्तु इंडियन एसोसियेशन ने उनकी ऑफर को अस्वीकृत कर दिया ।

कर्मचारियों के यूनियन और एसोसियेशन बनाने के अधिकारों को स्वीकार करने के बारे में सरकार की नीति

6731. **डा० विजय मंडल :**

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानून की सीमा में कर्मचारियों के अधिकारों को संरक्षण देने और उनके हितों के संवर्धन के लिये कर्मचारियों के यूनियन और एसोसियेशन बनाने के अधिकारों की स्वीकार करने की जनता सरकार की नीति है;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्री को यह जानकारी है कि चैयरमैन द्वारा नियंत्रित यूनाइटिड कमर्शियल बैंक के प्रबन्धक एक नया राष्ट्रवादी संगठन (नेशनल आर्गेनाइजेशन आफ बैंक आफिसर) बनाने में बाधा डाल रहे हैं;

(ग) क्या नेशनल आर्गेनाइजेशन आफ बैंक आफिसर, बिहार के संगठन सचिव के जिनके विरुद्ध जांच पूरी हो गई है और जिन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है, विरुद्ध उन्हीं आरोपों पर नये सिरे से जांच करने के आदेश दिये गये हैं; और

(घ) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक आर्गेनाइजेशन के एक जनरल सेक्रटरी को लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के झूठे बहाने पर ऋण देने से इंकार किया गया है जबकि स्टाफ के अन्य सदस्यों को बिना प्रमाण-पत्र ऋण दिये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने इस बात से इन्कार किया है कि उसका प्रबंधक वर्ग बैंक अधिकारियों के राष्ट्रीय संगठन के निर्माण में किसी किस्म की बाधा उपस्थित कर रहा है ।

(ग) सम्भवतया श्री ए० एन० सिन्हा का जिक्र है । बैंक ने सूचित किया है कि इनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच व्यूरो के अनुरोध पर विभागीय-कार्यवाही शुरू की गई थी । यद्यपि जांच अधिकारी ने श्री सिन्हा को उनके विरुद्ध लगाए गये सभी आरोपों में दोषी पाया, परन्तु अनुशासन प्राधिकारी जाच अधिकारी से सहमत नहीं हुए । जांच अधिकारी और अनुशासन अधिकारी के निष्कर्षों में भेद को ध्यान में रखते हुए समीक्षा अधिकारी ने यूनाइटेड कमर्शियल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम 1976 के अन्तर्गत इस मामले से सम्बन्धित रिकार्ड मंगाये हैं और यह मामला विचाराधीन है ।

(घ) तथ्यों का संकलन किया जा रहा है और उन्हें सदन के पटल पर रख दिया जायेगा ।

इंजीनियरी सामान, सिले-सिलाये कपड़ों आदि का निर्यात

6732. **श्री नाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सभी इंजीनियरी सामान, सिले-सिलाये कपड़ों, हल्के इंजीनियरी सामान (पूंजीगत सामान को छोड़कर सभी इंजीनियरी सामान), चमड़ा उत्पाद (परिष्कृत चमड़े को छोड़कर और अन्य सभी चर्म उत्पादों सहित) का कुल कितना निर्यात हुआ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान सभी प्रकार के इंजीनियरी सामानों, सिले-सिलाए कपडों और चर्म उत्पादों में व्यापार करने वाले निर्यातकर्ताओं की संख्या कितनी है और गत पांच वर्षों के दौरान इन उत्पादों के कुल निर्यात में व्यापारी निर्यातकर्ताओं का अंश कितना है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इंजीनियरी सामान, सिले-सिलाये कपड़ों और चर्म उत्पादों का व्यापार करने वाले निर्माता निर्यातकर्ताओं की संख्या कितनी है और उक्त पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इन निर्माता निर्यातकर्ताओं में से कितने निर्यातकर्ता बड़े उद्योग (डी०जी०टी०डी० एकक) थे और कितने निर्यातकर्ता लघु उद्योग (उद्योग निदेशक) थे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जानकारी अनुबन्ध-1 में दिये गये विवरण में दी जाती है ।

(ख) जानकारी अनुबन्ध 2 में दिये गये विवरण में दी जाती है । सिले-सिलाये परिधानों के व्यापारी निर्यातकों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है । वर्ष 1972-73 के लिये इंजीनियरी माल के व्यापारी निर्यातकों के सम्बन्ध में भी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जानकारी अनुबन्ध-3 में दिए गये विवरण में दी जाती है । सिले-सिलाये परिधानों के विनिर्माता निर्यातकों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है । वर्ष 1972-73 के लिये इंजीनियरी माल के विनिर्माता निर्यातकों के सम्बन्ध में भी जानकारी उपलब्ध नहीं है

विवरण–1

गत पांच वर्षों के दौरान सभी इंजीनियरी माल, हल्के इंजीनियरी सामान (पूंजीगत सामान को छोड़कर सभी इंजीनियरी सामान) तथा चमड़ा उत्पाद (परिष्कृत चमड़े को छोड़कर और अन्य सभी चमड़ा उत्पादों सहित) के कुल निर्यात दर्शाने वाला विवरण ।

(आंकड़े लाख रु० में)

मद	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77
(1) सभी इंजीनियरी माल	14108.00	19347.37	34910.51	408221.87	55168.22
(2) सिले-सिलाये परिधान	3555.4	6993.3	10210.6	15708.9	26203.4
(3) हल्का इंजीनियरी माल (पंजीगत माल को छोड़कर सभी इंजीनयरी म ल)	8668.00	13634.07	23747.40	25373.71	37561.22
(4). चमड़ा विनिर्माण (परिष्कृत चमड़े को छोड़कर तथा चमड़ा उत्पादों सहित)	1387.66	1747.21	2547.11	3052.85	4713.09

विवरण-2

गत पांच वर्षों के दौरान सभी इंजीनियरी सामान, चमड़ा विनिर्माण तथा सिले-सिलाये परिधानों में व्यापार करने वाले निर्यातकों की संख्या तथा गत पांच वर्षों के दौरान इन उत्पादों के कुल निर्यात में व्यापारी निर्यातकों का अंश दर्शाने वाला विवरण ।

1. इंजीनियरी सामान

वर्ष	व्यापारी निर्यातकों की संख्या	कुल निर्यातों में व्यापारी निर्यातकों का अंश (प्रतिशत)
1972-73	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
1973-74	397	26.42
1974-75	420	28.94
1975-76	440	31.57
1976-77 (अनन्तिम)	228	11.61
2. चमड़ा विनिर्माण		
1972-73	487	52.57
1973-74	549	44.90
1974-75	617	56.57
1975-76	682	49.11
1976-77	792	50.91

विवरण-3

पिछले पांच वर्षों के दौरान इंजीनियरी सामान, सिले-सिलाये परिधान और चमड़ा विनिर्मित का व्यापार करने वाले विनिर्माता निर्यातकों की संख्या दर्शानेवाला विवरण जिसमें बड़े उद्योगों (डी जी टी डी यूनिट) की संख्या तथा लघु क्षेत्र के उद्योगों की संख्या सूचित की गई हो।

1. इंजीनियरी सामान

वर्ष	विनिर्माता निर्यातकों की संख्या	बड़े उद्योगों (डीजी टी डी एककों) के विनिर्माता निर्यातकों की की संख्या	लघु क्षत्र के उद्योगों के विनिर्माता निर्यातकों की संख्या
1972-73	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
1973-74	828	346	482
1974-75	1060	480	580
1975-76	1174	486	688
1976-77 (अनन्तिम)	897	404	493
2. चमड़ा विनिर्माण			
1972-73	85	4	81
1973-74	134	4	130
1974-75	139	5	134
1975-76	145	5	140
1976-77	185	5	180

आयकर विभाग में मुस्लिम कर्मचारियों की संख्या

6733. **श्री मोहम्मद शमसुल हसन खां** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर विभाग में उच्च श्रेणी लिपिकों और निम्न श्रेणी लिपिकों की अलग-अलग कुल संख्या कितनी है और उपरोक्त दो सेवाओं में मुस्लिम कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान कुल कितने उच्च श्रेणी लिपिक आयकर निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किये गये और इसी अवधि के दौरान आयकर निरीक्षक के पद पर कितने मुस्लिम उच्च श्रेणी लिपिकों को पदोन्नत किया गया; और

(ग) आयकर विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें कितने मुस्लिम कर्मचारी हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलिफकारउल्ला) :

	उच्च श्रेणी लिपिक	अवर श्रेणी लिपिक
(क) कर्मचारियों की कुल संख्या	12,446	6,615
संवर्ग में मुसलमानों की कुल संख्या	457	264

(ख) पिछले 5 वर्षों में. आयकर निरीक्षकों के पद पर कुल मिलाकर 841 उच्च श्रेणी लिपिकों को पदोन्नत किया गया जिनमें से 25 मुसलमान थे ।

(ग) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कुल संख्या	7,822
चतुर्थ श्रेणी में मुसलमान कर्मचारियों की संख्या	380

Quota for S.C. and S.T. in Nationalised Banks

667434. **Shri Mahi lal :**
Shri Raj Keshar Singh;

Will the Minister of **Finance** be pleased to state.

(a) the category-wise and class-wise total number of employees working in all the nationalised banks, bank-wise;

(b) the number of employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes' out of them and whether class-wise quota reserved for them has been filled;

(c) whether reservation policy of 1969 for departmental promotion is being imple mented in all the banks and whether provisions of reservation in promotion for officers cadre are being implemented; and

(d) if not, the reasons therefor and the special steps taken or being taken to fill the reserved quota, particularly in officer Grade-II in all the banks ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) & (b) The total number of employees in each category, namely, officers, clerks and subordinate staff, as on 31-12-1977 and the number of Scheduled Caste/Tribes employees among these in the 14 nationalised banks and the State Bank of India are given in the annexed statement.

Public sector banks have reported that the full quota of reserved vacancies could not be filled for want of suitable candidates from these communities. Government have advised these banks to clear all the backlog of unfilled reserved vacancies expeditiously by holding, if necessary, a special exclusive examination for Scheduled Castes Scheduled Tribes candidates only.

(c) & (d) Public sector banks have not yet been able to follow the scheme of reservations obtaining in Government in so far as posts filled in by promotion are concerned, because promotions from clerical to officers' cadres in banks are governed by various agreements/understandings between employees' unions and the respective banks. However, pending extension of the schemeof reservation in promotion posts, public sector banks are giving relaxation 590 in qualifying marks both in the wriiten examination and interview for Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees for promotion made on the basis of written tests and interviews. Recently, Government have advised all the public sector banks to implement Government orders regarding reservation in promotions posts also by suitably modifying their existing schemes of promotion.

STATEMENT

Total existing strength in the categories of Officers, clerks and Subordinate Staff and among them the number of Scheduled Castes/Tribes in the nationalised banks and the State Bank of India as on 31-12-1977.

Sl. No.	Name of the Bank	Total existing strength			No. of Scheduled Castes/Tribes		
		Officers	Clerks	Sub. Staff	Officers	Clerks	Sub. Staff
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Central Bank of India . .	7512	15679	8399	15	1189	1004
2.	Bank of India .	5019	15371	5812	171	2362	1379
3.	Punjab National Bank . .	4713	11028	6984	59	1406	1713
4.	Bank of Baroda .	4967	11953	5119	58	1485	999
5.	United Commercial Bank . .	5100	7288	4400	63	378	609
6.	Canara Bank .	4228	13831	3333	89	1872	579
7.	United Bank of India . .	3179	7467	4230	75	809	467
8.	Dena Bank	2624	5946	2808	9*	739*	391*
9.	Syndicate Bank .	4854	11480	2369	173	1365	762
10.	Union Bank of India . .	4889	9471	3966	47	970	662
11.	Allahabad Bank .	1745@	4547@	2661@	49@	273@	488@
12.	Indian Bank .	2817	6387	2251	78	798	643
13.	Bank of Maharashtra . .	1848	4529	1833	33	688	234
14.	Indian Overseas Bank . .	2549	6296	1977	81	1057	683
	Total . . .	56044	131273	56142	1000	15391	10613
	State Bank of India .	24618	62055	30353	271	6618	6457

Note :—Figures are provisional

*Figures of SC/ST employees are as on 30-9-77

@Figures of employees as on 30-9-77.

सुदर्शन चिट्स लिमिटेड द्वारा चिट की राशि की अदायगी में विलम्ब

6735. **श्री बैरागी जैना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या नवम्बर, 1977 और मार्च, 1978 के दौरान सुदर्शन चिट्स (इण्डिया) लिमिटेड, कटक शाखा, नयासड़क, कटक-753002 के किसी भी पुरस्कृत अंशदाता को चिट की राशि की अदायगी में कम्पनी द्वारा कोई विलम्ब (तीन मास से अधिक) करने की कोई घटना हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विलम्ब के वैध कारण क्या हैं; और

(ग) ऐसे विलम्ब को रोकने के लिए कम्पनी द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आयकर की अदायगी

6736. **श्री मनोहर लाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने वर्ष 1974-75 से 1977-78 तक की अपनी आय विवरणियां कब प्रस्तुत कीं ;

(ख) विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 80 के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड पर आयकर तथा सुपरटैक्स की कितनी राशि आंकी गई और बोर्ड ने कितनी राशि का भुगतान किया; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क), (ख) और (ग) सूचना निम्नानुसार है :

कर-निर्धारण वर्ष	विवरना दाखिल करने की तारीख	विवरणी में दिखायी गई हानि	निर्धारित आय/हानि
1974-75	5-10-1974	1,24,12,30,486	कुछ नहीं
1975-76	30-12-1975	1,10,38,73,459	कर-निर्धारण किया जाना है।
1976-77	30-6-1977	1,11,07,62,749	--यथोपरि--
1977-78	आय-विवरणी दाखिल नहीं की गई। समय 15-4-1978 तक बढ़ा दिया गया है।		

हानि के कारण करों की अदायगी नहीं की गई है।

Removal of Service of 26 Employees of S.B.I. in Gorakhpur, U.P.

6737. **Shri Brij Raj Singh :**
Shri Surendra Bikram :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether 26 employees of the State Bank of India working in Gorakhpur in Uttar Pradesh were removed from service and the reasons for not reinstating them in spite of the judgement of the Court in their favour; and

(b) whether he received a representation from the said employees in March, 1978 and if so, the action proposed to be taken thereon ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) State Bank of India has reported that the services of 26 employees (money-testers of the bank) were terminated by the bank in August, 1969 under paragraph 522(i) of the Sastri Award. This termination was challenged by the employees in various suits filed in different Courts, including the Supreme Court, Under the directions of the Supreme Court, the Civil Judge, Gorakhpur decided the case on 5 October, 1970. He dismissed the employee's suit by which they had challenged the Bank's action in terminating their services. The appeal against the order of the Civil Judge was dismissed by the Addl. District Judge on 25th May, 1971. The employees then raised an industrial dispute but after considering the matter Government of India, Ministry of Labour, *vide* its order dated 27th December, 1972, refused reference to the Industrial Tribunal. Against this order it is understood that these employees have moved the Delhi High Court, where the matter is still pending.

(b) Yes, Sir. In view of what has been said in (a) above, no action is contemplated.

विमान तकनीशियनों के पैनल में आने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति

6738. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने हैदराबाद केन्द्र के लिए उन प्रशिक्षुओं में से जिन्होंने वर्ष 1972 में अथवा इसके आस-पास इन्डियन एयरलाइन्स के इलेक्ट्रिकल ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया था विमान तकनीशियनों का कोई पैनल बनाया था और क्या उक्त पैनल में से किसी को नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या वर्ष 1972-73 में वाणिज्यिक विमान चालकों का भी कोई पैनल बनाया गया था और क्या इस पैनल में से आज तक कोई नियुक्ति की गई है और यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या इन दो पैनलों में सम्मिलित व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव-पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार विमान तकनीशियनों के पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्ति करने का विचार कर रही है और यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 1972 में इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए एयरक्राफ्ट तकनीशियनों के पदों के लिए 28 उम्मीदवारों का, जिनमें भूतपूर्व अप्रेंटिस भी सम्मिलित थे, एक पैनल तैयार किया गया था । इस पैनल के आधार पर नियुक्त किए गए 14 उम्मीदवारों में से, 5 भूतपूर्व अप्रेंटिस थे ।

(ख) जी, हां । इस पेनल में रखे गए सभी 55 उम्मीदवारों को नौकरी का ऑफर दिया गया था ।

(ग) और (घ) एयरक्राफ्ट तकनीशियनों का पैनल अपनी सामान्य अवधि में 27 सितम्बर, 1973 को समाप्त हो गया । उस समय तक, पैनल में रखे गये 28 उम्मीदवारों में से केवल 14 ही उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा सका । वाणिज्यिक विमानचालकों का पैनल दिसम्बर, 1972 में तैयार किया गया था और उसे सामान्यतः दिसम्बर, 1973 में समाप्त हो जाना चाहिए था । परन्तु, उस समय तक, पैनल में रखे गए 55 उम्मीदवारों में से केवल 28 को ही नियुक्ति का ऑफर दिया गया था । इस पैनल की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा और आखिरी बार उसे 30-6-1977 तक बढ़ाया गया था । ऐसा रोजगार की समस्या के परिमाण तथा विमानचालकों के चयन की प्रक्रिया को जिसकी अप्रेंटिस के साथ तुलना नहीं की जा सकती, दृष्टि में रखते हुए एक विशेष मामले के तौर

पर किया गया था । विमान तकनीशियनों के पैनल को इस स्टेज पर फिर से बहाल (Revive) करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Decline in Indian nationals going to Dubai

6739. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the number of Indian nationals going to Dubai has declined to some extent during the last 2-3 months;

(b) if so, whether it is due to the plane crash which took place in January; and

(c) if so, the action taken by Government to boost the morale of passengers in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b) No, Sir. During the last three months *viz.* January, February and upto 18th March, 1978, the average traffic per day carried by Air India on the Bombay-Dubai sector was 128, 133 and 162 respectively. The average traffic per day of the previous three months *viz.* October, November and December, 1977 was 170, 157 and 145 respectively. The marginal decline in the months of January and February, 1978 as compared to the previous months of October, November and December, 1977 is due to the general drop in traffic that Air India experience during the winter months and do not appear to be related to the crash as the continuous rising trend from January to March 1978 would show.

(c) Does not arise.

उन व्यक्तियों के नाम जिन्होंने निजाम के जेवरात खरीदे

6740. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजाम के जेवरात न्यास ने निजाम के बहुमूल्य जेवरात संग्रह को नीलामी द्वारा बेचा;

(ख) यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों ने भिन्न-भिन्न जेवर खरीदे और कितने मूल्य के खरीदे तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पुरातन महत्व की कुछ वस्तुएं भी बेच दी गई थीं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कम से कम ऐसे जेवरों की बिक्री की रोकथाम के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) निजाम के जेवरात न्यास की कुल तिरासी मदों में से सैंतीस मदें मुहरबन्द टेंडर मंगा कर बेची गई हैं।

(ख) पार्टियों के नाम और उनके द्वारा खरीदे गये जेवरात के मूल्य निम्नलिखित हैं :—

(1) मैसर्स शांतिविजय, दिल्ली	852 लाख रुपए
(2) मैसर्स भगत ब्रदर्स, बम्बई	122 लाख रुपए
(3) मैसर्स बसन्तराय-माथुरदास चौक्सी, बम्बई	25 लाख रुपए
(4) मैसर्स केशवलाल दलपत भाई जवेरी, बम्बई	28 लाख रुपए
(5) मैसर्स मंसाली, बम्बई	6 लाख रुपए

(6)	मैसर्स प्राण सुखलाल ब्रदर्स, बम्बई	8 लाख रुपए
(7)	मैसर्स ललित कुमार ब्रदर्स, बम्बई	).81 लाख रुपए
(8)	मैसर्स जेम डायमंडस, बम्बई	247 लाख रुपए
(9)	मैसर्स जे०एम० भंसाली, बम्बई	116 लाख रुपए
(10)	मैसर्स कांतिलाल चुनीलाल चौक्शी, बम्बई	41 लाख रुपए
(11)	मैसर्स जैन ज्वेलर्स, पटना	80 लाख रुपए

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

हिन्दुस्तान लीवर लि० द्वारा भारत से स्वदेश भेजी गयी लाभ की राशि

6741. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन, ब्रिटेन की युनीलीवर लि० की एक सहायक कम्पनी, हिन्दुस्तान लीवर लि० भारत में अर्जित लाभ की भारी राशि को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके स्वदेश भेज रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान इस प्रकार स्वदेश भेजी गई ऐसी लाभ की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्पनी ने ऐसा लाभ अपने उत्पादकों के विभिन्न वितरकों और एजेंटों से प्राप्त जमा की उस भारी राशि का उपयोग करके अर्जित किया है, जो बिना ब्याज के प्राप्त किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी जमा राशि का ब्यौरा क्या है और ऐसी अनधिकृत जमा राशि के उपयोग करने से उन्हें रोकने के लिए कम्पनी के विरुद्ध क्या विनियमनकारी उपाय किए गए हैं ;

(ङ) क्या कभी-कभी स्वदेश भेजी जाने वाली राशि सरकार की बिना जानकारी के भेज दी जाती है ; और

(च) यदि हां, तो उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) 1972 से 1976 तक के पांच वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा भेजी गई लाभांश की रकम का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	(करोड़ रुपयों में)
1972 .	1,46,01,889
1973 .	1,46,01,889
1974	1,00,38,798
1975 . .	71,33,630
1976	2,92,92,513

इन रकमों को स्वदेश भेजने में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) कम्पनी पुनः वितरण करने वाले अपने स्टाकिस्टों को लगातार सप्लाई किये जाने वाले माल की कीमत के रूप में उनसे जमा राशियां लेती रही हैं। यह राशियां प्रतिभूति अग्रिमों के रूप में होती हैं और इनका उद्देश्य अशोध्य ऋणों की जोखिम की पूर्ति करना है। कम्पनी द्वारा गत चार वित्तीय वर्ष के दौरान ली गई इस प्रकार की राशियों और इसके वित्तीय वर्ष की पहली तारीख को इसके पास रही राशियों तथा उन तारीखों को कम्पनी की परिसम्पत्तियों की कुल रकम का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रतिभूति अग्रिम (लाख रुपए)	कुल परिसम्पत्तियां (लाख रुपए)
31-12-1974	224.37	7617.52
31-12-1975 . . .	188.54	8559.58
31-12-1976	270.73	9676.02
31-12-1977	300.29	12202.20

इन जमा राशियों को स्वीकार करने में सांविधिक उपबन्धों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया।

(ङ) जी, नहीं।

(च) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सुपर बाजार की ब्रांचों में स्टाक का जमा हो जाना

6742. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सुपर बाजार की विभिन्न ब्रांचों में सामान का भारी स्टाक जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जमा हुए सामान का मूल्य क्या है; और

(ग) उनके निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) व (ख) सुपर बाजार के पास उसकी सभी शाखाओं में फरवरी, 1978 के अन्त में कुल 120 लाख रुपये के मूल्य का स्टाक होने का अनुमान है। कुल स्टाक में से पुराने कम बिकने वाले क्षतिग्रस्त स्टाक का मूल्य लगभग 10 लाख रुपये है।

(ग) पुराने स्टाक में निपटान के उपाय सुपर बाजार के प्रबन्धकों को करने हैं। सुपर बाजार ने अब पुराना स्टाक छांट लिया है और विशेष कटौती आदि द्वारा उसका निपटान करना शुरू कर दिया है। सरकार ने सुपर बाजार के प्रबन्धकों को खरीदारी करने और अपेक्षित स्टाक रखने में सतर्कता तथा सावधानी बरतने को कहा है।

तामिलनाडु के महालेखाकार द्वारा अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना

6743. **श्री ए० सुरबोसन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महालेखाकार, तमिलनाडु, लेखा अधिकारियों के रैंक के अधिकारियों को तमिलनाडु राज्य सेवा में वरिष्ठ उप-महालेखाकार के पद पर प्रतिनियक्ति पर भेजते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दस वर्षों से संवर्गवार, कितने अधिकारियों को राज्य की सेवाओं में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया; और

(ग) उनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या कितनी थी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) महालेखाकार, तमिलनाडु, केवल लेखा अधिकारियों के रैंक के अधिकरियों को ही तमिलनाडु राज्य सेवाओं में प्रतिनियुक्ति पर भेजते रहे हैं, उन्होंने लेखा अधिकारियों के रैंक से ऊपर अन्य किसी अधिकारी को तमिलनाडु राज्य सेवाओं में प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा है क्योकि वे ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं है।

(ख) पिछले 10 वर्षों के दौरान 19 लेखा अधिकारियों को राज्य सेवाओं में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है; और

(ग) उनमें कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी नहीं था।

विज्ञापन पर बढ़ा हुआ शुल्क

6744 **श्री माधव राव सिन्धया : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृप. करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विज्ञापन पर बढ़े हुए शुल्क के कारण उद्योग को अपने कार्मचरियों की संख्या में कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और इसके परिणाम-स्वरूप बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उद्योग को पर्याप्त राहत देने के प्रश्न पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फीकारल्ला) : (क) सरकार को इस आशय के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि वित्त विधेयक, 1978 के खण्ड 8 में निहित उस प्रस्ताव से, जो विज्ञापन, प्रचार और बिक्री संवर्धन पर किये जाने वाले खर्च के एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत-अनुपात को छूट नामंजूर करने से सम्बन्धित है, उद्योग कर्मचारियों की छंटनी और इसके परिणामतः बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी ।

(ख) और (ग) सरकार को इस सम्बन्ध में जो अध्यावेदन मिले हैं उन पर विचार किया जा रहा है। लोक सभा द्वारा वित्त विधेयक, 1978 पर विचार किए जाने से पूर्व, सरकार इस मामले में निर्णय ले लेगी ।

दफ्तरियों का चयन ग्रेड

6745. **श्री किरित विक्रमदेव वर्मन : क्या वित्त** मंत्री दफ्तरियों की चयन ग्रेड में पदोन्नति के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में 17 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3346 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दफ्तरियों का चयन ग्रेड आरम्भ करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में दिल्ली स्थित विभिन्न कार्यालयों सहित सभी सरकारी कार्यालयों ने उक्त चयन ग्रेड आरम्भ कर दिया है; यदि नहीं, तो किन कार्यालयों ने इन अनुदेशों का पालन नहीं किया है;

(ख) उनका पालन न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दफ्तरियों को चयन ग्रेड में पदोन्नति के पश्चात कोई न्यूनतम आर्थिक लाभ नहीं दिया गया है जैसा कि उच्च पदों के मामले में दिया जाता है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली स्थित स्वाधीन कार्यालयों सहित प्रत्येक मंत्रालय के विभाग में कितने दफ्तरी इस प्रकार 20 वर्षों से अधिक समय के अधिकतम वेतन पा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) 25-2-1948 के आदेशों के द्वारा रिकार्ड सार्टरों के सभी पदों को दफ्तरियों के लिए सेलेक्शन ग्रेड पदों के रूप में घोषित किया गया था। दफ्तरियों के पदों के लिए सेलेक्शन ग्रेड पदों (रिकार्डों सार्टरों) की संख्या को बाद में 25-4-1956 के आदेशों के अन्तर्गत दफ्तरियों के स्थायी पदों की सकल संख्या का 15 प्रतिशत नियत किया गया था। अतः यह देखने में आएगा कि दफ्तरियों के लिए सेलेक्शन ग्रेड लगभग तीन दशकों से विद्यमान रहा है। हाल ही में कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांक 1-11-1977 के आदेशों द्वारा सेलेक्शन ग्रेड पदों की मात्रा को बढ़ाकर दफ्तरियों के उन पदों का 20 प्रतिशत कर दिया गया है जो तीन वर्ष अथवा इससे अधिक समय तक विद्यमान रहे हैं चाहे दफ्तरियों के पद स्थायी हों अथवा अस्थायी। इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि सभी मंत्रालयों/विभागों ने दिनांक 1-11-77 के अभी हाल के आदेशों को कार्यान्वित कर दिया है अथवा नहीं। यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) दफ्तरियों के साधारण ग्रेड का वेतनमान 200-3-206-4-234-द०रो०-4-250 रुपए है तथा सेलेक्शन ग्रेड का वेतनमान 210-4-250-द०रो०-5-270 रुपए है। सेलेक्शन ग्रेड में किसी दफ्तरी की पदोन्नति पर सेलेक्शन ग्रेड में उसी स्तर पर उसका वेतन नियत किया जाता है यदि साधारण ग्रेड में लिए जा रहे वेतन के तदनुरूप सेलेक्शन ग्रेड में कोई ऐसा स्तर है अथवा यदि कोई ऐसा स्तर नहीं है तो अगले उच्चतर स्तर पर किया जाता है। वेतन नियतन के सामान्य नियमों में छूट देते हुए, सेलेक्शन ग्रेड में वेतन का नियतन करने के लिए यह सूत्र अपनाया गया हैं, इन नियमों के अन्तर्गत ऐसे मामलों में वेतन उसी स्तर पर नियत किया जाता है अथवा यदि कोई ऐसा स्तर नहीं है तो अगले निम्नतर स्तर पर नियत किया जाता है और इसके बीच के अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप में मंजूर किया जाता है। अतः यह देखने में आएगा कि वेतन के नियतन के लिए वेतनमान तथा सूत्र ऐसे हैं जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति होने पर परिलब्धियों में कोई हानि न हो और यह कि दीर्घकाल में लाभ मिले। इस मामले में सेलेक्शन ग्रेड की नियुक्ति में अपेक्षाकृत अधिक कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों को ग्रहण करना अन्तर्ग्रस्त नहीं होता और इसलिए, उच्चतर पदों पर पदोन्नति के मामलों में जैसा किया जाता है उसी प्रकार से इस संबंध में नियुक्ति के समय न्यूनतम लाभ देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और इसे इकट्ठा किया जा रहा है, ज्योंही सूचना उपलब्ध होगी इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विश्व बैंक ऋण

6746. **श्री पद्माचरन सामन्तसिंहेरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनमें राज्यवार कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) वर्ष 1977-78 तक विश्व बैंक से कुल कितनी राशि के ऋण लिये जा चुके हैं; और

(घ) उन पर कितना ब्याज देना पड़ता है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :

(क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक द्वारा अपने अगले राजकोषीय वर्ष में पहली जुलाई, 1978 से 30 जून, 1979 तक भारत को कितनी नई सहायता के वचन दिए जाएंगे, इस बात का संकेत जन, 1978 में होने वाली भारत सहायता संघ की बैठक में मिलेगा। इन वचनों को देखते हुए ही विश्व बैंक की सहायता से वितपोषित की जाने वाली परियोजनाओं का फैसला किया जाएगा।

(ग) विश्व बैंक से 31 मार्च, 1978 तक लिए गए ऋणों की कुल रकम 7185.5 लाख अमेरिकी डालर* / (लगभग 638.91 करोड़ रुपए) बैठती है। इसके अतिरिक्त, 35540.6 लाख अमेरिकी डालर* (अर्थात् लगभग 2665.54 करोड़ रुपए) की रकम अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ली गई है। यह संघ आसान शर्तों पर ऋण देने वाली विश्व बैंक से सम्बद्ध एक संस्था है।

(घ) विश्व बैंक से लिए गए ऋणों पर देय ब्याज की दर 31-3-78 को 7.45 प्रतिशत वार्षिक थी। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के संबंध में केवल 0.75 प्रतिशत वार्षिक की दर से सेवा प्रभार देय होता है।

*जनवरी—मार्च, 1978 की निकासियों का अनुमान लगा लिया गया है।

शहरी बैंकों के कमजोर एकक

6747. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी बैंकों के कमजोर एककों का पुनर्वास करने की दृष्टि से उनकी सूची तैयार की है;

(ख) महाराष्ट्र में शहरी बैंकों के ऐसे कमजोर एककों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र के शहरी बैंकों के ऐसे एककों का पुनर्वास करने के लिए कोई उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं; और

(घ) क्या सांगली शहरी सहकारी बैंक के प्रबन्धकों द्वारा कमजोर एककों के विलय के लिए कोई प्रस्ताव किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री च० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र में कमजोर एककों की एक सूची संलग्न है।

(ग) इन एककों के पुनर्वास के उपाय किये जा रहे हैं और रिजर्व बैंक ने इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों और संबंधित बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत भेज दिये हैं जिनमें उनसे कहा गया है कि वे पुनर्वास योजनायें बनायें और सावधिक रूप से उनकी प्रगति की समीक्षा करें। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने प्रत्येक प्राथमिक सहकारी बैंक के पुनर्वास से संबंधित समस्याओं की जांच करने के लिये अलग कक्षों की स्थापना कर ली है।

(घ) 'सांगली अर्बन कोआपरेटिव बैंक' ने 7 नवम्बर, 1977 को रिजर्व बैंक से अनुरोध किया था कि "बम्बई पीपल्स कोआपरेटिव बैंक" बम्बई को उनके बैंक के साथ मिला दिया जाय क्योंकि वह बम्बई में एक शाखा खोलने के लिये इच्छुक था। क्योंकि बम्बई पीपल्स कोआपरेटिव बैंक पहले ही परि-समापन आदेशों के अधीन था इसलिये विलय का प्रश्न हीं नहीं उठता था। इसके विकल्प के रूप में यह

सुझाव दिया गया था कि सिटी कोआपरेटिव बैंक को उनके बैंक के साथ मिला दिया जाये। महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति स्थापित की है जो कमजोर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के अनिवार्य विलय के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करेंगी।

विवरण

30 जून, 1976 को महाराष्ट्र में कमजोर प्राथमिक सहकारी बैंकों की सूची

1. बारसी सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, बारसी।
2. ग्रेटर बम्बई-कोआपरेटिव बैंक लि०, बम्बई।
3. पंजाब को-आपरेटिव अरबन बैंक लि०, पुणे।
4. रत्नगिरी अरबन को-आपरेटिव बैंक लि०, रत्नगिरी।
5. डिक्कैन मर्चेन्ट को-आपरेटिव बैंक लि०, बम्बई।
6. बेसिन कैथोलिक को-आपरेटिव बैंक लि०, बेसिन।
7. राजवाडे मन्डल पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि०, धुलिया।
8. सहयाद्री सहकारी बैंक लि०, बम्बई।
9. बान्द्रा पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि०, बम्बई।
10. दक्षिणी ब्राहमन को-आपरेरिव बैंक लि०, बम्बई।
11. महाराष्ट्र सचिवालय को-आपरेटिव बैंक लि०, बम्बई।
12. सेफ कोआपरेटिव बैंक लि०, बम्बई।
13. सिटी को-आपरेटिव बैंक लि०, बम्बई।
14. कोवण प्रांत सहकारी बैंक लि०, बम्बई।
15. नासिक पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि०, नासिक।
16. करद जनता सहकारी बैंक लि०, करद।
17. श्री वर्द्धमान को-आपरेटिव बैंक लि०, बम्बई।
18. कपोल को-आपरेटिव बैंक लि०, बम्बई।
19. विश्वकर्मा को-आपरेटिव बैंक लि०, बम्बई।
20. को-आपरेटिव बैंक आफ धोड़िन्चा लि०, धोडिन्चा।
21. डूमबीवली नागरी सलाहका सहकारी बैंक लि०, डूमबीवली।
22. खामगांव अरबन को-आपरेटिव बैंक लि०, खामगांव।
23. श्री बालभीम को-आपरेटिव बैंक लि०, कोल्हापुर।
24. साऊथ इंडियन को-आपरेटिव बैंक लि०, बम्बई।
25. वैश्य को-आपरेटिव बैंक लि०, बम्बई।
26. अकोला अरबन को-आपरेटिव बैंक लि०, अकोला।
27. थाना पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि०, थाना।
28. इंदिरा सहकारी बैंक लि०, बम्बई।

29. कृष्णा सहकारी बैंक लि०, रेठारी बुद्रुक ।

30. पचोरा पीपल्स को-ग्रापरेटिव बैंक लि०, पचोरा ।

31. श्री साहू को-ग्रापरेटिव बैंक लि०, कोल्हापुर ।

32. खोलापुर मराठा को-ग्रापरेटिव बैंक लि०, कोल्हापुर ।

33. भुसावल पीपल्स को-ग्रापरेटिव बैंक लि॰, भुसावल ।

34. ग्रवामी कोग्रापरेटिव बैंक लि०, वम्बई ।

35. जालना पीपल्स को-ग्रापरेटिव बैंक लि०, जालना ।

36. कापरगांव पीपल्स को-ग्रापरेटिव बैंक लि०, कापरगांव ।

37. दी मेट्रोपोलिटिन को-ग्रापरेटिव बैंक लि०, बम्बई ।

38. योला मर्चेंट को-ग्रापरेटिव बैंक लि०, योला ।

39. संगामनेर मर्चेंट को-ग्रापरेटिव बैंक लि०, संगामनेर ।

40. सतारा रहीवासी सहकारी बैंक लि०, बम्बई ।

41. बसन्त सहकारी बैंक लि०, बम्बई ।

42. गोरेगांव को-ग्रापरेटिव ग्ररबन बैंक लि०, गोरेगांव ।

43. *मुम्बई कामगार नागरी सहकारी बैंक लि०, बम्बई ।

44. मुस्लिम को-ग्रापरेटिव बैंक लि०, पुणे ।

45. राजगुरुनगर ग्ररबन को-ग्रापरेटिव बैंक लि०, राजगुरुनगर ।

46. यशवन्त सहकारी बैंक लि०, बम्बई ।

47. चिपुलम ग्ररबन को-ग्रापरेटिव बैंक लि०, चिपुलम ।

48. जैन सहकारी बैंक लि०, बम्बई ।

49. कोल्हापुर जनता सहकारी बैंक लि०, कोल्हापुर ।

50. दी कुनबी सहकारी बैंक लि०, बम्बई ।

51. मराठा मार्किट पीपल्स को-ग्रापरेटिव बैंक लि०, बम्बई ।

52. पूणे मर्चेंट को-ग्रापरेटिव बैंक लि०, पूणे ।

53. सनमित्रा सहकारी बैंक मर्यादित, बम्बई ।

54. श्री महालक्ष्मी को-ग्रापरेटिव बैंक लि०, कोल्हापुर ।

55. वाई ग्ररबन को-ग्रोपरेटिव बैंक लि०, वाई ।

*9 फरवरी, 1977 से बेंक का नाम बदल कर अपना सहकारी बैंक लिमिटेड होगया ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के ग्रधिकारियों की सेवा शर्तें

6748. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम:** क्या पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम ने ग्रपने ग्रधिकारियों के लिये ग्रभी तक कोई सेवा शर्तें नहीं बनाई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम में इसके अधिकारियों की पदोन्नति के लिये कोई नियम निर्धारित नहीं किए गये हैं जिसके परिणामस्वरूप कुछ अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष पदोन्नति मिल जाती है जब कि बहुत से अधिकारियों को वर्षों तक पदोन्नति नहीं मिल पाती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत से अधिकारी संविक्षा के आधार पर कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं; और नियमित संवर्ग में स्थायी तौर पर खपाये जाने की कोई गुंजाइश नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और निगम में भेदभावपूर्ण नियम अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरषोत्तम कौशिक) : (क) जी नहीं। निगम अधिकारियों के सेवा नियमों सहित कर्मचारी विनियम प्रबन्धक वर्ग द्वारा अगस्त, 1973 में अनुमोदित कर दिये गये थे।

(ख) जी, नहीं। पदोन्नतियां नियमित रूप से निगम के कर्मचारी विनियमों के उपबन्धों के अनुसार की जाती हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें निगम के किसी भी अधिकारी को हर साल पदोन्नति किया गया हो। पदोन्नतियां वरिष्टता व योग्यता तथा कार्य के मूल्यांकन के आधार पर की जाती हैं।

(ग) सेवा निवृत्त कर्मचारियों तथा विदेशी नागरिकों को विनिर्दिष्ट अवधियों के लिये कांट्रेक्ट के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के लिये अस्थायी रूप से अपेक्षित स्टाफ को भी विनिर्दिष्ट अवधियों के लिये कांट्रेक्ट के आधार पर नियुक्त किया जाता है। निगम के कारोबार के हितों, रिक्तियों की उपलब्धता तथा ऐसे व्यक्तियों की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए कांट्रेक्ट पर की गयी नियुक्तियों की अवधियों को या तो समय-समय पर बढ़ाया जाता है या इन्हें नियमित नियुक्तियों में वदल दिया जाता है।

(घ) इसके सिवाय कि उनकी नियुक्तियां किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये की जाती हैं ऐसे कांट्रेक्ट पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों की पदोन्नति सहित सेवा की अन्य सभी शर्तें नियमित नियुक्तियों के समान ही होती हैं।

Construction of Hindi Advisory Committee in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation

6749. **Shri Nawab Singh Chauhan : ** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Hindi Advisory Committee has been constituted in his Ministry; and

(b) if so, the names of members thereof and the number and names, among them, of those nominated on the recommendations of the Official Languages Department ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) Yes, Sir.

(b) The names of the members of the Hindi Salahkar Committee are given in the annexure. The following two members have been nominated to the Committee on the recommendation of the Department of Official Language :

1. Dr. M. Rajeswariah,
   Professor & Head of the Department of Hindi,
   University of Mysore, Mysore.

2. Shri Manohar Shyam Joshi, Editor,
   Saptahik Hindustan.

Statement

Names of the Members of Hindi Salahkar Committee of The Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation.

1.	Minister of Commerce, Civil Supplies & Cooperation, . .	Chairman
2.	Shri Arif Baig, Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation	Vice-Chairman
3.	Shri K.K. Goel, Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation	Vice-Chairman
4.	Shri Permanand Thakurdas Govindjiwala, M.P. (Lok Sabha) .	Member
5.	Shri Hargovind Verma, M.P. (Lok Sabha)	,,
6.	Smt. Maimoona Sultan, M.P. (Rajya Sabha) . . .	,,
7.	Shri Prem Manohar, M.P. (Rajya Sabha)	,,
8.	Chairman, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, New Delhi	,,
9.	Dr. M. Rajeswariah, Professor & Head of Hindi Department, University of Mysore, Mysore	,,
10.	Dr. Vijayendra Sanatak, Professor, Hindi Department, Delhi University	,,
11.	Shri Manohar Shyam Joshi, Editor, Saptahik Hindustan . .	,,
12.	Commerce Secretary	,,
13.	Secretary, Department of Civil Supplies & Cooperation . .	,,
14.	Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to the Government of India	,,
15.	Chairman, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad	,,
16.	Additional Secretary, Department of Commerce	,,
17.	Joint Secretary (Incharge of Hindi Work), Department of Civil Supplies & Cooperation	,,
18.	Joint Secretry (Hindi), Department of Official Language . .	,,
19.	Chief Controller of Imports & Exports.	,,
20.	Chairman, State Trading Corporation of India	,,
21.	Chairman, Minerals and Metals Trading Corporation of India	,,
22.	Chairman, Trade Fair Authority of India	,,
23.	Director-General, Indian Institute of Foreign Trade . .	,,
24.	Exceutive Director, Trade Development Authority. . .	,,
25.	Director, Export Inspection Council	,,
26.	Chief-Director, Vegetable Oils and Fats.	,,
27.	Director-General, Indian Standards Institution . . .	,,
28.	Monaging Director, Nationalperative Development Corporation	,,
29.	J.S./Director (Incharge of Hindi Work). Department of Commerce)	Member Secretary

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

6750. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राज्यवार कितने ग्रामीण बैंक खोले गए;

(ख) ग्रामीण बैंक खोलने के लिए भारत सरकार के विचाराधीन कितने प्रस्ताव हैं;

(ग) जनजाति क्षेत्रों में कितने बैंक खोले गये; और

(घ) बैंकों और उनकी शाखाओं ने समाज के निर्धन वर्गों को सहायता देने के लिए क्या भूमिका अदा की ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) देश भर में 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गये हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राज्यवार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का निर्णय दांतवाला समिति की सिफारिशों को मद्दे नजर रखते हुए किया जायेगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन बैंकों के कार्यचालन की समीक्षा करने के लिये गठित की गई थी।

(ग) और (घ) 17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसे 27 जिलों को व्याप्त करते हैं, जिनमें काफी मात्रा में आदिवासी लोग रहते हैं। इन बैंकों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांतिक किसानों और समाज के अन्य निर्धन वर्गों की सेवा करना है।

विवरण

इस समय कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राज्यवार वितरण दिखाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	स्थापना की तारीख
1	2	3
आंध्र प्रदेश :		
1.	नागार्जुन ग्रामीण बैंक खम्माम, (आन्ध्र प्रदेश)	30-4-1976
2.	रायलासीमाग्रामीण बैंक कुडचा (आन्ध्र प्रदेश)	6-8-1976
3.	श्री विशाखा ग्रामीण बैंक श्रीकाकुलम (आन्ध्र प्रदेश)	30-9-1976
असम :		
4.	प्रागूज्योतिष गाओंलिया बैंक,नलवाड़ी (असम)	6-7-1976
बिहार :		
5.	भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक आरा (बिहार)	26-12-1975
6.	चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सोतीहारी (बिहार)	21-3-1976
7.	मगध ग्रामीण बैंक, गया (बिहार)	10-11-1976
8.	कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूर्णिया (बिहार)	23-12-1976
9.	वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर (बिहार)	10-3-1977
10.	मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुंगेर (बिहार)	12-3-1977
11.	संथाल परगना ग्रामीण बैंक दुमका (बिहार)	30-3-1977

हरयाणा :

12. हरयाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भिवानी (हरयाणा) . . . 2-10-1975
13. गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव (हरयाणा) 28-3-1976

हिमाचल प्रदेश :

14. हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी (हिमाचल प्रदेश) . . . 23-12-1976

जम्मू और कश्मीर :

15. जम्मू रुरल बैंक, जम्मू (जम्मू और कश्मीर) . . . 12-3-1976

कर्नाटक :

16. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, बिलैरी (कर्नाटक) . . . 25-1-1976
17. मालप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवार (कर्नाटक) . . . 16-8-1976
18. कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर (कर्नाटक) . . . 2-10-1976

केरल :

19. साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मालापुरम (केरल) 11-12-1976
20. नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, केन्नोर (केरल) 12-12-1976

मध्य प्रदेश :

21. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद (म०प्र०) 20-1-1976
22. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर (म०प्र०) . . 20-10-1976
23. रीवा सिधी ग्रामीण बैंक, रीवा (म०प्र०) . . . 20-12-1976
24. बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़ (म०प्र०) . . . 26-3-1977

महाराष्ट्र :

25. मारवाड़ ग्रामीण बैंक, नन्देड़ (महाराष्ट्र) . . . 26-8-1976

उड़ीसा :

26. पुरी ग्रामीण बैंक, पिंपली (उड़ीसा) . . . 25-2-1976
27. बोलांगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलांगीर (उड़ीसा) . . . 10-4-1976
28. कटक ग्रामीण बैंक, कटक (उड़ीसा) . . . 11-10-1976
29. कोरापुट पंचवटी ग्रामीण बैंक, जफर (उड़ीसा) . . . 13-11-1976

राजस्थान :

30. जयपुर नागपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर (राजस्थान) . . . 2-10-1975
31. मराठवाड ग्रामीण बैंक, पाली (राजस्थान) . . . 6-9-1976
32. शेखावटी ग्रामीण बैंक, सीकर (राजस्थान) . . . 7-10-1976

तमिलनाडु :

33. पंडयान ग्राम्य बैंक, सातूर (तमिलनाडु) . . . 9-3-1977

त्रिपुरा :

34. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतल्ला (त्रिपुरा) . . . 21-12-1976

उत्तर प्रदेश :	
35. प्रथमा बैंक, मुरादाबाद (यू०पी०)	2-10-1975
36. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर (यू०पी०)	2-10-1975
37. श्यामुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़ (यू०पी०)	6-1-1976
38. बारांबकी ग्रामीण बैंक, बारांबकी (यू०पी०)	27-3-1976
39. रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राय बरेली (यू०पी०)	29-3-1976
40. फरूखाबाद ग्रामीण बैंक, फरूखाबाद (यू०पी०)	29-3-1976
41. भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर (यू०पी०)	19-9-1976
42. बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया (यू०पी०)	25-12-1976
43. सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुलतानपुर (यू०पी०)	8-2-1977
44. हरदोई उन्नाव ग्रामीण बैंक, हरदोई (यू०पी०)	7-6-1977
पश्चिम बंगाल :	
45. गौड ग्रामीण बैंक, मालदा (पं० बंगाल)	2-10-1975
46. मल्लभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा (पं० बंगाल)	9-4-1976
47. मयूरकशी ग्रामीण बैंक, पूरी जिला बीरभद्र (पं० बंगाल)	16-8-1976
48. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (पं० बंगाल)	7-3-1977

लघु उद्योग संघ, कोयम्बटोर की ओर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट के लिये अभ्यावेदन

6751. **श्री निर्मल चन्द जैन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयम्बात्तोर जिला लघु उद्योग संघ द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन संख्या 87/771/77 दिनांक 25-7-77 पर विचार कर रही है जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि लघु उद्योग द्वारा निर्मित्त इस्पात से बनी फर्नीचर की वस्तुओं के 5 लाख रुपये मूल्य के वार्षिक उत्पादन तक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में छूट दी जाये ताकि वे बड़े निर्माताओं के साथ प्रतियोगिता कर सकें ;

(ख) क्या सरकार, विशेषकर लघु उद्योग एककों को सहायता देने की दृष्टि से उक्त प्रस्ताव को युक्तिसंगत समझती है ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सरकार ने, कोयम्बतूर जिला लघु उद्योग संघ की उस दरख्वास्त पर विचार किया है, जिसमें लघु क्षेत्र में निर्मित्त स्टील फर्नीचर की वस्तुओं पर 5 लाख रुपये के वार्षिक उत्पादन तक, उत्पादनशुल्क से छूट देने की प्रार्थना की गई है।

(ग) स्टील फरनीचर उन मदों में से एक है जो सरकार द्वारा 1978 के बजट प्रस्तावों के अंग के रूप में घोषित नई छूट योजना के अन्तर्गत आती हैं। स्टील फरनीचर के जिन लघु निर्माताओं की निकासियां, पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में 15 लाख रुपये से अधिक नहीं थी, उन्हें अब एक वित्त वर्ष के दौरान उनकी कुल 5 लाख रुपये मूल्य तक की प्रथम निकासियों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी से पूरी छूट का लाभ मिलेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्ज सिमको लेबोरेटरीज, सोनीपत, हरियाणा का पूंजी निवेश

6752. **श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या वित्त** मंत्री मैसर्स हिमको लेबोरेटरीज, सोनीपत, हरियाणा, के पूंजी निवेश के बारे में 10 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2295 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री रवि प्रकाश द्वारा 31 मार्च, 1973 से 31 मार्च, 1977 तक किया गया पूंजी निवेश उनके अपने नाम पर है अथवा दूसरों के नाम पर है और उसे उनकी ओर से कम्पनी को ऋण दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन लोगों के नाम क्या हैं जिनके नाम विभिन्न राशियां ऋण के रूप में दिखाई गई हैं, इन राशियों का ब्यौरा क्या है और वे कब से निवेशित हैं; और

(ग) क्या इस कम्पनी ने ऋणों पर व्याज के रूप में कोई राशि अदा की है, यदि हां, तो किसको अदा की गई, और वर्ष 1973 से अब तक वर्षवार किस-किस तारीख को अदा की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफीकार उल्ला) : (क) यह बताया गया है कि फर्म की पूंजी में श्री रवि प्रकाश द्वारा निवेश की गयी रकम तथा वे ऋण शामिल हैं, जिनके बारे में यह आरोप लगाया गया है कि वे उन्होंने अन्य पार्टियों से लिये हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध 'क' [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2098/78] में दिखाई गई हैं। खाते जमा की रकमें वे रकमें हैं जो प्राप्त की गयीं हैं तथा विभिन्न वर्षों के दौरान यदि कोई व्याज की रकमें देय हों, तो वे रकमें हैं। इसी प्रकार नामे डाली गयी रकमें की गयी अदायगियां हैं।

(ग) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध 'ख' [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2098/78**] में दी गयी हैं।

आसाम में हवाई अड्डों का विकास

6753. श्री अहमद हुसन : क्या **पर्यटन** और **नगर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में हवाई अड्डों के विकास के लिए सरकार के चालू वर्ष के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा आसाम में दिन में तथा रात में सुरक्षित रूप से विमान से उतरने के लिए हवाई अड्डों के विकास हेतु सरकार की भावी योजना क्या है तथा वर्तमान हवाई अड्डों पर अपेक्षित उपकरण उपलब्ध कराने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो आसाम में हवाई अड्डों के विकास के लिये किये जा रहे अथवा किये जाने वाले कार्य का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस इस समय निम्नलिखित विमान-क्षेत्रों के लिए अनुसूचित विमान सेवाओं का परिचालन कर रही है :

1. गौहाटी
2. सिल्चर
3. डिब्रूगढ़ (मोहनबाड़ी)
4. लीलाबाड़ी
7. तेजपुर (भारतीय वायु सेना का विमान क्षेत्र)
6. जोरहाट (भारतीय वायु सेना का विमान क्षेत्र)।

(i) विभिन्न प्रस्तावित या चल रहे निर्माण कार्यों तथा (ii) 1978-79 के दौरान और उसके बाद स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित संचार तथा सुरक्षा उपकरणों के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विमान क्षेत्र का नाम	विमान क्षेत्रों पर निर्माण कार्य	संचार उपकरण		सुरक्षा सेवाएं	
		उपकरण	निर्धारित तारीख	उपकरण	निर्धारित तारीख
1	2	3	4	5	6
गोहाटी	चल रहे निर्माण कार्य	1978-79 के लिए प्रस्तावित :		भावी योजना :	
	धावनपथ एल० सी० एन०-60 के 6000 फुट भाग, आधे एप्रन तथा टैक्सी ट्रैक को मजबूत करना।	वी० ओ० आर० की स्थापना के लिए स्थायी भवन का निर्माण।	1978-79	धावनपथ प्रकाश व्यवस्था (अति तीव्र) छोटे वी० ए० एस० आई० को पूरे विजुअल एप्रोच स्लोप इंडिकेटर सिस्टम में परिवर्तित करना, एप्रोच लाइटिंग सिस्टम, वर्ग – I ।	1980-81
	1978-79 में प्रस्तावित :	दूरी मापक उपकरण की व्यवस्था :	1978-79		
	टर्मिनल भवन में सुधार, एल०सी०एन० 60 के 9000 फुट भाग (पूरी लम्बाई) को मजबूत करना, मुख्य एप्रन तथा दोनों टैक्सी पथों को मजबूत करना।	भावी योजना :			
		विमान क्षेत्र निगरानी रेडार (ए० एस०आर०)	1981-82		
		प्रीसीजन एप्रोच रेडार (पी०ए०आर०)	1982-84		
	स्टाफ क़ैंटीन :				
	नियंत्रण टावर तथा तकनीकी ब्लाकों का निर्माण।	नया आई० एल० एस० उपकरण	1983-84		

सिल्चर (कुम्भीग्राम)	चल रहे निर्माण कार्य : टर्मिनल भवन का विस्तार	1978-79 के लिए प्रस्तावित : स्थापित किये गये वी० ओ० आर० उपकरण को चालू करना ।	1978-79	1978-79 के लिए प्रस्तावित : धावनपथ के किनारों की बत्तियां एप्रोच लाइट सिस्टम, वर्ग -I विजुअल	1979-80
	1978-79 में प्रस्तावित :	भावी योजना :		एप्रोच स्लोप इंडिकेटर सिस्टम ।	
	ओपरेशन वॉल	इन लाइन लोकेटर बीकन नये ट्रांस-	1979-80		
		मिटिंग स्टेशन के भवन की व्यवस्था	1983-84		
डिब्रूगढ़ (मोहनवाड़ी)	चल रहे निर्माण कार्य :	भावी योजना :			
	रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण 1978-79 में प्रस्तावित :	अति उच्चावृत्ति सर्वदिशिक परास (वी०ओ०आर०)	1981-82		
	ओपरेशन वॉल का निर्माण धावनपथ, एप्रन तथा एक टैक्सी पथ का एल० सी०एन०-40 तक विस्तार एवं मजबूत करना ।				
जोरहाट	9.94 एकड़ भूमि का अधिग्रहण । सिविल एन्क्लेव का विकास । (क) टर्मीनल भवन का निर्माण (ख) एप्रन, टैक्सी, ट्रैक तथा सुरक्षा बाड़ का निर्माण ।				
तेजपुर . .	भावी योजनाएं : सिविल एन्क्लेव का निर्माण ।				

चेयरमैन, स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा बैंक के खाताधारियों के पत्रों को पावती स्वीकार करना

6754. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री पी०सी०डी० नम्बियार, चैयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बैंक के एक खाताधारी श्री ताराचन्द, बचत बैंक खाता नं० 2497 और चालू खाता सं० 27066 से दिनांक 31 जनवरी, 1978 का पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें दिनांक 28 जून, 1976 और 25 अगस्त 1976 के पत्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि चेयरमैन अथवा उनके सचिवालय द्वारा उस पत्र की अभी तक पावती स्वीकार नहीं की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई के बैंकिग विभाग के मुख्य अधिकारी कार्मिक तथा सर्विसेज, को भी उसी खाताधारी का दिनांक 2 फरवरी, 1978 का पत्र प्राप्त हुआ था और उसकी भी पावती स्वीकार नहीं की गई है; और

(घ) जबकि बैंक के विरूद्ध जालसाजी तथा अन्य अनियमितताएं सिद्ध हो चुकी हैं तो बैंक अधिकारियों के उपरोक्त रवैये को देखते हुए सरकार का उस खाताधारी के पत्रों में बताये गये मामलों की जांच के बारे में क्या कार्यवाही करने का अथवा बैंक अधिकारियों को क्या निर्देश देने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने श्री ताराचन्द के दिनांक 31 जनवरी, 1978, के पत्र का उत्तर 16 फरवरी, 1978 को भेज दिया था जिसमें उन्हें बताया गया था कि बैंक ने अपने नयी दिल्ली स्थित स्थानीय प्रधान कार्यालय से इस मामले में अवश्य कार्यावाही करने के लिए कह दिया है ।

(ग) : भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि श्री ताराचन्द के दिनांक 2 फरवरी, 1978 के, मुख्य अधिकारी (कार्मिक और सेवा बैंकिग विभाग) को लिखे गये पत्र की प्राप्ति की सूचना 16 फरवरी 1978 को बैंक द्वारा भेज दी गई थी ।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक श्री तारा चन्द के खाते में से 622 रुपये की अनधिकृत निकासी के बारे में कर्मचारियों की अन्तर्गस्तता की जांच कर रहा है और संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

Assessment of Income-tax in respect of Surya Journal

6755. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the name of the owner of Surya Journal and whether any income tax return has been furnished by the owner and if so, yearwise income shown therein for assessment years 1973-74 to 1978-79;

(b) whether the owner of Surya Journal has furnished, separately a statement of profit and loss along with the aforesaid returns and if so, the amount of profit and loss indicated therein, yearwise; and

(c) whether income tax assessment has been made in respect of this journal and if so, year wise assessment of profit and loss made, yearwise ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) The name of the owner of 'Surya' Journal is M/s. Youngmen Printers & Publishers (P) Ltd., Kanchanjunga Building, New Delhi. Only return for the assessment year 1977-78 has been filed showing loss of Rs. 32,320. The return for assessment year 1978-79 has not yet become due.

(b) Profit and loss Account has been filed for the assessment year 1977-78; showing loss of Rs. 32,320.

(c) No assessment has yet been made so far.

तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि

6756 **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों में तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि में पकड़े गये माल का पूरा-पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि हाल ही में बम्बई में गिरफ्तार किये गये एक तस्कर की डायरी में राजनीतिक नेताओं के, जिनमें महाराष्ट्र के भूतपूर्व मंत्री और कुछ अधिकारी शामिल हैं, नाम पाये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बधी व्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार ने गत तीन महीनों में तस्करी की गतिविधियां रोकने के लिए क्या विशेष उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : सरकार को मिली रिपोर्टों से पता लगता है कि तस्करी पर काफी अच्छा नियंत्रण बना हुआ है। पिछले तीन महीनों में अर्थात् दिसम्बर, 77 से फरवरी, 1978 तक पकड़े गये माल का कुल मुल्य कोई 9.29* करोड़ रुपये था (जिसमें मुख्यरूप से सोना 74 लाख रु० का; हीरे 58 लाख रुपये के; और घड़ियां 72 लाख रू० की थी) । इसके मुकाबले पिछले वर्ष इसी अवधि में दिसम्बर 1976 से फरवरी 1977 के बीच कुल मुल्य 7.24 करोड़ रुपयें का माल पकड़ा गया था, पकड़े गये माल के कुल मुल्य में बढ़ौतरी मुख्यत: सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा हाल ही में सोने और हीरे पकड़ने के कुछ बड़े-बड़े मामलों के कारण हुई है ।

(ग) और (घ) : सरकार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 1 फरवरी 1978 को सौ तोले सोना पकड़ने के मामले के सिलसिले में अहमदाबाद में गिरफ्तार किये गये दो व्यक्तियों में से एक के बम्बई स्थित परिसर से एक डायरी पकड़ी गई है । लेकिन इस डायरी की जांच से किसी प्रमुख राजनीतिक नेता अथवा महाराष्ट्र के भूतपूर्व मंत्री अथवा किसी अधिकारी का नाम प्रकट नहीं हुआ है ।

(ङ) तस्करी क्रियाकलापों की रोकथाम के लिये हाल ही में अनेक उपाय किये गये हैं । इनमें से उपाय भी शामिल हैं—कर्मचारियों की तैनाती, निवारक और गुप्त सूचना, संग्रह तंत्र को सुदृढ़ बनाना तथा कतिपय महत्वपूर्ण जिन्सों की तस्करी पर विशेष निगरानी रखने के लिये निवारक तंत्र को सावधान रखना । सोने की तस्करी की बुराई का सामना करने के लिये सरकार ने अपने स्टाक से सोने की बिक्री शुरू करने का निर्णय किया है । सरकार ने स्वर्ण के गहनों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये, सोने के आयात की छुट देने अथवा सरकारी स्टाक से सोना बेचने की एक सरल योजना लागू करने का निर्णय किया है ।

Earning of Foreign Exchange due to Export of Goods

6757. **Shri Chandradeo Prasad Verma : Will the Minister of Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether with a view to earn foreign exchange Government export certain goods by giving rebate on their actual prices on the basis of existing policies; and

* (आंकड़े अनन्तिम हैं ।)

(b) if so, the names of articles on which rebate was given and by how much and the foreign exchange earned as a reslut thereof at present ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) (a) & (b) : Presumably, the reference is to the drawback/rebate of customs and central excise duties allowed on exported products. The items eligible for drawback are notified in the Schedule to the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971. The rates of central excise duty payable itemwise are also notified and the rebate allowed is equal to the amount of such duty paid on the exported product. Drawback and Central Excise rebate are allowed irrespective of the fact whether foreign exchange is earned or not.

ताड़ के तेल के आयात के लिये गुजरात निर्यात निगम और मलेशिया की फर्म के बीच करार पर हस्ताक्षर होना

6758. **श्री अमरसिंह वी० राठवा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक प्राइवेट कम्पनी से ताड़ के नल के आयात क लिय गुजरात निगम के अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों तथा मलेयेशिया की एक फर्म के बीच एक करार पर छ समय पहले हस्ताक्षर किये गये थे ;

(ख) उक्त करार पर कब हस्ताक्षर हुए थे और उक्त करार और सौदे में हस्ताक्षर करने वाले और कौन-कौन से अन्य व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं ;

(ग) हस्ताक्षर किये गये करार का व्यौरा क्या है ?

(घ) उक्त तेल का कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा और उसकी कितनी कीमत होगी ;

(ङ) उक्त तेल का आयात करने का क्या प्रयोजन है ; और

(च) गुजरात में और देश के अन्य भागों में उक्त तेल का वर्तमान मूल्य कितना है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठते।

(च) गुजरात में अथवा अन्यत्र ताड़ के तेल की कीमतों के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते ।

दुर्गापुर में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में श्रमिक

6759 **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक उपक्रम में वर्षवार श्रमिकों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) गत पांच वर्षों में वर्षवार उनमें नैमितिक श्रमिकों की संख्या और प्रतिशतता क्या थी ; और

(ग) उन नैमितिक श्रमिकों के बारे में सरकार ी क्या नीति है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, भारतीय उर्वरक निगम, भारतीय खाद्य निगम और भारत आपथल्मिक ग्लास लिमिटेड जो या तो दुर्गापुर

में ही स्थिति है या उनके एकक वहां चालू हैं के बारे में आवश्यक सूचना अनुबन्ध 1 में दी गई है। दुर्गापुर में स्थित अन्य दो एकक अर्थात् दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और मिश्र इस्पात संयंत्र के बारे में ऐसी सूचना प्राप्त की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(क) नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में सरकार की नीति यह है कि वे केवल सही नैमितिक कार्य के लिए ही रखे जाएं। तदनुसार प्रत्येक संबंधित सरकारी उद्यम द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि इस प्रकार के नैमितिक श्रमिकों को जल्दी से जल्दी स्थायी कर दिया जाय।

विवरण

क्र० सं०	उपक्रम का नाम	कामगारों की कुल संख्या	नैमितिक कर्मचारियों की संख्या	नैमितिक कामगारों का प्रतिशत
(1)	माईनिंग एण्ड एलाइड नशीनरी कारपोरेशन			
	1-4-74 को	5152	14	0.20
	1-4-75 को	5137	24	0.40
	1-4-76 को	5650	178	3
	1-4-77 को	5185	238	4
	1-4-78 को	5141	168	2.8
(2)	भारतीय उवरक निगम			
	1-1-74 को	811	—	—
	1-1-75 को	1159	—	—
	1-1-76 को	1188	—	—
	1-1-77 को	1201	—	—
	1-1-78 को	1211	—	—
	(निगम नैमितिक श्रमिक नहीं रखता है)			
(3)	भारतीय खाद्य निगम	1973 से खाद्य भण्डारण डिपो में सामान उठाने-धरने वाले 92 कामगार और 22 नैमित्तिक कामगार हैं, जो कि पिछले पांच सालों के कुल कामगारों का 25% है।		
(4)	भारत आपथैलिमक ग्लास लिमिटेड			
	1973	468	18	4
	1974	461	18	4
	1975	487	10	2
	1976	477	10	2
	1977	489	9	1.8

मैंगनीज निर्यात नीति

6760. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैंगनीज अयस्क का निर्यात करने की अनुमति देने की सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

(ख) वर्ष 1977–78 के दौरान विभिन्न ग्रेडों के मैंगनीज अयस्क का कितना निर्यात किया गया और गत वर्ष की तुलना में इसकी क्या स्थिति है; और

(ग) इस अयस्क के नए निक्षेपों का पता लगाने के लिये किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) अपर्याप्त रक्षित भंडार तथा घरेलू खपत के लिये बढ़ती हुई मांग को देखते हुए मैंगनीज अयस्क के निर्यातों की अनुमति प्रतिबन्धात्मक आधार पर दी जाती है ।

(ख) 1976–77 तथा 1977–78 के दौरान विभिन्न ग्रेडों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे हैं :—

(मात्रा : लाख मे० टन में)

ग्रेड	1976–77	1977–78 (अनुमानित)
1	2	3
उच्च ग्रेड		
(+46 प्रतिशत एम० एन०)	0.47	0.38
मध्यम ग्रेड		
(35—45 प्रतिशत)	1.02	0.11
निम्न ग्रेड		
(—35 प्रतिशत)	6.28	4.66
ब्लैक लौह अयस्क	0.61	0.45
योग :	8.28	5.60

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मैंगनीज अयस्क के नये निक्षेपों का पता लगाने तथा ज्ञात क्षेत्रों में रक्षित भण्डारों का अनुमान लगाने के लिये खोज कर रहा है ।

दिल्ली स्थित सीमा-शुल्क विभाग के गोदाम में चोरी

6761 **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 फरवरी, 1978 को प्रकाशित समाचार में छपी इस आशय की खबर की ओर दिलाया गया है कि सीमा-शुल्क गृह में चोरों ने दिल्ली स्थिति सीमा-शुल्क विभाग के गोदाम से जहाज में आई सब चमड़े की जाकिटों और साड़ियों की चोरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इस चोरी में कुल कितने मूल्य का माल था ; और

(ग) ऐसी घृणित गतिविधियों की रोकथाम के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) और (ख) : जी हां। 3/4 फरवरी, 1978 की रात को सीमा-शुल्क विभाग के पालम पर स्थित एक गोदाम से निम्नलिखित वस्तुएं चोरी चली गयीं थी :--

(i) भारतीय मूल की चमड़े की पचास जाकिटों की एक खेप में से कोई 5,500 रुपये मूल्य की 14 जाकिटे ;

(ii) भारतीय मूल की साड़ियों का एक पैकेज, जिसके मूल्य का पता लगाना अभी संभव नहीं हो पाया है ।

(iii) विदेशी मूल के मशीनों के पुर्जे; इनमें से कुछ पुर्जों का मूल्य लगभग 26,000 रुपये है और बाकी पुर्जों के मूल्य का पता लगाया जा रहा है ; और

(iv) कुछ मुद्रित सामग्री, जिसका वाणिज्यिक मूल्य कुछ नहीं है ।

(ग) परिसर की सुरक्षा, पहरा व निगरानी प्रबन्ध, ताला लगाने तथा सील करने, गश्त लगाने और अचानक निरीक्षणों के बारे में सामान्य एहतियात बरते जाते हैं । इसके अलावा चोरों द्वारा अपनाई गई किसी विशेष-कार्य प्रणाली के संबंध में पुलिस से रिपोर्ट मिलने पर उसके प्रकाश में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

किन्नीसन जूट मिल्स लि० को यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की कलकत्ता शाखा द्वारा दिया गया ऋण

6762. **श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी** :
डा० विजय मण्डल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के अध्यक्ष ने बैंकिंग सिद्धान्तों का पालन किये बिना ही राजनैतिक कारणों से कुछ ऋण दिए जाने की मंजूरी दी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि बैंक की कलकत्ता शाखा ने किन्नीसन जूट मिल्स लि० को लगभग 3.5 करोड़ रुपये का ऋण दिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार के कुछ भूतपूर्व मंत्री इस पार्टी से सम्बद्ध थे ;

(घ) यदि हां, तो मंत्रियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) क्या ऋण वसूल कर लिया गया है और यदि नहीं तो उक्त लेखे की क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) बैंक ने कोई भी ऋण या अग्रिम, बैंक के सामान्य नियमों का पालन किए बगैर राजनैतिक आधार पर नहीं दिये है ।

(ख) इस कम्पनी को नवम्बर, 1973 में मूल रूप से कुछ ऋण सुविधाएं मंजूर की गयी थीं । क्योंकि यह ऋण संदिग्ध हो गया, अतः इस कम्पनी के विरुद्ध दिसम्बर, 1976 में, कलकत्ता हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया । कम्पनी के प्रबंधक वर्ग का पुनर्गठन किया गया और मिल को चालू रखने के लिए 1977 के आरम्भ में दीर्घावधि पुनर्वास कार्यक्रम के अधीन कम्पनी को कुछ अतिरिक्त सविधाएं मंजूर की गयीं । यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने धनराशि तभी प्रदान की जबकि कम्पनी ने अदालत में, बैंक की देयता स्वीकार कर ली।

(ग) और (घ) जहां तक हमें ज्ञात है केन्द्रीय सरकार का कोई भूतपूर्व मंत्री इस कंपनी से, किसी रूप में सम्बद्ध नहीं था । सम्भवतः स्वर्गीय श्री मोहन कुमारमंगलम की ओर इशारा है, जिनके भाई श्रीं जे० जी० कुमार मंगलम अब वर्डग्रुप की कम्पनियों के निदेशक हैं । श्री मोहन कुमारमंगलम का 31 मई 1973 की एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था । यह खाता बैंक ने जून, 1974 में सम्भाला और भारत सरकार ने श्री जे० जी० कुमारमंगलम को वर्डग्रुप की कम्पनियों के जिनमें किन्नीसन जूट मिल्स कम्पनी लि० भी शामिल है, निदेशक मण्डल में नवम्बर, 1976 में नियुक्त किया ।

(ङ) यह यूनिट रूग्ण हो गया है और इसके पुनर्वास का प्रस्ताव भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लि० के विचाराधीन है । बैंकरों में प्रचलित प्रथा और परम्परा के अनुसार और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शासित करने वाली संविधियों के उपबंधों के अनुसार भी, बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों से सम्बद्ध सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है ।

चाय पर उत्पादन शुल्क और अधिभार से राज्यवार आय

6763 **श्री पूर्ण सिन्हा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1978 की अवधि के दौरान भारत में राज्यवार अर्थात् आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, तामिलनाडु और केरल में (एक) काली और (दो) हरी चाय का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उपरोक्त राज्यों में उत्पादन शुल्क और अधिभार के रूप में अलग-अलग कितनी आय हुई; और

(ग) घरेलू खपत के लिये बेची गई कुल चाय पर विभिन्न राज्यों द्वारा कितना बिक्री-कर अर्जित किया गया ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) विवरण संलग्न है जिसमें (1) 1971-72 से 1976-77 तक काली चाय का उत्पादन (2) 1971-72 से 1976-77 तक हरी चाय का उत्पादन, तथा (3) 1-4-71 से 31-1-78 तक चाय पर प्राप्त केन्द्रीय उत्पादन राजस्व (चाय उपकर को छोड़कर) के राज्यवार आंकड़े दिये गये हैं।

(ग) राज्य के भीतर वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर कर लगाना राज्य का विषय है । वस्तुओं की अन्तर्राज्जीय बिक्री पर लगाया गया केन्द्रीय बिक्री-कर भी राज्य सरकारों द्वारा इकट्ठा किया जाता है तथा रखा जाता है । केन्द्रीय सरकार के पास ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण

1971-72 से 1976-77 के दौरान काली चाय का प्राकल्लित राज्यवार उत्पादन

(आंकड़े हजार किग्रा में)

	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77
आसाम	224,214	239,475	240,786	265,108	263,277	274.465
प० बंगाल	98,605	99,968	103,006	113,577	107,324	113,639
त्रिपुरा	2,665	3,177	3,790	4,155	3,591	4,244
बिहार	11	4	3	35	17	14
उत्तर प्रदेश	272	451	501	723	385	783

	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77
हिमाचल प्रदेश	763	507	444	489	609	576
योग उत्तरी भारत	326,520	343,582	356,528	384,087	375,203	393,721
तमिल नाडु	53,194	54,629	56,087	56,979	55,764	65,864
केरल	41,166	45,621	44,436	43,221	41,989	50,585
कर्नाटक	2,878	3,037	2,838	2,978	2,804	3,572
योग दक्षिण भारत	97,238	103,287	103,361	103,178	100,557	120,021
योग सम्पूर्ण भारत	423,758	446,869	459,889	487,265	475,760	513,742

टिप्पणी :—सिक्किम तथा वर्ष 1977-78 के संबंध में आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

1971-72 से 1976-77 के दौरान हरी चाय का प्रतिशत राज्यवार उत्पादन

ङ (आंकड़े हजार कि० ग्रा०) में

	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77
असम	600	672	1643	902	981	1604
प० बंगाल	5227	6720	6634	4325	5040	4607
त्रिपुरा	103	160	66	26	53	53
बिहार	40	22	22	1	1	15
उत्तर प्रदेश	420	227	333	181	193	71
हिमाचल प्रदेश	274	475	763	800	800	867
तमिलनाडु	683	496	626	615	191	96
योग सम्पूर्ण भारत	7347	8772	10087	6850	7259	7313

टिप्पणी :—सिक्किम तथा वर्ष 1977-78 के संबंध में आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

1-4-71 से 31-1-1978 तक चाय उपकर को छोड़कर चाय पर प्राप्त किया गया केन्द्रीय उत्पादन राजस्व

(लाख रुपये में)

	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78 (31-1-78 तक)
असम	1543	1250	1272	2272	3721	3360	2997
प० बंगाल	783	723	735	797	969	995	1089
त्रिपुरा	7	7	7	8	11	13	11
सिक्किम		—उपलब्ध नहीं—					
उत्तर प्रदेश	94	104	111	109	107	100	103
पंजाब	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगणय	नगण्य	1	1
कर्नाटक	22	22	22	22	23	30	35
तमिलनाडु	472	465	441	398	433	598	656
केरल	175	177	171	173	217	260	307

*अनंतिम

आयकर की बकाया राशि की वसूली में से पश्चिम बंगाल का हिस्सा

6764. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बगाल की राज्य सरकार को आय-कर की वसूली की जाने वाली बकाया राशि में से अपने हिस्से के पन्द्रह करोड़ रुपए भारत सरकार से मिलने की संभावना है ; और

(ख) उक्त राशि को देने के लिए इस बीच क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 279(1) के अनुसार, संघ और राज्यों के बीच बांटी जा सकने वाली कर की निवल रकमों का निर्धारण और प्रमाणीकरण भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाना है, जिसका प्रमाणीकरण अन्तिम होगा । इस प्रकार प्रमाणीकरण आंकड़े प्राप्त होने तक, विभिन्न राज्यों के हिस्से की देय रकमें, उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के आधार पर किश्तों में इस शर्त के साथ दी जाती हैं कि जब प्रमाणित आंकड़े प्राप्त हो जाएंगें तब उन्हें दी गई रकमों में यथावश्यक समायोजन कर दिया जायेगा। इस प्रकार पश्चिम बगाल सहित सभी राज्यों को 1972-73 से 1977-78 तक के वर्षों के लिए अनन्तिम रूप से अदायगियां की गई हैं । भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से इन वर्षों के संबंध में प्रमाणित आंकड़े प्राप्त होने पर ही जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है यह हिसाब लगाना संभव होगा कि पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों को आयकर में से देय उनके हिस्से की कोई रकम बकाया है अथवा नहीं । इस संबंध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक के साथ लिखापढ़ी की जा रही है ।

Sports Control Board Scholarship of Indian Airlines

6765. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Sports Control Board Scholarship scheme of the Indian Airlines is recognised by the Ministry; and

(b) if so, whether a copy of recognition letter will be laid on the Table of the Sabha and the number of boys selected under the scheme every year and the amount given to them and whether the boys selected under the scheme are students and if so, the institutions in which they study and their age ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कौसानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और टिहरी को भारत के पर्यटन स्थलों में शामिल किया जाना

6766. **डॉ० मुरली मनोहर जोशी** : **क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्मोड़ा, कौसानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी, गोपेश्वर और पौड़ी गढ़वाल जैसे दर्शनीय स्थलों को भारत के पर्यटन स्थलों में कोई स्थान प्राप्त नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन स्थानों में प्राकृतिक सौन्दर्य, स्वास्थ्यप्रद स्थान और स्वास्थ्य-वर्धक जलवायु के बारे में काफी सम्भावनायें हैं और पर्यटक आकर्षण की भी भारी सम्भावनायें हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारत के पर्यटन स्थलों में उन स्थलों को शामिल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन के विकास की भरपुर सम्भावनायें निहित हैं क्योंकि ये स्थान प्राकृतिक सौन्दर्य से समृद्ध तथा स्वास्थ्यवधक जलवायु से सम्पन्न हैं। तथापि, इन क्षेत्रों में पर्यटन के विकास की मूल आवश्यकता है ऐसी मूल आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसे परिवहन एवं संचार तथा नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी एवं बिजली की सप्लाई।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के नियमित विकास को सुनिश्चित करने के विचार से इन क्षेत्रों की पर्यटन संभावनाओं का सर्वेक्षण करने के लिए 1972 में योजना आयोग द्वारा एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था। वर्किंग ग्रुप के रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश के छः पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन के विकास करने की सिफारिश की है, अर्थात् नैनीताल, कौसानी, मसूरी, पौड़ी-गढ़वाल, बद्रीनाथ-केदारनाथ तथा गंगोत्तरी-यमुनोत्तरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दो संगठनों का गठन किया है, अर्थात् गढ़वाल, मंडल विकास निगम तथा कुमायूं मंडल विकास निगम, जो अपने-अपने क्षेत्रों में पर्यटक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये भी उत्तरदायी हैं। पर्यटकों के मौसम में भारत पर्यटन विकास निगम गढ़वाल मंडल विकास निगम के साथ मिलकर नई दिल्ली से बद्रीनाथ व केदारनाथ तक बस द्वारा एक पैकेज टूर का परिचालन करेगी।

पहली योजना अवधियों में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध करायी थीं :—

(i) कैलाश मानसरोवर मार्ग पर विश्राम गृह।

(ii) हिमालय के तीर्थ यात्री मार्गों के साथ-साथ बने विश्राम गृहो में सुधार।

(iii) रुद्र प्रयाग में तीर्थ यात्री शैड।

(iv) नैनीताल में एक युवा होस्टल।

Demand Submitted by Himalaya Cement Ltd. for Loan to IDBI, Bombay

6767. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Himalaya Cement Ltd., Porbandar (Gujarat) submitted its demand for loan to the Industrial Development Bank of India, Bombay in April, 1976 for a plant to produce 150 tone white cement per day and if so, the details of the demand submitted by the company;

(b) the reasons for delay in sanctioning this loan and the amount of loan demanded by the company; and

(c) when this company will be sanctioned this loan ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) to (c) Himalaya Cements Limited approached the all-India financial institutions for financial assistance in April, 1976 for underwriting of equity shares for Rs. 60 lakhs, preference shares for Rs. 30 lakhs and term loan of Rs. 300 lakhs for setting up a 150 tonnes white cement per day plant.

It has not been possible for the financial institutions to sanction the assistance to the company so far due to a number of factors such as submission of incomplete data by the promoters initially and rvised data being furnished only in July 1977; and withdrawal subsequently of one of the promoters from the project. Later efforts were made by promoters to explore the possibility of interesting Gujarat State Government in setting up the project in joint sector.

The company may approach the institutions again after sorting out the various relevant outstanding issues.

दिल्ली में नये हवाई अड्डे के लिये योजना

6768. **श्री वसन्त साठे :**

श्री यादवेन्द्र दत्त :

क्या पर्यटन तथा नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली में 40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक नये हवाई अड्डे के लिए संभाव्यता प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का महत्वपूण व्यौरा क्या है ;

(ग) प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिलने की आशा है ?

(घ) क्या सरकार को महाराष्ट्र में हवाई अड्डों के विस्तार के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) हवाई अड्डे पर लागत का व्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव की स्वीकृति के बारे में क्या निर्णय किया गया है और इन हवाई अड्डों के विस्तार आधुनिकीरकण के लिए वर्ष 1978-79 में क्या व्यवस्था की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) प्राधिकरण के प्रस्ताव में इनका निर्माण प्रस्तावित है : (i) वर्ष में 33 लाख यात्रियों को हैंडल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल भवन, (ii) वष में 70,000 टन सामान को हैंडल करने के लिए एक कार्गो टर्मिनल, (iii) यात्री टर्मिनल के लिए 9 निकटस्थ तथा 5 दूरस्थ विमान पार्किंग वेज और कार्गो टर्मिनल के लिए 2 निकटस्थ विमान पार्किंग वेज, तथा (iv) टैक्सी-पथ, एप्रोच रोड, कार पार्क आदि ।

(ग) प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) और (ङ) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने बम्बई विमान क्षेत्र पर 1982 में पूरा होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय यात्री तथा कार्गो टर्मिनल के दूसरे चरण के लिए एक व्यवहायता रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है जो कि सरकार के विचाराधीन है । 1978-79 के दौरान, महाराष्ट्र में अन्य विमान क्षेत्रों के बड़े विस्तार कार्यों/आधुनिकीकरण के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

EVASION OF INCOME TAX BY M/s ANSAL GROUP

6769. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Ministry are aware of the bungling made by M/s Ansal Group;

(b) if so, whether Government are aware that Shri Chiranji Lal and others have made evasion of income tax to the tune of about Rupees two crores ;

(c) whether Shri G.S. Basi had made representations in this regard to Assistant Commissioner, Inspector Income tax, Range IV-D, New Delhi; and

(d) if so, the action taken so far thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) & (b) The various cases of the Ansal Group are under enquiry. The extent of tax evasion will be known after completion of the enquiries and finalisation of the affected assessments.

(c) Yes, Sir. Representations have been received by the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Range IV-D, New Delhi.

(d) Requisite enquiries are being made. During February-March, 1978, the following assessments have been reopened :—

	Assessment years.
M/s. C. Lyall & Co. (P.T.I.) Works	1970-71 and 1971-72
M/s. C. Lyall & Co. (Fertiliser Project)	1969-70

आयकर की अदायगी

6770. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों द्वारा कितनी-कितनी आयकर की राशि दी जाती है; और

(ख) बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास, कलकत्ता तथा दिल्ली जैसे शहरों से गत वर्ष आयकर की कितनी राशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) तथा (ख) सूचना कर-दाताओं के विभिन्न वर्गों द्वारा अदा किये जाने वाले आयकर की रकम के संबंध में नहीं रखी जाती है। सभी कर-दाताओं द्वारा अदा किये गये आयकर के संबंध में सूचना, आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रवार तत्काल उपलब्ध हैं। वर्ष 1976-77 के लिये इस प्रकार की सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

विवरण

आयकर की वसूलियां दर्शाने वाला विवरण पत्र (जिसमें निगम कर भी शामिल है)

(विभागीय आंकड़े करोड़ रुपयों में)

क्रम सख्या	आयकर आयुक्त के अधिकार क्षेत्र का नाम	1976-77
1.	अमृतसर	18.58
2.	आन्ध्र प्रदेश	59.91
3.	असम	15.98
4.	बिहार	27.02

क्रम संख्या	आयकर आयुक्त के अधिकार क्षेत्र का नाम	1976-77
5.	बम्बई सिटी	655.08
6.	बम्बई (सैन्ट्रल) .	9.44
7.	कलकत्ता (सैन्ट्रल) .	46.60
8.	दिल्ली .	202.20
9.	दिल्ली (सैन्ट्रल)	17.22
10.	गुजरात	149.23
11.	कानपुर	17.52
12.	कर्नाटक	99.10
13.	केरल .	42.58
14.	लखनऊ	16.19
15.	मध्य प्रदेश	43.37
16.	मेरठ	25.26
17.	नागपुर	20.03
18.	उड़ीसा	10.86
19.	पटियाला	21.96
20.	पुणे .	51 01
21.	राजस्थान .	29.08
22.	तमिलनाडु .	148.28
23.	समस्त भारत	16.05
24.	पश्चिम बगाल	311.17
25.	आगरा	7.89
26.	इलाहाबाद .	11.54
27.	हरियाणा तथा चण्डीगढ़ . .	19.17
28.	जालन्धर . .	12.63
	जोड़	2104.95*

* इस रकम में 33.42 करोड़ रुपये की वे वसूलियां भी शामिल हैं, जो आयकर तथा धन-कर का स्वेच्छया प्रकटन अधिनियम, 1976 के अन्तगत की गई ।

भारत के ताइवान से व्यापार सम्बन्ध

6771. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के ताईवान से व्यापार सम्बन्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो दस वर्षों के दौरान निर्यात और आयात के मदों, उसकी मात्रा और कीमत सहित उसका ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) भारत ने ताईवान के साथ कोई व्यापार करार नहीं किया है। तथापि, कुछ व्यापार होता अवश्य है। पिछले 10 वर्षों में जो आयात व निर्यात हुए उनका ब्यौरा इस प्रकार है :–

विवरण

(लाख रु० में)

वर्ष	ताईवान को निर्यात (चीन गणराज्य)	ताईवान से आयात (चीन गणराज्य)
1967–68	32	85
1968–69	259	19
1969–70	178	41
1970–71	196	26
1971–72 .	513	37
1972–73	148	57
1973–74 .	255	58
1974–75 .	234	143
1975–76 .	586	137
1976–77 .	1743	165
1977–78 (अप्रैल-जुलाई) . . .	630	141

निर्यात की मुख्य मदें हैं : रूई, परिवहन उपस्कर, लौह अयस्क, अभ्रक, चमड़ा, कच्चा लोहा, धातु से बनी वस्तुएं, लौह स्क्रेप, कार्डी-बीज, सेसामम (तिल या जिजीली) तथा आयातों में शामिल हैं प्लास्टिक, कच्चा माल, संगध तेल आदि।

राज्यों को केन्द्रीय करों में से और अधिक भाग देने के लि नया सूत्र

6772. **श्री जी०वाई० कृष्णन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने वित्त आयोग से यह अनुरोध किया है कि वह एक ऐसा नया सूत्र तैयार करें जिसके अनुसार राज्यों को केन्द्रीय करों में से और अधिक भाग मिलने लगे ताकि वे अपने गैर-योजना राजस्व अन्तर को पूरा कर सकें और राजस्व खाते में बचत दिखा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं तथा इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) प्रत्येक राज्य सरकार करों और शुल्कों आदि के बटबारे के बारे में अपनी ज्ञापन वित्त आयोग के विचार के लिए प्रस्तुत करती है । ऐसा आमतौर पर नहीं होता कि सरकार राज्य सरकारों से उन ज्ञापनों के बारे में सूचना मांगे जो उन्होंने वित्त आयोग को भेजे हैं जिसका कार्य एक अर्द्ध-न्यायिक किस्म का होता है ।

Scheme to Attract Tourists from Western Countries visiting India by Land Route

6773. **Shri S.S. Somani :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there has been no appreciable increase in the number of tourists from Western countries coming to India by land routes;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the schemes contemplated by Government to create favourable conditions and also to obtain the co-operation of neighbouring countries to attract more and more foreign tourists to India by Land routes ?

The Minister of Tourism and Civil Aviations (Shri Purushottam Kaushik) : (a) As compared to 1976 there has been an increase of 15.4 per cent in overland tourist arrivals from major tourist generating markets in the West during 1977;

(b) Doez not arise.

(c) India being a member of the World Tourism Regional Travel Commission for South Asia works closely with its counterpart departments in the neighbouring member countries to create conditions favourable to the movement of tourist traffic to this region. For promoting overland tourist traffic, road side facilities are being developed along the high-ways in India which are normally used by this traffic.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में गबन और दुर्विनियोजन के मामले

6774. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :**

श्री पद्माचरण समान्तसिंहेरा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में हुए गबन और दुर्विनियोजन के मामलों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक वर्ष कुल कितनी राशि का गबन और दुर्विनियोजन किया गया ;

(ख) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिनका पांच लाख और अधिक रुपयों की हानि के मामलों में हाथ था ; और

(ग) ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं तथा उन्हें रोकने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) यथासंभव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

सपरेटा चूर्ण पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाप्त करने के लिए बम्बई के आल इण्डिया होटल्स हलवाईज फेडरेशन का अभ्यावेदन

6775. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सपरेट चूर्ण पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाप्त करने के लिये बम्बई के आल इंडिया होटल्स हलवाईज फेडरेशन से अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) क्या उनके अनुरोध को मान लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में उत्पादित मखनिया दूध चूर्ण के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल, फिर से द्रव दूध तैयार करने के लिये होता है (चाहे मखनिया दूध चूर्ण के उत्पादन के कारखाने में अथवा किसी अन्य कारखाने में) और उस पर लगने योग्य केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी से उसे पहले ही छूट प्राप्त है। शेष मखनिया दूध चूर्ण का इस्मतेमाल, आईसक्रीम, कन्फेक्शनरी को वस्तुएं बनाने में तथा होटलों और हलवाई की दुकानों में होता है। इन तथ्यों को देखते हुए, सरकार सारे मखनिया दूध चूर्ण को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अदायगी से छूट देने का कोई औचित्य नहीं समझती है

मजूरी, मूल्य और उत्पादकता

6776. **श्री मुख्तियार सिंह मालिक :**

श्री जी०एम० बनतवाला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मजूरी, मूल्य और उत्पादकता के बारे में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद संस्थापना दिवस पर भाषण देते हुए प्रो० खुसरो ने यह कहा था कि मजूरी, जहां तक संभव हो सक निर्वाह खर्च की बजाय उत्पादकता के साथ जोड़ी जानी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या विभिन्न प्रतिष्ठानों में एक ही प्रकार का कार्य कर रहे श्रमिकों के बीच मजूरी में विद्यमान असमानता को कम करने के लिये सरकार द्वारा कोई कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) प्रो० ए० एम० खूसरो ने 15-3-78 को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के संस्थापना दिवस पर भाषण देते हुए समय अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था :—

"यह स्पष्ट है कि मजूरी को न्याय संगत बनाने के लिए उसे कामगारों की उत्पादकता से जोड़ दिया जाय। यह सच है कि उत्पादकता उन मिली-जुली कोशिशों का ही फल है जिसमें केवल कामगारों की कार्य-कुशलता एवं सुयोग्यता ही नहीं, बल्कि उसमें लगी पूंजी की रकम और किस्म जिससे वे काम करते हैं तथा प्रबन्धकों की दक्षता जिससे उनका मार्ग-दर्शन होता है, भी शामिल है। तथापि कामगारों

की मजूरी को उत्पादकता से जोड़ दिया जाना ही ठीक रहता है। सामान्यतः इस व्यवस्था का उल्लेख किया जा सकता है कि वास्तविक मजूरी में हुई कुल वृद्धि, राष्ट्रीय उत्पादन में हुई कुल वृद्धि से अधिक न हो जाय। चूंकि मजूरी का प्रश्न अधिकांशतः औद्योगिक क्षेत्र से और इससे भी अधिक कारगर ढंग से संगठित क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना चाहिए कि संगठित औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरी बिल में हुई वृद्धि, उस क्षेत्र के उत्पादन में हुई वृद्धि से अधिक न हो जाये। मुद्रा स्फीति को रोकने तथा पूंजी निर्माण और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, इस नियम से कार्य करना महत्वपूर्ण होगा कि औद्योगिक उत्पादन में जितनी वृद्धि हो. उसकी अपेक्षा मजूरी बिल में वृद्धि कम होनी चाहिए। इन दोनों के अन्तर से जो बचत हो, उसे भी उसी में लगा दिया जाय। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में या इस मामले के लिए किसी भी उद्योग में मजूरी बिल में हुई वृद्धि उसकी उत्पादन वृद्धि से ज्यादा न हो। लाभ पुर्नानिवेश के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही बचत की जानी चाहिए ताकि उससे मजदूर अपने बन्धु-बांधवों को और अधिक रोजगार दिलाने का लाभ उठा सकें"।

प्रो० खुसरो ने अपने उपर्युक्त भाषण के दौरान एक अन्य प्रसंग में यह भी कहा था कि:—

"अतः सबसे अच्छा यही जान पड़ता है कि महंगाई भत्ता जैसा साधन लागू किया जाय ताकि निर्वाह लागत सूचकांक में हर बार जितने अंकों या जितने प्रतिशत की वृद्धि हो, इसके माध्यम से किसी एक निर्धारित अवधि में एक बार ही दुरुस्तियां कर दी जाय। लेकिन ये दुरुस्तियां लगातार नहीं की जानी चाहिए, बल्कि आवधिक रूप से की जायें, ताकि मजूरी बढ़ने से होने वाली मुद्रा स्फीति पर लगी रोक कायम रखी जा सकें"।

(ख) डा० खुसरो ने अपने उपर्युक्त विचार व्यक्तिगत रूप से ही जाहिर किए थे तथा उस पर सरकार की किसी प्रतिक्रिया का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) और (घ) सरकार ने अक्तूबर 1977 में मजूरी, आय और मूल्यों संबन्धी अध्ययन दल गठित किया है। इसके विचारार्थ विषयों के अनुसार यह अध्ययन दल मजूरी, आय और मूल्यों सम्बन्धी नीति का प्रारूप तैयार करेगा। सरकार इस मामले में कोई नीति निर्धारित करने से पहले इस अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त करना चाहेगी। आशा है कि अध्ययन दल अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर देगा।

इंदुजा एण्ड कम्पनी को दिये गये लाइसेंस

6777. **श्री वायालार रवि :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में इंदुजा एण्ड कम्पनी को आयात तथा निर्यात के लिये कुल कितने लाइसेंस दिये गये ; और

(ख) आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम और मूल्य क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) आयात तथा निर्यात लाइसेंसों के फर्मवार आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, जारी किये गये आयात तथा निर्यात लाइसेंसों का ब्यौरा "वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसिस, एक्सपोर्ट लाइसेंसिस एण्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिस में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड की ओर कर की बकाया राशि

6778. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ध्वनि तथा प्रकाश उपकरण बनाने वाली कम्पनी फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड की ओर से किसी न किसी बहाने से अदा न की गई कर की भारी राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो वस्तुतः कितनी राशि बकाया है और इसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान इस कम्पनी की शुद्ध बिक्री कितनी हुई और आयातित पुर्जों का मूल्य कितना था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों ने मैसर्स फिलिप्स इण्डिया लि० कलकत्ता के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की 120.65 लाख रुपये की सात मांगें जारी की थीं। ये मांगें, निर्णय हेतु, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सहायक समाहर्ता (समाहर्ता) अपीलीय समाहर्ता के पास विचाराधीन पड़ी हैं।

संबन्धित प्राधिकारियों द्वारा, इन मांगों की पुष्टि करने का निर्णय लिए जाने के बाद ही इन रकमों की वसूली के लिये कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

(ग) 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए लेखावर्ष के दौरान कम्पनी की कुल बिक्री 27.08 करोड़ रुपये की थी।

इसी अवधि के दौरान कम्पनी का कुल आयात, जैसा कि कम्पनी के लाभ और हानि के मुद्रित लेखे के साथ संलग्न टिप्पणियों में दिखाया गया है, निम्नानुसार है:--

विवरण

मद	मूल्य (करोड़ रु० में)
1. कच्चा माल तथा छुटक सामान	1.76
2. फालतू पुर्जे	0.13
3. पूंजीगत सामान	0.47

Scheme to Sell Cold Bonds to Mobilise Resources

6779. **Shri Ishwar Chaudhary:**
Shri K. Mallanna

Will the Minister of **Finance** be pleased to state;

(a) whether Government have under consideration a scheme to sell gold bonds to mobilise resources for development works;

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) when this scheme is likely to be implemented ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

6780. **श्री के० बी० चेतरी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि और अधिक चाय केन्द्र खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार नीलाम की 'डच' प्रणाली प्रारम्भ करने का है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा नियुक्त टास्क फोर्स ने पहले चाय की नीलामी की डच प्रणाली को लागू करने की वांछनीयता पर विचार किया था पर उसने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्पादकों को इससे कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा इस विचार को अस्वीकार कर दिया। देश में तथा विदेशों में चाय विपणन का समग्र प्रश्न अब डा० प्रकाश टंडन की अध्यक्षता में स्थापित विशेषज्ञों की समिति के विचाराधीन है, जिससे यह आशा है कि वह जुलाई के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

जनता होटलों के लिये प्रस्तावित टैरिफ के बारे में शंकायें

6781. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता होटलों के निर्माण के लिये नयी पर्यटन नीति के अन्तर्गत निर्धारित किये गये प्रभारों को देकर किसी होटल में ठहरना जन साधारण के बस की बात नहीं है ;

(ख) क्या ये होटल केवल मध्य आय वर्ग के व्यक्तियों की ही आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और उच्च आय वर्ग के व्यक्ति इन होटलों का लाभ उठा सकते हैं ; और

(ग) क्या आयोग के विशेषज्ञों ने गंभीर शंकायें व्यक्त की हैं और क्या प्रस्तावित टैरिफ को ध्यान में रखते हुए जनता होटल आर्थिक रूप से सक्षम यूनिट हो सकते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जनता होटलों में प्रदान किए जाने वाले आवास में डबल रूम तथा फैमिलि रूम सम्मिलित होंगे जिन्हें निम्न टैरिफों पर किराये पर दिया जाएगा ताकि कम आय वाले अंतर्देशीय तथा विदेशी पर्यटक भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

(ख) क्योंकि ये होटल केवल मूल सुविधाएं ही प्रदान करेंगे तथा इनमें ठहरने की अवधि कम से कम दिनों तक सीमित होगी, इसीलिये यह आशा की जाती है कि इनका उपयोग मुख्यतः कम आय वाले व्यक्तियों द्वारा ही किया जाएगा।

(ग) इन परियोजनाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना आयोग के परामर्श से लाभांश की एक आर्थिक दर निर्धारित करने का एक स्वीकार्य तैयार कर लिया गया है। जनता होटल में एक शापिंग आर्केड भी होगा, जिससे होटल के राजस्व में वृद्धि होगी।

गुलमर्ग में हवाई यात्रा रज्जूमार्ग

6782. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने सरकार को गुलमर्ग में शीत कालीन क्रीया परियोजना के लिये हवाई यात्रा रज्जुमार्ग परिवहन प्रणाली स्थापित करने के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, हां।

रिपोर्ट पर आगे कोई कार्यवाही किया जाना निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

Export of Frog Legs and Tortoises

6783. **Shri T. S. Negi :**
Shri Surendra Bikram :

Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the programme chalked out in respect of export of frog legs and tortoises from India from 1st January, 1978 to 31st March, 1978 and quantity thereof actually exported;

(b) the names of the countries to which those were exported and the foreign exchange earned thereon; and

(c) whether Government propose to ban the export of frogs because the export thereof has led to increase in mosquitoes resulting in high incidence of Malaria ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) & (b) : No such special programme was chalked out for the period 1st January, 1978 to 31st March, 1978.

A Statement is laid on the Table of the House.

(c) Some representations have been received in this regard which are under consideration.

Statement

1. Exports of froglegs in the period January and February, 1978

S. No.	Country	Quantity (Tonnes)	Value (Rs. lakhs)
1.	France	244	64.88
2.	U.S.A.	198	34.56
3.	Netherlands	128	25.44
4.	Belgium	53	13.88
5.	West Germany	15	3.43
6.	U.K.	3	0.61
7.	Australia	4	0.60
		645	143.40

2. There were no exports of tortoises as their export is banned.

Export of Handloom Cloth

6784. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether handloom clothes are exported ;

(b) if so, the total value of exports made in 1976-77 and 1977-78 ; and

(c) steps being taken to promote the export thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) Yes, Sir.

(b) The total value of exports of handloom goods during 1976-77 and 1977-78 (April, 1977—February, 1978) was Rs. 272.15 crores and Rs. 183.17 crores respectively.

(c) Apart from cash compensatory support under the Indian Cotton Mills Federation's Incentives Scheme and import replenishment licences against exports of handloom goods, participation in specialized textile fairs abroad, sales-cum-study teams to overseas markets, intensive publicity compaigns, establishment of Export Production Projects under the Central Plan at important handloom centres etc. are some of the steps that are being taken to promote exports of handloom goods.

छोटे होटल उपक्रमियों को वित्तीय सहायता

6785. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पर्यटन और नागर व विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे होटल उपक्रमियों को देश में नए होटलों की स्थापना करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और छोटे होटल उपक्रमियों को वित्तीय सहायता देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश के विभिन्न भागों में नये होटल स्थापित करने के लिए राज्य वित्त निगमों के माध्यम से छोटे होटल उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। होटल उद्यमियों को ऐसी अखिल भारतीय वित्त संस्थाओं द्वारा भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जैसे औद्योगिक वित्त निगम, बशर्ते कि मांगा गया ऋण 30 लाख रुपए से अधिक हो।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड में विदेशी शेयर

6786. **श्री ए० के० राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने सितम्बर, 1977 में सभी कम्पनियों को 10 मई 1978 से पूर्व अपनी विदेशी शेयर पूंजी कम करके 90 प्रतिशत कर देने का निर्देश दिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड, ने जो प्रमुखतः एक विदेशी कम्पनी है इस अनुदेश का उल्लंघन किया और भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके प्रभाव में आकर अंतिम तिथि को मार्च 1979 तक बढ़ा दिया ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अनुपालन के लिए निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार विदेशी स्वत्वाधिकार का स्तर, आवेदक कम्पनी द्वारा किए जा रहे कार्यों के स्वरूप के आधार पर 74/51/40 प्रतिशत पर नियत किया जाता है। सामान्यतः एक/दो वर्ष का समय दिया गया है और इसकी गणना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी।

(ख) और (ग) जी, नहीं। पहले तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सितम्बर, 1975 में एक आशयपत्र जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि कम्पनी अपना क्रियाकलाप, अन्य बातों के साथ-साथ इस

शर्त पर जारी रख सकती है कि वह एक वर्ष में अपने अनिवासी स्वत्वाधिकारों के स्तर में इतनी कमी करे कि जिससे वह 40 प्रतिशत से अधिक न रहे। कम्पनी ने इस निदेश के विरुद्ध अयाभ्वेदन किया और एक पूरक आवेदनपत्र दिया। इस पर विचार किया गया और पहले किया गया निर्णय बरकरार रख, गया। तद्नुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी, 1978 में एक अंतिम निदेश जारी किया जिसमें कम्पनी से कहा गया कि वह अपने अनिवासी स्वत्वाधिकार को एक वर्ष की अवधि में 40 प्रतिशत तक कम करे। कम्पनी ने उसे दिए गए निदेश की अवज्ञा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया और न ही कोई अनुकूल व्यवहार किया गया।

विजय बैंक द्वारा की गई अनियमितताएं

6787. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजय बैंक द्वारा हाल में की गई अनियमितताओं की सरकार ने जांच की थी; और

(ख) यदि हां, तो जांच अधिकारी के क्या निष्कर्ष हैं तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में विजया बैंक लिमिटेड का, इसकी 30 जून, 1977 की स्थिति के संदर्भ में एक निरीक्षण किया गया था।

(ख) इस रिपोर्ट में बैंक के ग्राहकों के मामलों के बारे में सूचना निहित है जो कि बैंकों में प्रचलित प्रक्रियाओं और प्रथाओं के अनुसार प्रकट नहीं की जा सकती है। फिर भी जांच रिपोर्ट में दिये गये तथ्यों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बैंक से विचार विमर्श किया जा रहा है ताकि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

दुबाई-मद्रास उड़ान को पुनः आरम्भ किया जाना

6788. **श्री अशोक राज :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुबाई से मद्रास तक एयर इण्डिया की उड़ान फरवरी, 1978 से बन्द कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसमें परिवर्तन के क्या कारण हैं और इसको मद्रास में न रोकने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस उड़ान को पुनः मद्रास में रोकने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां। दुबई से मद्रास के परिचालनों को 2 मार्च, 1978 से बन्द कर दिया गया है।

(ख) 2 मार्च, 1978 से दुबई (त्रिवेन्द्रम) दुबई सैक्टर पर एक दूसरी उड़ान चालू कर दी गयी है। दुबई से मद्रास की उड़ान को इसलिए बन्द कर दिया गया क्योंकि दुबई से मद्रास के लिए अधिकतम यातायात केरल जाने वाला होता है।

(ग) दुबई/मद्रास उड़ान को पुन चालू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

नागरिक उड्डयन के बारे में टाटा समिति का प्रतिवेदन

6789. **श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक उड्डयन के बारे में टाटा समिति का प्रतिवेदन अभी तक सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या डी०जी०सी०ए० के एक स्वतन्त्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित करने सम्बन्धी इसकी सिफारिश पर कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) किन-किन सिफारिशों को अब तक स्वीकार किया गया है और उन्हें लागू किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपकरण तथा उड़ान निरीक्षण से संबन्धित समिति की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और वे कार्यान्वित की जा रही हैं। कार्यान्वयन का कार्य कई वर्षों में पूरा किया जाएगा उड़ान क्लबों से सम्बन्धित सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है ।

Publication of a Book Entitled 'Words and Phrases Commonly used in the Department'

6790. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether a book entitled 'Words and Phrases Commonly Used in the Department was brought out by Economic Affairs Department of the Ministry in 1976 for the proper implementation of the official language in the offices; and

(b) if so, the reasons for discontinuing publication of such books ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) Yes Sir.

(b) The book has been brought out as a reference manual and is not a periodical publication.

वित्त मंत्रालय में प्रत्येक श्रेणी में भरे गए पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा

6791. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार के शासन की पूरी अवधि में वित्त मंत्रालय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सहित उसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में, पदों की प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने पद भरे गए और उन पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना था और प्रत्येक श्रेणी में कितने पदों का आरक्षण समाप्त किया गया तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) पदों की प्रत्येक श्रेणी में कुल कितनी विभागीय पदोन्नतियां की गईं पदों का दर्जा बढ़ाया गया और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को कितने पद मिले ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ब्याज की दर में कटौती पर योजना आयोग द्वारा आपत्ति

6792. **श्री डी० एस० रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्याज की दरों में कटौती की योजना आयोग या उसके किसी सदस्य ने आपत्ति की है ;

(ख) क्या इस कटौती से निर्यातकों की तुलना में बैंकों को अधिक फायदा हुआ है ;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या सरकार योजना आयोग द्वारा आपत्ति के बावजूद अल्पब्याज रुपया वाली अपनी नीति का अनुसरण करेगी ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि बैंक द्वारा यह फायदा निर्यातकों सहित विभिन्न ग्राहकों को पहुंचाया जाये ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के द्वारा हाल ही में आयोजित एक परिचर्चा में योजना आयोग के सदस्य प्रोफेसर राजकृष्ण ने यह विचार प्रकट किया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ब्याज दरों में जो कमी करने की घोषणा की है वह न्यायोचित नहीं है ।

(ख), (ग) और (घ) जमा दरों तथा उधार दरों में की गई कमी से बैंकों को जो वास्तविक लाभ हुआ है उसको आंकना कठिन है। व्यावहारिक रूप में, उधार देने की सभी दरों में अलग अलग परिमाण में कमी कर दी गई है । जहां तक निर्यातकों का संबन्ध है, लदान-पूर्व तथा लदानोत्तर ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दरों में आधे प्रतिशत की कमी करके उन दरों को क्रमश: 11 से 13 प्रतिशत तथा 11 प्रतिशत कर दिया गया है । किन्तु आस्थगित अदायगी के आधार पर किए जाने वाले निर्यात की ब्याज दरें, 8 प्रतिशत पर ही अपरिवर्तित रखी गई है । ब्याज की दरों में की गई इस कमी से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि कम ब्याज दर वाली ऋण नीति का अनुसरण किया जा रहा है बैंक दर 9 प्रतिशत पर ही अपरिवर्तित रूप से बनी हुई है ।

Shares Held by Government Institutions in Synthetic and Chemicals Ltd., Bareilly

6793. **Shri Surendera Bikram :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of the Shares held by Government institutions in Synthetic and Chemicals Ltd., Bareilly and the amount of loan advanced to the said factory by Government institutions; and

(b) the reasons for not including two Government representatives in Synthetic and Chemicals Ltd., Bareilly when lakhsf of rupees have been invested by Government thereinr.

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) and (b) The all-India public sector financial institutions hold equity sharesfof the face value of Rs. 64.70 lakhs in Synthetic and Chemicals Ltd., Bareilly. They have also disbursed a term loan of Rs. 20 lakhs the above company in April, 1977.

Keeping in view the satisfactory performance of the company, theffinancial institutions have not felt it necessary at present to have their nominee directors on the Board of the company. Nevertheless, the advisability of nominating their representatives on the Board of the company is kept continuously under consideration.

फीरोजपुर में स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा क्लर्कों की नियुक्ति

6794. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिरोजपुर, पंजाब में स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने क्लर्कों की नियुक्ति के लिये परीक्षा ली थी ;

(ख) क्या चयन परीक्षा के आधार पर किया गया है ;

(ग) क्या परीक्षा में अथवा बाद में उम्मीदवारों के इण्टरव्यू में अनियमितता करने के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) चयन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) बैंक को काफी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें कि परीक्षा के संचालन के सम्बन्ध में की गई अनियमितताओं, बड़े पैमाने पर नकल तथा रोजगार कार्यालय द्वारा नामों के भेजने में की गई अनियमितताओं की शिकायत की गई है । ये शिकायतें परीक्षा रद्द करने के पक्ष और विपक्ष दोनों ही के बारे में है। परीक्षा परिणाम की अन्तिम रूप देने में हुए विलम्ब के बारे में सरकार को को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) यह मामला भारतीय स्टेट बैंक के विचाराधीन है तथा अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

नायलोन धागे तथा डीजल इंजनों पर उत्पाद-शुल्क में राहत

6795. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से छोटे मछुओं को नायलोन धागे तथा डीजल इंजनों पर उत्पाद शुल्क में राहत देने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) महाराष्ट्र सरकार से वित्त मंत्रालय में ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशो में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का निर्माण

6796. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारत पर्यटन विकास निगम के कुछ होटलों का निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल होटलों की संख्या क्या है तथा वे कब से खुल जाएंगे; और

(ग) उन पर कुल कितना व्यय आयेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम का फिलहाल विदेशों में होटलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते :

भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति में चर्चित मुद्दे

6797. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने ब्रिटिश शिपिंग लाइंस द्वारा बार-बार भाड़े की दरों में वृद्धि किये जाने पर ब्रिटेन से गहन चिन्ता व्यक्त की है क्योंकि इससे दोनों ओर के व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा माल ढुलाई का माध्यम बदल जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति की बैठक में चर्चित मुद्दों का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) जी हां। 10—14 मार्च 1978 को हुई भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति की बैठक में भारत ब्रिटेन मार्ग सम्बन्धी भाड़ा दरों में बारम्बार वद्धियों तथा अधिभारों की चिन्ताजनक प्रवृत्तियों तथा आधुनिक जहाजों, जिनमें कन्टेनर ढोने में सक्षम जहाज शामिल हैं, के उपयोग द्वारा सेवा में सुधार किए जाने की जरूरत की ओर ब्रिटिश पक्ष का ध्यान दिलाया गया। उल्लेखनीय है कि इस व्यापार की व्यवस्था भारत-पाकिस्तान-बंगलादेश/ब्रिटेन कान्टीनेंट कांफ्रेंस द्वारा की जाती है जिनमें भारत तथा ब्रिटेन सहित कई देशों की जहाजी कम्पनियां आती हैं जिसके मुख्यालय लन्दन में हैं।

विदेशों में परियोजना स्थापित करने के ठेके

6798. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को गत तीन वर्षों में विदेशों में परियोजना स्थापित करने के 1200 करोड़ रुपये के मूल्य के ठेके प्राप्त हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977 के दौरान परियोजना स्थापित करने के लिये कितने मूल्य के ठेके प्राप्त हुये ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि विदेशों में परियोजनाओं में अधिक भागीदारों के लिये काफी गुंजाइश है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में पूंजीगत माल तथा परियोजना निर्यातों के सम्बन्ध में प्राप्त की गई संविदाओं का कुल मूल्य 1200 करोड़ रु० से अधिक था। इस कुल राशि में से अकेले परियोजनना निर्यातों से संबन्धित संविदाओं अर्थात् उपस्कर पूर्ति तथा सेवाओं की पूर्ति वाली परियोजनाओं तथा सिविल इंजीनियरी संविदाओं की राशि लगभग 850 करोड़ रु० थी।

1977 में प्राप्त परियोजना निर्यातों की संविदाओं का मूल्य लगभग 301 करोड़ रु० था जिनमें निम्नलिखित शामिल थे :—

सिविल इंजीनियरी वर्क्स	187 करोड़ रु०
उपस्कर सप्लाई, सेवाएं आदि	114 करोड़ रु०

विदेशों की परियोजनाओं में भारतीय इंजीनियरी उद्योगों का और अधिक भागीदारी के लिए निश्चय ही गुंजाइश है। विदेशों की परियोजनाओं में और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) भारत से की गई संयंत्र तथा उपस्करों की पूर्तियों के लिए उपलब्ध सामान्य नकद मुआवजा सहायता के अतिरिक्त सरकार ने डिजाइन, खड़ा करने तथा चालू करने जैसी सेवाओं से होने वाली निवल विदेशी मुद्रा आय के 10 प्रतिशत के हिसाब से परियोजना सहायता देने का फैसला किया है।

(2) विभिन्न, देशों में परियोजना निर्यातों की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए समय-समय पर प्रतिनिधिमंडल भेजे गए हैं।

(3) विकसित देशों के प्रतिनिधिमंडलों के दौरे के दौरान अन्य देशों में आद्योपांत परियोजनाएं लगाने में सहयोग की संभाव्यताओं पर बल दिया गया है।

(4) परियोजना प्रस्थापनाओं की क्लियरेंस भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अन्तर्गत कार्यकारी दल के माध्यम से समंजित की गई है जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम तथा सम्बन्धित बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(5) परियोजना निर्यातों के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान किए जाने के बारे में निर्णय शीघ्र लिए जाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में अन्तःस्थापित मंत्रालय समिति द्वारा प्रस्थापनाओं पर विचार किया जाता है जिसके अध्यक्ष अपर सचिव तथा संबधिन्त मंत्रालयों के प्रतिनिधि लिए गए हैं।

चीनी का आयात करने वाले देशों द्वारा वैकल्पिक वस्तु दिये जाने के लिए प्रार्थना

6799. श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्तीय वर्ष में अनुमानतः कितनी चीनी का निर्यात करने का विचार है;

(ख) किन-किन देशों को निर्यात किया जायेगा और उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी; और

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय चीनी की घटिया किस्म के कारण चीनी का आयात करने वाले कुछ देशों ने यह प्रार्थना की है कि करारगत चीनी के बदले में उन्हें कोई वैकल्पिक वस्तु दी जाये ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) विभिन्न करारों के अधीन भारत के कोटे के अनुसार कलेण्डर वर्ष 1978 में 6.50 लाख मे० टन चीनी निर्यात करने का फैसला किया गया है।

(ख) चीनी उन देशों को निर्यात की जाएगी जिनके साथ हमारे व्यापार सम्बन्ध हैं। सबसे अच्छे प्राप्त आफरों पर वास्तविक निर्यात निर्भर होंगे। किन्तु इस अवस्था में यह बताना संभव नहीं है कि वर्ष के दौरान किन-किन वास्तविक गन्तव्यों को चीनी निर्यात की जाएगी।

इस समय 6.50 लाख म० टन चीनी के निर्यात से विदेशी मुद्रा की अनुमानित आय लगभग 110 करोड़ रु० कूती जाती है।

(ग) भारत प्लांटेशन व्हाइट क्रिस्टल चीनी का विनिर्माण तथा निर्यात करता है जिसे आई एस सएग्रेडों के अंतर्गत ग्रेडबद्ध किया जाता है। वस्तु ऋण के अंतर्गत सीमेंट तथा चीनी दोनों की पूर्ति के लिए भारत ने ईरान के साथ समझौता ज्ञापन किया हुआ है। किन्तु ईरान ने बाद में यह इच्छा प्रकट की कि उसे केवल पेरिस ग्रेड 6 के समतुल्य परिष्कृत चीनी की पूर्ति की जाए या उतने ही मूल्य के सीमेंट की पूर्ति की जाये ।

स्वर्ण की जमाखोरी पर प्रतिबन्ध

6800. श्री लखन लाल कपूर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा स्वर्ण की प्रस्तावित बिक्री से जिन व्यक्तियों के पास काला धन है वे उससे स्वर्ण खरीदेंगे ;

(ख) क्या स्वर्ण की जमा खोरी पर लगा वर्तमान प्रतिबन्ध जारी रहेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त प्रतिबन्ध को देखते हुए स्वर्ण बेचने का उद्देश्य विफल हो जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) जी, नहीं। सोने की प्रस्तावित बिक्री स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम की परिधि के अंतर्गत ही की जाएगी। स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत, शुद्ध सोने को निजी तौर पर प्राप्त करने अथवा रखने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं। सरकार द्वारा अपने स्टाक में से सोने को बेचने के संबंध में लिया गया निर्णय मुख्यत: एक तस्करी विरोधी उपाय है। आशा है सरकारी स्टाक में से सोने की इस प्रकार की बिक्री से देश में सोने के भाव में गिरावट आएगी।

सोने की बिक्री केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रखी जाएगी जिन्हें सोने के आभूषण बनाने के प्रयोजन से स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत मानक (स्टेण्डर्ड) सोने की छड़ें प्राप्त करने/रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

धार्मिक संस्थाओं द्वारा सोने के सिक्कों की बिक्री

6801. श्री सरत कार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिरुपति और जगन्नाथपुरी मन्दिर जैसी धार्मिक संस्थाओं को ईश्वरीय चिन्ह वाले सोने के 'सिक्के' बनाकर जनता को बेचने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव इस उपबन्ध के साथ सरकार के विचाराधीन है कि वित्तीय संकट में यदि व्यक्ति 'सिक्के' को बैंकों अथवा सरकारी वित्तीय संस्थाओं में जमा करें तो उन्हें सिक्के के प्रत्यक्ष मूल्य के 50 प्रतिशत बराबर ऋण मिल सकेगा; और

(ख) क्या सोने की जैसी उदार नीति से ग्रामीण लोगों को आकस्मिक ऋण प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी लेकिन इसके साथ-साथ इससे भूमि और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आयेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत, 1970 से, तिरुमलाई-तिरुपति देवस्थानम को, मंदिर के घोषित सोने के स्टाक में से लाकेट के रूप में सोने के ऐसे मेडल बनाने की अनुमति दी गई है जिनपर अधिष्ठाता देवी-देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण की गई हों, ताकि ये मेडल भक्तों को बेचे जा सकें।

अन्य धार्मिक संस्थाओं को भी उनकी ओर से इस आशय का अनुरोध प्राप्त होन पर मामले के गुण दोषों पर विचार करने के बाद, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है।

देवी-देवताओं की आकृति वाले लाकेटों को आभूषण माना जाता है। स्वर्ण आभूषणों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास गिरवी रखकर ऋण प्राप्त करने पर कोई पाबंदी नहीं है।

(ख) उपर्युक्त अनुमति, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम की परिधि के अंतर्गत ही दी गई है।

International Trade Fair to be held in India in 1979

6802. **Shri Ram Sewak Hazari:** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to hold an Internaional Trade Fair in 1979:

(b) if so, the special features thereof; and

(c) how far this fair is likely to be a success as compared to Asia 1972 fair ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation Shri Arif Baig : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) The plans for the Fair have not yet been finalised ; but it will be the endeavour to cover the various aspects of industry, agriculture and trade.

सरकारी उपक्रमों में पूंजी निवेश

6803. **चौधरी बलबीर सिंह: क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों में सरकार ने कितनी पूंजी लगाई है तथा सबसे बड़े 10 सरकारी उपक्रम कौन-कौन से हैं ;

(ख) कितने सरकारी उपक्रमों को कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है, तथा कितने उपक्रमों की स्थापना संसदीय अधिनियम के अंतर्गत की गई है ;

(ग) गत चार वर्षों में कुल पूंजी निवेश पर कितना लाभ अर्जित किया गया है ;

(घ) क्या गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की अपेक्षा सरकारी उपक्रम अपेक्षित लाभ अर्जित नहीं कर रहे हैं ;

(ङ) गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी उपक्रमों में पूंजी और उत्पादन का अनुपात क्या है ; और

(च) सरकारी उपक्रमों में कम लाभ होने के क्या मुख्य कारण हैं तथा अधिक लाभ अर्जित करने के लिए तथा इस प्रकार उन्हें व्यावसायिक आधार पर चलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 31-3-1977 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 145 उपक्रमों में लगी कुल पूंजी 11970 करोड़ रुपये थी। पूंजी निवेश के अनुसार सबसे बडी 10 कम्पनियां इस प्रकार हैं :—

1. बोकारो स्टील लिमिटेड
2. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड
3. भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड
4. भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड
5. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग
6. सेन्ट्रल कोल फील्डस लिमिटेड
7. भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड
8. भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
9. भारतीय हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
10. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(ख) 145 उपक्रमों में से छः उपक्रमों की स्थापना संसद के अधिनियम के अधीन की गई है। शेष सभी उपक्रम कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत हैं।

(ग) पिछले चार वर्ष के दौरान चालू उद्यमों के कर से पहले निवल लाभ का ब्योरा इस प्रकार है :—

(1)	1973-74	149 करोड़ रुपये
(2)	1974-75	312 करोड़ रुपये
(3)	1975-76	306 करोड़ रुपए
(4)	1976-77	476 करोड़ रुपये

(घ) पिछले कुछ वर्षों में सरकारी उपक्रमों की लाभकारिता में सुधार हुआ है तथा इससे पता चलता है कि यह सुधार का रुख आगे भी बना रहेगा।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1975-76 में पूंजी निवेश की तुलना में उत्पादन का अनुपात निजी क्षेत्र में 0.45 : 1 तथा सरकारी क्षेत्र में 0.93 : 1 था।

(च) सरकारी उद्यमों में लाभकारिता कम होने के प्रमुख कारण इस प्रकार है :—

(1) पूंजी प्रधान निवेश

(2) पनपने की लम्बी अवधि

(3) क्षमता का सौ प्रतिशत से कम उपयोग

(4) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए मूल्य निर्धारण नीति

(5) सामाजिक लागतें

सरकारी उद्यमों में और कार्य-कुशलता बढ़ाने के उपायों के बारे में सरकार निरन्तर ध्यान दे रही है। उपक्रमों की लाभकारिता बढ़ाने के लिए समय-समय पर जो विभिन्न उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं, उनका ब्यौरा इस प्रकार है:—

(1) क्षमता के उपयोग में सुधार;

(2) प्रचालन के विभिन्न चरणों में गतिरोध दूर करना ;

(3) वर्तमान उपस्कर की क्षमता के बेहतर उपयोग के लिए सन्तोलक सुविधाओं की व्यवस्था;

(4) कुछ चुने हुए उद्योगों में बिजली की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निजी उपयोगार्थ बिजली पैदा करने की व्यवस्था ;

(5) औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार;

(6) समुन्नत उत्पादन आयोजन एवं नियंत्रण तकनीक;

(7) प्रोत्साहन योजनाएं चालू करना;

(8) प्रशासनिक मंत्रालयों के स्तर पर बजट लक्ष्यों की तुलना में कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा;

(9) मालसूची नियंत्रण पद्धतियों में सुधार ;

(10) आधुनिकीकरण एवं विविधिकरण आदि ।

ग्वालियर नगर का दर्जा बढ़ाया जाना

6804. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्वालियर नगर का दर्जा बढ़ाकर उसे श्रेणी बी-2 में रख दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या वहां के सरकारी कर्मचारियों को उतना ही मकान किराया भत्ता मिल रहा है जो श्रेणी बी-2 वाले नगर में मिलता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के लिए नगरों को 1971 की जनगणना में व्यक्त हुई उनकी जनसंख्या के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। मकान किराया भत्ते के संबंध में वर्गीकरण के लिए, नगर की नगरपालिका सीमाओं के अन्दर की जनसंख्या को ही ध्यान में लिया जाता है। नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के संबंध में वर्गीकरण के लिए शहरी समूह, जहां भी यह विद्यमान हो, की जनसंख्या को हिसाब में लिया जाता है, अन्यथा नगर के नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या इसका आधार होती है।

'सी' श्रेणी के रूप में वर्गीकरण के लिए जनसंख्या 50,000 और इससे अधिक होनी चाहिए जबकि बी-2 श्रेणी के लिए जनसंख्या 4 लाख से अधिक होनी चाहिए। ग्वालियर नगर के नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या 3,84,772 है और उसके शहरी क्षेत्र के 4,06,140 है तदनुसार मकान किराया भत्ते के प्रयोजन के लिए इसे 'सी' के रूप में और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के प्रयोजन के लिए बी-2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दार्जिलिंग जिला, पश्चिम बंगाल में चाय की झाड़ियां

6805. **श्री समर मुखर्जी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत चाय की झाड़ियां 60-70 वर्ष से अधिक पुरानी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह भी जानती है कि इनसे दार्जिलिंग में, जहां विश्व में सर्वोत्तम चाय पैदा होती है, चाय उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पुरानी झाड़ियों के स्थान पर नई झाड़ियां लगाने के लिए चाय बागान मालिकों को मजबूर करने के उपायों पर विचार कर रही है ताकि चाय उद्योग को पुनर्जीवन मिल सके ; और

(घ) नई झाड़ियां लगाने के कार्यक्रम को चलाने के लिए उद्योग को अपेक्षित सहायता देने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ताकि उद्योग को पूरी तरह से बरबाद होने से बचाया जा सके ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) चाय बोर्ड द्वारा प्रायोजित दार्जिलिंग उद्योग के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1972-73 में दार्जिलिंग की पहाड़ियों में 79.13 प्रतिशत चाय की झाड़ियां 50 वर्षों से अधिक आयु की थी।

(ख) से (घ) सरकार दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में चाय बागानो के पुनर्रोपण की दर को बढ़ाने की आवश्यकता से अवगत है। तथापि, चूंकि इन क्षेत्रों में पुनर्रोपण कठिन तथा अलाभकारी है। अतः पुरानी चाय की झाड़ियों का जीर्णोद्धार हो सकता है। चाय बोर्ड खाली स्थानों को भरने तथा अन्तर्रोपण के साथ-साथ पुनर्रोपण तथा पुरानी झाड़ियों के जीर्णोद्धार दोनों के लिए वित्तीय सहायता देता है। इस समय बोर्ड की पुनर्रोपण इमदाद योजना के अंतर्गत पुनर्रोपण के लिए इन बागानों को 5000 रु० प्रति हैक्टार की दर से इमदाद उपलब्ध हैं। खाली स्थानों को भरने के साथ-साथ जीर्णोद्धार, कांट छांट के लिए 3000 रु० प्रति हैक्टार की दर से इमदाद की भी अनुमति दी जाती है। खाली स्थानों को भरने तथा कतारों के अन्तर्रोपण के साथ-साथ जीर्णोद्धार, कांट-छांट के लिए 4000 रु० प्रति हैक्टार की इमदाद देय हैं।

चाय बोर्ड ने मुख्य रूप से दार्जिलिंग चाय बागानों में चाय रोपण कर्ताओं को सहायता देने के लिए कुर्सेओंग, दार्जिलिंग में एक गवेषणा केन्द्र भी स्थापित किया है। तथापि आय कर नियमों के अन्तर्गत पुनर्रोपण की लागत को राजस्व व्यय के रूप में माने जाने की अनुमति है।

तम्बाकू बोर्ड में मजदूर संघ के प्रतिनिधि

6806. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को तम्बाकू बोर्ड में मनोनीत किया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने तम्बाकू बोर्ड में मजदूर संघों के प्रतिनिधि भेजने हेतु क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। आन्ध्र प्रदेश आई० एल०टी०डी० वर्कर्स यूनियन, के अध्यक्ष श्री जे० सत्यनारायण तम्बाकू बोर्ड में सहयोजित सदस्य के रूप में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी पर्यटकों की कलकत्ता यात्रा में कमी

6807. **श्री रेजूपद दास** : क्या **पर्यटन नागर और विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 के पश्चात कलकत्ता आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में प्रतिवर्ष कमी होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पश्चिम बंगाल और पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के आंकड़ों का अखिल भारतीय आधार पर विश्लेषण किया जाता है न कि स्थान वार। तथापि, अक्तूबर, 1972 से सितम्बर, 1973 तथा फिर जुलाई, 1976 से जून, 1977 तक की अवधियों के लिए किये गये विदेशी पर्यटकों के सर्वेक्षणों के आधार पर 1972-73 में कलकत्ता आए 83,000 विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़कर 1976-77 में 98,000 हो गई।

(ग) पर्यटन विभाग विदेशों में स्थित अपने पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से भारत का प्रमुख पर्यटक प्रजनक देशों में पर्यटकों के लिए एक लक्ष्य रूप से गन्तव्य स्थान के रूप में प्रचार करता है। पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी क्षेत्र के पर्यटक रुचि के स्थानों का फोल्डरों, पोस्टरों, इत्यादि जैसी पर्यटन प्रचार सामग्री के वितरण तथा डाक्युमेंटरी फिल्मों के प्रदर्शन द्वारा व्यापक रूप से प्रचार किया जाता है। इस प्रोत्साहन नीति के अपनाने से पर्यटक यातायात का विकिरण एवं विकेन्द्रण भी होगा जिससे पर्यटकों के यात्रा कार्यक्रमों में यथासंभव और अधिक पर्यटन केन्द्र सम्मिलित हो सकेंगे। इस तरह यह महसूस किया जाता है कि उपरोक्त प्रोत्साही उपायों से कलकत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के प्रवाह में वृद्धि होगी।

महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में केन्द्रीय सहायता

6808. **श्री गंगाधर अप्पा बुराडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार महाराष्ट्र को पिछड़े जिलों के विकास हेतु कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ख) सरकार ने प्रतिवर्ष प्रत्येक जिले में कितनी राशि खर्च की है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और राज्य के किसी विशेष क्षेत्र से इसका संबंध नहीं होता। राज्य सरकार ने यह सूचना दी है कि निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में उद्योगों को 15 प्रतिशत केन्द्रीय आर्थिक सहायता की योजना के अंतर्गत, महाराष्ट्र के तीन पिछड़े जिलों के उभरते

हुए उद्योगों को सहायता प्रदान की गई है। एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय और 15 प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में केन्द्र द्वारा की गयी प्रतिपूर्ति का वर्षवार और जिलावार ब्योरा दिया गया है।

विवरण

1975-76, 1976-77 और 1977-78 वर्षों के लिए महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में उद्योगों पर राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल संवितरण तथा 15 प्रतिशत केन्द्रीय आर्थिक सहायता के रूप में की गई प्रतिपूर्ति के संबंध में विवरण-पत्र

जिला	वर्ष	एककों की कुल संख्या	राज्य सरकार द्वारा संवितरित आर्थिक सहायता	भारत सरकार द्वारा की गई आर्थिक सहायता की प्रति-पूर्ति
1	2	3	4	5
1. औरंगाबाद	1975-76	44	90,47,289	83,65,456
	1976-77	56	66,53,659	34,42,694
	1977-78	209	1,46,59,537	1,43,31,996
	उप-जोड़ I	309	3,03,60,485	2,61,40,146
2. रत्नागिरी	1975-76	23	24,81,989	10,77,315
	1976-77	20	31,72,014	28,73,716
	1977-78	71	51,55,763	57,39,816
	उप-जोड़ II	114	1,08,09,766	96,90,847
3. चन्द्रपुर	1975-76	18	21,04,590	6,68,950
	1976-77	16	2.65.603	20,71,134
	1977-78	53	17,40,347	17.40.402
	उप-जोड़ III	87	41,10,540	44,80,486
कुल जोड़	1975-76	85	1,36,33,868	1,01,11,721
	1976-77	92	1,00,91,276	83,87,544
	1977-78	333	2,15,55,647	2,18,12,214
	जोड़	510	4,52,80,791	4,03,11,479

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए मापदण्ड

6809. **श्री शिव नारायण सरसुनिया :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ समान प्रकार के सगठनों का विलय करके भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण नामक कम्पनी का गठन किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन संगठनों में लगभग समान प्रकार की कार्य अपेक्षाओं वाले पद थे, यद्यपि उनके पदनाम भिन्न-भिन्न थे;

(ग) क्या इन संगटनों के कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण वेतनमान की दृष्टि से करने का निर्णय किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या वास्तविक वरिष्ठता का निर्धारण किया जायेगा और यदि नहीं, तो ऐसा कब तक किया जायेगा; और

(ङ) किन मानदण्डों के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जा रहा है ?

वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) थोड़े से ऐसे पद हैं जिनके पदनाम भिन्न-भिन्न हैं लेकिन उनमें कार्य अपेक्षाएं लगभग समान प्रकार की हैं ।

(ग) तथा (ङ) इस समय इस प्रश्न पर एक अन्तः विभागीय समिति विचार कर रही है ।

सरकार के गैर-योजना काम में कमी

6810. **श्री मोहन लाल पिपिल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित वित्तीय सलाहकार योजना के अंतर्गत, नियुक्त किए गए वित्तीय सलाहकारों को मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों तथा विभागों के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखना पड़ता है ;

(ख) क्या वित्तीय सलाहकार को उन मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में कर दिया गया है जिनके काम पर उन्हें नियंत्रण रखना होता है ;

(ग) क्या वित्तीय सलाहकारों को प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव तथा व्यय विभाग के सचिव के दोहरे नियंत्रण के अधीन कार्य करना पड़ता है ;

(घ) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि दोहरे नियंत्रण की वर्तमान पद्धति के परिणामस्वरूप के सरकार गैर-योजना व्यय में वृद्धि हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ङ) प्रशासनिक मंत्रालयों की अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप तथा वित्तीय प्रबन्ध के क्षेत्र में उनकी सक्षमता में सुधार करने की दृष्टि से उनको वर्धित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन करने संबंधी नीति के अनुसरण में एकीकृत वित्तीय सलाहकार योजना लागू की गई है। वित्तीय सलाहकारों को प्रशासनिक मंत्रालयों के अंक के रूप में समझा

जाता है और उनको प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग में वे प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिवों के नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र से बाहर के मामलों में वे व्यय विभाग के सचिव/वित्त मंत्री से आदेश ले सकते हैं। यह पद्धति संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है और यह कहना सही नहीं होगा कि इससे गैर-आयोजना व्यय में वृद्धि हुई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादों की बिक्री के लिए फुटकर दुकानों का खोला जाना

6811. **श्री अहसान जाफरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में सरकारी क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के उत्पादों की बिक्री के लिए फुटकर दुकानें खोलने के प्रश्न पर कभी विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्पादित माल की फुटकर बिक्री के लिए कोई योजना बनाने का सरकार का विचार है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र में पहले से ही विद्यमान फुटकर दुकानों के बारे में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) सरकारी उद्यम अपने उत्पादों की बिक्री के लिए फुटकर दुकानें खोलने के लिए खुद ही प्रयास करते हैं, ताकि उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके। इसलिए सरकारी उद्यमों के उत्पादों की बिक्री के लिए सामान्यतः सरकार द्वारा फुटकर दुकानें खोलने या चलाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(घ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रमुख उत्पादों की बिक्री के लिए विद्यमान फुटकर दुकानों का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम		मौजूदा फुटकर दुकानों की संख्या
1	2		3
1.	आर्टिफिशियल लिम्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०		2
2.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड		भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के उत्पाद इसके विपणन प्रभाग द्वारा बेचे जाते हैं इसके बिक्री एवं सेवा प्रदायी कार्यालय देश भर में फैली हुए हैं।
3.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड . .		दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में बिक्री डिपो हैं तथा वितरण भारी संख्या में हैं।
4.	बोकारो इस्पात लिमिटेड	इसके उत्पाद हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के माध्यम से बेचे जाते हैं।	34 शाखा कार्यालय
5.	हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड		59 स्टाक यार्ड

1	2	3
6.	सेंट्रल काटेज इण्डस्ट्रीज	नई दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में फुटकर इम्पोरियम
7.	ईस्टर्न कोल्डफील्डस लि० .	1
8.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन	4
9.	मण्डया पेपर मिल्स	
10.	हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड 1 1 2	1
11.	सांभर साल्ट्स . .	1
12.	इण्डियन रेअर अर्थस लि०	1
13.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड . . .	87
14	नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल) लिमिटेड	22
15.	नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (दक्षिण महाराष्ट्र) लि०	15
16.	नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (पश्चिम बंगाल, बिहार) लि०	57
17.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि०	कृषि में इस्तेमाल होने वाले कीटाणु नाशक दवाओं की बिक्री के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों के अधीन देशभर में निगम की लगभग 50,000 दुकानें हैं।
18.	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	निगम के बड़ी संख्या में विक्रेता हैं और कुछ उपोत्पाद कारखाने से निकासी मूल्य के आधार पर बेचे जाते हैं।
19.	नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (दिल्ली, पंजाब)	14
20.	पुनस्थापर उद्योग	13 बिक्री केन्द्र
21.	भारत आपथैल्मिक	निदेशक मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि पहले पहल कलकत्ता में और फिर दिल्ली, बंगलोर में और दुकानें खोली जायें (साल्फर की बिक्री भारतीय तेल निगम के माध्यम से की जाती है)।
22.	मद्रास रिफाइनरीज	
23.	नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड . .	निगम के विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में हैं।

1	2	3
24.	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड	निगम ने अल्यूमीनियम की थोड़ी मात्रा (एक टन या इससे अधिक) की बिक्री के लिए मद्रास, बम्बई दिल्ली और कलकत्ता में व्यवस्था की है।
25.	नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (धारक) . .	235
26.	नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (गुजरात)	6
27.	नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (उत्तर महाराष्ट्र)	48
28.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स कारपोरेशन	निगम अपनी सामग्री बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास स्थित अपने शाखा-कार्यालयों के माध्यम से बेचती है। इसके अपने वितरक भी बड़ी संख्या में हैं।
	चाय व्यापार निगम	बिक्री कमीशन के आधार पर की जाती है।

महंगाई भत्ते के वर्तमान ढांचे को जारी रखना

डा० वी० एन० सैयद मोहम्मद: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग की इन सिफारिशों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि जब अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 272 अंकों से बढ़ जाए तब सरकार को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि क्या मंहगाई भत्ते के वर्तमान ढांचे को जारी रखा जाए या वेतन ढांचे को ही बदल दिया जाए ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : तीसरे वेतन आयोग ने निम्नानुसार सिफारिश की थी :–

"यदि मूल्य स्तर की 12 मास की औसत 272 से (1960=100) बढ़ जाए तो सरकार को स्थिति पर फिर से विचार करना चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि महंगाई भत्ते की योजना आगे बढ़ाई जाए या वेतनमानों का ही संशोधन किया जाए"।

औसत मूल्य सूचकांक के 272 से ऊपर बढ़ जाने के बाद सरकार ने इस मामले पर विचार किया लेकिन वेतनमानों में संशोधन करना संभव नहीं समझा। सरकार केन्द्रीय सरकारी कमचारियों को तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर मंहगाई भत्ता फार्मुला के अनुसार, समय-समय पर अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किस्तें तदर्थ आधार पर मंजूर करती रही है।

राशिकरण की अवधि पूरी होने के बाद पूरी पेंशन बहाल करना

6813. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन कर्मचारियों की पूरी पेंशन बहाल करने के बारे में निर्णय कर लिया है, जिन्होंने राशिकरण की अपनी अवधि पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो कब और क्या इसे क्रियान्वयन करने का आदेश दिया गया है ;

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो इस बारे में लोक सभा की याचिका समिति द्वारा काफी पहले अपने प्रतिवेदन में सिफारिशें दे दिये जाने के बावजूद इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) जो पेंशनभोगी अपनी पेंशन के संराशिकरण के 10 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहते हैं, उनकी पेंशन के संराशिकृत भाग को बहाल करने के लिए मांगें आती रही हैं और लोक सभा की याचिका समिति ने भी ऐसी बहाली की व्यवस्था करने के लिए पेंशनों के संराशिकरण की योजना की समीक्षा करने की सिफारिश की थी। इस मामले की जांच पूर्ण रूप से की गई है? संराशिकरण वैकल्पिक है, और नियमों के अंतर्गत पेंशन के संराशिकृत भाग को जीवनभर के लिए अभ्यर्पित कर दिया जाता है। इसलिए पेंशन के संराशिकृत भाग को बहाल करने की मांग को स्वीकार करना संभव नहीं हुआ है। लोक सभा की याचिका समिति को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निर्गम विभाग की आस्तियों का मूल्य

6814. **श्री बी० सी० काम्बले:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निर्गम विभाग के क्रमशः प्रत्येक निम्न वग अर्थात (एक) स्वर्ण मात्रा (दो) सोने के सिक्के यदि कोई हों (तीन) विदेशी प्रतिभूतियां (चार) रुपये के सिक्के (पांच) रुपये की प्रतिभूतियां जो वर्ष 1970, 1973 1976 और अद्यतन थीं, के रूप में आस्तियां का कुल मूल्य कितना है ;

(ख) रुपये की प्रतिभूतियों को किस आधार पर और किसके द्वारा और कब से जारी किया गया है; और

(ग) वे परिस्थितियों, प्रयोजन और कारण क्या हैं जिनके लिए रुपये की प्रतिभूतियों को जारी किये जाने की आवश्यकता पड़ी थीं।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) : मार्च, 1970, 1973, 1976 और 1978 के अन्त की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजव बैंक के निर्गम विभाग की परिस्थितियों का मूल्य संलग्न विवरण में दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार द्वारा लोकऋण अधिनियम, 1944 के अधीन हर वर्ष, विकास सम्बन्धी और गैर-विकास सम्बन्धी खर्चों के वित्त पोषण के लिए अपने स्रोतों को पूरा करने के वास्ते, प्रति वर्ष, रुपये की प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं और वार्षिक बजटों में ऋण कार्यक्रमों के लिए प्रावधान किया जाता है।

विवरण

मार्च, 1970, 1973, 1976, 1978 के अन्त की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग की परिस्थितियों का मूल्य

(करोड़ रुपयों में)

	1970	1973	1976	1978
1. स्वर्ण मात्रा . .	141.39	141.39	141.39	151.95
2. सोने के सिक्के . . .	41.14	41.14	41.44	41.14
3. विदेशी प्रतिभूतियां . . .	331.42	171.65	271.74	1766.45
4. रुपये के सिक्के . . .	64.63	8.66	12.90	11.08
5. रुपये की प्रतिभूतियां . .	3287.35	4909.36	6105.45	6645.19
जोड़ . . .	3865.93	5272.20	6572.62	8615.81

क्रीम निकाले गये दूध पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

6815. **श्री बलदेव सिंह जसरोतिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में है कि क्रीम निकाला हुआ दूध दुग्ध पाउडर से भिन्न होता है और इसका अधिकांशतः समाज के कमजोर वर्गों द्वारा उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सम्पन्न लोगों द्वारा अधिकांशतः उपयोग किये जाने वाले दुग्ध पाउडर पर ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हटाने के पीछे क्या विचार है, न कि क्रीम निकाले हुए दूध पर; और

(ग) क्या क्रीम निकाले हुए दूध पर शुल्क हटाने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार को पता है कि वसा की मात्रा और पौषणिक मूल्य में मखनिया दूध चूर्ण, पूर्ण दूध चूर्ण से भिन्न है । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि मखनिया दूध चूर्ण का इस्तेमाल अधिकांशतः समाज के गरीब वर्गों द्वारा किया जाता है, क्योंकि मखनिया दूध चूर्ण से निर्मित आइस-क्रीम, कन्फैक्शनरी आदि जैसी वस्तुओं का उपभोग समाज के सभी वर्गों द्वारा किया जाता है । मखनिया दूध चूर्ण के उत्पादन के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल कारखानों में फिर से दूध तैयार करने के लिए भी किया जा रहा है और उसे उत्पादनशुल्क से पूरी छूट मिली हुई है ।

(ख) सरकार ने 1978 के बजट में, पूर्ण दूध चूर्ण को उत्पादनशुल्क से छूट इसलिए दी है कि जिससे (शुल्क से छूट प्राप्त) बेबी फूड को पूर्ण दूध चूर्ण का (जिस पर 10 प्रतिशत उत्पादनशुल्क लगता था) स्थान लेने से रोका जा सके, और वर्तमान छूट, पूर्ण दूध चूर्ण को बेबी फूड के सममूल्य पर ले आती है।

(ग) सरकार, मखनिया दूध चूर्ण से उत्पादनशुल्क हटाने के संबंध में फिलहाल विचार नहीं कर रही है ।

लेह के लिए विमान सेवा

6816. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह को विमान सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) यह प्रस्ताव उपलब्ध विमानों तथा श्रीनगर विमानक्षेत्र पर किए जा रहे कुछ मरम्मत कार्यों और लेह विमानक्षेत्र पर अपेक्षित कुछ सुधारों पर निर्भर करता है । वर्तमान संकेतों के अनुसार 1979 के ग्रीष्मकाल में लेह को विमानसेवा से जोड़ना संभव हो सकेगा ।

काजू उद्योग में संकट

6817. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषरूप से दक्षिण में काजू उद्योग कच्चेमाल, विपणन, श्रमिकों को वर्ष, भर रोजगार देने आदि के बारे में अनेक गम्भीर कठिनाइयों का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त उद्योग को अपनी स्थिति और कार्यकरण सुधारने में सहायता देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) कच्चे काजू की कमी के कारण काजू उद्योग कतिपय कठिनाइयों का सामना कर रहा है । इसके लिये उत्तरदायी कारकों में से एक कारक यह है कि विगत कुछ वर्षों से कच्चे काजू के आयातों में गिरावट आई है।

(ख) उद्योग की सहायता करने की दृष्टि से सरकार ने कच्चे काजू का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए कई स्कीमें आरम्भ की हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के अतिरिक्त भारतीय काजू निगम भी राज्य प्रायोजित, निर्यात अभिमुख तथा काजू कास्त की अर्धक्षम स्कीमों के लिये 4 करोड़ रु० तक धन देने के लिये सहमत हो गया है ।

निर्यात निरीक्षण परिषद् के निदेशक के विरुद्ध शिकायतें

6818. **श्री वी० एम० सुधीरन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्यात निरीक्षण परिषद् के निदेशक के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त शिकायतों के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सरकार को निर्यात निरीक्षण परिषद् के निरीक्षण तथा क्वालिटी नियंत्रण निदेशक के विरुद्ध समय समय पर कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) शिकायतें मिलने पर जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है वहां उन पर विचार किया जाता है और उनके बारे में पूछताछ की जाती है तथा पूछताछ के निष्कर्षों को देखते हुए समुचित कार्यवाही की जाती है ।

उत्पादन शुल्क से राहत के लिए उद्योगों से अभ्यावेदन

6819. **श्री चतुर्भुज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनकी हाल की कलकत्ता यात्रा के दौरान उन्हें उद्योगों से उत्पादन-शुल्क में और उद्योगों को राहत देने सम्बन्धी अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) नवम्बर, 1977 के पहले सप्ताह में अपने कलकत्ता के दौरे के दौरान, वित्त मंत्री को भारतीय जूट मिल संघ से एक अभ्यावेदन मिला था।

(ख) उत्पादन शुल्क में राहत के सम्बन्ध में, संघ ने पटसन के माल पर उत्पादनशुल्क की दर में कमी करने का निवेदन किया ।

(ग) मामले की जांच की गयी थी। यह विचार किया गया कि देशी बाजार में टाट की प्रचलित कीमतों को देखते हुए, उत्पादनशुल्क में कोई राहत देने की आवश्यकता नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गोआ-भत्ता और मकान किराया भत्ता

6820. **श्री अमृत कासर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दीव के केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने गोआ भत्ता और मकान किराया भत्ता देने की मांग की है ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को संघ राज्य क्षेत्र के नगरों में नगर प्रतिपूर्ति भत्ता नहीं दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को गोआ भत्ता और मकान किराया भत्ता देने के लिए क्या कायवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ह० एम० पटेल) : (क) इस संबंध में "गोआ सरकारी कर्मचारी" संघ की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग) 1971 की जनगणना के अनुसार 4 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर ही कोई नगर वहां तैनात केन्द्रीय सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के लिए पात्र होता है । गोआ के संघ राज्य क्षेत्र में कोई भी स्थान इस आधार पर नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के लिए पात्र नहीं है ।

1971 की जनगणना के अनुसार 50,000 से अधिक जनसंख्या होने पर ही कोई नगर मकान किराये भत्ते के लिए पात्र होता है । इस आधार पर गोआ में कोई भी नगर इसके लिए पात्र नहीं है । लेकिन, गोआ के केन्द्रीय सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों को विशेष मामले के रूप में वेतन का 7 1/2 प्रतिशत की दर पर मकान किराया भत्ते की अनुमति दी जा रही है जो अधिक से अधिक 200 रुपये प्रतिमाह है ।

मैसर्स कोर्स इंडिया का निर्यात और आयात

6821. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, मैसर्स कोस इंडिया द्वारा किये गये निर्यात की भारतीय मुद्रा में राशि क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान मैसर्स कोस इंडिया द्वारा कितनी राशि का भारतीय मुद्रा में आयात किया गया;

(ग) किन किन देशों से आयात किया गया और किन किन देशों को निर्यात किया गया; और

(घ) क्या निर्यात की गई वस्तुओं की पूरी राशि इस देश को भेजी गई है और यदि हां, तो (एक) उसका मूल्य क्या है (दो) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) आयातों तथा निर्यातों के आंकड़े पार्टीवार नहीं रखे जाते हैं।

(घ) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसे भारतीय रिजर्व बैंक से एकत्र करना होगा ।

उगांडा को वैगनों की सप्लाई

6822. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैगनों और यात्री डिब्बों की पूरी कीमत उगान्डा द्वारा पेशगी दी गयी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि परियोजना और उपकरण निगम (प्रोजैक्ट एण्ड इक्विपमेंट. कारपोरेशन्) को 6 प्रतिशत ब्याज दण्ड के रूप से देना पड़ता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भविष्य में विलम्ब के लिए परियोजना और उपकरण निगम को प्रति सप्ताह 0.2 प्रतिशत ब्याज के रूप में देना पड़ेगा; और

(घ) क्या परियोजना और उपकरण निगम के असन्तोषजनक प्रबन्ध को देखते हुए सरकार इसका इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड में विलय करने के बारे में विचार कर रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सितंबर, 1976 में भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम लि० ने यूगान्डा सरकार के परिवहन तथा संचार मंत्रालय के साथ 250 वैगनों और 20 सवारी डिब्बों की सप्लाई के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए थे। संविदा में भुगतान की शर्तें इस प्रकार थीं:—

(क) 12.5 प्रतिशत के रूप में।

(ख) 12.5 प्रतिशत का भुगतान साखपत्र के जरिए पोत लदानों के आधार पर किया जाएगा।

(ग) 75 प्रतिशत का भुगतान 5 वर्षों में संविदा पर हस्ताक्षर करने की तिथि से किया जाएगा। यह भुगतान बैंक गारटी द्वारा सुरक्षित किया जाना था।

(घ) शेष आस्थगित प्राप्य रकमों पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा।

उपरोक्त (ख) में उल्लिखित साखपत्र और उपरोक्त (ग) में उल्लिखित बैंक गारंटी पी ई सी को स्वीकार्य अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी किये जाने थे।

खरीदार ने चार सप्ताह के विलम्ब से पेशगी अदा की। दूसरे 12.5 प्रतिशत और शेष 75 प्रतिशत के लिए साखपत्र और बैंक गारंटी उनके द्वारा संस्थापित नहीं किए गए। बाद में अप्रैल, 1977 के अन्त में 12.5 प्रतिशत रकम नगद रूप में, 12.5 प्रतिशत साखपत्र के बदले में प्राप्त हुई। बाद में कुल मिलाकर लगभग एक साल के विलम्ब के बाद अक्तूबर 1977 में खरीदार ने बैंक-गारंटी के बदले में शेष 75 प्रतिशत राशि भी नकद रूप में अदा कर दी।

(ख) यूगान्डा वालों ने उनके द्वारा पेशगी दी गई रकम पर ब्याज के भुगतान का सुझाव दिया। पक्षकारों के बीच विचार विमर्श के बाद परस्पर यह सहमति हुई है कि उन्हें 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा।

(ग) मूल संविदा में विलम्ब से सुपुर्दगी के लिए अर्थदंड के भुगतान की व्यवस्था की गई है। इसकी दर विलम्ब के प्रत्येक सप्ताह के लिए देर से भेजे गए वैगनों और सवारी डिब्बों के मूल्य का 0.3 प्रतिशत होगी। तथापि अर्थदंड की कुल राशि देर से भेजे गए वैगनों/सवारी डिब्बों के संविदा गत मूल्य

के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यदि आयातित मदें समय पर पहुचती रहीं तो माल की सुपुदगी 1978 के अन्त में आरम्भ कर दी जाएगी और 1979 के प्रथम कुछ महीनों में पूरी हो जाएगी। करार में यह व्यवस्था की गई है कि यदि आयातित मदों के मिलने में कोई देरी होगी तो वैगनों/सवारी डिब्बों की सुपुर्दगी भी स्थगित कर दी जाएगी।

(घ) इस समय परियोजना तथा उपस्कर निगम को इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इण्डिया लि० के साथ मिलाने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

बैंक आफ बड़ौदा द्वारा पिछड़े इलाकों में संगठित क्षेत्र में लघु उद्योगों में धन लगाना

6823. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या वित्त मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ इडिया द्वारा गत तीन वर्षों में अलग अलग सेक्टर-वार तथा वर्ष-वार पिछड़े इलाकों में लघु क्षेत्र में संगठित सेक्टर में कितने प्रस्तावों के बारे में वित्त पोषण किया;

(ख) कितने प्रस्ताव एक महीने की अवधि में स्वीकार कर लिये गये, कितनों को 1 मास से 3 मास की अवधि में और कितनों को 6 मास से कम अवधि में अन्तिम रूप दिया गया; जिन प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया अथवा उनमें कटौती की गई उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि आपात स्थिति के दौरान अनेक प्रस्ताव रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उचित जांच के बिना उच्च लोगों के इशारों पर मंजूर किये गये थे; और

(घ) सरकार उक्त प्रकार की अवांछनीय प्रकृति को रोकने के लिये क्या कदम उठायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एन० पटेल) : (क) 15 दिसम्बर, 1977 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान बैंक आफ बड़ौदा ने, मध्यवर्ती पिछड़े इलाकों में संगठित क्षेत्र के कुल 1288 लाख रुपये के 606 प्रस्तावों को स्वीकृत किया।

(ख) सूचना उस रूप में नहीं रखी जाती जिसमें माननीय सदस्य ने मांगी है। परन्तु सरकार ने बैंकों को सलाह दी है कि वे छोटे पैमाने के उद्योगों की 10,000 रुपये तक के ऋण आवेदन पत्रों को उनकी प्राप्ति की तारीख से 3 से 4 सप्ताह के भीतर और 10,000 रुपये से अधिक की राशि के आवेदन-पत्रों को 3 माह की अवधि के भीतर निपटा दें।

(ग) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि बैंक में प्रचलित प्रक्रियाओं और प्रथाओं के अनुसार समुचित स्तरों पर सामान्य जांच और मूल्यांकन के बगैर कोई भी ऋण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"कालमनी बिजनेस" पर दलाली

6824. **श्री के० रामनूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा 'कालमनी बिजनैस' पर दलाली देने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो बैंकों के व्यापार में कितनी हानि होगी; और

(ग) कितने दलालों को अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ सकता है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) दिनांक 22 जुलाई, 1974 के, जमाराशियों पर ब्याज की दर विषयक भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों द्वारा किसी भी किस्म की जमाराशियों विषयक दलाली पर रोक लगा दी गई थी (सिवाय उन मामलों के जिन्हें इस निर्देश में विशिष्ट रूप में छूट दी गई थी)। रिजर्व बैंक ने हाल ही में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह स्पष्ट किया है कि यह पाबन्दी "अन्तः बैंक काल मनी बाजार" में परिचालनों पर भी लागू होगी।

(ख) और (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अपने अधिशेष कोषों में से सीधे ही बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं। अधिशेष कोष रखने वाले बैंक भी उन बैंकों से उसी प्रकार का सीधा कारोबार कर सकते हैं जिन्हें ऐसे कोषों की आवश्यकता है। बैंकों के कारोबार में किसी हानि की सम्भावना नहीं है।

मुद्रा दलाल अपनी जीविका के लिये केवल अन्तः बैंक कारोबार पर निर्भर नहीं होते। परन्तु इस मामले पर रिजर्व बैंक द्वारा बम्बई के मुद्रा-दलाल संघ के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया गया है। यदि अन्तः बैंक ऋण प्रदान करने के सम्बन्ध में बैंकों को किसी किस्म की कठिनाई महसूस हुई तो रिजर्व बैंक इस मामले की जांच करेगा।

सरला नगर स्थित मैहर सीमेंट कारखाने के परिसर में यूनाईटिड कर्मशियल बैंक के ग्रामीण बैंक शाखा के कृत्य

6825. **श्री शरद यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनाइटिड कर्मशियल बैंक सोनवारी, तहसील मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश की ग्रामीण बैंक शाखा को सरला नगर स्थित मैहर सीमेन्ट कम्पनी के परिसर में खोला गया है जो गांव सोनवारी से कई किलोमीटर दूर है और यदि हां, तो इससे ग्रामवासियों को किस प्रकार लाभ होगा;

(ख) क्या ग्रामीण बैंक लाइसेंस फैक्ट्री के परिसर में बैंक खोलने के लिये दिया गया है; और

(ग) बिड़ला परिसर से सम्बद्ध इस बैंक के निदेशकों के नाम क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) यूनाइटेड कर्मशियल बैंक ने 20 दिसम्बर, 1977 को सोनवारी गांव में एक ग्रामीण शाखा खोली है। यह शाखा सोनवारी गांव तथा इस इलाके के अन्य गांवों की ऋण आवश्यकताएं पूरा करेगी। मैसर्स मैहर सीमट फैक्टरी के कारखाने का कैम्पस 3 ग्रामों में फैला हुआ है, अर्थात् सोनवारी, चौपज और सगमानिया तथा इस फैक्टरी ने आहाते का नाम सरला नगर रख दिया है। यह तथ्य कि यह शाखा फैक्टरी के अहाते में पड़ती है, ग्रामीण जनसंख्या को ऋण उपलब्ध कराने में किसी भी किस्म की कोई बाधा पैदा नहीं करेगा।

(ख) जी, हां।

(ग) यूनाइटेड कर्मशियल बैंक ने सूचित किया है कि इसका कोई भी निदेशक बिरला घराने का नहीं है।

राज्य व्यापार निगम में भर्ती/पदोन्नति के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण

6826. **श्री राम देनी राम** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली में भर्ती/पदोन्नति के बारे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण आदेशों की क्रियान्विति की जाती है; यदि हां, तो किस तारीख से;

(ख) राज्य व्यापार निगम में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है; सामान्य श्रेणी और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के भर्ती/पदोन्नति का कोई कोटा बकाया है और इसमें कमी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बकाया और कम भर्ती और पदोन्नति कोटे को भरने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। सीधी भर्ती तथा चयन द्वारा पदोन्नति के लिए जनवरी, 1970 से तथा वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता द्वारा पदोन्नति के लिए 27-11-1972 से रोस्टर रखे जा रहे हैं।

(ख) राज्य व्यापार निगम में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या तथा सामान्य श्रेणी तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्यचारियों की संख्या नीचे दी गई है :--

सामान्य		2050
अनुसूचित जाति		137
अनुसूचित जनजाति		9
	कुल	2196

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(1) विभिन्न संवर्गों में बिना भरे आरक्षित पदों के संबंध में पिछली कमी को पूरा करने के लिए केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए समय-समय पर विज्ञापन जारी किये गये हैं।

(2) वित्त जैसे संवर्गों में जहां कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए, बिना भरे गये पदों को आगे ले जाया गया है।

(3) कुछ संवर्गों में योग्यताओं में ढील दी गई है।

(4) यह अनुदेश जारी किये गये हैं कि आरक्षित पदों को उस समय तक खाली रखा जाएगा जब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिलेगा और उन्हें गैर-आरक्षित नहीं किया जाएंगा।

(5) निगम के नियमों तथा समय-समय पर सरकार से प्राप्त निदेशों के अनुसार जब भी पात्र व्यक्ति उपलब्ध होंगे, बिना भरे हुए आरक्षित खाली स्थानों पर संगठन के भीतर से ही पदोन्नतियां की जायेंगी।

नेपाल सीमा पर पकड़ा गया तस्करी का माल

6827. **श्री शंकरसिंहजी वाघेला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977 के दौरान नेपाल सीमा पर कितना माल पकड़ा गया था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : वर्ष 1977 के दौरान, भारत-नेपाल सीमा से तस्कर आयात-निर्यात किये जाने के मामले में, 1.54 करोड़ रुपय मूल्य का माल पकड़ा गया था।

इलाहाबाद बैंक में चेयरमैन के पद का भरा जाना

6828. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद बैंक के चेयरमैन श्री ए० घोष की चीफ एकाउंटेंट से सीधे चेयरमैन के रूप में पदोन्नति उनसे अनेक वरिष्ठ अन्य अधिकारियों की उपेक्षा कर की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त बैंक में चेयरमैन का पद भरने की क्या प्रक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पहले श्री अमिताभ घोष इस बैंक के महाप्रबन्धक थे। उनके पूर्वाधिकारी श्री एस० डी० वर्मा का कार्यकाल 31 मार्च, 1977 को समाप्त हो गया था। श्री वर्मा ने श्री घोष को अपना कार्यभार सौंपा था जो उनके बाद सबसे वरिष्ठ कार्याधिकारी थे। श्री घोष की अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के अनुसार की गई। श्री घोष ने 23 मई, 1977 को अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के पद का कार्यभार संभाला था।

सीमाशुल्क विभाग, कलकत्ता के गोदाम के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

6829. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमाशुल्क विभाग, कलकत्ता के गोदाम के उन उच्च अधिकारियों के विरुद्ध इस बीच कोई कार्यवाही की गई है जो एम० एच० हक के मामले में विभागीय वकील के दृष्टिकोण की अवहेलना करके उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ में अपील करने में अग्रणी थे और जिसके कारण सार्वजनिक धन की हानि हुई और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : जी नहीं। अपील दायर करने का निर्णय, सभी संगत कारणों पर विचार करने के बाद और विभाग के वकील की राय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, शाखा सचिवालय, कलकत्ता की राय को भी ध्यान में रखकर किया गया था। इसलिये कलकत्ता सीमाशुल्क गृह के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

Boycott of World Meteorological Conference

6830. **Shri Ramanand Tiwary** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether personnel of the India Meteorological Department boycotted the World Meteorological Conference and demonstrated before the 'Mausam Bhawan' in the capital in support of their demands;

(b) if so, the main demands thereof; and

(c) whether any step have been taken to meet their demands; if not, the reasons therefor?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) No World Meteorological Conference was held at New Delhi. On World Meteorological Day i.e. 23rd March, 1978 some of the members of the Associations of the gazetted officers,

non-gazetted staff and workers of Workshops of the Indian Meteorological Department held a demonstration, during lunch time on that day at 'Mausam Bhavan', New Delhi.

(b) As per the Resolution adopted by the Associations in the demonstration, their main demand is that the report of the India Meteorological Department Review Committee should be re-examined by an independent body with due representation of employees.

(c) The India Meteorological Department Review Committee itself was an independent Committee appointed by the Government. Meetings have been held with the representatives of the staff associations and their views have been ascertained on the recommendations of the Committee. The views of the Associations will be taken into account before Government decisions on the recommendations of the Review Committee are taken. In the circumstances the need for getting the report re-examined by another independent body does not arise.

बुक बाइंडरों के वेतनमानों में असमानता तथा उनके लिए पदोन्नति के अवसर

6831. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न विभागों में बैंक बाइंडरों के वेतनमान क्या हैं और यदि उनमें असमानता है, तो उसके क्या कारण हैं तथा उनमें समानता लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) उनकी पदोन्नति के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं तथा यदि उनको कोई पदोन्नति नहीं दी जाती तो उसके क्या कारण हैं तथा उनके लिए पदोन्नति के अवसर देने के लिए क्या कदम उठा जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में जहां कहीं भी बुक बाइंडरों के पद हैं, वे सामान्यतः निम्नलिखित वेतनमानों में हैं:--

210-270 रुपए

210-290 रुपए

225-308 रुपए

260-350 रुपए

320-400 रुपए

290-560 रुपए

330-560 रुपए

ये वेतनमान तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत संशोधित वेतनमानों को प्रदर्शित करते हैं। चूंकि इन वेतनमानों का संबंध प्रत्येक पद पर भर्ती के लिए योग्यताओं और इस पद से जुड़े कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों से है, इसलिए वेतनमानों में एकरूपता लाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ख) बुक बाइंडरों के पद अधिकांश रूप से एकलित पद हैं। सरकार के अधीन प्रत्येक एकलित पद के लिए पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था करना हर समय संभव नहीं होता क्योंकि उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए 'फीडर पोस्ट' के रूप में किसी भी पद को शामिल करना उच्चतर पद के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के स्वरूप तथा इस विचार पर निर्भर करता है कि क्या निम्नतर पद पर प्राप्त किया गया अनुभव उच्चतर पद के लिए लाभदायक है। तथापि, कुछ मंत्रालयों/विभागों में बुक बाइंडरों के ग्रेड-1 के पदों को ग्रेड-2 के उन बुक बाइंडरों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है जिनका उस ग्रेड में तीन से पांच साल का अनुभव हो और जिन्होंने ट्रेड टेस्ट पास किया हैं।

Review of Policy of Financial Aid for Natural Calamity as Plan Assistance

6832. **Shr Iखwar Chaudhry** : Will the Minister of **Finance** be pleaséd to state

(a) whether the financial assistance given to the States affected by natural calamities: is treated as part of the Plan assistance;

(b) if so, whether any of the State Governments has urged the Central Government to review this policy on the plea that the development programmes of the States get upset as a result thereof; and

(c) if so, the details in this regard ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) : Some State Governments have asked for a review of the present policy on the ground that adjustment of advance Plan assistance may affect their developmental programmes. The Government of India are alive to this problem and while formulating the States' Plans for the year 1978-79, it has neen ensured that the tempo of development is not impaired because of the relatively large assistance that had to be given last year for meeting expenditure caused by natural calamities of serious magnitude.

The Seventh Finance Commission would be reviewing the policy and arrangements in regard to the financing of relief expenditure by the States affected by natural calamities.

पंजीकरण प्राधिकरण के पास पंजीकृत व्यापारी निर्यातकों तथा नर्माता-निर्यातकों को संख्या

6833. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :**

श्री नाथूसिह :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों के लिये अनिवार्य पंजीकरण की योजना लागू होने के समय प्रत्येक पंजीकरण प्राधिकरण के पास (मद-वार) कितने (एक) व्यापारी निर्यातक तथा (दो) निर्माता-निर्यातक पंजीकृत किये गये थे और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में और 1 जनवरी, 1978 को उनकी संख्याएं क्रमश: क्या क्या थीं;

(ख) उन सबसे प्रमुख निर्यात की 10 मदों के नाम क्या हैं जिनके लिये अनिवार्य पंजीकरण योजना लागू होने के बाद पंजीकृत निर्यातकों की संख्या सबसे अधिक बड़ी (और प्रत्येक मद के बार में कितनी बड़ी) निर्यातकों की सख्या में स वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) 1 जनवरी, 1970 को देश में पंजीकृत निर्यातकों की संख्या कुल कितनी थी और उसके बाद के वर्षों में प्रत्येक पहली जनवरी को इस संख्या में कैसे परिवर्तन हुआ ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख ी जाएगी

निर्माता निर्यातकर्ताओं के नाम (डी० जी० टी० डी० यूनिटों के बड़े उद्योग)

6834. **श्री नाथू सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्के इंजीनियरी उत्पादों, सिलेसिलाये वस्त्रों, चमड़ा उत्पादों के गत तीन वर्षों के निर्यात में सबसे बड़े 25 निर्माता निर्यातकर्त्ताओं (बड़े उद्योग अथवा केवल डी० जी० टी० डी० के यूनिटों) का भाग क्या था;

(ख) उन बड़े 25 निर्माता निर्यातकर्त्ताओं के नाम क्या हैं (बड़े उद्योग अथवा डी० जी० टी० डी० यूनिट) जो (1) हल्के इंजीनियरी उत्पादों (2) सिले सिलाये वस्त्रों (3) चमड़ा उत्पादों का निर्यात करते हैं तथा गत पांच वर्षों में प्रत्येक निर्यातकर्ता ने कितना माल निर्यात किया तथा किन-किन मुख्य वस्तुओं का निर्यात किया;

(ग) गत तीन वर्षों में किये गये हल्के इंजीनियरी उत्पादों, सिले सिलाये वस्त्रों और चमड़ा उत्पादों के निर्यात से 25 बड़े निर्माता निर्यातकर्त्ताओं का (केवल लघु उद्योग में) क्या भाग था; और

(घ) उन बड़े 25 निर्माता निर्यातकर्त्ताओं (लघु उद्योग में) के नाम क्या हैं जो (1) हल्के इंजीनियरी उत्पादों (2) सिले सिलाये वस्त्रों और (3) चमड़ा उत्पादों का निर्यात करते हैं तथा गत पांच वर्षों में प्रत्येक निर्यातकर्ता ने कितना माल निर्यात किया और प्रत्येक ने किन-किन मुख्य वस्तुओं का निर्यात किया ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) विगत तीन वर्षों में हल्के इंजीनियरी उत्पादों तथा चमड़ा उत्पादों के निर्यातों में बड़े 25 निर्माता निर्यातकर्ताओं (डी० जी० टी० डी० यूनिटों के बड़े उद्योगों) का भाग निम्नोक्त प्रकार था :--

	1974-75	1975-76	1976-77
हल्के इंजीनियरी उत्पाद	34 प्रतिशत	28 प्रतिशत	35 प्रतिशत (अनन्तिम)
चमड़ा उत्पाद	14.89 प्रतिशत	30.51 प्रतिशत	26.50 प्रतिशत

सिले सिलाए वस्त्रों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) अनुबंध I तथा अनुबंध II [ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी०-2099/78] संलग्न हैं जिनमें जानकारी के विवरण दिये गए हैं। सिले सिलाए वस्त्रों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है

(ग) विगत तीन वर्षों में हल्के इंजीनियरी उत्पादों तथा चमड़ा उत्पादों के निर्यातों में बड़े 25 निर्माता निर्यातकर्त्ताओं (केवल लघु उद्योग) का भाग निम्नोक्त प्रकार था :--

	1974-75	1975-76	1976-77
हल्के इंजीनियरी उत्पाद	3 प्रतिशत	4 प्रतिशत	5 प्रतिशत (अनन्तिम)
चमड़ा उत्पाद	11.04 प्रतिशत	12.10 प्रतिशत	11.99 प्रतिशत

सिले सिलाए वस्त्रों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) अनबंध III तथा अनुबंध IV [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-2099/78] संलग्न हैं जिनमें जानकारी देने वाले विवरण दिए गए हैं। सिलेसिलाए वस्त्रों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Disposal of Machinery etc. by Proprietors and Partners of Jam Textiles Mills

6835. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5017 on the 23rd December, 1977 regarding payment of income-tax by owners and partners of Jam Textile Mills, Bombay and state :

(a) whether the present proprietors and partners of Jam Textile Mills are disposing of on large scale the machinery and other articles of the mills which included frames, spinning, weaving, binding, wraping, sizing, weighing, calendar and dyeing and cleaning machines;

(b) if so, whether this is being done by the new management; and

(c) whether Government propose to take any steps to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) to (c). The requisite information in respect of Jam Textile Mills is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Income Tax Arrears against Owners and Partners of Phoenix Textile Mills

6836. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5018 on the 23rd December, 1977 regarding payment of income-tax by Phoenix Textile Mill No. 1, Bombay and state :

(a) the names of business houses and industries of which the owners and partners of Phoenix Textile Mills are partners and the other sources of their income and the amount of arrears of income-tax due against them on account of their income other than the income from Phoenix Textile Mills; and

(b) whether the information asked for in the question referred to above has since been collected and if not, how much more time it is likely to take ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) The requisite information is not readily available; it is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(b) A statement containing the information asked for in the Unstarred Question No. 5018 on 23-12-77 has since been laid on the Table of the House on 6-4-1978.

काजू का परिष्करण करने वाले लघु स्तर के औद्योगिक एककों से अभ्यावेदन

6877. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों के काजू का परिष्करण करने वाले लघु स्तर के औद्योगिक एककों से बहुत से अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें आयातित कच्चे काजू के बीजों का कुछ भाग उन्हें आबंटन करने का अनुरोध किया गया है ताकि इनका अस्तित्व बना रहे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अभ्यावेदन करने वाली ऐसी फर्मों अथवा एककों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि निहित स्वार्थों द्वारा, जिनके केरल राज्य में काजू परिष्करण उद्योग में एकक हैं, इन आयातित बीजों को पूर्णरुपेण ले लिया जाता है तथा सरकार वर्षों तक इन बीजों का समान वितरण करने सम्बन्धी विधि की व्यवस्था नहीं कर सकी है;

(घ) यदि हां, तो उसके तथ्य और कारण क्या हैं; और

(ङ) उपरोक्त दोनों राज्यों में स्थापित एककों की सहायता करने और उन्हें संरक्षण देने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा कुछ अन्य राज्यों के काजू साधित करने वाले एककों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें उन्हें आयातित कच्चे काजू के आबंटन के लिए भी अनुरोध किया गया था।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार काजू साधित करने वाले एककों की संख्या महाराष्ट्र में 20 तथा प० बंगाल में 3 है ।

(ग) तथा (घ) आयातित कच्चे काजू का वितरण मार्गीकरण अभिकरण अर्थात् भारतीय काजू निगम द्वारा प्रवृत्त आयात व्यापार नियंत्रण नीति में विहित वितरण नीति के अनुसार पात्र वास्तविक प्रयोक्ताओं को किया जाता है । पात्र वास्तविक प्रयोक्ता वे साधित करने वाले हैं जिन्होंने 1968, 1969 के किसी कैलेंडर वर्ष तथा 1970 में 31 अगस्त तक काजूओं के आयात निर्यात-व्यापार में भाग लिया था तथा काजू साधित करने वाली फैक्टरियां चलाई थीं।

केरल सरकार का कोई पक्ष नहीं लिया गया है और नीति के अनुसार सभी पात्र एककों को आयातित कच्चे काजू आबंटित किए जा रहे हैं । पिछले कुछ वर्षों में आयातों में आई गिरावट को देखते हुए कच्चे काजू के आबंटन के लिए पात्रता की गुंजाइश बढ़ाना संभव नहीं है ।

(ङ) समस्या का दूरगामी समाधान स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करना है । कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अन्य योजनाओं के अलावा भारतीय काजू निगम भी देश में काजू बागानों के विकास के लिए 4 करोड़ रु० तक की राशि उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है ।

शराब का आयात करने वाली एक कम्पनी के यहां मारे गए छापे में जब्त विदेशी मुद्रा

6838. **श्री यादवेन्द्र दत्त :**
श्री राजकेशर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में विदेशी मिशनों और आन्तरिक व्यापार के लिए विभिन्न ब्राण्डों की शराब और सम्बद्ध वस्तुओं का आयात करने वाली एक कम्पनी के निवास स्थानों तथा व्यापारिक स्थानों पर फरवरी, 1978 के अन्तिम सप्ताह में मारे गए छापे में बड़ी संख्या में अभियोगात्मक दस्तावेज और बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा पाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार पकड़े गये दस्तावेजों, वस्तुओं और नकदी का ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने वाले अपराधी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि यह फर्म शराब तथा अन्य सम्बद्ध वस्तुओं के आयात के लिए विदेशों में स्थित अपनी मूल विदेशी कम्पनियों से कमीशन लेती हैं और इसको आयातित वस्तुओं पर क्रेताओं से भी कमीशन मिल रहा है और विदेशों से अपनी मूल कम्पनियों से विभिन्न भत्तों के रूप में धन भी मिल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) शराब की विभिन्न किस्मों तथा उससे सम्बद्ध वस्तुओं को मुख्यतः विदेशी दूतावासों के लिए आयात करने वाली नई दिल्ली की एक फर्म अर्थात् मेसर्स भारत ट्रेडर्स के व्यापारिक परिसरों की तथा इस फर्म के भागीदारों में से एक भागीदार अर्थात् श्री बी० के० हीरा के रिहायशी परिसरों की, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फरवरी 1978 के अन्तिम सप्ताह में ली गई तलाशियों के दौरान अपराध अरोपणीय दस्तावेज तथा विदेशी मुद्रा की छोटी रकमें पकड़ी गयीं।

श्री बी० के० हीरा के दिल्ली स्थित एक बैंक लाकर की तलाशी लेने पर सोने की 20 गिन्नियां भी पकड़ी गयीं। इन गिन्नियां को स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त कार्यवाही के लिए पकड़ लिया गया है।

(ग) पकड़े गये दस्तावेजों की प्रारम्भिक जांच से प्रथम दृष्टया, विदेशों से प्राप्त कमीशन को, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन देश में प्रत्यावर्तित नहीं किये जाने के अपराध का पता चलता है। जांच-पड़ताल जारी है और उसके पूरा हो जाने पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(घ) जी हां।

(ङ) सभी सौदों में ग्रस्त धन की सही रकम का पता लगाने के लिए जांच-पड़ताल जारी है

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के चेयरमैन के विरुद्ध प्रकाशन

6839. **डा० विजय मंडल :**

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अगस्त, 1977 और 28 अगस्त, 1977 के साप्ताहिक 'बिक्ट्ज' तथा दिनांक 11 दिसम्बर, 1977, 8 जनवरी, 1978, 19 फरवरी, 1978 और 26 फरवरी, 1978 के हिन्दी साप्ताहिक "पांचजन्य" में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के चेयरमैन के विरुद्ध प्रकाशन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के चेयरमैन को पद से हटाया जाये और जांच की जाये ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार ने उन रिपोर्टों को देखा है जिनमें यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक पर कुछ आरोप लगाये गये हैं। रिजर्व बैंक ने यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध ब्लिट्ज में लगाये गये आरोपों की जांच कर ली है और इनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जहां तक हिन्दी साप्ताहिक 'पांचजन्य' के अंकों में उल्लिखित आरोपों का सम्बन्ध है, रिजर्व बैंक उनकी जांच कर रहा है।

(ग) श्री वी० आर० देसाई का कार्यकाल 31 मार्च, 1978 को समाप्त हो गया है किन्तु उन्हें अगले आदेशों तक कार्य करने के लिये कहा गया है ।

चेयरमैन, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक द्वारा बैंक अधिकारियों के राष्ट्रीय संगठन के चेयरमैन को छुट्टी मंजूर न करना

6840. **डा० विजय मण्डल :**

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के चेयरमैन के रवैये को देखते हुए बैंक अधिकारियों के राष्ट्रीय संगठन के चेयरमैन को लखनऊ में बैंक अधिकारियों के राष्ट्रीय संगठन के सम्मेलन का उद्घाटन करने हेतु जाने के लिये 4—8 नवम्बर, 1977 तक की छुट्टी मंजूर नहीं की गई;

(ख) क्या बैंक ने पोहित करने के रूप में बैंक अधिकारियों के राष्ट्रीय संगठन के 8 पदाधिकारियों को स्थानान्तरित कर दिया है और वित्त मन्त्रालय के आदेशों के बावजूद स्थानान्तरण आदेश वापस नहीं ले रहा है; और

(ग) क्या बैंक अधिकारियों के राष्ट्रीय संगठन के संगठन मंत्री की बीमारी का उचित प्रमाणपत्र देने के बावजूद नवम्बर, दिसम्बर, 1977 का वेतन नहीं दिया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने सूचना दी है कि बैंक के एक सहायक महा प्रबंधक को, जोकि नेशनल आर्गेनाइजेशन आफ बैंक आफिसर्स, उत्तरप्रदेश यूनिट और बैंकस आफिसर्स एसोसिएशन की कांफरेंस में सम्मिलित होने के लिए जाना चाहते थे, 5, 7 और 8 नवम्बर, 1977 की आकस्मिक छुट्टी नहीं दी गयी थी । बैंक के अनुसार कामगार स्टाफ और अफसरों को यूनियन/एसोशिएशन कार्य के लिए आकस्मिक छुट्टियां नहीं दी जाती हैं। यूनियन के कुछ पदाधिकारियों को ट्रैड यूनियन की बैठकों, कांफ्रेंसों आदि में शामिल होने के लिए विशेष छुट्टी दी जाती है । इस समय अफसरों में इस प्रकार की सुविधाएं केवल बहुमत वाले आफिसर्स एसोसिएशन अर्थात् आल इंडिया यूनाइटेड कमर्शियल बैंक आफिसर्स फैडरेशन के पदाधिकारियों को उपलब्ध हैं ।

(ख) बैंक ने सूचना दी है कि जन-शक्ति के समायोजन की दृष्टि से, अखिल भारतीय संवर्ग के अधिकारियों को कुछ बार एक रीजन से दूसरे रीजन में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इस बारे में आफिसर्स एसोसिएशन के विरुद्ध परेशान करने की कोई कारवाई नहीं की गई है ।

(ग) सम्भवत: श्री बी० के० अग्रवाल का उल्लेख है, जिन्होंने गोरखपुर से भुवनेश्वर तबादला होने पर, गोरखपुर में अपना चार्ज 6 दिसम्बर, 1977 को छोड़ा था किन्तु उसके बाद छुट्टी पर चले गये थे और 6 फरवरी, 1978 तक भुवनेश्वर में चार्ज नहीं लिया । बैंक के अनुसार यद्यपि उनका नवम्बर मास का वेतन गोरखपुर शाखा ने ही दे दिया था, उनका दिसम्बर मास का वेतन, हैड आफिस से छुट्टी के वेतन के समायोजन के बारे में सलाह मिल जाने के बाद भुवनेश्वर शाखा द्वारा दे दिया गया है ।

ताड़ के तेल (पाम आयल) के आयात के घोटाले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच की मांग

6841. **श्री अमरसिंह वी राठवा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मलयेशिया की एक गैर सरकारी कम्पनी से गुजरात में ताड़ के तेल के आयात, जिसके लिये गुजरात निर्यात निगम के चेयरमैन और मलयेशिया की फर्म के बीच ठेके पर

हस्ताक्षर किये गये थे, करने वाले गिरोह द्वारा किये गये घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाने के बारे में कुछ विख्यात व्यक्तियों, विधायकों और संगठनों द्वारा की गई मांग की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाने के लिये की गई मांग का ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसी मांगें क्यों की गई हैं ;

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच नहीं करवानी है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) केन्द्रीय सरकार से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

Utilisation of Loans taken for Clearing Sugarcane Arrears by Sugar Mills in M.P.

—6842. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many Sugar Mills in Madhya Pradesh have taken loans from nationalised banks to pay the arrears of sugarcane price to the farmers during the last two years;

(b) whether it is also a fact that Mills managements have utilised the loans for other purposes instead of paying the arrears of Sugarcane price with the result that the payment of the arrears has not yet been made to the farmers; and

(c) the details of the loans and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) to (c) According to the available information, the Central Bank of India sanctioned a loan of Rs. 11 lacs to Jiwajirao Sugar Co. Ltd. for payment of cane price and salaries. The advance was utilised for the purpose for which it was sanctioned.

Income Tax Returns in respect of Maruti Ltd., Maruti Technical Services Pvt. Ltd. and Maruti Heavy Works Ltd.

6842. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the years for which Maruti Ltd., Maruti Technical Services Private Ltd. and Maruti Heavy Works Ltd. have furnished their income-tax returns and the figures of profit or loss shown therein;

(b) the number of cases, out of them, in which tax assessment has since been completed and the assessible amount thereof; and

(c) the names of the persons who have more than five per cent shares in the aforesaid concerns?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) & (b) The required information is given below :

M/s. Maruti Ltd.

Assessment year	Loss returned	Income/loss assessed.
	(Rs.)	(Rs.)
1972-73 . .	7,27,380	6,91,701 (Loss)
1973-74 . .	25,89,230	25,07,818 (Loss)
1974-75 . . .	60,35,970	30,24,380 (Income)
1975-76 . . .	143,37,020	1,07,03,080 (Income) (assessment made u/s. 144, but reopened u/s. 146).
1976-77	238,75,994	Assessment pending.
1977-78	Return not filed.	

M/s. Maruti Technical Services (P) Ltd.

Assessment Year	Income /Loss returned	Income/Loss assessed.
	(Rs.)	(Rs.)
1972-73	8,080 (Loss)	11,920 (income)
1973-74	1,09,230 (income)	1,09,230 (income)
1974-75	1,25,780 (income)	1,25,776 (income)
1975-76	2,23,380 (income)	Assessment pending
1976-77	Nil.	—do—
1977-78	1,82,540 (income)	—do—

M/s. Maruti Heavy Vehicles (P) Ltd.

Assessment Year	loss returned	Income/loss assessed
1975-76	4,82,265	Assessment pending.
1976-77	33,409	—do—

(c) (i) M/s. Maruti Ltd. (Registered share holders as on 30-9-1976) :

	No. of shares.
M.N. Dastur & Co. (P) Ltd.	1,50,000 of Rs. 10 each.
Faraday House, Calcutta.	Enquiries about the beneficial holding of shares are in progress. They will take some time to finalise.

(ii) M/s. Maruti Technical Services (P) Ltd. (Registered shareholders as on 30-9-1976):

	No. of shares
1. Shri Sanjay Gandh .	11,510 of Rs. 10 each.
2. Smt. Sonia Gandhi .	1,910 of Rs. 10 each.

3. Master Rahul Gandhi .	. 4,000 of Rs. 10 each.
4. Miss Prianka Gandhi .	. 4,000 of Rs. 10 each.

(iii) M/s. Maruti Heavy Vehicles (P) Ltd. (Registered shareholders as on 31-3-1976);

	No. of shares.
1. Shri O.P. Modi, 41-Tara Chand Dutta Street, Calcutta.	10,500 of Rs. 10 each.
2. M/s. Maruti Technical Services (P) Ltd.	88,000 of Rs. 10 each.
3. Shri Dwarka Prasad Modi, 41, Tara Chand Dutta Street, Calcutta.	10,000 of Rs. 10 each.
4. Shri Satya Narain Modi, 41-A, Tara Chand Dutta Street, Calcutta.	18,000 of Rs. 10 each.

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की कलकत्ता स्थित शाखा द्वारा नेशनल हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी को ऋण दिया जाना

6844. **डा० विजय मण्डल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के चेयरमैन ने बैंक के सिद्धांतों का पालन किये बिना राजनीतिक आधार पर दिये जाने हेतु कुछ ऋणों की अनुमति दी है ;

(ख) क्या उक्त बैंक की कलकत्ता शाखा ने नेशनल हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी को लगभग 1.30 करोड़ रुपये का ऋण दिया था;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ भूतपूर्व मंत्री और आल इंडिया बैंक एमप्लाईज एसोसियेशन के पदाधिकारी इस कोआपरेटिव सोसायटी में रुचि रखते हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(ङ) क्या बैंक द्वारा मंजूर किया गया ऋण वसूल कर लिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और लेखे की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के अनुसार उसने बैंकिंग सिद्धांतों का पालन किये बगैर, राजनैतिक आधार पर कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है ।

(ख) नेशनल हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लि० को बैंक के निदेशक बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर, एक बहुमंजली इमारत बनाने के उद्देश्य से तथा इस बहुमंजली इमारत के समीप ही एक अतिरिक्त भूमि का प्लाट खरीदने के लिए, बैंक द्वारा कुछ ऋण सुविधाएं प्रदान की गई थी।

(ग) और (घ) बैंक के रिकार्ड के अनुसार कोई भूतपूर्व मंत्री इस सोसाइटी का सदस्य नहीं था सदस्यों द्वारा आल इंडिया बैंक एम्पलाईज एसोसिएशन में अपने हित के बारे में किसी घोषणा के अभाव में, बैंक के लिए यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि वे इस एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं या नहीं।

(ङ) और (च) बैंकों में प्रचलित व्यवहारों और प्रथाओं के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों का शासन करने वाली संविधियों के उपबन्धों के अनुसार भी बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है ।

किसानों, जन-जातियों तथा विकलांगों आदि को सहायता के सम्बन्ध में बैंकों का योगदान

6845. **श्री धर्मवीर वशिष्ट:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशेष रूप से स्टेट बैंक ग्रुप राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1977 के दौरान किसानों, जनजाति लोगों, विकलांगों, गन्दी बस्तियों तथा शहर की तंग जगहों पर रहने वालों, पेंशन भोगियों/भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं के तथा परिवार कल्याण के लिए सहायता देने के संबंध में परिवर्तक एजेन्ट तथा प्रगति प्रेरक के रूप में क्या योगदान दिया ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम पटेल०) विशालतर सामाजिक उत्तरदायित्वों में अपने आपको शामिल करने के प्रयास के भाग के रूप में, सरकारी क्षेत्र के बैंक, कृषि छोटे उद्योग, स्वयं नियोजन के प्रयास आदि उपेक्षित क्षेत्रों के ऋणकर्त्ताओं को अधिकाधिक मात्रा में ऋण प्रदान कर रहे हैं । सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्त पौषित कुल ऋणकर्ता खातों की संख्या और इन क्षेत्रों को दिये गये धन की राशि 1977 के दौरान क्रमश: 9 लाख और 486 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी । इस में से किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की बक़ाया में वृद्धि का अंश 174 करोड़ रुपये था जिसमें लगभग 5 लाख ऋणकर्ता खाते अंतर्ग्रस्त हैं ।

बैंक अभिनव प्रकार की बैंककारी भी शुरू कर रहे हैं । उदाहरण के लिए दिसम्बर, 1977 के अंत तक स्टेट बैंक आफ इण्डिया और चार अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1640, भूतपूर्व सैनिकों को सहायता दी । इन बैंकों ने अपनी गन्दी बस्तियों और शहर के घनी आबादी वाले इलाकों का सुधार करने की योजनाओं के अधीन 51257 ऋणकर्त्ताओं का वित्तपौषण किया है । उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने 848 भूतपूर्व कैदियों और 10508 विकलांगों, अनाथों आदि की भी सहायता की है । समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और विकलांगों आदि के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंक विभेदी ब्याज दर योजना कार्यान्वित कर रहे हैं, जिसे मई, 1977 में संशोधित और विस्तृत किया गया है । दिसम्बर, 1976 के अंत से सितम्बर, 1977 के अंत तक की अवधि के दौरान, इस योजना के अधीन ऋणकर्ताओं और बकाया राशि में क्रमश: 2,14,732 और 10.9 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी ।

इसके अतिक्ति ग्रामीण समाज की अपनी व्याप्ति में सुधार के लिए बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक शाखाएं खोलने पर ध्यान दे रहे हैं । 1977 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोली गयी 3348 शाखाओं में से 2261 शाखाएं ग्रामीण स्थानों में खोली गयीं । इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर, बैंक कृषि ऋण प्रदान करने और एस०एफ०डी०ए०, एम०एफ०, एल०ए०, डी०, पी०ए०,पी०, आई०आर०, डी०, पी० आदि जैसे विशेष कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सहकारी समितियों को भी अपना रहे हैं ।

Price of Rudraksha Rosary

6846. **Shri Nirmal Chandra Jain :**
Shri Surendra Bikram:
Shri S.S. Somani :

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the price of 'Rudraksha' beads in Indonesia is Rs. 2.50 per kilo and import duty thereon is Rs. 3.50 but in India the price of rudraksha rosary weighing 1 kilo varies from Rs. 250 to Rs. 500 and religious persons by them in large numbers and thus the profit accruing there from goes to personal account of the dealer ;

(b) the steps taken to make Rudraksha available at reasonable prices: and

(c) whether under the circumstances mentioned above Government propose to take over this trade to ensure that its price in the country is reduced and the profit goes to Government account ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) Government are not aware of the exact current price of rudraksha beads in Indonesia which is, however, considerably higher than Rs. 2.50 per kilo. Till March 31, 1978 there was no specific provision for import of this item; requests for import in small quantitites used to be considered on an *ad hoc* basis. The import duty on rudraksha beads is 60% *ad-valorem* plus 15% auxiliary duty. The price of rudraksha rosaries in India varies according to the quality of the beads and the value of the connecting material utilised.

(b) & (c) Rudraksha rosaries are not considered essential public requirements. Import of rudraksha beads is on a limited scale. Government does not accordingly consider it necessary to regulate or take over this trade.

Utilisation of Loan Taken for Making Payment to Employees by Sugar Mills in M.P.

*6847. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the sugar mills in Madhya Pradesh have taken loans from the nationalised banks for making payments to their employees and workers on account of various arrears (bonus, wages) for the financial years 1976-77 and 1977-78;

(b) whether the loans were not utilised for the purpose for which they were taken but the same have been utilised for the personal use of the proprietors of the mills as a result of which the workers are still to be paid their arrears ; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) According to the available information, the Central Bank of India had sanctioned a loan for the payment of cane price and salaries to one sugar factory in Madhya Pradesh.

(b) The loan was utilised for the purpose for which it was sanctioned.

(c) Question does not arise.

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चीनी निर्यात सम्बन्ध में दिया गया वचन

6848. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चालू वर्ष में 6.5 लाख टन चीनी का निर्यात करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि चीनी का निर्यात जुलाई, 1977 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में दिये गये वचन के विरुद्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने का है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दालों के मूल्यों में वृद्धि

6849. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दालों के मूल्यों में पुनः वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर, 1977 और फरवरी, 1978 में अरहर-दाल, मलका-मसूर, मसूर-साबुत, मूंग (साबुत और दाल) उड़द (साबुत और दाल) चना-दाल, राजमा और काबली चना का फुटकर मूल्य क्या था और दिल्ली, त्रिपुरा और अन्य राज्यों में उक्त अवधि में उनका थोक मूल्य क्या-क्या था;

(ग) उनके मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) व्यापारियों और उत्पादकों के पास जमा भंडार का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और जनवरी, 1977 से ऐसे कितने स्टाक का पता लगाया गया है; और

(ङ) क्या काबली चना और राजमा सहित दालों को उचित मूल्य की दुकानों से उचित मूल्यों पर बेचने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है और इन वस्तुओं को उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए क्या अन्य कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान दालों के थोक मूल्यों में मिला-जुला रुख रहा है। 10-12-77 और 4-2-78 को समाप्त सप्ताहों के बीच दालो के थोक मूल्य सूचकांक में 10.5 प्रतिशत की कमी हुई । उसके बाद 6 सप्ताहों में (4-2-78 और 18-3-78) को समाप्त सप्ताहों के बीच उनके मूल्यों में बढ़ती का रूख रहा और इस अवधि में सूचकांक में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई । तथापि, 25-3-78 को समाप्त अंतिम सप्ताह, जिसके बारे में सरकारी आंकड़े उपलब्ध हैं, में दालों के सूचकांक में 2.3 प्रतिशत की कमी हुई ।

(ख) तुरन्त उपलब्ध सूचना के आधार पर, कुछ चुने केन्द्रों में निर्दिष्ट महीनों के कुछ दालों के माह के अन्त के थोक और फुटकर मूल्य क्रमशः अनुबन्ध 1 और अनुबंध 2 में दिये गये हैं । **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०–2100 78)**

(ग) पिछले एक वर्ष अथवा कुछ कम अधिक अवधि के दौरान दालों की कीमतें बढ़ने का मुख्य कारण वर्ष 1975-76 के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1976-77 में उनके उत्पादन में लगभग 20 लाख मीटरी टन की कमी होना है ।

(घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अलावा दालों के थोक विक्रेताओं, कमीशन एजेंटों और फुटकर विक्रेताओं पर 30-9-1977 से दाल और खाने योग्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) आदेश, 1977 के अन्तर्गत स्टाक सीमाएं लागू की गईं । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ

उनके द्वारा भंडार (स्टाक) रखने की अधिकतम सीमाएं निर्धारित की गई हैं । कितने स्टाक का पता लगाया गया इस बात की सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ङ) प्रस्तावित बड़े पैमाने की उत्पादन-एवं-वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जो इस समय सरकार के विचाराधीन है, दालें उन मदों में से एक हैं, जिन्हें सार्वजनिक वितरण के लिए शामिल किया गया है ।

दालों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाकर तथा उनकी उत्पादकता में सुधार करने उनका उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है । भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) तथा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन० सी० सी० एफ०) को प्राथमिक मण्डियों में दालों की अधिक खरीद करने के निर्देश दिये गये हैं । वर्ष 1977-78 में 10,000 मीटरी टन साबुत मसूर का आयात किया गया और आयात करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

Financial Assistance to Companies

6850. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Companies which applied for loan, protection and financial assistance during 1976-77 and 1977-78 (to date) and which have not been able to make payments of the Provident Fund and other legal financial obligations to their employees; and

(b) the details in this regard ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) and (b) : The Industrial Development Bank of India (the apex financial institution) has reported that it has sanctioned 201 applications for direct financial assistance of Rs. 231.46 crores during its accounting year 1976-77 (July-June) and 110 applications for direct financial assistance of Rs. 194.85 crores during the period July, 1977 to February, 1978. In sanctioning assistance, the all-India public financial institutions take into account the financial position of the company including its current and long term liabilities. All statutory obligations including overdues of provident fund ordinarily get reflected in current liabilities of the company.

भूकम्प चेतावनी प्रणालो के बारे में अनुसंधान

6851. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भूकम्प चेतावनी प्रणाली का विकास करने हेतु अनुसंधान के बारे में विभिन्न संगठनों और विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों की हाल ही में नई दिल्ली में बातचीत हुई थी, यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए और कितनी प्रगति हुई ; और

(ख) बाहर के किन देशों ने बेहतर भूकम्प चेतावनी प्रणालियों का विकास किया है और क्या हमने उनकी सहायता ली है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां । भूकम्प की भविष्यवाणी करने के बारे में एक विचार-गोष्ठी 8 से 10 मार्च, 1978 तक नई दिल्ली में हुई थी । इसमें भारत के विभिन्न संगठनों तथा विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया । विचार-विमर्श से भूकम्प की भविष्यवाणियों के विभिन्न तकनीकों पर विचारों के प्रदान-प्रदान में सहायता मिली तथा ऐसी मोटी रूप-रेखाएं तैयार कीं जिन पर और आगे अनुसंधान करना जरूरी है ।

(ख) यू० एस० ए०, यू० एस० एस० आर०, जापान तथा चीन में इस क्षेत्र में काफी अनुसंधान केया गया है। इस क्षेत्र में उनसे कोई सहायता नहीं मांगी गयी है, क्योंकि वर्तमान ज्ञान के आधार पर भूकम्प की भविष्यवाणी करना अभी कोई प्रमाणीकृत तकनीक नहीं है।

Loans advanced by Nationalised Banks to Small Farmers/Factory Owners

6852. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the State-wise amount of loans advanced by various nationalised banks to small farmers or small factory owners during the last six months; and

(b) full details in this regard ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) & (b) Data relating to the sectoral deployment of gross bank credit for public setor banks as at the end of October 1977 and February 1978 with regard to the amount outstanding to agriculture and small scale industry is as follows :—

(Amount in crores of Rupees)

	October 1977	February 1978
1. Credit to Agriculture .	1351	1463
2. Credit to Small Scale Industry	1357	1500

Reserve Bank of India have indicated that State-wise break-up of these figures or a separate break-up of the figures for small farmers and small factory owners is not available.

Darbhanga Branch of Allahabad Bank

6853. **Shri Hukmdeo Narain Yadav** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Block Development Committee, Darbhanga has submitted a resolution duly adopted by it against the Darbhanga branch of the Allahabad Bank and has demanded withdrawal of the work of above Block from the above bank and the Collector, Darbhanga has also been informed of the resolution; and

(b) whether the work of Allahabad Bank is not satisfactory and the peasants are harassed unnecessarily ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) & (b): The Allahabad Bank has indicated that it has not received any resolution purported to have been adopted by the Block Development Committee, Darbhanga, asking for the withdrawal of the work of this block from their bank. The bank has also not denied credit to applicants with viable projects.

भारत को स्थायी रूप से लौटने वाले "नान-रेजीडेंट" भारतीयों को प्रोत्साहन

6854. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिटर्निंग इंडियन्स फौरेन एक्सचेंज एन्टाइटलमेंट स्कीम के अन्तर्गत नवम्बर, 1977 से कितने व्यक्तियों को सुविधायें दी गई और उस पर कितनी राशि खर्च हुई; और

(ख) भारत को स्थायी रूप से लौटने वाले 'नान-रेजीमेंट' भारतीयों को अन्य प्रोत्साहनों के साथ-साथ, यदि कोई हों, विदेशी मुद्रा की गणना की पद्धति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) इस योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 1977 से चा· व्यक्तियों को सुविधाएं दी गई हैं, जिन अधीन विदेशी मुद्रा की हकदारी की रकम 7,69,400 रुपए बैठती है ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के द्वारा 1-11-1977 को अथवा उसके बाद अपनी रिहाइश भारत को अन्तरित करते समय भारत को भेजी गई विदेशी करेंसी की कुल राशि का 25 प्रतिशत भाग उसकी हकदारी की राशि के रूप में निश्चित कर दिया जाता है जिसका इस्तेमाल वह विदेशों में यात्राओं, डाक्टरी इलाज, आश्रितों की शिक्षा, संबंधियों को उपहार और विशेष अनुमति प्राप्त उपकरणों का आयात जैसे विशिष्ट व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा में कर सकता है । इसके अलावा यदि भारत वापस आने वाले व्यक्ति के "अनिवासी विदेशी खातों" अथवा "विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों" में उसके भारत वापस आने की तारीख को शेष राशियां हैं, तो उसकी हकदारी का हिसाब लगाने के लिए वे राशियां भी हिसाब में ले ली जाती हैं । इस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले अन्य प्रोत्साहन इस प्रकार हैं :--

(1) भारत में लघु उद्योग स्थापित करने अथवा उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने की संभावनाओं की खोजबीन करने के लिए भारत वापस आने वाले भारतीय राष्ट्रिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को आवेदन पत्र देने पर रिजर्व बैंक द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए भारत में विदेशी करेंसी में रकम रखने की अनुमति दे दी जाती है । उन्हें विदेशी मुद्रा वापस भेजने और 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले विदेशी मुद्रा फिर से बदलने के हक का दावा करने की अनुमति भी दी जाती है । इस योजना के अन्तर्गत यदि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी विदेशी मुद्रा भारत में वापस भेज दी है जिन्हें भारत में स्थायी रूप से बसने के अलावा तीन वर्ष के भीतर विदेशी मुद्रा फिर से बदलने का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्राप्त हो गया है और वे विदेशी मुद्रा फिर से बदलने का दावा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा समर्पित मुद्रा उनके द्वारा भारत में लाई गई कुल विदेशी मुद्रा का हिसाब लगाने में शामिल करली जाएगी ।

(2) चालू विनियमों के अन्तर्गत भारत लौटने वाले भारतीयों को विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों द्वारा कोई रुकावट न डालते हुए उनके द्वारा विदेशों में खरीदी गई प्रतिभूतियां, शेयर और अचल सम्पत्ति रखने की अनुमति दे दी जाती है । ऐसा कोई सांविधिक दायित्व नहीं है कि उन्हें ये सम्पत्ति बेचनी पड़े । इस योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यदि वह व्यक्ति उसके भारत वापस आने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि में इन प्रतिभूतियों आदि को बेचता है तो बिक्री से प्राप्त भारत वापस लाई गई राशि उसके द्वारा भारत लौटने के समय लाई गई विदेशी मुद्रा मानली जाएगी ।

Purchase of Palm Oil

6855. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Ganga Bhakt Singh :

Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in the 'Economic Times' dated 16th March, 1978 that S.T.C. entered into a transaction with a company to purchase 30,000 tons of palm oil but the company refused to supply the same as a result of which S.T.C. had to purchase it at higher rates; and

(b) if so, the amount of loss suffered and the names of the above said company?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) & (b) Yes, Sir. STC has not signed any deal with any foreign firm for supply of 30,000 tons of palm oil. However, 3 separate purchase transactions for crude palm oil were made by the STC from a Malaysian firm, M/s. Palm & Vegetable Oil as follows :—

(i) 10,000 MT for December, 1977, shipment.

(ii) 5,000 MT for February, 1978, shipment.

(iii) 5,000 MT for March, 1978, shipment.

Letter of Credit was opened only for 10,000 MT for December, 1977, shipment. In view of the default of the party, it was decided not to open Letters of Credit for the other two transactions. Necessary arbitration proceedings are in progress for claiming damages from the firm for non-supply of goods against the L/C opened in their favour. However‘ no purchases were made at higher rates resulting in loss to STC.

Allocation of Funds for Janata Hotel in Delhi

6856. **Dr. Laxminarayan Pandey** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether a sum of Rs. 3 crores has been sanctioned for the first Janata hotel in Delhi;

(b) if so, when the work thereon is likely to commence and when the same is expected to be completed; and

(c) when a similar scheme of building Janata hotels is likely to be undertaken in other big cities ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation: (Shri Purushottam Kaushik) : (a) The Government has approved the construction of a 1250-bed Janata Hotel in New Delhi at an estimated cost of Rs. 300 lakhs.

(b) The work on this project will commence shortly during the current financial year as soon as the funds are sanctioned. The hotel is likely to be completed in two phases, within a period of two years.

(c) The construction of Janata hotels in big cities, to be put up in the Central Sector, will be determined after undertaking a survey, and depending upon availability of resources and suitable sites.

Vehicles of Rural Banks

6858- **Shri Ram Kanwar Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state how the vehicles of rural banks are made use of by the Chairman for private purposes?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : The vehicles of Rural Banks are used by the Chairmen for official purposes alone. However, in occasional and urgent cases, such vehicles are used for private proposes on payment.

आपात स्थिति के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में गबन

6859. **श्री राज केशर सिंह :**

श्री मनोहर लाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 18 मार्च, 1978 के 'ब्लिट्ज' में "नेशनलाइज्ड बैंक्स एम्बेजल्ड ओवर नाइन करोर्स डयूरिंग एमरजेंसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन काण्डों का पता लगाने के लिए और दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के विचार से जांच करने का आदेश दिया गया है अथवा आदेश देने का विचार है;

(ग) दोषी बैंकों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है जिससे भविष्य में उन बैंकों में गबन की घटनाएं न हों ।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) लेख में उल्लिखित धोखाधड़ी का संबंध ऐसी चोरियों, घोटालों, गबनों, और अन्य प्रकार की जालसाजियों से है जो वर्ष 1975 और 1976 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हुई और जिन में से प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि अन्तर्ग्रस्त है । मौजूदा निर्देशों के अनुसार सभी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यालयों में होने वाली जालसाजियों के बारे में पता लगाते ही उनकी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दें । किसी जालसाजी का पता लगते ही सम्बद्ध बैंक द्वारा भी एक आंतरिक जांच भी की जाती है और यदि किसी कर्मचारी की इसमें अंतर्ग्रस्तता सिद्ध हो जाती है तो उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाती है । जालसाजी के स्वरूप और मात्रा को ध्यान में रखते हुए, बैंक ऐसे मामलों को जांच और समुचित कायवाही के लिए स्थानीय पुलिस अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरों को भी सौंपते हैं । उपर्युक्त जालसाजियों के बारे में, संबंधित बैंकों द्वारा उपर्युक्त निदेशों के अनुसार समुचित कार्यवाही की गयी है ।

(घ) सभी बैंकों के पास अपनी-अपनी निर्देश पुस्तकें हैं, जिनमें जालसाजियों को रोकने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां और सुरक्षा के उपाय बताये गये हैं और उनकी निरंतर समीक्षा होती रहती है । जालसाजी के अलग-अलग मामलों में सामान्य नियंत्रण के पालन में असफलता के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक, समय-समय पर बैंकों को विस्तृत निर्देश जारी करता है जिनमें जालसाजियों के क्षेत्र और स्वरूप तथा जालसाजियों को रोकने के लिए की जाने वाली सुरक्षाओं के बारे में बताया जाता है । सरकार ने भी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि वह हाल ही में हुई जालसाजियों का सरसरी अध्ययन करे ताकि इस प्रकार होने वाली जालसाजियों को रोकने के लिए किये गये विशिष्ट उपायों को और कारगर बनाया जा सके ।

इलाहाबाद बैंक द्वारा बिना प्रतिभूति के दिये गये ऋण

6860. **श्री राज केशर सिंह :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 मार्च, 1978 के 'ब्लिट्ज' में इलाहाबाद बैंक इन रेड बाई 35 करोर्स' (इलाहाबाद बैंक को 35 करोड़ का घाटा) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और बैंक को बरबाद होने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार ने 18 मार्च, 1978 के 'बिलट्ज' में छपी वह रिपोर्ट देखी है जिसमें इलाहाबाद बैंक के कार्यचालन के बारे में कुछ आरोप लगाये गये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इन आरोपों की जांच कर रहा है ।

अमरीका के साथ भारत का व्यापार संतुलन

6861. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के साथ भारत का व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977-78 को समाप्त होने वाले अन्तिम तीन वर्षों में अमरीका से कितने मूल्य का आयात किया गया ; और भारत से कितने मूल्य का निर्यात किया गया; और

(ग) भारत से अमरीका को निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) :

(आंकड़े लाख रु० में)

वर्ष	सं० रा० अमरीका से आयात	सं० रा० अमरीका को निर्यात	व्यापार शेष
1974-75 . .	73678	37493	—36185
1975-76 .	128522	51998	—76524
1976-77 .	105553	54958	—50595
अप्रैल-जुलाई '77	16318	20144	+3826

(ग) सं० रा० अमरीका को भारत के निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। इनमें ये शामिल हैं : व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, क्रेता-विक्रेता बैठक, व्यापार मेले आयोजित करना तथा उनमें भाग लेना, बाजार सर्वेक्षण, सं० रा० अमरीका में वाणिज्यिक कार्यालय रखना, सं० रा० के बाजार में भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए प्रचार अभियान आदि ।

सोवियत रूस को केलों का निर्यात

6862. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1978 के लिये सोवियत रूस के साथ व्यापार योजना में केले के निर्यात को भी सम्मिलित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में सोवियत रूस को कितनी मात्रा में केले का निर्यात किया जायेगा ; और

(ग) क्या निर्यात के लिये ठेकों को अंतिम रूप दे दिया गया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) हालांकि 1978 के लिए सोवियत संघ के साथ व्यापार योजना में ताजे तथा डिब्बा बंद फलों के निर्यात की व्यवस्था की गई है परन्तु केले के निर्यात के लिए कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है । अतः यह बताना कठिन है कि 1978 के दौरान सोवियत संघ को केले का कितना निर्यात होने की संभावना है ।

(ग) केले के निर्यात के लिए अलग-अलग निर्यातकों द्वारा संविदाओं को अंतिम रूप देने के बारे में सरकार कोई आंकड़े नहीं रखती । तथापि चालू वर्ष के दौरान सोवियत संघ को केले का कोई निर्यात नहीं किया गया है ।

केला व्यापारी देशों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संधि करना

6863. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केला व्यापारी देश प्रत्येक निर्यातकर्ता देश के लिए निर्यात कोटा निर्धारित करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संधि करने का प्रयत्न कर रहे हैं;

(ख) क्या यह प्रस्ताव है कि गैर-सदस्य देशों से केले के आयात को सीमित कर दिया जाये ; और

(ग) क्या संधि होने पर और भारत का कोई कोटा न आबंटित होने पर भारत को सदा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अलग रहना पड़ेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) एफ० ए० ओ० के केलों सम्बन्धी अन्तः सरकारी दल ने अन्तर्राष्ट्रीय केला करार के तत्वों के सम्बन्ध में एक कार्यकारी दल स्थापित किया है । कार्यकारी दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ऐसे करार के मूल तत्व विश्व बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन तथा निर्यात लक्ष्य स्थापित करना होना चाहिए। उसने सिफारिश की है कि मसौदा करार को अन्तिम रूप देने के लिए किए जाने वाले उपायों में से एक उपाय वैयक्तिक निर्यात कोटे निर्धारित करने की व्यवस्था के बारे में विचार करना है जो अन्तर्राष्ट्रीय केला करार के कार्यकारी मसौदे में शामिल की जाएगी ।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्थापना नहीं की गई है ।

(ग) ऐसी स्थिति की संभावना नहीं है ।

विश्व बैंक सहायता

6864. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री के० प्रधानी :

क्या **वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे कि:

(क) विश्व बैंक वर्ष 1978-79 में भारत को कितनी सहायता देने को सहमत हुआ है;

(ख) क्या यह राशि किन्हीं विशेष परियोजनाओं अथवा राज्यों के लिए निर्धारित की गई है; और

(ग) कर्नाटक एवं उड़ीसा राज्यों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और वह किन परियोजनाओं के लिए है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारत को विश्व बैंक समूह से उनके वित्त वर्ष 1979 (अर्थात् 1 जुलाई, 1978 से 30 जून, 1979 तक) के लिए कितनी नई सहायता के वचन प्राप्त होंगे इसका संकेत जून, 1978 में होने वाली भारतीय सहायता संघ की बैठक के बाद ही मिल सकेगा।

(ख) और (ग) यह सहायता समूचे देश में चल रही तथा नई परियोजनाओं के लिए होती हैं और सहायता का कोई राज्यवार निर्धारण नहीं किया जाता।

कुल समग्र मासिक वेतन

6865. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च 1977 में प्रत्येक (i) प्रथम श्रेणी अधिकारी, (ii) विकास अधिकारी, (iii) तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को औसतन जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितना समग्र मासिक वेतन अदा किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : जीवन बीमा निगम द्वारा मार्च 1977 में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों, विकास अधिकारियों और तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को अलग-अलग दिए गए औसतन मासिक सकल वेतन का ब्यौरा इस प्रकार है:—

	संख्या	रकम (लाख रुपए)	प्रति कर्मचारी सकल वेतन (रुपए)
प्रथम श्रेणी के अधिकारी . . .	4086	91.21	2,232
विकास अधिकारी . . .	7356	106.51	1,448
तीसरी श्रेणी के पर्यवेक्षी और लिपिकीय कर्मचारी	36719	424.96	1,157
चौथी श्रेणी के अधीनस्थ कर्मचारी . . .	7997	46.28	579

अमृतसर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना

6866. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री भगत राम :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमृतसर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए प्रबल मांग की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को अमृतसर तक बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : मामला विचाराधीन है।

यूनाइटेड कर्मशियल बैंक के विरुद्ध की गई जांच के निष्कर्ष

6867. **श्री समर गुह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनाइटेड कर्मशियल बैंक पर लगाये गये भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों के बारे में रिजर्व बैंक के परामर्श से की गई जांच के निष्कर्षों से सम्बन्धित तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या इलाहाबाद बैंक पर भी ऐसे ही आरोप लगाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) क्या इन शिकायतों के बारे में कोई जांच की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) संभवतः, यूनाइटेड कर्मशियल बैंक के विरुद्ध हिन्दी साप्ताहिक 'पांचजन्य' के अंक में प्रकाशित कुछ आरोपों का जिक्र किया गया है। रिजर्व बैंक इन आरोपों की जांच कर रहा है ।

(ख) और (ग) सरकार ने, 18 मार्च, 1978 के बिलट्ज में प्रकाशित, इलाहाबाद बैंक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को भी देखा है । रिजर्व बैंक इन आरोपों की भी जांच कर रहा है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

6868. **श्री समर गुह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज समिति और दांतवाला समिति द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण के बारे में की गयी जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि जैम्स राज समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट इसे जनवरी, 1978 के अन्तिम सप्ताह में दी थी, और दांतवाला समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट इससे 23 फरवरी, 1978 को दी। इन रिपोर्टों में की गयी सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं ।

Air Link between Delhi and Ajmer/Kota

6869. **Shri Jagadish Prasad Mathur :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names of cities in Rajasthan not linked with air services so far; and

(b) the proposals of the Government regarding linking cities like Kota and Ajmer in Rajasthan with Delhi as also inter linking other big cities of Rajasthan by air services?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) In Rajasthan except Jaipur, Jodhpur and Udaipur no other city is linked by air service.

(b) There is no proposal at present to airlink Kota and Ajmer. However, Indian Airlines service IC-123/124 (Bombay/Ahmedabad/Udaipur/Jodhpur/Jaipur/Delhi and back) and IC-491/492 (Delhi/Jaipur/Udaipur/Aurangabad/Bombay and back) not only airlinks the three cities of Rajasthan but also provide airlinks with Ahmedabad, Delhi and Bombay.

उड़ीसा में धामना की यात्रा करने वाले पर्यटकों को सुविधाएं

6870. **श्री बैरागी जेना:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण उड़ीसा में धामना जैसे पर्यटक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की सहायता के कारण भी इस मत्स्य पत्तन का दर्जा दिया गया है; और

(ख) पर्यटकों को पर्यटन सुविधायें उपलब्ध कराने में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा निष्क्रिय रहने के क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) क्योंकि धामना मुख्यतः स्थानीय पर्यटकों के लिए रुचिकर होगा, अतः इस स्थान पर सुविधाओं का विकास करने का काय राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होगा।

सरकार द्वारा अपनाए गए वित्तीय उपाय और आर्थिक नीति सम्बन्धी दिशा निर्देश

6871. **श्री चित्त बसु :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आपात स्थिति के दौरान सरकार द्वारा वित्तीय उपायों और आर्थिक नीति सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अधीन गैर-सरकारी क्षेत्र को उदारतापूर्ण रियायतें दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन रियायतों का अब मूल्यांकन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और आपात स्थिति की उन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार ने, मांग में तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, आपात कालीन अवधि के दौरान, नीति सम्बन्धी अनेक उपाय किए जिनमें सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को राजकोषीय प्रोत्साहन देने का उपाय भी शामिल है।

(ख) और (ग) बजट प्रस्तावों को तैयार करने से पहले आर्थिक और राजकोषीय नीति से सम्बन्धित सभी उपायों की पूरी तरह से जांच की जाती है। इस समीक्षा के अंश के रूप में यह महसूस किया गया कि 1976-77 के बजट में धन कर की दरों में की गई कमी तथा निगम कर पर दिए जाने वाले अधिकार की 5 प्रतिशत रकम को, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में जमा कराए जाने की रियायत पूर्णतः युक्तिसंगत नहीं है। धन कर की दरों को 1977-78 में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था तथा निगम कर पर दिए जाने वाले अधिकार को जमा कराने के सम्बन्ध में दी गई रियायत को वापस ले लिया गया है।

Advancing of Loans for Jhuggi-Jhonpries and Dairies by Banks in Delhi

6872. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the names of the banks in Delhi which have advanced loans for Jhuggi-Jhonpries and dairies and the amount of loans given; and

(b) whether it is a fact that most of the persons, who have taken loan, are leaving their places and if so, the efforts being made now by Government to realise the loan?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) The information received from the public sector banks is given in the enclosed statement.

(b) In the residential colonies developed by the Delhi Development Authority under its various Slum Clearance Schemes, loans were granted by the State Bank of India and the nationalised banks mentioned in the statement for completion of partly constructed houses to individual allottees. As the borrowers under the schemes are only licencees and have no mortgageable rights, the housing loans are granted to them by way of Clean Demand Loans on group guarantee basis, and in case of any default in the repayment of the loan by any allottee, the Delhi Development Authority has assured the banks that it would assume the responsibility of recovering the loan by first cancelling the allotment and auctioning the structure on the land or by re-allotting the land to some other person who is prepared to undertake repayment of the loan. The State Bank of India has reported that in these colonies only a small percentage of borrowers had left the colonies and that its New Delhi Local Head Office is actively pursuing with the Delhi Administration the matter of enactment of suitable legislation for declaring the recoveryof banks dues as arrears of land revenue. Efforts are simultaneously being made by the Bank's field staff to recover the Bank's dues in the usual manner.

As regards loans in resettlement colonies for dairy owners, it has been reported that last year due to floods and lack of infrastructural facilities in these colonies, there was a large scale exodus of dairy owners to the City and neighbouring arrears. However, with the restoration of normalcy and efforts by the Delhi Administration to bring them back, majority of dairy owners now are reported to have returned to these dairy colonies. About the rest, the banks are following the cases with the Delhi Administration.

STATEMENT

Advances granted to Jhuggi-Jhonpries and Dairies by Public Sector Banks in Delhi.

Sl. No.	Name of thfBank	Jhuggi-Jhonpries Amount sanctioned (Rs.)	Jhuggi-Jhonpries Amount disbursed (Rs.)	Jhuggi-Jhonpries Amount out-standing (Rs.)	Dairies Amount sanc-tioned (Rs.)	Dairies Amount dis-bursed (Rs.)	Dairies Amount out-standing (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	State Bank of India	..	..	8,01,35,000	..	..	91,32,000
2.	State Bank of Bikaner and Jaipur		..		..	27,000	20,000
3.	Central Bank of India . .		..	..	11,36,000	..	9,24,000
4.	Punjab National Bank . .		..	..	..	9,75,000	8,75,000
5.	United Commercial Bank . .	..	..	..	..	..	3,24,000
6.	Canara Bank .	..	16,82,000	..	..	67,000	..
7.	Dena Bank. .	1,13,000	..	..	..	..	..

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Syndicate Bank .				..		4,38,000
9.	Union Bank of India . .	11,82,300	7,82,300	7,28,520	..	4,90,000	..
10.	Allahabad Bank .				11,32,000	..	..
11.	Indian Bank .					9,000	..
12.	Indian Overseas Bank . .					13,211	
13.	State Bank of Hyderabad .	4,000	..	..	..	..	..

Amount Earmarked for Development of Aerodromes at Bombay Madras and Delhi

6873. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount provided for the development of Bombay, Madras and Delhi Aerodromes, separately; and

(b) the nature of construction work on which this amount would be spent and when the development work on these aerodromes would start and whether further security arrangements would also be made along with the development?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) The International Airports Authority of India have provided the following amounts during 1978-79, for the development of Bombay, Madras and Delhi airports.

Airport	Amount provided (Rs. in lakhs)
Bombay	585.71
Madras	76.72
Delhi	225.70

(b) The above mentioned amounts will be spent on :

(a) Construction of new international terminal at Bombay airport;

(b) Improvement of operational areas and equipment at the airports;

(c) Improvement and enlargement of passenger facilitation areas;

(d) Residential buildings for the staff; and

(e) Perimeter fencing.

Development works at the international airports are being executed continuously to meet the growing traffic requirements, depending upon the availability of resources. Security arrangements are also being made along with the developments.

Articles Imported Without Charging Excise Duty

6874. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the value and names of articles imported during the past three years without charging excise duty;

(b) the names of places-towns at which the import is made; and

(c) the reasons for not charging excise duty thereof?

14 LSS/78—9

The Ministrer of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a) to (c) Under Section 3 of the Customs Tariff Act, 1975, an additional duty of customs is leviable on imported articles if there is an excise duty leviable on like articles when produced or manufactured in India. However, having regard to considerations of public interest the Government have, from time to time, exempted, under Section 25 of the Customs Act, some imported goods from the Additional Duty of Customs. No separate records of the value and the names of articles which have been exempted from the additional duty of customs are maintained. The effort and time involved in collection of this information will not be commensurate with the results that will be achieved.

New Schemes Announced by RBI to Advance loan to Small Farmers and Small Scale Industries

6875. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Reserve Bank of India has announced a new scheme with effect from 1st January, 1978 to advance loan to small farmers and small scale industries and if so, the nature and details of the scheme;

(b) when the Reserve Bank of India issued an order to the nationalised banks and the details thereof; and

(c) whether nationalised banks have complied with the order and if so, how and when?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) & (b) It is presumed that the reference is to the credit policy changes made by the Reserve Bank of India in its circular dated 12-12-1977. Under this circular the Governor of the Reserve Bank of India, inter alia, advised banks—

(i) to charge a rate of interest not exceeding 10.5 per cent on term loans with maturity of not less than 3 years granted to farmers for purposes of minor irrigation and land development;

(ii) to charge a rate of interest not exceeding 11 per cent on term loans with maturity of not less than 3 years granted to farmers for diversified purposes, which include dairy, poultry, fisheries, farming, horticulture etc.; and

(iii) that direct loans to small farmers granted after 1st January, 1978 not exceeding Rs. 2500, either short, medium or long term, would be eligible for refinance from the Reserve Bank of India at the Bank Rate i.e. 9 per cent. Banks will be expected not to charge more than 11 per cent on such loans, irrespective of whether refinance is obtained from the Reserve Bank or not and the extent of refinance would be limited to 50 per cent, of the total advance disbursed by the banks concerned, from 1st January, 1978.

2. With a view to stimulate capital investment in the small scale sector, banks have been advised to charge a rate of interest not exceeding 11 per cent on term loans of maturity of not less than 3 years to units falling under the following categories:—

(a) Small scale units covered under the Credit Guarantee Scheme and units promoted by banks/entrepreneurs covered by the Special Guarantee Scheme;

(b) Small road transport operators; and

(c) Small units in the specified backward districts/areas.

(c) No report has been received that the nationalised banks are not complying with the above directions.

प्याज, आलू और अन्य सब्जियों के बारे में सरकारी नीति

6876. **श्री बसन्त साठे :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्याज के निर्यात पर रोक लगाने के परिणामस्वरूप कीमतों में कमी और स्टाक नीति के कारण देश के प्याज उत्पादकों को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्याज उत्पादकों अथवा महाराष्ट्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों ने इस मामले में केन्द्रीय अधिकारियों से बातचीत की है; और

(ग) क्या प्याज, आलू और अन्य सब्जियों के बारे में सरकार ने कोई निश्चित नीति बनाई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) को भारी मात्रा में खरीद करने के निर्देश देकर तथा और अतिरिक्त निर्यात के लिए अनुमति देकर, प्याज उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। वर्ष 1977-78 में, 25,000 मीटरी टन प्याज का निर्यात किया गया। हाल ही में, नेफेड को 10,000 मीटरी टन प्याज की अतिरिक्त मात्रा का निर्यात करने का निदेश किया गया है। नेफेड को घरेलू बाजार में बेचने के लिये नई फसल से 10,000 मीटरी टन प्याज का समीकरण भण्डार (बफर स्टाक) भी बनाना है। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे महाराष्ट्र विपणन संघ के माध्यम से नेफेड के साथ मिलकर काम करें।

(ख) महाराष्ट्र सरकार तथा प्याज उत्पादकों ने केन्द्रीय सरकार से प्याज के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाने और नेफेड से अधिक मात्रा में प्याज की खरीद करने के लिये कहने का अनुरोध किया है

(ग) प्याज, आलू, और दूसरी ताजी सब्जियों के बारे में सरकार की नीति के मुख्य उद्देश्य उनका उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना, उन्हें उचित मूल्यों पर घरेलू उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना तथा घरेलू उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के बाद निर्यात की अनुमति देना है।

मैसर्स सत्य नारायण ब्रज मोहन तथा कलकत्ता की अन्य फर्मों को रेपसीड तेल की बिक्री

6877. **श्री बसन्त साठे :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने वर्ष 1977 के उत्तरार्द्ध में अपने कोटे में से दो गैर-सरकारी फर्मों अर्थात् मैसर्स सत्यनारायण ब्रजमोहन तथा कलकत्ता की अन्य फर्मों को 2 करोड़ रुपये के मूल्य का रेपसीड तेल बेचा था जिन्होंने बाद में इसे नेपाल और बंगला देश भेज दिया;

(ख) यदि हां, तो मामले के पूरे तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में की गई कार्यवाही/जो कार्यवाही करने का विचार है उसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने कलकत्ता में अपने कमीशन एजेंट अर्थात् मैसर्स सत्यनारायण ब्रजमोहन एण्ड कम्पनी के माध्यम से सीधे लगभग 1410 मीटरी टन रेपसीड तेल बेचा। न तो राज्य सरकार को और न ही केन्द्रीय सरकार को रेपसीड तेल बंगलादेश अथवा नेपाल भेजे जाने की कोई सूचना मिली है।

(घ) सीमा सुरक्षा बल के प्राधिकारियों तथा राज्य सरकारों से तस्करी रोकने के लिये आवश्यक निरोधक उपाय करने तथा सीमा पर अधिक सतर्कता बरतने के लिये समय-समय पर अनुरोध किया गया है

सभी वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारण प्रणाली

6878. **डा० रामजी सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार है कि सभी वस्तुओं के लिये एक निश्चित मूल्य निर्धारण प्रणाली होनी चाहिये जिससे सौदेबाजी को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में कोई ऐसी प्रणाली आरम्भ करेगी;

(ग) क्या निश्चित मूल्य प्रणाली को सुपर बाजारों और सरकारी दुकानों में व्यवहार्य पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इसे उपयुक्त कानून के माध्यम से सभी गैर-सरकारी कम्पनियों पर लागू करेगी, यदि हां, तो कब?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) सरकार सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करना सम्भव नहीं समझती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तुरन्त उपलब्ध सूचना के आधार पर सुपर बाजार और सरकारी दुकानों में निर्धारित मूल्यों पर वस्तुओं की बिक्री संतोषजनक ढंग से चल रही है।

(घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की प्रशिक्षणार्थी विमान परिचारिकाओं की संख्या

6879. **श्री के० प्रधानी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया में इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की प्रशिक्षणार्थी विमान परिचारिकाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की युवतियों के लिये कोई कोटा भी आरक्षित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुशोतम कौशिक)

(क) अनुसूचित जाति की	. . .	11
अनुसूचित जनजाति की	.	8

(ख) और (ग) जी, हां। अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित कोटा 16-2/3 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये 7½ प्रतिशत।

अधिक ब्याज दर ढांचा

6880. श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्वयं योजना आयोग सदा अधिक ब्याज दर ढांचे के पक्ष में रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि चालू वर्ष की अर्थव्यवस्था के पीछे यह सिद्धान्त रहा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था से मूल्यों में अनिवार्य रूप से वृद्धि होती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) ब्याज दरों के ढांचे में, बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, समय समय पर, परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होती है। पहली मार्च, 1978 को ब्याज की दरों में हाल ही में जो कमी भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के मौद्रिक प्राधिकारी होने के नाते चयनात्मक आधार पर की है उसका उद्देश्य कार्य चालन पूंजी की लागत को कम करना है। राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के द्वारा आयोजित एक परिचर्चा में योजना आयोग के सदस्य प्रोफेसर राजकृष्ण ने यह विचार प्रकट किया था कि हाल ही में ब्याज की दरों में जो कमी की गई है वह न्यायोचित नहीं है।

(ख) 1977-78 के दौरान मूल्य स्थिति सापेक्षिक दृष्टि से स्थिर बनी रही। इसलिए यह प्रश्न कि 1977-78 में घाटे की वित्त व्यवस्था से मूल्यों में वृद्धि हुई, पैदा ही नहीं होता।

(ग) सरकार इस बात को मान्यता देती है कि मूल्यों की बराबर बनी रहने वाली स्थिरता, सतत आर्थिक प्रगति का अनिवार्य तत्व है और सरकार अधिक अच्छी संभरण व्यवस्था करके तथा प्रतिबंधात्मक ऋण तथा मुद्रानीति के जरिए कुल मांग पर नियंत्रण करके इस स्थिरता को बराबर बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प है।

बैंकों की सुविधा से वंचित सामुदायिक विकास खण्डों में कार्यालयों का खोला जाना

6881. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कमर्शियल बैंकों को निदेश दिया है कि वे पूरे देश में बैंकों की सुविधा से वंचित सामुदायिक विकास खंडों में बैंक कार्यालय खोलें;

(ख) जून, 1978 के अंत तक और दिसम्बर, 1978 के अंत तक ऐसे कितने बैंक खोले जाने की योजना बनाई गयी है;

(ग) उपरोक्त में से कितने बैंक मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में खोले जायेंगे; और

(घ) कृषि वस्तुओं, छोटे व्यापारों तथा कुटीर उद्योगों को ऋण देने के लिए इन ग्रामीण बैंकों ने क्या मानदंड निर्धारित किये हैं।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) बैंकों से कहा गया है कि वे जून, 1978 के अन्त तक प्रत्येक बैंक रहित सामुदायिक विकास खण्ड में कम से कम एक शाखा अवश्य खोल दें।

(ख) दिसम्बर, 1976 के अन्त तक, देश भर में 700 से अधिक बैंक रहित सामुदायिक विकास खण्ड थे और दिसम्बर, 1977 के अंत तक इनकी संख्या घटाकर 318 तक ले आई गई थी। जून, 1978 तक ये सभी व्याप्त कर लिये जायेंगे।

(ग) मध्य प्रदेश में, दिसम्बर, 1976 के अन्त तक 134 बैंक रहित सामुदायिक विकास खण्ड थे। दिसम्बर, 1977 के अन्त तक राज्य में केवल 52 ऐसे खण्ड रह गये थे जिनमें वाणिज्यिक बैंकों की कोई शाखा नहीं थी।

(घ) वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं से आशा की जाती है कि वे अपनी परिचालन क्षेत्रों में पड़ने वाले सभी उद्यमियों की चाहे वे बड़े हो या छोटे वास्तविक उत्पादन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करें। उन क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये जो ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करते हों।

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में कर्मचारियों को खपाना

6882. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य मंत्रालय के भूतपूर्व प्रदर्शनी और वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय के कर्मचारियों को पहले ही पेंशन, उपदान, सामान्य भविष्य निधि और अन्य लाभ प्राप्त हो चुके हैं; यदि नहीं, तो उन्हें उक्त लाभ कब प्राप्त होंगे; और

(ख) क्या उक्त उपर्युक्त कर्मचारियों को 1 मार्च, 1978 के बाद सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज मिलता रहेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) भूतपूर्व प्रदर्शनी तथा वाणिज्यिक प्राचार निदेशालय के अधिकारियों को अपनी विगत सरकारी सेवा के आधार पर प्राप्त होने वाले पेंशन, ग्रेचुटी, सामान्य भविष्य निधि आदि से सम्बन्धित लाभों को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), गृह मंत्रालय (कार्मिक विभाग), लोक उद्यम ब्यूरो आदि से परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाना था। समय लेने वाली यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है। आवश्यक आदेशों के शीघ्र ही जारी कर दिये जाने की आशा है। सामान्य भविष्य निधि (सी०एस०) नियम, 1960 के अन्तर्गत इन अधिकारियों को आदेश जारी होने की तारीख तक अपनी सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज प्राप्त करने का हक होगा। तथापि, ऐसी आशा है कि प्रत्येक अधिकारी के दावे के संबंध में आवश्यक बिल आदेश जारी होने के तुरन्त बाद भुगतान के लिये लेखा प्राधिकारियों को प्रस्तुत किये जाएंगे।

करों की बकाया राशि की वसूली

6883. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करों की बकाया भारी राशि में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो (एक) बड़े औद्योगिक गृहों, (दो) अन्य औद्योगिक गृहों तथा (तीन) अन्य कर-दाता व्यक्तियों की ओर 1 अप्रैल, 1978 को करों की कुल कितनी राशि बकाया था; और

(ग) इस बकाया राशि को वसूल करने तथा लम्बित मामलों को तेजी से निपटाने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं; यदि हां, तो उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी में 31 मार्च, 1978 तक कितनी राशि एकत्रित की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला): (क) नवीनतम सूचना 31-12-1977 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध है। यदि इसकी 31-12-1976 की यथा स्थिति के साथ तुलना की जाय, तो जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है, सकल मांग की बकाया में थोड़ी सी वृद्धि हुई है :—

कर	31-12-77 की स्थिति के अनुसार सकल मांग	31-12-76 की स्थिति के अनुसार सकल मांग
	(करोड़ रुपयों में)	
आयकर	1004.01	998.27
धन कर	52.86	48.68
दान कर	7.37	5.98
संपदा शुल्क	17.17	15.16

जहां तक ब्याज-कर का सम्बन्ध है, आंकड़े केवल 31-3-76 और 31-3-77 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध हैं। 31-3-76 की स्थिति के अनुसार, ब्याज-कर की कोई बकाया नहीं थी जब कि 31-3-77 की स्थिति के अनुसार बकाया केवल 26 हजार रुपये की थी।

(ख) सूचना प्रश्न के इस भाग में बताये गये वर्गीकरण के अनुसार संकलित नहीं की जाती है। लेकिन, बड़े औद्योगिक घरानों की तरफ आयकर की बकाया से सम्बन्धित सूचना उन करदाताओं के सम्बन्ध में उपलब्ध है जिनके मामलों में, 31-3-77 की स्थिति के अनुसार सकल मांग की बकाया 10 लाख रुपये से ऊपर की थी। इस तारीख को विद्यमान स्थिति के अनुसार, बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित 63 कर-निर्धारितियों की तरफ 26.17 करोड़ रुपये की सकल मांग बकाया थी।

जहां तक अन्य प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है, उपलब्ध सूचना के अनुसार स्थिति नीचे दिए अनुसार है :—

कर	जिन मामलों में कर की बकाया 25,000 रु० अथवा उससे अधिक थी उनमें 31-3-77 की स्थिति के अनुसार बड़े औद्योगिक घरानों से प्राप्य बकाया की रकम
	(लाख रुपयों में)
दान कर	4.04
धन कर	0.96

(ग) प्रत्येक मामले की वस्तुस्थिति पर निर्भर करते हुए कर की बकाया की वसूली के लिए सम्बन्धित कर प्राधिकारियों द्वारा संगत प्रत्यक्ष कर कानूनों के उपबन्धों के अनुसार, समय-समय पर समुचित उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं :—

(1) कर की विलम्ब से अदायगी के लिए ब्याज लगाना ;

(2) कर की अदायगी नहीं करने के कारण अर्थ-दण्ड लगाना ;

(3) बाकीदार को मिलने वाली रकमों का अभिग्रहण करना ; और

(4) चल/अचल सम्पत्तियों का अभिग्रहण करना और उन्हें बेचना।

ऊपर (ख) में उल्लिखित बड़े औद्योगिक घरानों के 63 कर-निर्धारितियों की तरफ 31-3-77 की स्थिति के अनुसार आय-कर की जो बकाया थी उसमें से 30-9-77 तक, कुल 4.52 करोड़ रुपये की रकमें वसूल कर ली गई थीं।

अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी एसोसियेशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

6884. **डॉ० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी एसोसियेशन ने प्रत्यक्ष कर कानून (चोकसी) समिति के समक्ष एक व्यापक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) अखिल भारतीय जीवन बीमा-कर्मचारी एसोसिएशन के सुझावों की तुलना में मोरारका समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या जीवन बीमा निगम की व्याज नीति, कराधान, दावा-सुरक्षा और मूल्य ह्रास नीति में आमूलचूक परिवर्तन करने और उसे तर्कसंगत बनाने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) संघ ने सुझाव दिया है कि कतिपय स्रोतों अर्थात् लोडिंगसरप्लास, मार्टेलिटी सरप्लस और इन्ट्रेस्ट सरप्लस से प्राप्त होने वाली जीवन बीमा निगम की अधिलेष राशियों के एक भाग को आय कर से छूट दी जानी चाहिए। मोरारका समिति ने, जिसने जीवन बीमा निगम के कार्यचालन के विभिन्न पहलुओं की जांच की थी, जीवन बीमा निगम के कराधान संबंधी आधार पर विचार नहीं किया था।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यक्ष कर विधि समिति (डायरेक्ट टैक्स लाज कमेटी) अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय संगम के ज्ञापन में दी गई विभिन्न बातों को ध्यान में रखेगी। सरकार इस मामलें में समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करेगी।

Export of Sugar on the Basis of Production and Stocks of Sugar

6885. **Shri O.P. Tyagi:** Will the Minister of **Commerce Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether keeping in view the stock of sugar in the country and production thereof in future Government propose to export sugar in cubes or in any other form; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) Export of sugar in cubes or in other forms is already allowed from the country against our quota for export of sugar.

(b) Does not arise.

लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दी गई धनराशि

6886. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में उन शहरी सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऋण देते हैं; और

(ख) वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को शहरी सहकारी बैंकों को कुल कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) वर्ष 1975-76 में 11 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 1300 शहरी सहकारी बैंकों ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऋण दिये।

(ख) वर्ष 1975-76 में लघु तथा कुटीर उद्योग परियोजनाओं को 31.83 करोड़ रुपये की राशि दी गई। 1976-77 के आंकड़े सहकारी समितियों के विभिन्न पंजीयकों से संकलन के लिए अभी प्राप्त होने हैं।

एकीकृत वित्तीय व्यवस्था के कार्यकरण का पुनर्विलोकन

6887. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एकीकृत वित्तीय व्यवस्था के कार्यकरण का विस्तृत रूप से पुनर्विलोकन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसका पुनर्विलोकन करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय सलाहकारों के साथ समय-समय पर बैठकें बुलाकर एकीकृत वित्तीय सलाहकार योजना के कार्यकरण की निरन्तर समीक्षा की जाती है। योजना के कार्यकरण की कोई अन्य विस्तृत समीक्षा करने का विचार नहीं है।

अगरतला में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना

6888. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **वित्त** मंत्री अगरतला में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के बारे में 17 मार्च, 1978 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3370 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त जानकारी एक बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के पास उपलब्ध है और इसे सभा पटल पर कब तक रखने का विचार है।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने बताया है कि उसे त्रिपुरा सरकार से इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है कि वह (त्रिपुरा सरकार), कलकत्ता के एक सी०पी०आई० (एम) समर्थक अखबार को, उसके त्रिपुरा संस्करण के लिये अगरतला में प्रिंटिंग प्रेस लगाने के वास्ते 7 लाख रुपये के ऋण की गारंटी देने को तैयार है।

Revival of National Credit Council

6889. **Shri S.S. Somani :**
Shri G.M. Banatwalla :
Shri Mukhtiar Singh Malik :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government is considering any proposal to revive the National Credit Council; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) There is no proposal under the consideration of the Government at present to set up a National Credit Council.

(b) Does not arise.

Advancing of Loans by Nationalised Banks for Agricultural Purposes

+6890. **Shri S.S. Somani** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the nationalised banks advance loans for commercial and agricultural purposes;

(b) the total amount of loans given for the commercial and agricultural purposes so far by banks after their nationalisation;

(c) whether Government are aware that there is defective loan distribution system leading to large scale corruption in the matter of advancing loans; and

(d) whether Government propose to take any concrete steps in the matter; and if so, by what time ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) Yes, Sir.

(b) Available data regarding deployment of credit by public sector banks as at the end of June, 1969 and February, 1978 are set out below:—

(Rs. crores)

	June, 1969	February, 1978*
Total advances by public sector banks, of which :—	3017	13045
1. Priority Sectors	437	3697
(a) Agriculture	162	1463
(b) Small Scale Industry	251	1500
(c) Other Small borrowers	24	734
2. Other sectors (includig whole-sale trade and large and medium industry)	2580	9348

*Data provisional.

(c) Banks' own internal audit system and periodical inspections by the Reserve Bank of India are intended to ensure that loans are sanctioned in accordance with the policies and directives issued by the Government and Reserve Bank of India from time to time.

(d) When specific cases of corruption are brought to the notice of Government they are investigated and suitable action is taken against the persons concerned. Besides, a Vigilance Cell has also been set up in each public sector bank to keep a constant watch on such matters.

मध्य आय वर्ग के अन्तर्गत भवन निर्माण के लिए जीवन बीमा निगम के पालिसीधारियों को ऋणों की मंजूरी

6891. **श्री बालासाहिब विरवे पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक पृथक मध्य आयवर्ग के अन्तर्गत भवन निर्माण के लिए पालिसीधारियों द्वारा जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितनी राशि के ऋण दिए गए; और

(ख) क्या सरकार ऐसे ऋणों की मंजूरी के लिए आवेदनपत्रों को सरल बनाने की आवश्यकता पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम अपने पालिसी धारकों को, अपने घर के मालिक बनिए योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण, मौजूदा मकानों के विस्तार तथा ठीक हालत में हाल ही के बने मकानों को खरीदने के लिए ऋण देता है। यह योजना 642 केन्द्रों में, चल रही है जिनमें वे सारे स्थान शामिल हैं जहां जीवन बीमा निगम का एक शाखा कार्यालय या उप-कार्यालय है, इन स्थानों के अलावा कुछ चुने हुए केन्द्रों में भी जहां जीवन बीमा निगम का कोई कार्यालय नहीं है, यह योजना प्रचलन में है।

2. उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत, किसी भी व्यक्ति को अधिक से अधिक 1,00,000 रुपए और कम से कम 10,000 रुपए का ऋण दिया जाता है। इन सीमाओं के अन्तर्गत किसी भी पालिसी धारक को, उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का ध्यान रखे बिना, ऋण दिया जाता है बशर्ते कि ऋण लेने वाले पालिसी धारक की स्थायी आय इतनी हो कि वह ऋण वापस कर सके। जीवन बीमा निगम उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत अपने पालिसी धारकों को, जो विभिन्न आय समूहों में आते हैं और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, दिए गए ऋणों के संबंध में अलग से सूचना नहीं रखता।

3. 31 मार्च, 1977 तक जीवन बीमा निगम ने इस योजना के अन्तर्गत अपने पालिसी धारकों को 53.33 करोड़ रुपए की राशि के कुल 17,736 ऋण मंजूर किए थे। वर्ष 1976-77 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा अपने पालिसी धारकों को 5.28 करोड़ रुपए की राशि के 1626 ऋण दिए गए थे; ब्यौरा नीचे दिया गया है--

ऋण की राशि रुपए	स्वीकृत ऋणों की संख्या	स्वीकृत राशि
		(करोड़ रुपए)
10,000 तक	66	0.07
10,001 से 25,000 तक . . .	759	1.52
25,001 से 50,000 तक	612	2.33
50,001 से 75,000 तक .	128	0.82
75,001 से 1,00,000 तक . . .	61	0.54
	1626	5.28

उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत ऋणों की स्वीकृति के लिए बनाए गए आवेदन फार्मों को सरल बनाने के प्रश्न पर जीवन बीमा निगम द्वारा लगभग दो वर्ष पहले विचार किया गया था और इन फार्मों को पहले से छोटा तथा संक्षिप्त करके सरल बना दिया गया था।

रूमानियां के साथ विमान सेवा संबंधी समझौता

6892. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूमानिया के साथ विमान सेवा संबंधी समझौता करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच यातायात की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए एयर इंडिया ने इस बीच कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) इससे दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में कितनी मदद मिलेगी ; और

(घ) समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) : एयर इंडिया को दोनों देशों के बीच यातायात की संभावनाओं का अनुमान लगाने के लिए एक यातायात सर्वेक्षण करने का निर्देश दे दिया गया है । रूमानिया के साथ एक विमान सेवा करार करना इस यातायात सर्वेक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगा । अन्य देशों की ही तरह, द्विपक्षीय करार मैत्री संबंधों को सुदृढ़ करने में सहायक होते हैं ।

भारत से पाकिस्तान को चोरी छिपे भेजा गया माल

6893. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मार्च 1978 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है कि तस्करी के और आयात किये गये भारतीय माल से पाकिस्तान के छोटे और बड़े नगरों के बाजार वास्तव में भरे पड़े हैं ;

(ख) गत एक वर्ष में भारत के पाकिस्तान को चोरी छिपे ले जाये गये माल का अनुमानित मूल्य क्या है ; और

(ग) इस बुराई को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी हां । सरकार को मिली रिपोर्टों से पता नहीं चलता है कि भारत से पास्कितान को बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है । परन्तु, पाकिस्तान को भारतीय माल के वैध निर्यात में काफी वृद्धि हुई है । सरकार को इस आशय की जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान के बाजार इन भारतीय वस्तुओं से भरे पड़े हैं, जैसा कि समाचार में कहा गया है ।

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान भारत से पाकिस्तान को चोरी-छिपे ले जाये गये माल के मूल्य का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । परन्तु, वर्ष 1977 के दौरान, पाकिस्तान को अवैध रूप से निर्यात किये जा रहे पकड़े गये भारतीय माल का कुल मूल्य कोई 3.60 लाख रुपये मात्र था ।

(ग) तस्करी की बुराई की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जो उपाय किये गये हैं उन में निवारक तथा गुप्त सूचना संग्रहतंत्र को सुदृढ़ करना, भारत पाक सीमा के और पश्चिमीसमुद्र तट पर तस्करी की सम्भावना वाले क्षेत्रों में बेतार की सुविधा की व्यवस्था करना और प्रमुख हवाई अड्डों पर अधिक सतर्कता बरतना सम्मिलित हैं।

बेन्ज कारों का आयात

6894. **श्री वायलार रवि :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात गृहों द्वारा भारत को बेन्ज कारों के आयात के लिये आयात लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने वाहनों का आयात किया गया और उनके नाम तथा कीमत कितनी है और उन पर कितना शुल्क दिया गया ; और

(ग) उक्त आयातों की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

राज्य व्यापार निगम के अधीन आयात और निर्यात का काम कर रही एजेन्सियां

6895. **श्री वयालर रवि :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम विश्व के विभिन्न भागों से आयात और निर्यात व्यापार के लिये एजेंसियां नियुक्त कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से कितने एजेन्ट नियुक्त किये गये हैं और वे किस-किस देश के हैं और किस-किस देश में काम कर रहे हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में इन एजेन्टों को कुल कितना कमिशन दिया गया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

एल्यूमिनियम उद्योग में संकट

6896. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी दी गई है कि एल्यूमिनियम उद्योग, जिसमें लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है, एल्यूमिनियम की कमी के कारण गम्भीर संकट में है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि एल्यूमिनियम के निर्यात में कमी करने का अनुरोध किया गया है जिससे बर्तन बनाने वालों को सीधे कोटा आवंटित किया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो बर्तन उद्योग में बेरोजगारी के खतरे को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) एल्यूमिनियम स्मेलटरों पर लागू की गई बिजली की कटौती के कारण 1977-78 में पिछले वर्ष की तुलना में एल्यूमिनियम का उत्पादन कम रहा है ।

(ख) जी हां।

(ग) अपरिष्कृत एल्यूमिनियम तथा बर्तन बनाने के लिये प्रयुक्त 18 से 24 गेज के एल्यूमिनियम सर्कल्स के निर्यात को अनुमति नहीं दी जाती है । फिलहाल एल्युमिनियम के अर्ध विनिर्मित माल के निर्यात पर रोक लगाने की कोई प्रस्थापना नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम की घरेलू खपत के संदर्भ में निर्यातों की मात्रा थोड़ी सी है । यह विचार करते हुए कि कभी थोड़े समय की बात है और एल्यूमिनियम की अपेक्षित मात्राओं के आयात के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अतः बर्तन उद्योग के लिए अपेक्षित गैर-लेवी एल्यूमिनियम के वितरण पर नियंत्रण लगाने की कोई प्रस्थापना नहीं है ।

Country which Imports Largest Quantity of Tobacco from India

6897. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the names of the country which import largest quantity of tobacco from India; and

(b) the agency through which the export of Indian tobacco is canalised?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies ad Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) U.K.

(b) The export of tobacco is not canalised through any agency, but the exporters have to get themselves registered with the Tobacco Board.

इलाहाबाद बैंक की बर्दवान शाखा द्वारा दिये गये ऋण

6898. **श्री मनोहर लाल** : क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद बैंक की बर्दवान शाखा ने 40 लाख रुपये की राशि के ऋण दिये थे जो बाद में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाली पाये गये जैसाकि 18 मार्च, 1978 के बिलट्स में प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि उसने इलाहाबाद बैंक की बर्दवान शाखा द्वारा दिये गये ऋणों के बारे में अभी तक जांच नहीं की है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1968 से 1972 तक की अवधि के दौरान, इलाहाबाद बैंक की बर्दवान शाखा ने लगभग 45 लाख रुपये की राशि कृषि वित्त सहायता के रूप में स्वीकृत की थी। इलाहाबाद बैंक की, अब तक धोखादेही के आठ मामलों का पता लगा है, जिनमें से 0.54 लाख रुपये अंतर्ग्रस्त हैं और बैंक ने संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध के मामले दर्ज कराये हैं, अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है और यदि उसके दौरान किसी अधिकारी की भूल का पता बैंक को चला तो सम्बद्ध व्यक्ति के विरुद्ध बैंक कार्रवाई करेगा।

विभागीय न्याय-निर्णय से पहले और उसके बाद शुरू किये गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण से संबंधित मुकदमे

6899. **श्री मनोहर लाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान विभागीय न्याय-निर्णय से पहले और उसके बाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण से संबंधित आर्थिक अपराधों में मुकदमा शुरू करने के लिए सरकार ने कोई मानदण्ड अपनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अपराधों में शुरू किये गये मुकदमों का ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता कार्यालय, कानपुर में आपात स्थिति के दौरान उसके बाद न्यायालयों द्वारा दिये गये अन्तिम आदेशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क तथा स्वर्ण नियंत्रण के मामलों में लागू होने वाले कानूनों में से प्रत्येक कानून के अन्तर्गत अपराधों के बारे में विभागीय न्यायनिर्णय तथा इस्तगासे की कार्यवाही करने की व्यवस्था है । इन मामलों में विभागीय न्यायनिर्णय के अलावा इस्तगासे की कार्यवाही चालू करने के कुछ मानदण्ड आपातकाल के पहले भी यह सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान थे कि गम्भीर किस्म के अपराधों तथा उन मामलों में, संबंध में, जिनमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क तथा स्वर्ण नियंत्रण के बारे में लागू होने वाले कानूनों का जानबूझकर तथा इरादतन उल्लंघन किया जाता हो, विभागीय न्यायनिर्णय के अलावा, निवारक कार्यवाही की जाती है जिसमें इस्तगासे की कार्यवाही भी शामिल है । आपातकाल के दौरान कोई विशेष मानदण्ड जारी नहीं किये गये थे ।

आपातकाल के दौरान कानपुर समाहर्तालय में सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत 12 मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही शुरु की गयी थी जिनमें से तीन मामलों में निर्णय किये जा चुके हैं । एक मामले में सम्बन्धित व्यक्ति को 3 महीने की कैद की सजा दी गयी और अन्य दो मामलों में क्रमश: 50 रु० तथा 3000 रु० का दण्ड लगाया गया । बकाया 9 मामले अनिर्णीत पड़े हैं । आपातकाल के बाद 5 मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही चालू की गयी है जिनमें से एक मामले में निर्णय किया जा चुका है और संबंधित व्यक्ति को 6 महीने की कैद की सजा दी गयी है । बकाया चार मामले अनिर्णीत पड़े हैं ।

आपातकाल के दौरान, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत, 21 मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही की गई जिनमें से तीन मामलों में निर्णय किया जा चुका है और 18 मामले अनिर्णीत पड़े हैं । एक मामले में अभियुक्त पर 250 रु० का दण्ड लगाया गया है दूसरे मामले में दो अभियुक्तों में से प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपये जुर्माना किया गया जबकि तीसरे अभियुक्त पर 1000 रु० का जुर्माना किया गया । तीसरे मामले में जो एक व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त था, उसे दोषमुक्त ठहराया गया । आपातकाल के पश्चात् 7 मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही की गई जिनमें से एक मामले में दिये गये निर्णय के अनुसार अभियुक्त पर 250 रु० का दण्ड लगाया गया है, और इस निर्णय के विरुद्ध विभाग ने, दण्ड में वृद्धि करने के लिये एक अपील दायर की है ।

आपातकाल के दौरान कानपुर समाहर्तालय में, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत इस्तगासे की कोई कार्यवाही नहीं की गई । आपातकाल के बाद प्रारम्भ की गई इस्तगासे की कार्यवाही के दो मामले अभी अनिर्णीत पड़े हैं ।

केन्द्रीय उत्पाद सहायक कलेक्टर, फरूखाबाद

6900. **श्री मनोहर लाल** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरूखाबाद डिवीजन में तत्कालीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक कलेक्टर, फरूखाबाद के विरूद्ध जिसने 21 फरवरी, 1977/22 फरवरी, 1977 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के छ: कर्मचारियों को अवैध रूप से पुलिस के हवाले कर दिया था जिनको उसकी उपस्थित में ही पुलिस ने यातनायें दी थीं, कोई जांच तथा तत्पश्चात, अनुवर्ती कार्यवाही की गई थी, और

(ख) यदि हां, तो उक्त सहायक कलेक्टर को उसके स्थानान्तरण के पश्चात् तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, कानपुर द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद उसे फरूखाबाद से मुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) :

(क) रिपोर्ट मिली है कि 21/22 फरवरी, 1977 की रात को फरुखाबाद केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रभाग से सरकारी रिकार्ड चोरी करने की कोशिश की गई थी। सहायक समाहर्ता, फरुखाबाद ने स्थानीय पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले की जांच-पड़ताल के संबंध में, स्थानीय पुलिस ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के छह कर्मचारियों की पुलिस स्टेशन ले जाकर उनसे पूछताछ की। यह कहना सही नहीं है कि इन कर्मचारियों को सहायक समाहर्ता द्वारा पुलिस के सुपुर्द किया गया था। राज्य पुलिस अधिकारियों ने इन कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को नकारा है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कानपुर द्वारा की गई जांच से भी ऐसे किसी साक्ष्य का पता नहीं चला है जिससे यह पता चले कि पुलिस द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के किसी भी कर्मचारी को यातना दी गई अथवा उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था। इन परिस्थितियों में सहायक समाहर्ता के खिलाफ किसी जांच अथवा अनुवर्ती कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठा।

(ख) सहायक समाहर्ता को, जिसका फरूखाबाद से तबादला सामान्य क्रम में किया गया था, 8-2-1978 को पदमुक्त किया गया था और उन्होंने 16-2-1978 को कानपुर में कार्यभार संभाला।

सीमेंट का निर्यात

6901. **श्री एस० आर० दामणी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1977-78 में सीमेंट निर्यात में कमी हुई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा गत दो वर्षों के इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या है ;

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वर्ष 1978-79 में निर्यात हेतु कोई निश्चित समझौता हुआ है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन समझौतों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमेन्ट का निर्यात निम्नोक्त प्रकार था :—

(मात्रा लाख मे० टन तथा मूल्य करोड़ रुपये में)

1975-76		1976-77		1977-78	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
4.01	15.10	8.79	14.53	4.35	16.45 (अनुमानित

(ख) सीमन्ट के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था और देश में सीमेन्ट की भारी कमी के कारण 1977-78 के दौरान कोई नई संविदा नहीं की गई। 1977-78 के दौरान जो निर्यात किये गये वे केवल विद्यमान मुक्ता तथा अप्रतिर्संहरणीय संविदाओं के आधार पर थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिबन्धित अथवा सीमित निर्यात वाली वस्तुएं

6902. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरलू मांग के कारण जिन वस्तुओं के निर्यात पर वर्ष 1977-78 में प्रतिबन्ध लगाया गया अथवा निर्यात सीमित किया गया उन वस्तुओं के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि जहां तक उपभोक्ता का सम्बन्ध है इन कदमों के बावजूद भी इन वस्तुओं के मूल्यों में कोई गिरावट नहीं आयी ; और

(ग) यदि हां, तो उपभोक्ता को लाभ सुनिश्चित करने के लिय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) घरेलू मांग अधिक होने के कारण 1977-78 में जिन आवश्यक वस्तुओं तथा आम खपत की वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया अथवा निर्यात सीमित किया गया वे हैं—प्याज, चाय, हाथ से चुनी मूंगफली, जीरा, हल्दी तथा ताजी सब्जियां ।

(ख) व (ग) : उपर्युक्त उपायों का देशी बाजार में इन वस्तुओं के मूल्यों पर आमतौर पर स्थिरता का प्रभाव पड़ा । निर्यात पर रोक लगाना/उसे सीमित करना स्थानीय उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के उपायों में से एक है । इस बारे में किये जा रहे अन्य महत्वपूर्ण उपाय ये हैं—इनका उत्पादन बढ़ाना, आयात करके देश में वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाना, और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन० सी० सी० एफ०) जैसी राष्ट्र स्तरीय सहकारी समितियों को इन वस्तुओं के बारे में अपना कारोबार बढाने का निर्देश देना ।

अधिक मूल्यवान मदों के निर्यात में कमी

6903. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में अधिक मूल्यवान मदों के निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या ऐसी सभी मदों का पता लगा लिया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1978-79 में इन मदों के निर्यात के लिये क्या लक्ष्य रखे गये हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) निर्यातों की वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति ऐसे उपादानों के कारण है जैसे कि विश्व बाजार में मंदी विकसित देशों द्वारा अपनाई गई संरक्षणवादी प्रवृत्तियां तथा कुछ आम खपत वाली मदों के मामले में सरकार द्वारा स्वदेशी बाजार के हित में निर्यातों के विनियमन की सुविचारित नीति ।

(ख) 1977-78 के पूर्वार्द्ध में गत वर्ष की उसी अवधि के मुकाबले सिले सिलाए परिधानों, चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित वस्तुओं, लोहा तथा इस्पात चीनी और वनस्पति तेलों जैसी प्रधान मदों के निर्यात कम रहे ।

(ग) 1978-79 के लिए निर्यात लक्ष्यों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

कोयले तथा बिजली पर नये करों का प्रभाव तथा उत्पादन शुल्क में वृद्धि के कारण औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन लागत पर प्रभाव

6904. **श्री एस० आर० दामाणी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वष 1978-79 में कोयले तथा बिजली पर नये करों के प्रभाव तथा उत्पादन-शुल्क में वृद्धि के कारण औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन लागत पर प्रभाव का मूल्यांकन किया है,

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इसके लिये कौन सी विशिष्ट मदें चुनी है और उत्पादन लागत में कितनी वृद्धि आंकी गई है,

(ग) सरकार के अनुसार मांग पर, जो कम हो रही बताई जाती है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और

(घ) मांग में आगे और कमी को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) तथा (घ) : बजट पेश किए जाने के तुरन्त पश्चात, थोक कीमतो के सूचक अंक (1970-71=100) में सम्मिलित वस्तुओं पर पड़ने वाले नये/अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के प्रत्यक्ष प्रभाव को स्थूल रूप से आंकने का तुरन्त प्रयास किया गया । इस अध्ययन में उन अप्रत्यक्ष प्रभावों को हिसाब में नहीं लिया गया जो कि उपयोगी वस्तुओं (इनपुट) पर लगने वाले विद्यमान उत्पाद शुल्कों में हुई वृद्धि तथा कोयले और विद्युत (पावर) पर लगे नए शुल्कों से उत्पन्न होंगे । जहां तक उपरोक्त वस्तुओं का सम्बन्ध है, "इंधन, पावर, बिजली तथा लुब्रीकेंट" समूह के थोक कीमतों के सूचक अंक में बजट के बाद के प्रथम सप्ताह में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1650 गैर-सरकारी, गैर-वित्तीय दरमियानी और बड़ी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों से सम्बन्धित जो आंकड़े भारतीय रिजर्व बक ने संकलित किए हैं, उन से प्राप्त होता है कि इंधन और पावर का मूल्य 1975-76 में हुए उत्पादन के कुल मूल्य के 5.13 प्रतिशत भाग के बराबर था । इस लिए कोयले तथा पावर पर लगे नये शुल्कों का गैर-सरकारी नियमित क्षेत्र की लागत पर जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है वह 0.17 प्रतिशत बैठता है । निस्संदेह कुछ मामलों में, जैसे एल्यूमिनियम तथा सीमेंट के मामलों में, यह प्रभाव और भी ज्यादा होगा।

(ग) और (घ) : मांग की कमी को केवल निवेश में वृद्धि करके तथा और अधिक उत्पादन तथा रोजगार पैदा करके ज्यादा आमदनी बढ़ाकर ही पूरा किया जा सकता है । इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए 1978-79 की वार्षिक आयोजना के विकास परिव्यय में 17 प्रतिशत की वृद्धि की गई हैं, और नई पंचवर्षीय आयोजना में 1978-83 की सारी अवधि के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली नीति निर्धारित की गई है।

कलकत्ता पोर्टब्लेयर इंडियन एयरलाइन्स के विमान की सेवा का मद्रास तक विस्तार

6905 **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता-पोर्ट ब्लेयर इडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ान संख्या 285 को कार-निकोबार होते हुए मद्रास तक बढ़ाने की मांग काफी समय से विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और अदमान और निकोबार द्वीपसमूहों में यात्री यातायात की सुविधा के लिए इस मांग को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : कलकत्ता पोर्ट ब्लेयर सेवा को कार निकोबार तथा मद्रास तक बढ़ाने के लिये मांग आई है। कलकत्ता तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच की विमान सेवा की, जिसे रंगून से होते हुए पहले वाइकाउंट विमान से परिचालित किया जाता था, अब अगस्त, 1977 से बोइंग-737 विमान से सीधे ही परिचालित किया जा रहा है। परन्तु यातायात आशानुकूल साबित नहीं हुआ है। इंडियन एयरलाइंस के पास नयी विमान सेवाओं अथवा अतिरिक्त सेवाओं के लिए विमानों की बहुत कमी है। मैनलैंड तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच यातयात की वृद्धि का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है और मद्रास के लिए एक विमान सेवा के प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा, जब कभी स्थिति से इसका औचित्य सिद्ध होगा।

Foreign Tourists who visited Khajuraho Temple in 1975, 1976 and 1977

6906. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of foreign tourists who came to see Khajuraho temples in 1975, 1976 and 1977, year-wise;

(b) the estimated foreign exchange earned from these tourists annually; and

(c) the steps being taken to attract more tourists to this place ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b) International tourist arrivals and foreign exchange earned frem them are estimated anually on an all-India basis, and not on centre-wise basis. Periodically, however, foreign tourists surveys are undertaken to assess the tourist profile, their re-action pattern expenditure, places visited, etc. On the basis of the Foreign Tourists Survey conducted during 1976-77, it has been estimated that 6.02 per cent of the international tourists visited Khajuraho in that period. Although it cannot be identified how much foreign exchange was earned by each tourist centre, the above survey indicated that the average expenditure of international tourists in India amounted to Rs. 4,420/- per head.

(c) The Department of Tourism through its Tourist Offices overseas promotes India as a destination in the primary tourist generating markets. Although no specific promotion is undertaken in respect of a particular place due mainly to constraint on resources, places of tourist interest are widely publicised through the distribution of tourist publicity literature such as folders, posters and through the screening of documentary films. The promotional strategy being adopted will also ensure diversification of the tourist traffic so as to cover a larger number of tourist centres, as far as feasible, in tourist itineraries.

Besides the usual publicity campaign, the Department has sanctioned Rs. 15.98 lakhs on the water supply scheme at Khajuraho to provide adequate water supply to tourists visiting the place. The master plan of Khajuraho has been prepared by the State Government to ensure a pleasant environment by regulating its growth so as to encourage tourist traffic. Accommodation has also come up at Khajuraho both in the public and private sectors and it is already on the international air and road routes. All these measures will help to promote a larger flow of international tourist traffic to Khajuraho.

Employment Cess

6907. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to impose employment cess; and

(b) if so, the details in this regard ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) No, Sir. No such proposal is under consideration of the Government.

(b) Does not arise.

Loans given to companies controlled by big houses

6908. **Shri Sukhendru Singh** : will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the loans given by State Bank of India to those companies controlled by big houses during the last three years, year-wise whose mention was made in the report of Enquiry Committee on Industrial licencing policy; and

(b) the loans granted foreign controlled companies during the last three years, year-wise ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) and (b) Informattion is being collected and will be laid on the Table of the House to the extent available.

इलाहाबाद बैंक द्वारा दिये गये ऋण

6909. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद बैंक द्वारा किये गये 40 प्रतिशत ऋण वसूल नहीं हो पा रहे हैं जैसाकि 18 मार्च, 1978 के बिलट्ज साप्ताहिक में प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो ऋणों की वसूली के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक, बिल्ट्ज में प्रकाशित लेख में दिये गये आरोपों की जांच कर रहा है । 31 दिसम्बर, 1976 को, बैंक के ताजा तुलन-पत्र के अनुसार ऐसे ऋणों की स्थिति जिनकी वसूली संदिग्ध या असंभव है और जिनके लिए व्यवस्था नहीं की गयी है "शून्य" है ।

Proposal to install computers in Income Tax Department

6910. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) whether Government propose to install computers in the Income Tax Department; and

(b) if so, the places where these computers will be installed indicating the number thereof in each case and the number of employees who will be replaced by these computers ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) and (b) A decision has been taken, in principle, to introduce computerisation in certain selected areas of work in the Income Tax Department. A Systems Development Team is presently making a study of all relevant aspects of the matter. On the basis of the study, computerisation of the work relating to verification of tax deducted at source and shown in salary returns u/s 206 of the Income Tax Act is being implemented in 8 major cities. This work will be done on the computers belonging to other agencies and there is no proposal at present to purchase and instal computers in the Income Tax Department. The system of computerisation envisaged now will not result in any retrenchment of the existing staff in the Department.

Total number of Income-Tax Officers and Income-Tax Inspectors

6911. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have sanctioned recently posts of Income-tax Officers but new appointments to the post of Income-tax Inspectors have not been approved;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the total present strength of Income-tax Officers and the Income-tax Inspectors in the country, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiquarulla) : (a) and (b) One hundred and fifty posts of Income-tax Officers were sanctioned in November, 1977 for assessment, collection and administration work in the Income tax Department. No additional posts of Income tax Inspectors have been sanctioned, pending a review of the cadre strength.

(c) The present strength of Income-tax Officers and Income-tax Inspectors is as under :

Income-tax officers (Group A)	1575
Income-tax Officer (Group B)	2032
Income-tax Inspectors	3549

Rates of boarding and lodging in Janata Hotels

6912. **Shri Surendra Jha Suman** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government consider it necessary to open Janata hotels in the worth-seeing places with a view to provide facilities to poor tourists of the country;

(b) if so, Governments plan in this regard; and

(c) whether rates of lodging and boarding are proposed to be fixed ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b) The draft Five Year Plan for the period 1978-83 envisages the construction of Janata hotels at the four metropolitan cities of Delhi, Bombay, Calcutta and Madras. An expenditure of Rs. 50 lakhs has been approved for the Janata hotel project at New Delhi during 1978-79. The other centres where Janata hotels will be put up in the Central Sector will be determined after undertaking a survey and depending on the resources made available for this purpose. These hotels will provide inexpensive accommodation for low budget tourists.

(c) Yes, Sir. Tariffs of the Janata hotels will be fixed in consultation with the Department of Tourism.

वित्त मंत्रालय के संबंध में ठेके/लाइसेंस की मंजूरी

6913. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता सरकार की समूची अवधि के दौरान वित्त मंत्रालय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित उसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में कुल कितने ठेके/लाइसेंस दिये गये और ऐसे ठेकों/लाइसेंसों की प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को यदि कोई ठेके/लाइसेंस मिले हों तो कितने मिले और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : संभवत: माननीय सदस्य का संकेत सरकारी कार्यालयों तथा सरकार के अन्तर्गत संस्थानों को चलाने के संबंध में संविदाओं/लाइसेंसों के दिए जाने से हैं। इस संबंध में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए किसी कोटा के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसे देखते हुए इस प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार के आंकड़ों के रखे जाने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों को ग्रामोन्मुखी बनाने के लिए कार्यवाही

6914. **श्री जी० एस० रेड्डी : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 12 मार्च, को अहमदाबाद में बैंक आफ बड़ौदा स्टाफ कालेज के उद्घाटन के अवसर पर कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का कार्य करते हुए भी राष्ट्रीयकृत बैंकों का दृष्टिकोण शहरी बना हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह ग्रामीण बैंकों का कार्य नगर में स्थित बैंकों को छोड़कर अन्य संस्थाओं को देने पर विचार कर रहे हैं ; और

(ग) क्या उनका विचार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों को ग्रामोन्मुखी बनाने के लिए कोई अन्य कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) : बैंक आफ बड़ौदा में स्टाफ कालेज का अहमदाबाद में उद्घाटन करते समय, 1 मार्च, 1978 को मैंने कहा था कि "हमारे बैंक परम्परागत रूप से नगर की ओर उन्मुख हैं और यह रवैया राष्ट्रीयकरण के बाद भी कायम रहा है ।" मैंने यह भी कहा था कि "दूरदर्शी व्यापारियों के रूप में, बैंक प्रबन्धकों को यह अनुभव करना चाहिए कि उनकी भावी उन्नति ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबार के विकास तथा कृषि, छोटे और कुटीर उद्योगों और अन्य ग्रामीण व्यवसायों की सेवा पर ही निर्भर है ।" इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे अपनी ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं की कर्मचारियों विषयक आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करें कि इन शाखाओं में तैनात होने वाला स्टाफ, ग्रामीण वातावरण से परिचित हो और स्थानीय भाषाओं में कारोबार करने में समर्थ हो ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में, बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रश्न पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गत वर्ष नियुक्त की गयी दो समितियों अर्थात् जम्स एस० राज समिति और प्रोफेसर दांतवाला समिति ने विचार किया था । राज समिति ने एक अंतरिम रिपोर्ट और दांतवाला समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी हैं । इनकी सिफारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में शाखा विस्तार की नीति को नया रूप दिया जायगा ।

(ग) बिना बैंक वाले विकास खण्डों और बिना बैंक वाले जिलों के ग्रामीण इलाकों में बैंक शाखाओं के विस्तार के अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह भी सलाह दी गयी है कि वे अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में ऋण-जमा अनुपात को 60 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य प्राप्त करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे उपेक्षित क्षेत्रों को अपने ऋण का स्तर मार्च, 1977 के कुल ऋण के 27 प्रतिशत से बढ़ाकर कोई 33.3 प्रतिशत तक पहुंचाएं । दोनों ही लक्ष्य मार्च, 1979 तक पूरे कर लिये जाने हैं इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, लीड बैंकों को अपने लीड जिलों के जिला ऋण कार्यक्रम मार्च, 1978 तक बना लेने थे । बैंकों से जल्दी में प्राप्त की गयी सूचना से यह पता चलता है कि यह लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया गया है और बैंक इन कार्यक्रमों में शामिल क्षेत्रीय ऋण योजनाओं को सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जिला स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर रहे हैं ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान

6915. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जे० सी० एम० (राष्ट्रीय परिषद्) की स्थायी परिषद् के सदस्यों ने वित्त सचिव से उनके नियंत्रण पर 21 मार्च, 1978 को मुलाकात की थी और केंद्रीय सरकार के कर्म-

चारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान कम किए गए महंगाई भत्ते को 3½ प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने तथा तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में 2½ प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने तथा महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने के प्रश्नों पर चर्चा की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्रतिनिधियों ने महंगाई भत्ते की छठी किस्त को नकद के रूप में देने और महंगाई की कटौती को पुनः पूरा करने की एकमत से मांग की थी ।

(घ) क्या वित्त सचिव ने उनके अभ्यावेदन पर अभी तक विचार नहीं किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले को तय करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) : जी, हां ।

(ख) से (ङ) वित्त मंत्री बाद में सदन में वक्तव्य देंगे ।

तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्रभावी रहने की अवधि

6916. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए तीसरे वेतन आयोग प्रतिवेदन के प्रभावी रहने की अवधि मार्च, 1978 में सामाप्त हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार और मान्यता प्राप्त कर्मचारी-संगठनों के बीच द्विपक्षीय आधार पर मंजूरी पुनरीक्षण के बारे में बातचीत के माध्यम से समझौता करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार वेतन आयोग की इस सिफारिश को लागू करने के प्रति उदासीन है कि यदि मूल्य सूचकांक निर्धारित अंकों से नीचे नहीं आता तो महंगाई भत्ते को वेतन में मिला दिया जाए ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस बारे में बातचीत के माध्यम से समझौता करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते मार्च, 1978 के बाद भी जारी रहेंगे ।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार का सामान्य वेतन संशोधन करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन वेतन, आय और मूल्य के संबंध में नीति का मसौदा तयार करने के लिए एक अध्ययन दल की स्थापना की गई है और इस अध्ययन दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) तीसरे वेतन आयोग ने केवल यही सिफारिश की थी कि सरकार द्वारा विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर इस प्रश्न पर निर्णय किया जाना चाहिए कि क्या विशिष्ट प्रयोजनों के लिए महंगाई भत्ते के एक अंश को वेतन के रूप में माना जाए अथवा नहीं । राष्ट्रीय परिषद् (सयुक्त परामर्श-दाता तंत्र) के कर्मचारी कक्ष ने 26/27 अगस्त, 1977 को हुई अपनी सामान्य बैठक में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महगाई भत्ते को वेतन में मिलाने के प्रश्न को उठाया था । इस मद को राष्ट्रीय परिषद् की समिति को भेज दिया गया है, जिससे रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

सिले सिलाये कपड़ों के संबंध में निर्यात कोटा

6917. श्री ज्योतिर्मय बसु क्या **: वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी से जून, 1978 की 6 मास की चालू अवधि के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय और अमरीकी मार्किट के लिये सिले सिलाये कपड़ों के सम्बन्ध में निर्यात के शेष कोटे का आवंटन भावी निर्यातकों को 50 प्रतिशत काट लागत और शेष 50 प्रतिशत हथकरघा कपड़ों के आधार पर किया जायगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकरिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा स०रा० अमरीका को परिधानों के निर्यात के लिए कोटा वितरण नीति में यह निर्धारित किया गया है कि कोटा वर्ष क पूर्वार्द्ध (जनवरी-जून) में वार्षिक कोटे का 60 प्रतिशत तथा उत्तरार्द्ध (जुलाई-सितम्बर) में बाकी 40 प्रतिशत आबंटन किया जाए। आबंटन योग्य कोटे का 50 प्रतिशत ऊंची कीमत प्राप्ति के आधार पर और बाकी 50 प्रतिशत पहले आए पहले पाए आधार पर आबंटित किया जाना था। किन्तु परवर्ती 50 प्रतिशत को बांटकर 25 प्रतिशत निर्यात के लिए वस्त्र समिति द्वारा यथाविधि निरीक्षित तैयार माल के सम्बन्ध में 25 प्रतिशत तथा आरक्षण के एवज में वितरण के लिए बाकी 25 प्रतिशत कर दिया गया। पहले आए पहले पाए वर्ग के अन्तर्गत 50 प्रतिशत कोटा हथकरघा परिधानों के लिए आरक्षित कर दिया गया है।

यह भी निर्णय किया गया है कि ऊंची कीमत प्राप्ति के अन्तर्गत कोटा अभ्यर्पणों को हथकरघा निर्यात सवर्धन परिषद् से परामर्श करके हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा संस्तुत कटौती की गई कीमतों पर हथकरघा परिधानों के लिए आबंटित किया जाएगा।

अगरतला के लिये उपयुक्त हवाई अड्डे का निर्माण

6918. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इंडियन कमर्शियल पाइलट्स एसोसिएशन, 53 एफ चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016 से हवाई अड्डे की स्थिति और अगरतला में उतार की प्रकाश व्यवस्था, जो आवश्यक समझी जाती है के अभाव में ठीक संचालन क खतरों के बारे में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि अगरतला में, जो अधिकांशत: विमान सेवा पर निर्भर है, उपयुक्त हवाई अड्डा बनाने के लिए सरकार कोई कायवाही नहीं कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के प्रतिवेदन में मुख्यतया अगरतला विमानक्षेत्र पर रात्रि-कालीन परिचालनों के लिए "एप्रोच लाइटिंग सिस्टम" की व्यवस्था पर बल दिया गया है। अगरतला विमानक्षेत्र पर इस समय "मीडियम इंटैंसिटी रन-वे लाइटिंग" तथा एब्रिजड विजुअल एप्रोच स्लोप इंडिकेटर (ए० वी० ए० एस० आई०) की व्यवस्था है। 1978-83 की पंचवर्षीय योजना में "आवासी" को पूर्ण "वासी" में बदलने तथा "हाई इंटैंसिटी रन-वे लाइट्स एवं एप्रोच लाइटस लगाने की व्यवस्था की गयी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार ने नियमित बोइंग 737 परिचालनों के लिए उपयुक्त एक विमान-क्षेत्र बनाने के लिए अगरतला के वर्तमान विमान क्षेत्र पर 258.56 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक रन-वे कॉम्प्लेक्स का विकास करने के बारे में एक परियोजना को पहले ही मंजूरी दे दी है। इस कार्य के 1980-81 तक पूरा हो जाने की आशा है। टर्मिनल सुविधाओं का विकास करने तथा ऑपरेशनल वॉल का निर्माण करने के प्रस्तावों को 1978—83 की पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

एशियन केबल्स कारपोरेशन द्वारा आयातित पोलिथिलीन का दुरुपयोग

6919. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** एशियन केबल्स कारपोरेशन द्वारा आयातित पोलिथिलीन का दुरुपयोग करने के बारे में 3 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1630 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मामले की पुनः जांच कब तक पूरी हो जाएगी; और

(ख) इस कम्पनी को लगभग 3 करोड़ रुपये मूल्य के नए आयात लाइसेंस देने के क्या कारण हैं जबकि इसके विरुद्ध आयातित पोलिथिलीन के दुरुपयोग का मामला अभी विचाराधीन है।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) मामले की पुनः जांच करने पर कुछ और समय लगने की आशा है। यह ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है कि यह कब पूरा होगा।

(ख) कथित दुरुपयोग 1967—69 वर्षों से संबंधित है। अब तक पार्टी के विरुद्ध न तो कोई अभियोग चलाया गया है और न ही कोई विवर्जन संबंधी आदेश पास किया गया है। अतः जब तक पार्टी के आयात विधियों के अन्तर्गत सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाता अथवा उसे अन्यथा दण्ड नहीं दिया जाता, तब तक वह समय-समय पर प्रवृत्त नीति के अनुसार, ऐसे लाइसेंस प्राप्त करने की पात्र थी।

निर्यातकर्ताओं को नकद सहायता

6920. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात एवं निर्यात नीतियों की समीक्षा करने और समुचित परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अलक्जेन्डर समिति ने "निर्यातकर्ताओं को नकद सहायता" देने के बारे में अनेक सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत 10 वर्षों के दौरान निर्यातकर्ताओं को वर्ष-वार कुल कितनी नकद सहायता दी गई ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) आयात-निर्यात नीति तथा कार्यविधि समिति की रिपोर्ट के, जिसे 4 अप्रैल, 1978 को सभापटल पर रखा गया है, पृष्ठ 55-56 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ग) पिछले दस वर्षों में विपणन विकास सहायता से निर्यातकर्ताओं को दी गई नकद सहायता का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	नकद मुआवजा सहायता पर खर्च की राशि
1968-69	29.77
1969-70	36.84
1970-71	35.26
1971-72	47.78
1972-73	53.27
1973-74	53.24
1974-75	59.93
1975-76	93.86
1976-77	226.62
1977-78 (अनन्तिम)	311.48

विदेशी पर्यटकों के लिए होटलों का निर्माण

6921. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों के लिए बड़ी संख्या में उपयुक्त होटलों का निकट भविष्य में निर्माण किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में उनमें से कितने होटलों का निर्माण किया जायेगा और उन पर कितना व्यय आयेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशक) : (क) निजी क्षेत्र में लगभग 75 होटल परियोजनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है और वे कार्यान्वित की जा रही हैं ।

(ख) निजी क्षेत्र में इन 75 होटल परियोजनाओं में से, 8 का निर्माण उत्तर प्रदेश में लगभग 322.63 लाख रुपए की कुल लागत से किया जाना है । जहां तक सरकारी क्षेत्र में होटल स्थापित करने का संबंध है, भारत पर्यटन विकास निगम की आगरा में 75.00 लाख रुपए की लागत से एक होटल बनाने की योजना है। होटल कारपोरेशन आफ इंडिया का भी कुशीनगर में एक होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है, जिसकी लागत का अभी हिसाब नहीं लगाया गया है ।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात से हवाई अड्डों की आय में वृद्धि

6922. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमान यातायात से हवाई अड्डों की आय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष की इनकी आय कितनी रही है;

(ग) इसमें कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) इन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या अन्य कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में इन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर घरेलू यातायात में कितनी वृद्धि हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) जी हां। 1976-77 के दौरान, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लैंडिंग, पार्किंग तथा हाउसिंग प्रभारों और यात्री सेवा-शुल्क से 1028.70 लाख रुपए की आय हुई। 1977-78 के लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) 1976-77 के दौरान उससे पिछले वर्ष की तुलना में आय में 24% की वृद्धि हुई।

(घ) भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने विमानक्षेत्रों पर "क्लोज सर्किट टेलीविजन" तथा जन-संबोधन प्रणाली जैसी यात्री सुविधाएं प्रदान कर दी हैं। इनके अतिरिक्त, उनकी कलकत्ता और दिल्ली विमानक्षेत्रों पर अतिरिक्त वाहक पट्टे (कन्वेयर बैल्ट) लगाने की भी योजनाएं हैं। दिल्ली विमानक्षेत्र पर शहर की तरफ के टर्मिनल भवन का विस्तार किया जा रहा है। कलकत्ता विमानक्षेत्र पर अंतर्देशीय आगमन हॉल का विस्तार करने की भी योजनाएं हैं।

बम्बई विमानक्षेत्र पर एक नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली विमानक्षेत्र पर नय अन्तर्राष्ट्रीय टर्मीनल के निर्माण के बारे में एक व्यवहार्यता रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्देशीय यातायात के वास्तविक आंकड़े तथा उनकी प्रतिशत वृद्धि दर निम्नलिखित तालिकाओं में दिए गए हैं :—

(i) वास्तविक अंतर्देशीय यातायात के आंकड़े :—

	1974-75	1975-76	1976-77
बम्बई . . .	12,41,292	14,65,131	15,28,963
कलकत्ता	7,04,343	8,15,070	8,73,815
दिल्ली . . .	10,24,070	11,50,276	12,63,717
मद्रास	4,40,812	4,65,752	5,53,694

(ii) प्रतिशत वृद्धि दर :—

	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि			1974-75 की तुलना में 1976-77 की कुल औसत वृद्धि
	1974-75	1975-76	1976-77	
बम्बई . . .	—	18.03	4.35	23.1
कलकत्ता . . .	—	15.72	7.21	24.0
दिल्ली . .	—	12.32	9.86	23.4
मद्रास . . .	—	5.66	18.88	25.6

तकनीकी अर्हता प्राप्त अधिकारियों द्वारा अधिक सेवा के नियम

6923. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1950 के केन्द्रीय विनियमों के नियम 50 के अनुसार तकनीकी अर्हता प्राप्त अधिकारियों को सेवा में अधिक वर्षों तक रखा जा सकता है और उक्त नियम को न उत्सादित किया जाता है और न रद्द किया जाता है;

(ख) इसे सभी मंत्रालयों/विभागों में एकरूपता के साथ कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया है;

(ग) उपरोक्त नियम के पालन के लिए बल देने वाले नये अनुदेश जारी किये जाएंगे जिससे कि उद्योग मंत्रालय में तकनीकी विकास का महानिदेशालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय आदि को इस उपबन्ध के अन्तर्गत किया जा सके; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ये लाभ उन अधिकारियों को उपलब्ध किये जाएं जो न उपबन्धों का पालन न किये जाने के कारण यह लाभ प्राप्त किये बिना ही सेवा निवृत हो गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) 1950 के केन्द्रीय विनियम, नामक कोई विनियम नहीं हैं । लेकिन केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 में विशिष्ट परिस्थितियों में अर्हक सेवा में, अतिरिक्त सेवा जोड़ने की व्यवस्था है । यह नियम निम्नलिखित सेवाएं अथवा पद रखने वाले सभी विभागों/मंत्रालयों पर लागू होता है :--

(क) जिनके लिए स्नातकोत्तर अनुसंधान, अथवा वैज्ञानिक, प्रोद्योगिकीय अथवा व्यावसायिक क्षेत्रों में विशेषज्ञ योग्यता अथवा अनुभव अनिवार्य है; अथवा

(ख) जिनमें सामान्यतः 25 वर्ष से अधिक आयु वाले उम्मीदवार की भर्ती की जाती है ।

इस नियम का अनुपालन न किए जाने अथवा इस उपबन्ध को लागू न किए जाने के कारण लाभों से वंचित किये जाने के संबंध में कोई मामला देखने में नहीं आया है ।

दिल्ली में पेंट्रोल पम्प मालिकों द्वारा कदाचार

6924. **श्री जी० एम० बनतवाला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पेट्रोल पम्प उपभोक्ताओं को मीटर में दिखाई गई मात्रा से कम पेट्रोल दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने की प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पेट्रोल पम्प मालिक मिलावटी मोबिल आयल भी बेच रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं।

(ख) वाट तथा माप प्रवर्तन अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों के सभी पेट्रोल पम्पों की समय-समय पर जांच करते हैं और यदि कोई पम्प दोषपूर्ण पाया जाता है तो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को विस्तारत राजस्थान बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। वर्ष 1977 के दौरान जांच किये गये लगभग 2000 मामलों में से कम मात्रा में पेट्रोल देने के 31 मामले पकड़े गये और उनके बारे में उपाचारात्मक कार्रवाई की गई।

(ग) व (घ) सरकार को तेल कम्पनियों के अधिकृत डीलरों द्वारा बेचे जाने वाले स्नेहक तेलों की किस्म के बारे में कोई गम्भीर शिकायत नहीं मिली है ।

मिजोरम में अदरक का उत्पादन

6925. **डा० आर० रोथुअम : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और सिंचाई मंत्रालय मिजोराम से अदरक 90 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने पर सहमत हो गया है जब कि वर्ष 1975-76 में तत्कालीन राज्य सरकार (मिजोराम) ने अदरक 120 रु० प्रति क्विंटल की दर से खरीदा था ;

(ख) क्या इस समय मजोराम में व्याप्त भयंकर थिंगटैम अकाल और राज्य के निर्धन किसानों का अदरक आमदनी का एक मात्र साधन होने के कारण मंत्रालय का विचार अदरक का मूल्य 90 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कम से कम 150 रुपये प्रति क्विंटल करने का है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अदरक की विपणन समस्या को हल करने के लिए इसके लिए एक डीहाइड्रेशन संयंत्र या अदरक सम्बन्धी कोई अन्य कारखाना लगाने का है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं । न तो कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय ने और न ही मिजोराम प्रशासन ने वर्ष 1975-76 में अदरक की खरीद की । तथापि, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) तथा मिजोराम एपेक्स कोआपरेटिव मार्किटिंग सोसायटी लिमिटेड ने मिलकर मिजोरम में उस वर्ष संघ शासित प्रशासन द्वारा निर्धारित 125 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर अदरक की खरीद की ।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

उच्च न्यायालयों में विचाराधीन पड़े आयकर तथा अन्य करों के मामले

6926. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में आय कर, धन कर और निगम कर के कितने मामले विचाराधीन पड़े हैं और कितने मामले पांच वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन पड़े हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

यूनाइटेड कार्माशियल बैंक के अध्यक्ष द्वारा श्रमिकों के विभिन्न संघों के सदस्यों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार

6927. **श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड कार्माशियल बैंक के अध्यक्ष श्रमिकों के विभिन्न संघों के सदस्यों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं;

(ख) क्या कुछ संघों के पदाधिकारियों का तबादला किया गया है और उनके स्थान पर आल इण्डिया बैंक एम्पलाइज़ एसोसिएशन के सदस्यों को लिया गया है;

(ग) क्या यूनाइटेड कर्मशियल बैंक वर्कर्स आर्गेनाइज़ेशन के वाइस-प्रेसीडेंट का नागपुर से तबादला कर दिया गया है और इस रिक्त स्थान को आल इण्डिया बैंक एम्पलाइज़ एसोसिएशन के एक सदस्य को नियुक्त करके भरा गया है; और

(घ) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) बैंक ने सूचित किया है कि तबादले सामान्य रूप से किए जाते हैं और कर्मचारियों के विभिन्न संघों के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाता है। कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के तबादले शास्त्री एवार्ड के उपबंधों के अनुसार किए जाते हैं।

(ग) सम्भवतया श्री एस० सी० अग्रवाल का उल्लेख किया गया है जो यूनाइटेड कर्मशियल बैंक की इतवारी (नागपुर) शाखा में काम कर रहे थे। बैंक के अनुसार, श्री अग्रवाल की जनवरी, 1976 में अधिकारी के रूप में पदोन्नति की गई थी और अधिकारियों का संवर्ग अखिल भारतीय आधार पर है, इसलिए सामान्य नियमों के अनुसार उनका तबादला बैंक की इतवारी (नागपुर) शाखा से पूना कैम्प शाखा को कर दिया गया था।

(घ) सरकार द्वारा इस विषय में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

नेशनल हेराल्ड द्वारा बेनामी रूप में राशि जमा किया जाना

6928. श्री कंवर लाल गुप्त: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेशनल हेराल्ड के प्राधिकारियों ने बेनामी रूप से लगभग एक करोड़ रुपये जमा किए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने इस राशि को विभिन्न नामों से नेशनल हेराल्ड के पास जमा किया था;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

(ङ) नेशनल हेराल्ड ने गत चार वर्षों में कितने लाभ की घोषणा की और कितने लाभ पर इसका निर्धारण किया है; और

(च) आय में वृद्धि के कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) से (घ) नेशनल हेरल्ड के मुद्रक तथा प्रकाशक मैसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लि० की लेखा-पुस्तकों की छानबीन से पता चला है कि 1 अप्रैल 1970 से 31 अगस्त 1977 तक की अवधि में कुल 82 लाख रुपये से अधिक की नकद रकम प्राप्त हुई दिखाई गई है जिनके बारे में उस (उन) व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम (नामों) का उल्लेख नहीं है जिससे (जिनसे) रकमें प्राप्त हुई थीं। ये प्राप्तियां हिसाब में कम्पनी की आय के रूप में दिखाई गई हैं और आय की विवरणी में दिखाई गई आय में शामिल की गई हैं, तथा उनका कर निर्धारण हुआ है। रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि कम्पनी को इस रकम का कोई भाग, श्रीमती इंदिरा गांधी से मिला हो। आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है।

2. मैसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लि० की लेखा-पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों की जांच का कार्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209-क के अधीन दिसम्बर 1977 से फरवरी 1978 तक के बीच हाथ में लिया गया था। जांच रिपोर्ट अब विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) में प्राप्त हो गई है और वह वहां विचाराधीन है।

(ङ) और (च) नेशनल हेरल्ड के मुद्रक तथा प्रकाशक, मैसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लि० की घोषित/निर्धारित आय का ब्यौरा यों है :—

कर-निर्धारण वर्ष	विवरणी में दिखाई गई आय/हानि	निर्धारित आय/हानि
1974-75	हानि 8,96,311 रु०	हानि 2,37,564 रु०
1975-76 . .	हानि 8,04,016 रु०	हानि 5,35,887 रु०
1976-77 . .	हानि 2,34,740 रु०	(कर-निर्धारण अभी होना है)।
1977-78 .	आय 11,89,625 रु०	(कर-निर्धारण अभी होना है)।

कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए आय की विवरणी में दिखाई गई और निर्धारित हानि के बीच अन्तर मुख्यतः इसलिए है कि मूल्यह्रास का पुनः निर्धारण किया गया है, वसूली नहीं होने योग्य ऋणों तथा उपदान इत्यादि के लिए की गई व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया है। कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए यह अन्तर मुख्यतः वसूल नहीं होने योग्य ऋणों तथा बोनस के लिए की गई व्यवस्था को स्वीकार नहीं करने के कारण हैं।

Bungling in garment export

6929. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce, Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the "Economic Times" dated 21st March, 1978 in which large scale bungling in garment export has been reported;

(b) if so, the procedure prescribed in regard to export of garments;

(c) the procedure adopted by the Textile Export Promotion Council in this regard;

(d) whether it is a fact that inquiry is also being conducted by C.B.I. into this matter; and

(e) if so, the full facts in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) Yes, Sir.

(b) Exports of garments to countries having bilateral textile agreements with India whereunder exports are subject to quantitative limits. are being regulated through the Cotton Textiles Export Promotion Council by way of quota distribution on the basis of the guidelines provided by the Government from time to time. The guideline provided to the Council for the first six months of 1978 envisaged the allotment of 60% of the annual quota during the first half of the quota year leaving 40% for the second half. The distribution policy for the 60% of the quota was :

(i) 50% reserved for high price realisation.

(ii) 50% for first come first served basis of which 25% was set a side for reservation against confirmed orders and 25% was set aside for ready goods for shipment duly supported by Textile Committee inspection certificates.

The Council was directed to make efforts to ensure reasonable realisation through floor price mechanism, where practicable. The council on the basis of the recommendations of its Garments Panel fixed a floor price of Rs. 12 per piece for woven garments.

Subsequently as the demand for quota was heavy and keeping in mind the fact that a large proportion of India's exports to the quota countries are to meet the requirements of the Spring and Summer seasons, Government have decided to bring forward 20% of the annual quota from the next six montly period for allotment during the current six monthly period on first come first served basis against ready goods. This should ease the situation considerably.

(c) The procedure followed by the Council, deviated from the guidelines as is apparent from the following :—

(i) the applications for quota allotment were not invited in one circular;

(ii) free shipments against annual quota level were allowed from 1-1-1978 to 6-2-1978 without being debited to 25% set aside for ready goods under Government" guidelines for first six months; and

(iii) balance of annual quota remaining on 6-2-1978 was allocated in accordance with the guidelines provided by Government except that 10% of the quota available for the first six months was set aside for garments worth Rs. 40/- and above.

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सहकारिता समितियों की संस्थाओं में निहित स्वार्थों का शीर्ष स्थान

6930. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निहित स्वार्थों वाली पार्टियों ने सहकारी समितियों की संस्थाओं में शीर्ष स्थान ग्रहण कर रखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बात को किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है कि सहकारी समितियों की संस्थाएं राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ निकाय हों ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) इस आशय की सामान्य स्वरूप की शिकायतें समय-समय पर मिली हैं कि सहकारी संस्थाओं में निहित स्वार्थों का प्रभुत्व है।

(ख) सहकारी संस्थाओं में निहित स्वार्थों के प्रभुत्व को रोकने के लिए कई उपाय आरम्भ किए गए हैं। 1968 में हुए मुख्य मंत्रियों तथा सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सहकारी संस्थाओं को निहित स्वार्थों के प्रभुत्व से बचाने के लिए निम्नलिखित सामान्य उपाय करें :—

(क) साहूकारों तथा बिचौलियों आदि को सहकारी समितियों का सदस्य न बनने दिया जाए।

(ख) प्राथमिक समितियों की सदस्यता सबके लिए खुली हो।

(ग) सहकारी समितियों के प्रबंध मण्डल में कमज़ोर वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जाएं।

(घ) समितियों की संख्या, जिनमें कार्यकालों की संख्या जिनके लिए किसी व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण किया जा सकता है, पर रोक होनी चाहिए।

(ङ) सहकारी समितियों के पदाधिकारियों को दिए जाने वाले ऋणों का नियमन।

(च) स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा नियमित चुनाव।

कई राज्य सरकारों ने उपर्युक्त कुछ अथवा सभी सिफारिशों को कार्यरूप दे दिया है। इसके अतिरिक्त, कई सहकारी सोसाइटी अधिनियमों में भी कुछ वर्गों की सहकारी संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों में कमज़ोर वर्गों के लिए अधिक संख्या में स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था है। कुछ मामलों में, आरक्षित स्थानों की संख्या प्रबन्ध समिति के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों की समितियों के मामले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबन्ध समिति सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई तक है। हाल ही की एक अन्य विशेष बात यह है कि कुछ राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों में संशोधन करके कुछ वर्गों की सहकारी समितियों में सदस्यता के लिए आवेदन पत्र की तारीख से ही खुली एवं स्वतः सदस्यता की व्यवस्था की गई है। ये सभी उपाय इसलिए किए गए हैं कि सहकारी संस्थाओं में निहित स्वार्थों का बना रहना रोका जा सके। हाल ही में दिसम्बर, 1977 में हुए राज्य सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ एक सहकारी नीति संकल्प अपनाया गया, जो छोटे तथा सीमान्त किसानों और खेतिहर मज़दूरों, ग्रामीण दस्तकारों तथा मध्यम व निम्न आय वर्गों के सधारण उपभोक्ताओं का हित साधन करने वाले स्वायत्त, आत्मनिर्भर एवं राजनैतिक दृष्टि से तटस्थ आन्दोलन के रूप में सहकारी आन्दोलन का विकास करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह संकल्प गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों ही प्रकार के सह-कारियों को निश्चित निर्देश प्रदान करता है। यह सहकारी नीति संकल्प आवश्यक कार्रवाई आरम्भ करने के लिए राज्य सरकारों को भेजा जा चुका है। राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सहकारी समितियों का प्रबन्ध व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित व्यवस्थापकों के हाथ में रहे और उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में राजनीति का प्रवेशन हो। राज्य सहकारी कानूनों में ऐसा उपबन्ध भी है, जिसके अन्तर्गत सरकार को सहकारी संस्थाओं के निदेशक मण्डलों में अपनी ईक्विटी पूंजी के अनुसार कुछ निदेशक मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे केवल उनके क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों तथा ऐसे अधिकारियों में से ही निदेशक मनोनीत करें जिन्हें अपेक्षित अनुभव प्राप्त हो और जिनकी पृष्ठभूमि हो। इससे एक सीमा तक सहकारी समितियों से राजनीति भी हट जाएगी।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : अध्यक्ष महोदय, निदेश 115 के अधीन मैंने सदन में गलत वक्तव्य देने के लिए इस्पात और खान मंत्री, श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध आपको एक नोटिस दिया है....**

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय: यदि आप मुझे अवसर देंगे तो निःसंदेह प्रत्येक मामले पर विचार किया जाएगा। यदि 20 व्यक्ति एक साथ बोलेंगे तो क्या अवसर दिया जा सकता है......

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सौगत राय ने कहा है कि उन्होंने नियम 115 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया है।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : स्थगन प्रस्ताव पहले लिया जाता है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु यदि आप बीच में बोलेंगे तो इससे आपको सहायता नहीं मिलेगी ।

नियम 115 के अन्तर्गत नोटिस को मंत्री के पास स्पष्टीकरण के लिए भेज दिया गया है। इसके मिलने पर आवश्यक आदेश दिए जाएंगे। सामान्य प्रक्रिया यही है।

कुछ स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं को मैंने गृहीत नहीं किया है क्योंकि गृह मंत्रालय की मांगों पर 18 अप्रैल को विचार किया जा रहा है। अतः इस पर तब चर्चा की जा सकती है ।

व्यवधान**

इसी प्रकार सी० आई० ए० मामलों के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को मैंने गृहीत नहीं किया है क्योंकि 17 तारीख को विदेश मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे बोलने के बाद। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल मत कीजिए। **(व्यवधान)** **

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने कहा है क्योंकि गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होने जा रही है, अतः पंतनगर विश्वविद्यालय के मामले पर विचार नहीं किया जा सकता।

स्थगन प्रस्ताव का आशय क्या है ? इस पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए। हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। सी० आई० ए० द्वारा हिमालय क्षेत्र में आण्विक उपकरणों के प्रभाव....... **(व्यवधान)**

Shri Bharat Bhushan (Nainital) : It is necessary to have a discussion on this matter. The situation is so serious that there is no law and order. Therefore Government should pay immediate attention towards it.

श्री सी० एम० स्टीफन (इदुक्की) : हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि समाचार-पत्रों में इस समाचार को बहुत महत्व दिया गया है। अब लोगों को पता चलना चाहिए कि संसद् उस पर विचार कर रही है। कम से कम इसे नियम 377 के अधीन उठाने दिया जाए ताकि लोगों को पता चले कि संसद् इस विषय के प्रति लापरवाह नहीं है। **(व्यवधान)** **

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि क्या गृहीत किया जाए और क्या गृहीत नहीं किया जाए । इन मामलों में मुझे आदेश देने की जरूरत नहीं है। श्री उग्रसेन, इस तरीके से 'हल्ला-गुल्ला' क्यों किया जा रहा है ? **(व्यवधान)** **

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं नियम 376 और 377 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। सी० आई० ए० का मामला एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। मैं नियम 377 उद्धृत करता हूं :

> "जो सदस्य सभा की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देगा जिसमें संक्षेप में उस विषय को बताएगा जिसे वह सभा में उठाना चाहता हो तथा साथ में कारण भी बताएगा कि वह उसे क्यों उठाना चाहता है और उसे ऐसा प्रश्न करने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दी जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिए दी जाएगी जो अध्यक्ष निश्चित करें।"

यह एक अत्यंत गम्भीर मामला है और पूरे देश से संबंधित है। अतः आप मंत्री महोदय को इस मामले पर वक्तव्य देने के लिए कहें।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : मैं सदस्यों से पूर्णतया सहमत हूं कि यह एक गम्भीर मामला है। समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्ट देखने और वाशिंगटन में हमारे दूतावास से कुछ जानकारी प्राप्त होने के तुरंत बाद हमने संयुक्त राज्य अमरीका के राजदूत को विदेश मंत्रालय के कार्यालय में बुला कर उनसे 1965 में हिमालय क्षेत्र में सी० आई० ए० द्वारा कुछ आण्विक उपकरण रखे जाने के समाचार पर गहरी चिंता प्रकट की और राजदूत ने हमें आश्वासन दिया है कि वह वाशिंगटन से सम्पर्क स्थापित कर हमें पूरी जानकारी देंगे। हम बाहर से भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे एक दो दिन और प्रतीक्षा करें।

श्री सौगत राय : श्रीमान्, मंत्री महोदय मानते हैं कि यह काफी महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी हमेशा यह सोचा है कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है।...... इसे कार्यवाही वृत्तांत में मत शामिल करें।

(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमान्, यह मामला महत्वपूर्ण तो है लेकिन स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। मैं इस मामले पर मध्याह्न में एक वक्तव्य देने के लिए तैयार हूं लेकिन बेहतर होगा यदि मुझे सोमवार को ऐसा करने के लिए कहा जाए। **(व्यवधान)**

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर) : इस पर आज ही चर्चा होनी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना को गृहीत किया जाए। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि जानकारी मिलने के बाद वह इस पर एक वक्तव्य देंगे। यही कारण है कि मैंने इसकी अनुमति नहीं दी थी। अतः इसके लिए थोड़े समय की जरूरत है। 17 तारीख को विदेश मंत्रालय की मांगों के अवसर पर इस पर चर्चा की जा सकती है। **(व्यवधान)** अतः इस मामले पर और कोई बहस न की जाए।

श्री बसंत साठे (अकोला) : आपने अब पूरे मामले को महत्वहीन बना दिया है **(व्यवधान)** आप इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा कि इसकी अनुमति दी जाए अथवा नहीं।

(व्यवधान)**

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : श्रीमन्, आपने संकेत किया है कि इस मामले पर विदेश मंत्रालय की मांगों के समय बहस की जाएगी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। अतः इस पर सामान्य चर्चा नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : हम सभी इस बात से सहमत हैं।

Shri Nathu Singh (Dausa) : Sir, my point of order comes under rule 376 and rule 41 and 42. (*Interruption*) I had given a question about disrespect to the National Flag.

अध्यक्ष महोदय : इसमें नियम की अवहेलना नहीं हुई है। अतः यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है कृपया आप बैठ जाइए। इसे कार्यवाही वृत्तांत में मत शामिल कीजिए।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

श्री समर गुह (कन्टाई) : प्लूटोनियम रियेक्टर के इस मामले पर तात्कालिक कार्यवाही करने की जरूरत है और पता लागना चाहिए कि क्या गंगा का पानी दूषित हो गया है अथवा नहीं ....

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस जानकारी को मंत्री महोदय को दे दें। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(**व्यवधान**)**

श्री समर गुह : आप मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दे सकते हैं। अन्यथा मैं नहीं बैठूंगा।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : एक सदस्य के लिए एक प्रकार का नियम और दूसरे सदस्यों के लिए अन्य प्रकार के नियम नहीं हो सकते। आपके पास बहुमूल्य जानकारी हो सकती है जिसे आप मंत्री महोदय को सौंप सकते हैं। आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस सदन को नेतृत्व प्रदान करें और मुझे इस मामले को निपटाने में सहायता प्रदान करें। यदि आप यह कहें कि मैं इस सदन में सत्याग्रह करूंगा तो सदन की कार्यवाही का संचालन करना संभव नहीं ह सकेगा। इस सदन के 540 सदस्य हैं और यदि उनमें से प्रत्येक सदस्य एक मिनट बोलने के लिए कहें तो यह स्वीकार करना संभव नहीं हो सकेगा। आप इतने उत्तेजित क्यों हैं।

श्री समर गुह : मैं अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय से सहमत हूं। कृपया मुझे एक मिनट बोलने का समय दीजिए और तदुपरान्त आप निर्णय करें कि क्या मेरा अनुरोध उचित है अथवा नहीं।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए। हम इस मामले पर चेम्बर में विचार-विमर्श करेंगे। यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे प्रत्येक सदस्य को अनुमति देनी पड़ेगी।

(**व्यवधान**)**

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : विपक्षी सदस्यों तथा अन्य सदस्यों ने बहुत-से मुद्दे उठाए हैं और विपक्षी सदस्यों के अनुरोध के कारण विदेश मंत्री सोमवार को वक्तव्य देंगे। यदि श्री समर गुह इसमें कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए...... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री गुह और अन्य सदस्यों का अत्यधिक आदर करता हूं। यदि मैं श्री गुह के साथ किसी अन्य तरह से व्यवहार करता हूं तो मैं निष्पक्ष नहीं रहूंगा। मैं अपने सिद्धान्तों पर अडिग रहूंगा।

श्री समर गुह : क्या यह सच नहीं है कि आपने मेरा नाम पुकारा था ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा था कि आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। पीठासीन अधिकारी की सहायता करना आपका तथा अन्य सदस्यों का कर्त्तव्य है। मंत्री महोदय ने इसे नोट कर लिया है; कृपया बैठ जाइए........ (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : प्रो० गुह ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख किया है और उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

श्री सी० एम० स्टीफन : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया गया है......... (**व्यवधान**)

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन के रिकार्ड के अनुसार कोई सुझाव नहीं दिया गया है। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप उस नियम अथवा कानून का उल्लेख कीजिए जिसका उल्लंघन किया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबद) : नियम 352 के अन्तर्गत बोलते समय कोई सदस्य (एक) किसी ऐसे तथ्य विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक निर्णय लम्बित हो; (दो) किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोप नहीं करेगा। इस शोर-शराबे के दौरान ......(**व्यवधान**) मैंने विपक्ष के सदस्य को कहते सुना.......अपशब्द @

(**व्यवधान**) यदि यह रिकार्ड में गया हो तो इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह कार्यवाही वृत्तांत में है तो इसे और इसी प्रकार की अन्य सीधी अभिव्यक्ति को निकाल दिया जाएगा।

(**व्यवधान**)**

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की छठी किस्त नकद देने के लिए सरकार के निर्णय के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. GOVERNMENT'S DECISION TO PAY THE SIXTH INSTALMENT OF DEARNESS ALLOWANCE TO GOVERNMENT EMPLOYEES IN CASH

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने 27 फरवरी, 1978 को सदन में यह घोषणा करते हुए एक वक्तवय दिया था कि सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1-1-1978 से मंहगाई भत्ते की एक अतिरिक्त (छठी) किस्त देने का फैसला किया है। मैंने और आगे यह भी बताया था कि अब तक अपनाई गई परिपाटी का अनुसरण करते हुए जब कि सरकार मंहगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति देने के लिए सहमत है लेकिन इस किस्त को किस रूप में और किस प्रकार से अदा किया जाए, यह एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के साथ विचारविमर्श करना चाहती है।

2. सरकार ने कर्मचारी पक्ष के साथ विचार-विमर्श किया है और सुझाव दिया है कि दिए जाने वाले मंहगाई भत्ते की रकम को कर्मचारियों द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः राष्ट्रीय विकास बांडों में लगाया

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

@अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

@Expunged as ordered by the Chair.

जाना चाहिए। सरकार ने अनुरोध किया कि जब कि चालू फार्मूला के अनुसार मंहगाई भत्ता देने की बात स्वीकार कर ली गई है लेकिन मूल्यस्तरों को नियंत्रण में रखने और धन की सप्लाई को कम करने में सरकार की सहायता करना स्वयं कर्मचारियों के व्यापक हित में होगा। राष्ट्रीय विकास बांडों में निवेश करके बचत करना सरकारी कर्मचारियों के लिए समझदारी की बात भी होगी।

3. मुझे खेद है कि दिए जाने वाले मंहगाई भत्ते को पूर्णतः अथवा अंशतः राष्ट्रीय विकास बांडों में लगाने के लिए कर्मचारियों को समझाने की दिशा में किए गए हमारे प्रयत्न फलीभूत नहीं हुए हैं। कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे मंहगाई भत्ते के एक अंश को राष्ट्रीय विकास बांडों में लगाने के प्रश्न पर विचार करेंगे बशर्ते कि सरकार फार्मूला में ही कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए, जिनमें निराकरण के प्रतिशत में आधे प्रतिशत की वृद्धि और कम से कम उपदान और सेवा-निवृत्ति लाभों का हिसाब लगाने के प्रयोजन के लिए वेतन और 272 अंकों तक मंहगाई भत्ते का शामिल किया जाना भी है। सरकार ने कर्मचारी पक्ष को बता दिया है कि इन व्यापक प्रश्नों को जोड़ना संभव नहीं होगा। वेतनों और आय का संपूर्ण प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। सरकार को देश में परिचालित मंहगाई भत्ते फार्मूले के संपूर्ण प्रश्न पर विचार करना होगा और इसलिए इस स्थिति में कोई तदर्थ परिवर्तन करना अवांछनीय होगा। फिर भी, सरकार इन दूसरे मामलों पर कर्मचारी पक्ष के साथ विचार-विमर्श करती रहेगी।

4. इन परिस्थितियों में सरकार ने फैसला किया है कि मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त (छठी) किस्त कर्मचारियों को नकद अदा कर दी जाए।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत विलायक-मिस्सारित तेल, तेलरहित भोजन और खाद्य आटा (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा० सां० नि० 209(ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2090/78]

(2) विलायक-निस्सारित तेल, तेलरहित भोजन और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967 के खंड (2) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 195 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2091/78]

श्री विनोद भाई राठे : तेलरहित रोटियों के बारे में सरकार की नीति बड़ी बिचित्र है। जब तक दस लाख टन तेलरहित रोटियां फालतू हैं तो--

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण नहीं कर सकते। इसे सभा पटल पर रखने में आपको क्या आपत्ति है ?

श्री विनोद भाई राठे : आपको इस समूची नीति पर पुनः विचार करना चाहिये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) सा० सां० नि० 213(ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 214(ङ) और 215(ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 218(ङ) और 219(ङ) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 221 (ङ) और 222(ङ) जो निांक 1 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2092/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) सा० सां० नि० 202(ङ) जो दिनांक 30 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 210(ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2093/78)

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों में नया विनियम 5ख जोड़ने वाले संशोधन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति :—

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2094/78]

मुख्य चिनाव नदी पर सलाल पन विजली संयंत्र के डिजाइन के बारे में भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुए करार के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. AGREEMENT BETWEEN INDIA AND PAKISTAN REGARDING DESIGN OF SALAL HYDRO-ELECTRIC PLANT ON RIVER CHENAB MAIN

विदेश मंत्री (श्री अटल विहारी बाजपेयी) : जैसा कि संसद को स्मरण होगा सिन्धु जलसंधि, 1960 में यह व्यवस्था है कि भारत तीन पूर्वी नदियों (सतलुज, रावी और ब्यास) का अनन्य प्रयोग करेगा और पाकिस्तान तीन पश्चिमी नदियों (चिनाब, झेलम और सिन्धु) के पानी का अनन्य प्रयोग करेगा। अनन्य प्रयोग से अभिप्राय यह था कि घरेलू और खेती के काम के लिए कुछ सीमित प्रयोग को छोड़कर पश्चिमी नदियों का पानी पन बिजली पैदा करने जैसे कामों जिनमें पानी खर्च न होता हो,

को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं निकाला जाएगा, लेकिन इस संधि के अन्तर्गत नदी जल के निचले इलाके के उपभोक्ता के नाते पाकिस्तान को डिजाइन का अध्ययन करके अपने मत से इस आधार पर आपत्ति उठाने का अधिकार था कि यह डिजाइन उपर्युक्त संधि में निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप नहीं है। जम्मू और काश्मीर राज्य में चिनाब पर सलाल पनबिजली, प्रायोजना की योजना केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग द्वारा बनायी गई थी जो पूरी हो जाने पर 345 मेगावाट बिजली पैदा करेगी और इससे जम्मू तथा काश्मीर राज्य और उत्तरी क्षेत्र के अन्य राज्यों के लिए बिजली की उपलब्ध मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इसके डिजाइन सबसे पहले 1970 में पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त को भेजे गये थे। पाकिस्तान ने इन डिजाइनों पर तरह-तरह की आपत्तियां उठाई थीं और संक्षेप में यह कहा था कि यह डिजाइन संधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। यह भी कहा गया कि इससे भारत को इस नदी के बहाव को इस प्रकार से मोड़ने की क्षमता मिल जाएगी। जिससे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। परिणामतः 1974 से स्थायी सिन्धु आयोग में विचार-विमर्श होता रहा है और 1975 से यह विदेश सचिव के स्तर पर चल रहा है।

इन विचार विमर्शों से मतभेद दूर नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप एक बार तो इस बारे में विचार किया गया कि इस संधि के प्रावधानों के अन्तर्गत इस सवाल को किसी तटस्थ विशेषज्ञों को सौंप दिया जाए। जो भी हो, राजनयिक सबंधों को तथा अन्य टूटे हुये सम्पर्कों को पुनः जोड़ने पर समझौता हो जाने और 1972 में शिमला समझौते में हुई सहमति को ध्यान में रखते हुए हमने पाकिस्तान को द्विपक्षीय वार्ता के लिये आमंत्रित करके इस समस्या को सुलझाने की दिशा में पहलकदमी की पाकिस्तान ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और अक्तूबर 1976 में नई दिल्ली और इस्लामाबाद में विदेश सचिवों के स्तर पर बातचीत के दो दौर हुये। इन वार्ताओं से मतभेद कम करने की दिशा में सफलता मिली और डिजाइन से संबद्ध मसलों के संबंध में एक व्यापक सहमति हुई लेकिन किसी समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

इस वर्ष फरवरी में जब मैं इस्लामाबाद गया तो पाकिस्तान सरकार ने सलाल संयंत्र के विषय बातचीत शुरू करने के लिए अपनी तत्परता का संकेत दिया। सदन को यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वर्तमान विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप सलाल बिजली संयंत्र के डिजाइन के संबंध में एक समझौता संभव हो सका है जिस पर आज ही हस्ताक्षर किये गये हैं। इस करार की शर्तों के अनुसार अधिप्लव मार्ग द्वारों की ऊंचाई 30 फुट होगी और सभी जल-द्वार जलाशय के पहली बार पूर्ण जलाशयता स्तर तक भरे जाने के तारीख से एक वर्ष के भीतर अथवा जलाशय अधिप्लव द्वार के शीर्ष स्तर तक पहली बार भरे जाने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर इनमें जो भी पहले हो जाए, बंद कर दिये जायेंगे। इस संयंत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ने की किसी अप्रत्याशित स्थिति का मुकाबला करने के लिए इसमें पर्याप्त व्यवस्था रखी गयी है। अनिवार्यतः इस डिजाइन के विवरण वे ही है जिनके विषय में अक्तूबर 1976 में इस्लामाबाद में अनौपचारिक रूप से सहमति हुई थी।

इस प्रकार, एक महत्वपूर्ण और एक ऐसी अत्याधिक कठिन समस्या सुलझ गयी है जोकि दोनों देशों के बीच संबंधों को बिगाड़ती आयी है और इससे दोनों ही देश संतुष्ट हैं।

यह बातचीत समझबूझ और सौहार्द के वातावरण में हुई, जिससे कि दोनों देशों के बीच संप्रभुता, समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर मैत्री और अच्छी प्रतिवेशिता के संबंधों को आगे बढ़ाने की इच्छा परिलक्षित होती है जिससे कि दोनों देशों के बीच सहयोग और पारस्परिक विश्वास के नये युग का शुभारंभ हो सके।

इस करार से एक बार फिर यह बात प्रतिपादित होती है कि जनता सरकार पहले के दायित्वों का सम्मान करती है और अपने निकट पड़ोसियों के साथ पहले से भी अधिक उत्साहपूर्वक सहयोग के संबंध विकसित करने के लिये प्रयत्नशील है। हम आशा करते हैं कि यह करार इन नीतियों को सुदृढ़ करने में और हमारे उपमहाद्वीप के क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और इस प्रकार इस क्षेत्र के राष्ट्रों को अपने प्राकृतिक संसाधनों से अधिक लाभ उठाने का, अपने विकास की गति बढ़ाने का और इस क्षेत्र के देशों के लोगों का हित संवर्धन करने का अवसर मिलेगा।

मुख्य चिनाव नदी पर सलाल पन बिजली संयंत्र के डिजाइन के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य की सरकार के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य की सरकार,

संप्रभुता, समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ और संवर्धित करने की इच्छा से

सिन्धु जल संधि, 1960 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, दोनों सरकारें जिसकी पक्षकार हैं,

मुख्य चिनाब पर सलाल पनबिजली संयंत्र के डिजाइन के बारे में दोनों सरकारों के बीच जो मतभेद पैदा हो गए थे उन पर विचार-विमर्श कर लेने के बाद, और

सिन्धु जल संधि, 1960 (जिसका उल्लेख इसके बाद संधि कहकर किया गया है) के प्रावधानों को अथवा इसके अन्तर्गत इसके पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :—

अनुच्छेद - 1

सलाल पनबिजली संयंत्र की मुख्य बातें निम्नलिखित के अनुरूप होंगी :

(1) अवस्थिति	सलाल पर, अक्षांश 74° 50/पूर्व । देशांतर 33° 08/उत्तर।
(2) पूर्ण जलाशयता स्तर	ई एल 1600 फुट से ऊपर नहीं ।
(3) पूर्ण संचयन स्तर	पूर्ण जलाशया के स्तर के समान ही ।
(4) प्रचालन कुंड	शून्य ।
(5) पूर्ण संचयन क्षमता	230,303 एक फुट से अधिक नहीं ।
(6) अधिप्लव मार्ग का अचल शीर्षस्तर	पूर्ण जलाशयता स्तर से 30 फुट से अधिक नीचे नहीं ।
(7) अधिप्लव-मार्ग द्वार	इनकी संख्या 12 होगी । 50 फुट चौड़ा और 30 फुट ऊंचा । इनका डिजाइन इस तरह का होगा कि अगर अधिप्लव मार्ग द्वार समय से न खोले जाएं तो पानी इन द्वारों के ऊपर से छलककर बह जाए।

(8) शक्ति अन्तर्ग्रहण का स्तर	अन्तर्ग्रहण पर पेनस्टाक की मध्य रेखा पूर्ण जलाशयता के स्तर से 275 फुट से अधिक नीचे नहीं होगी।
(9) निकासी वर्क्स	इनकी संख्या 6 होगी, जिनका सिल स्तर उनतांश 1365 फुट से नीचे नहीं होगा । इन्हें जलाशय पहली बार पूर्ण जलाशयता स्तर तक भरे जाने की तारीख से एक वर्ष भीतर अथवा पहली बार जलाशय की अधिप्लव के शीर्षस्तर तक भरे जाने की तारीख के तीन वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, कंकरीट प्लगों से स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा ।
	पूर्ण संचयन किसी ऐसी अप्रत्याशित आपातीस्थिति को छोड़कर कम नहीं किया जाएगा कि जिसमें मिट्टी अथवा कंकरीट के बांध की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो । ऐसी स्थिति में भारत आपाती स्थिति के स्वरूप के बारे में पाकिस्तान की सरकार को तत्काल सूचना देगा और साथ ही साथ वह ऐसी भी कार्रवाई कर सकता है जो उस समय आवश्यक हो ।
	अगर कंकरीट प्लगों को हटाना आवश्यक हो जाए जो भारत तत्काल पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से परामर्श करेगा जिसमें संयंत्र का मौके पर निरीक्षण भी शामिल है ।

अनुच्छेद - 2

ऊपर अनुच्छेद 1 में बताये गये संयंत्र के डिजाइन से सम्बद्ध बातों में भारत कोई और परिवर्तन नहीं करेगा लेकिन परस्पर सहमति से ऐसा किया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 3

इस करार की व्याख्या अथवा इसे लागू किये जाने के संबंध में अगर दोनों पक्षकारों के बीच कोई सवाल उठता है अथवा कोई ऐसा तथ्य उपस्थित होता है जिसके स्थापित हो जाने की स्थिति में इस करार का उल्लंघन होता हो तो उसे संधि के, अनुच्छेद 9 के प्रावधानों के अधीन निपटाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 4

इस करार में जिन मामलों की विशिष्ट रूप से व्यवस्था नहीं की गई है वे संधि की व्यवस्थाओं से संचालित होंगे ।

अनुच्छेद - 5

इस करार में प्रयुक्त शब्दावली का वही अर्थ होगा जैसा कि संधि में परिभाषित है ।

अनुच्छेद - 6

यह करार हस्ताक्षर हो जाने पर लागू हो जाएगा ।

ईस्वी सन् 1978 के अप्रैल मास के 14वें दिन, नई दिल्ली में हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में, दो-दो प्रतियों में, सम्पन्न हुआ। ये सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे। लेकिन, शंका की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

(अटल बिहारी वाजपेयी)
विदेश मंत्री
भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

(आगा शाही)
विदेश मामलों के सलाहकार
पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य की सरकार की ओर से

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : श्रीमन मैं चिमाब मेन-नदी पर सलाल पन-विजली संयंत्र के डिजाईन के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए करार की एक प्रति सभापटल पर रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय आपको इस की एक प्रति मुझे देनी चाहिये थी. यह जरूरी है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: मुझे खेद है मैं क्षमा मांगता हूं

अध्यक्ष महोदय: आप यह सुनिश्चय कीजिये कि भविष्य में ऐसा न हो।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: निश्चय ही

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं? यह संयंत्र मेरे चुनाव क्षेत्र में है और यह एक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है परन्तु वहां प्रजनित होने वाली बिजली की मात्रा, परियोजना की लागत तथा इसकी पूर्ति संबंधी कार्यक्रम के बारे में स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। मंत्री महोदय ने केवल 30 फिट की बात कही है उससे तो परियोजना या तत्संबंधी करार के बारे में कोई ब्यौरा नहीं मिलता है। इस परियोजना पर गत दो वर्षों से काम चल रहा है इस करार का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह स्पष्ट किया जाना चाहिये

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: मैंने करार की एक प्रति सभा पटल पर रख दी है माननीय सदस्य इसका अध्ययन करलें तथा फिर यदि कोई ऐसी बात को उठायें जिसका निपटारा देश में ही हो सकता है तथा पाकिस्तान से उसका कोई संबंध न हो।

डा० कर्ण सिह: उद्देश्य यह नहीं है। बात यह है कि इस करार के फलस्वरूप कितनी बिजली कम हो जाएगी? यह एक राष्ट्रीय समस्या है और हमें उसके प्रभाव का पता होना चाहिये।
(व्यवधान)

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : श्रीमन क्या आप इस पर चर्चा की अनुमति दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी (अनन्तनाग) : मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा बल्कि जम्मू व काश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूं

अध्यक्ष महोदय : नियमों में ऐसा करने की अनुमति है

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : मैं गृह मंत्रालय की वर्ष 1978-79 के लिये अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2094/78]

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

कार्यवाही सारांश

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति की 31 दिसम्बर, 1976, सितम्बर, 1977 तथा 5 अक्तूबर, 1977 और 28 मार्च, 1978 को हुई बैठकों की कार्यवाहि का सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत: मैं नियम 305 ख(1) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं

अध्यक्ष महोदय: वक्तव्य पर कोई प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत: मैं जानता हूं । नियम 305 ग सभापटल पर रखे गये पत्रों के बारे में है । श्री गुप्त ने समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखे हैं ।

आप केवल उनका धन्यवाद कर रहे हैं । 31 दिसम्बर, 1976 की अवधि आपातस्थिति का समय है ।

खैर, समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश द्वारा सभा पटल पर रखे गये हैं । यह कार्यवाही नियम 305ख(1) के अन्तर्गत आती है । दूसरी बात यह है कि नियम 305(ग) के अधीन नियम 305 ख, उप-नियम (2) के अन्तर्गत आने वाले मामले नहीं उठाय जा सकते । स्पष्ट है कि नियम में दोष है जिनपर नियम समिति को विचार करना चाहिये । सभापटल पर रखे गये पत्रों के दौरान समिति की बैठकों के सारांश नहीं रखे जा सकते हैं । अतः नियम में उचित संशोधन किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय: कार्यालय इसे नोट करेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत: नियम 305 ख(1) में भी थोड़ी सी त्रुटि है ।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना सुझाव लिख कर दें ।

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं चालू सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) वाणिज्य पोत (संशोधन) विधेयक, 1978
(2) बाल विवाह अवरोध (संशोधन) विधेयक, 1978
(3) हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1978
(4) ब्याज विधेयक, 1978
(5) बाल (संशोधन) विधेयक, 1978

लोक-लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

80वां प्रतिवेदन

श्री सी० एम० स्टीफन (इदुक्की): मैं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1975-76 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल) के विपणन तथा विक्रय संगठन से सम्बन्धित पैराग्राफ 8 पर लोक लेखा समिति का 70वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

तीसरा प्रतिवेदन

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं सभा-पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

तीसरा प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं भारतीय पटसन निगम लिमिटेड--पटसन और पटसन उत्पादकों के शोषण पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) पश्चिम बंगाल में कुछ पटसन मिलों के लगातार बंद होने के समाचार

श्री सौगतराय (बैरकपुर) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं ।

हाजीनगर और टीटागढ़ में क्रमशः नईहारी पटसन मिल और किन्नीसत पटसन मिल 6 महीने से अधिक समय से बन्द पड़ी हैं । इन मिलों में 10,000 से अधिक लोग काम करते हैं । ये मिलें श्रमिक अशांति के कारण बन्द की गई थीं परन्तु अब वित्तीय अक्षमता, और कठिनाई की बात की जा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि राज्य या केन्द्रीय सरकार ने उन्हें खुलवाने का कोई प्रयत्न नहीं किया है । हावड़ा में नसकरपाड़ा पटसन मिल भी बन्द होने वाली है, इसीलिये मैं मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मिल को तुरन्त खुलवाया जाये और इनको अपने नियंत्रण में ले लिया जाये ।

(दो) भारतीय सुरक्षा सेनाओं द्वारा शिलांग समझौते के उल्लंघन का समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : फेक जिले में मेलोरी में स्थित भारतीय सुरक्षा सेना ने शिल्लांग समझौते का घोर उल्लंघन करके नागा ग्रुप के 18 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें कोहिमा जिलाजेल में रखा गया है, यह खेद की बात है कि कोहिमा ट्रांसिट पीस कैम्प के एक निवासी होशेना सेमा को इतनी यातनाएं दी गई कि वह मर गया और बाद में उसपर गोली चला दी गई । जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं वे शान्ति क्षेत्र की सीमा के अन्दर थे और उनका गिरफ्तार किया जाना अवैध है, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

(तीन) सेवाओं में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों के लोगों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का कथित समाचार

श्री बी० पी० मंडल (मधेपुरा) : केन्द्रीय तथा राज्य सरकार सेवाओं में, स्वतन्त्रता प्राप्ति के 30 वर्ष बाद भी सामाजिक दृष्टि से और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है ।

(चार) चौदह अप्रैल को जो डा० अम्बेडकर का जन्म दिन है, राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने का मामला

Shri Ramji Lal Suman (Firozabad) : D!. Ambedkar has done unprecedented mark in the historyof India by playing a leading role in the formation of constitution of India. I would, therefore, suggest it will be in the fitness of things if birthday of Dr. Ambedkar is declared as a national holiday.

(पांच) शाह जांच आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन को संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के बारे में

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : शाह जांच आयोग का अंतरिम प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । यह प्रतिवेदन लगभग दो महीने पहले सभा में प्रस्तुत किया गया था । सरकार को प्रतिवेदन के साथ साथ उसपर की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण भी सभा-पटल पर रखना चाहिये ।

अनुदानों की मांगें 1978-79

DEMANDS FOR GRANTS

श्रम मंत्रालय——जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी ।

Shri Ramdas Singh (Giridih) : First of all I would like to congratulate the Labour Minister for removing the restriction imposed on Trade Unions during the Emergency under MISA and DIR or DISIR and reinstating the persons of various undertakings detained in jail with all benefits.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

Mr. Deputy Speaker in the Chair

I would like to remind the hon'ble Minister that Harijan and Tribal workers working in washeries have not been reinstated so far, 1904 workers were removed in C.C.L. and B.C.C.L. on the plea that contract will be abolished. The goods were loaded in wagons and trucks through contractors and they were engaged for that work. The company had entered into an agreement with I.T.U.C. and A.I.T.U.C. because there was loan on our union and they were brought under civil section. They are still unemployed. Only those persons have been taken back who were well to do and were put in jails but those who could not raise their voice have not been taken back.

The Government had set up a tripartite committee comprising 30 Members to find out reasons for strikes lock outs and demonstration taking peace these days. The report of this committee has already been received in December. I want that action should be taken on that report. Many points have not been touched in it. There are different rules, service conditions in different public undertakings recently there was strike in A.E.O.T. in Bokaro Steel city and the nation has to incur a loss of Rs. 100 crores. I therefore, request the hon'ble Minister to introduce Industrial Bill soon. The recognised Trade Unions such as I.N.T.U.C. incite strikes and sabotage I want to say that Trade Union should be recognised on the basis of new Membership formed on the basis of secrel ballot. A Board should be set up to remove the defects in the existing laws and make necessary improvements therein.

Safety measures in coalmines should be strengthened. No action has been taken on the reports submitted by the commission set up to go into the causes of accidents occurred at various places. The hon'ble Minister should look into this matter.

Corruption is rampant in Public Sector undertakings. Public money is being misused. The coal is burnt deliberately to cover pilferage. We have been listening to labour participation in Management for the past so many years. A committee was set up for the purpose and a report was also submitted on 26th February. But the Ministry has not taken any action on it. It has been observed that labour cases are generally decided in the supreme court only. The officers do not lose any thing in litigation because they set T.A. and D.A. for going to the courts. If the case is decided in favour of labour after six years. They get money with damages.

In private sector every thing is done in arbitrary manner. The labour is not paid wages on the rates decided by the Government. They do not comply with the safety rules. The Department of Labour has no control over them.

The working conditions of agricultural labour should be improved. Moreover they are not organised. All the rules should be applied in rural sector also. The women workers should be given maternity facilities and provided creche for their children otherwise there is no use of meetings and seminars. There is great labour unrest and corruption in the management in industries. The hon'ble Minister should go into all those problems and take appropriate measures by the end of this year.

Shrimati Mrinal Gore (Bombay North): I would like to congratulate the Labour Minister for taking various steps for the welfare of the labour. After emergency. The workers had to face many difficulties during emergency as a result of repressive measures and we find that industrial unrest is still there. The loss of mandays, strikes and lockouts were more in the period of emergency as compared to the past-emergency period. I find that there is more hooliganism than labour agitation at present. INTUC is deliberately inciting disturbances. I have observed that in many cases inter-union rivalry is responsible for such disturbances. Similarly in many cases the agreements are violated. It has been seen that organised labour take advantage by resorting to strikes, lockouts etc. but un-organised sector does not get any benefits.

It is a matter of regret that Government of Maharashtra is not making any effort, to curb the hooliganism. The Central Government should do someting in this connection. All the persons removed from service during the emergency should be reinstated. In many cases justice has not been done and employees have not been taken back. Many persons were given pre-mature retirement. The Home Ministry have issued some instructions to review these cases but no further action seems to have been taken.

I would like to ask the Government whether they cannot get justice for the workers of a private company even if they want to do so. Whether Government will sit just as a spectator ? I would ask the hon'ble Minister to look into the remaining cases and take immediate action.

I agree that Government yields to pressure and agrees to the demands of the workers. But I feel that it should be done gracefully. The Government should themselves initiate action to give relief to the workers so that they may realise that Government will take care of their interests and offer cooperation. Government should not delay the introduction of a comprehensive Bill on industrial relations. Lest the patience of the workers is exhausted.

Many states have passed minimum wages Act but it is not being implemented. The agricultural labour is not being benefited by this Act. Although it is very difficult to organise them we have to solve their problems.

I understand that a cell has been set up in Railways to remove the grievances of scheduled caste workers. I want that similar cells should be set up in each Ministry. There should be some machinery to remove the difficulties of scheduled caste workers working in semi-government agencies also.

I would also like to point out that Equal Remuneration Act, 1975 is not being implemented fully.

What happened to the Advisory Committees for promoting employment opportunities for women, appointment of authorities for hearing complaints appellate authorities, inspectors etc. The equal remuneration for equal work principle should be implemented. The mill owner should accept the formula suggested to determine equal work.

I would like to thank the Government for making Planning Commission agree to set up a cell for working group of employment to women.

I would like to request the Government to impart more vocational training to women. The women should also the given representation in the Board of Employment Exchange. The women worker in agriculture should be given child care facility, this facility should be included in minimum needs programme.

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : यह सन्तोष की बात है कि अब सरकार ने उन कुछ आधारभूत समस्याओं की ओर ध्यान देने का प्रस्ताव किया है जिनकी ओर पहले ध्यान नहीं दिया जाता था । उदाहरणार्थ अब सरकार ने त्रिपक्षीय तंत्र के पुनर्गठन, व्यापक औद्योगिक सम्बन्धों सम्बन्धी समिति, श्रमिक साझेदारी सम्बन्धी समिति, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बन्धी समिति तथा कृषि सम्बन्धी आय बन्धुआ मजदूरों के विशेष सम्मेलन आदि की ओर ध्यान देना शुरु कर दिया है । परन्तु यह खेद की बात है कि जतों तक कर्मचारियों को बहाल करने या जतों तक आपात स्थिति के दौरान नौकरियों से निकाले गये लोगों को बहाल करने का प्रश्न है, रेलवे को छोड़कर लेखा परीक्षा, रक्षा, डाक तथा तार आदि। विभागों में तथा अध्य गैर-सरकारी संस्थानों में अभी भी हजारों कर्मचारियों को अभी तक बहाल नहीं किया गया है । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

वर्ष 1977 में कार्यदिवसों की हानि हुई उसमें 50 प्रतिशत कार्य दिवसों की हानि तालाबन्दियों के कारण हुई और ये तालाबन्दियां न्यायोचित नहीं थीं। ऐसी तालाबन्दी केवल कर्मचारियों को परेशान तथा भयभीत करने के लिये की गयीं ।

आज सम्पूर्ण देश में हड़ताल, तालाबन्दी, प्रदर्शन खूब हो रहे हैं । कुछ लोग ऐसी कार्यवाहियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह भी कहा गया है कि अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिये भी कुछ लोग दूसरों को भयभीत करने के लिये यह सब करवा रहे हैं। परन्तु इसके साथ ही कुछ आधारभूत कारण हैं जो इन समस्याओं की जड़ हैं । घाटे की अर्थ व्यवस्था तथा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के फलस्वरूप देश में मुद्रास्फीति की स्थिति पनपने लगी है । इसके परिणामस्वरूप समस्त देश में असंतोष व्याप्त है । पेचीदा औद्योगिक तंत्र तथा मजदूर संघों की बहुलता भी इन समस्याओं का एक कारण है ।

उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को गैर कानूनी करार दे दिया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा के समक्ष मजदूर संघों के अधिकारों के लिये, प्रदर्शन करने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । पंजाब तथा राजस्थान में भी प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है। दिल्ली में भी हड़तालों पर रोक लगा दी गई है । केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने अब यह रवैया अपना लिया है कि जब तक हड़ताल चल रही होगी वह हड़तालियों की किसी भी माँग के बारे में बातचीत नहीं करेंगे । इसके फलस्वरूप हड़तालें तथा संघर्ष लम्बे हो जाते हैं । कर्मचारियों पर गोलियाँ बरसाने की घटनायें भी हुई हैं । ये सभी बात जनता सरकार द्वारा मजदूर संगठनों के साथ किये गये वायदों के साथ कहाँ तक मेल खाती हैं ।

जहाँ तक बोनस का प्रश्न है इसके बारे में जनता सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र में यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की थी कि बोनस स्थगित मजूरी है। जब यह स्थगित मजूरी है तो फिर इसके बारे में अन्य प्रकार के निर्णय क्यों लिये जाते हैं। सरकार को इस बारे में अगस्त 1978 से पूर्व ही अपने निर्णय की घोषणा कर देनी चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो श्रमिक आन्दोलन करने के लिये बाध्य हो जायेंगे। सभी मजदूर संघों ने घोषणा करदी है कि भूतलिंगम समिति से उनका कोई सरोकार नहीं है। अतः मंत्री महोदय को भी इस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा इस प्रकार के सिद्धांतों की घोषणा करनी चाहिये जो मजदूर संघों को भी मान्य हों।

बारबार यह बात दोहराई गई है कि सरकार का ईरादा मंजूरी जाम करने का नहीं है। परन्तु सार्वजनिक उद्यमों के ब्यूरो द्वारा जारी किये गये एक परिपत्र की विषयवस्तु इससे भिन्न है। हिन्तुस्तान मशीन टूल्स तथा अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इस बारे में बातचीत चल रही है। परन्तु ब्यूरो द्वारा दिये गये इस निदेश के कारण लगभग वेतन जाम हो गया है। श्रमिक-वर्ग इसके विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ करने वाला हैं।

प्रसन्नता का विषय है कि मंत्री महोदय श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा, तथा उनके कल्याण की अन्य सुविधायें उपलब्ध करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में इन को क्रियान्वित किए दशा सम्भव हो सकेगी। जब तक इस समस्या से निपटने के लिये उपयुक्त तंत्र की स्थापना नहीं की जाती तब तक विधेयक से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसकी क्रियान्विति मजदूर संघों के सहयोग तथा सशक्त प्रशासनिकतंत्र भी संभव हो सकती है।

श्री पूर्ण नरायण सिन्हा (तेजपुर) : जब भारत स्वतन्त्र हुआ तब चाय बागानों में कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या 9,83,000 थी। काफी के बागान में 1,52,000 और रबड़ के बागानों में लगभग 45,000 मजदूर काम करते थे। तभी से इन बागानों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। नये बागानों के लिये अधिक से अधिक धनराशि का निवेश किया गया। लेकिन आश्चर्य यह है कि बागान श्रमिकों की संख्या घटकर आधी रह गई है।

आज चाय बागान के पुरुष मजदूरों को 3.15 रुपये और महिला मजदूरों को 2.98 रु० मजूरी मिलती है। यह मजूरी जीवन निर्वाह मजूरी भी नहीं है। पुरुष और महिला श्रमिकों की मजूरी 1975 के अधिनियम के अनुसार तो होनी चाहिये। आज श्रेष्ठ चाय की उत्पादन लागत 6.00 रुपये से अधिक

[श्रीमती पार्वती कृष्णन पीठासीन हुए। **Shrimati Parvati Krishnan in the chair**]

नहीं है। यही चाय यहां 29 रुपये प्रति किलो और लन्दन में 200 रुपये प्रतिकिलो बेची जाती है। चाय की उत्पादन लागत और इसके विक्रय मूल्य में कोई ताल-मेल नहीं है। बागान मालिक और सरकार दोनों तो बहुत धन कमा रहे हैं। सरकार विदेशी मुद्रा के रूप में 550 करोड़ रुपये और उत्पादन शुल्क के रूप में 533 करोड़ रुपये की राशि कमा रही है। चाय की तस्करी भी की जाती है। बागान मालिक चाय को बहुत ऊंचे मूल्यों पर बेच रहे हैं और निर्यात शुल्क एवं उत्पादन शुल्क की चोरी कर रहे हैं। दूसरी और चाय बागान श्रमिकों की दशा चिन्ताजनक है। उनके रहन सहन की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है।

आपातकाल के दौरान लगभग 6000 बागान मजदूरों को नौकरी से निकाला गया क्योंकि ये ऐसी यूनियनों के सदस्य थे जो तत्कालीन सरकार का समर्थन नहीं करती थी। 8,60,000 बागान मजदूरों में से 2 लाख श्रमिक हैं। जिन मजदूरों को नसबन्दी कराई गई उनमें से अधिकांश असक्त हो गये है।

बागान मालिकों ने मजदूरों की संख्या घटा दी है। मंत्रालय के प्रतिवेदन में चाय बागान मजदूरों का उल्लेख केवल छः पंक्तियों में किया गया है। यह खेद की बात है।

इन मजदूरों की आवास स्थिति बहुत ही शोचनीय है। सरकार ने मकानों के निर्माण के लिये ऋण और सहायता की व्यवस्था की है। फिर भी इनके मकानों की निर्माण गति के आहिस्ता आहिस्ता ह्रास आ रहा है। इतना ही नहीं आवास के छोटे से एक में दो या तीन परिगुटों को इतने के लिये विवश होना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, नीलगिरी केरल और कर्नाटक के चाय बागानों के मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए अलग से विभाग बनायें।

श्री चित्त बसु (बारसात) : श्रम मंत्रालय के प्रतिवेदन के रूप में हमारे सक्षम एक वर्ष की प्रगति के ब्यौरे से पता चलता है कि कुछ प्रारम्भिक सफलता के बाद श्रम मंत्रालय की शक्ति में एक दम पतन आया है। हमारे देश के श्रमिक वर्ग को दूसरी स्वतंत्रता के लाभ से वंचित रखा गया है।

श्रम मंत्रालय ने प्रारम्भिक सफलता प्राप्त कर अब ह्रास की ओर जाना आरम्भ कर दिया है। छीने गये लोकतांत्रिक कार्मिक संघ अधिकारों को बहाल किया जाए। इस अधिकार का विस्तार करने और सुदृढ़ बनाना इस मंत्रालय का दायित्व है। लेकिन वस्तुतः इस दिशा में क्या काय किया है ? मध्य प्रदेश सरकार ने लध्रु आंसुका के माध्यम से इन कार्मिक संघ अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन्हें समाप्त कर दिया है। ऊत्तर प्रदेश में बहुत सी हड़तालों को गैर- कानूनी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली प्रशासन ने गृह मंत्रालय के निदेश के अन्तर्गत दिल्ली में सभी औद्योगिक क्षेत्र अनिवार्य सेवायें घोषित कर दिये हैं जिससे दिल्ली में हड़ताल करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है जिससे अनुपस्थित होने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। बिहार में सरकारी कर्मचारियों पर यूनियन की गतिविधि पर पूर्णतः रोक है। इससे स्पष्ट है कि श्रम मंत्रालय फिर से पुराने रास्ते पर चल रहा है। वे कर्मचारियों के यूनियन बनाने के मूल अधिकार की रक्षा करने में असमर्थ रहे हैं। श्रम मंत्रालय कर्मचारियों के इस अधिकार को छीने जाने के विरोध में उनके संघर्ष में उनकी रक्षा करे।

बोनस के मामले में भी पुराना रवया अपनाया जा रहा है। यह मामला भूतलिगम समिति पर छोड़ना पीछे हटना नहीं तो और क्या है।

श्रम मंत्री को वेतन के संबंध में एक त्रिपक्षीय समिति की नियुक्ति करनो चाहिए। परन्तु उन्होंने वित्त मंत्री पर यह कार्य छोड़ दिया है।

आय की असमानता पर विचार करते समय एकाधिकार गृहों, पूंजीपतियों और बड़े जमींदारी की आय को भी ध्यान में रखना चाहिए, तभी सरकार इसमें समानता ला सकती है। इसके बजाए वे केवल संगठित क्षेत्रो के मजदूरों की आय में ही समानता करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में भी श्रम मंत्रालय आगे के बजाए पीछे हटा है।

समाचार पत्र उद्योग श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन बोर्ड का बहिष्कार करता आया है। इन्हें बहिष्कार की अनुमति देकर सरकार त्रिपक्षीय सिद्धांत की जड़ में कुठाराघात करने की अनुमति दे रहा है।

दूसरी प्राप्त हुई आजादी के बाद भारत में श्रमिक वर्ग एक मजबूत और स्वतंत्र श्रम मंत्रालय चाहता है। हमारे देश में वस्तुतः एक स्वतंत्र मंत्रालय ही श्रमिकों के हितों की रक्षा कर सकता है। श्रम मंत्री समय की पुकार को सुनकर यह सुनिश्चित करें कि देश के श्रमिकों को उनके कार्मिक संघ के अधिकारों से वंचित न किया जाये।

The Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai) : During his speech Shri Sathe has said that the people of the country should now forget what happened during the emergency, but on the other hand it is seen that efforts are being made to create disturbances at time at different places. Thus when they themselves are reminding the workers about the emergency, how can the workers forget those days ?

We have resolved and we are also committed to do something for the betterment of workers and agricultural labour. We have convined a conference to discuss the issues relating to agricultural labourers. In the conference many points are agreed to unanimously and many differences of opinions are expressed. But we have been benefited by its deliberations. We have also accepted the ILO convention. We are making efforts and extending all our cooperation to see that the agricultural labour may organise to the extent possible because we realise that unless they are organised, their welfare can not be ensured.

Shri Saugata Roy has criticised that the Janata Government is moving at a very slow pace in regard to the welfare of bonded labour. But, then, it would have to be seen as to what was done in this regard during the previous regime. At that time bonded labour may have been freed on paper, but in practice nothing was done for their rehabilitation no houses were contructed for them and even if a few might have been constructed they are not fit for habitation. Nothing has been done to make the bonded labour stand on their feet; they had again to go to their old owners to sick employment. We have given a serious thought to this problem and have concluded that in order to solve this problem we would have not only to make the bonded labour free, but would have to make them self-supporting also. A sum of rupees one crore has been provided for this purpose. The demands of states in this regard would be met fully.

Shri Saugata Roy has also touched upon the point of migrant labour. Their condition is really bad. A committee is being set up to consider this problem and its report has been received. We have decided to bring a legislation on this subject early to provide for the welfare of migrant labour.

I agree that the condition of bidi workers is also very pitiable. They are living in very bad conditions. Their owners never care to grant them any facilities or amenties. I am the only person who has visited their dwellings in Poone, no officer has ever gone there to take care of their welfare.

A large percentage of bidi workers are women who prepare bidis at their houses. We have decided to grant them necessary facilities and to work for their welfare.

Similarly the interests of workers engage in buildings construction work and circus industry would also be protected.

As regards contract labour there is an Advisory Board and wherever they advise to abolish the contract basis, we do it. On the advice of some persons, we are also trying to amend the concerned legislation early.

I do agree that the living conditions of coal mine workers at Dhanbad are very bad. I have decided to remove all the shortcomings which exist in the work relating to their welfare. A committee has been set up for this purpose and its report is likely to be received shortly, on the basis of which houses would be constructed for them. Action would also

be taken to see that co-operatives serving the workers function in a better manner and articles required by them are made available.

Shri Ugrasen (Deoria) : Madam Chairman, I request to please curtail sometime of each member so that more members may find an opportunity to speak.

सभापति महोदय :– जब तक माननीय सदस्य मेरे साथ सहयोग नहीं करते तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे सहयोग दें ताकि चर्चा में अधिकाधिक सदस्य हिस्सा ले सकें।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : यह कहना ठीक नही है कि मंत्री महोदय अपने कार्य कलापों में पीछे हट रहे हैं। वस्तुतः वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

पिछली सरकार द्वारा दिया गया बोनस आपातकालीन के दौरान वापस ले लिया गया। सभी कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस स्वीकार करने के लिये मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। सरकार के लिये कठिनाई उत्पन्न करना देश के लिये कठिनाई उत्पन्न करना है। उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिये और श्रमिकों को उनको देय हिस्सा मिलना चाहिये। लेकिन मंत्री महोदय को ध्यान में रखना चाहिये कि कर्मचारियों को आवास सुविधायें प्रदान करने में और सुधार हो। केवल मजूरी पर धनराशि खर्च करने की बजाए श्रमिको की शिक्षा तथा अन्य कार्यों पर भी धराशि खर्च की जानी चाहिए।

मेरे राज्य में बीड़ी कर्मचारियों की स्थिति दयनीय है। कुछ स्थानो पर तो उन्हे बोनस दिया जाता है और कुछ स्थानों पर नहीं दिया जाता। अतः इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय इस समय केवल श्रमिकों के कल्याण के बारे में ही देख रेख नहीं कर रहे अपितु श्रमिकों के राष्ट्रीय सम्मान को बनाये रखने में भी सहयोग दे रहे हैं जिसके लिये वह बधाई के पात्र है।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : देश में व्यापक श्रमिक अशांति है। जनता सरकार ने स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय मजूरी नीति सहित श्रमिक नीति घोषित नहीं की है और इससे श्रमिक वर्ग में सरकार की नीयत के बारे में भारी संदेह प्रकट किया जा रहा है।

श्रमिक अशांति का एक कारण श्रम मंत्रालय में भ्रष्टाचार का होना है। राज्यों द्वारा कर्मचारियों की मांगों को औद्योगिक न्यायधिकरणों को सौंपने से इंकार करने के फलस्वरूप अनेक उच्च न्यायालयों में असख्य याचिकायें दायर की गई हैं। जो अभी तक अनिणीत ही पड़ी हुई हैं।

इसका समाधान औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने से होगा। मजदूर संघ को श्रम मंत्रालय के मामले सौंपे बिना सीधे औद्योगिक न्यायाधिकरणों और श्रम मंत्रालयों में जाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इससे न केवल भ्रष्टाचार समाप्त होगा अपितु विलम्ब भी नहीं होगा।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में इस ढंग से संशोधन किया जाना चाहिए कि परेशान किए जाने के सभी मामलों का निपटान शीघ्र हो। यह भी आवश्यक है कि जब तक मामले न्यायालयों में विचाराधीन हों, निर्वाह भत्ते की अदायगी का उपबंध किया जाना चाहिए।

औद्योगिक अशांति का एक और कारण मज़दूर संघ के नेताओं की वर्तमान श्रम कानूनों की उपेक्षा है। 'इंटक' के मजदूर नेता ने एक मांग यह की थी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजूरी का भुगतान किया जाए। इसके अलावा उसने यह भी दावा किया था कि कहीं-कहीं न्यूनतम मजूरी से अधिक मजूरी भी अदा की जा रही है।

औद्योगिक अशांति का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि कुछ मालिक कतिपय मजदूर संघों के प्रति घोर घृणा रखते हैं।

ऐसे एककों में हड़ताल और तालाबंदी अधिक समय तक चलती है।

मालिक ऐसे मजदूर नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। मालिक गुंडों को नौकरी पर रख लेते हैं ताकि स्थिति का मुकाबला किया जा सके परन्तु अन्त में अनुशासन बिगड़ जाता है।

वर्तमान कानून में दंड का उपबन्ध किए जाने की आवश्यकता है जिसमें मालिकों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे मान्यताप्राप्त संघों के पदाधिकारियों के साथ मामलों पर बातचीत करें।

मंत्रियों द्वारा की गई घोषणाओं से वर्तमान श्रमिक अशांति को बढ़ावा मिला है। केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की कि वह बोनस अधिनियम के अन्तर्गत बोनस की अदायगी से औद्योगिक एककों को छूट देने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाएगी। वे सिद्धान्त तो आज तक बनाए नहीं गए और कुछ मालिकों ने इसका फायदा उठाया।

बोनस की अदायगी से छूट देने से सम्बन्धित आवेदन पत्र खारिज कर दिए गए परन्तु बोनस का भुगतान नहीं किया गया।

जब विरोध में कोई आवाज उठाई जाती है तो श्रमिकों को गोली का शिकार होना पड़ता है।

जहां तक भूतलिंगम समिति का सम्बन्ध है, इस समिति में अफसरशाही लोग और प्रबन्धक संस्थाओं के नेता हैं। इस समिति का उद्देश्य मजूरी स्थिर करने का है। मैं कहना चाहता हूं कि इस समिति का विघटन किया जाए क्योंकि श्रमिकों ने इसका बहिष्कार किया है।

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

श्री जर्नादन पुजारी : बीड़ी बनाने वालों को प्रति हजार 7 रुपये अदा किए जाने चाहिएं।

सभापति महोदय : क्षमा कीजिए, मुझे अन्य वक्ता को बोलने के लिए कहना है।

श्री जर्नादन पुजारी : इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

Shri Jagdish Prasad Mathur (Sikar) : The efforts made by Shri Ravindra Verma have been praised much in the House. But to day the hon. Minister of State reckoned the names of a number of committees. His speech gives the impression that the Ministry will work with the help of the committees only. The situation is deteriorating day by day. There are some reasons for the present problem.

So far as the inter-union rivalry is concernced, the C.I.T.U. always tries to ensure that other union does not flourish. As a result violence takes place. Political honeymoon between C.P.I. (M) and C.I.T.U. should be brought to an end. Comprehensive labour Law should be enacted without further delay. The hon. Minister should pay special attention to this situation. The C.I.T.U. is spreading unrest and violence among the workers. If steps are not taken in this regard, the good efforts made by Government so far will lose their charm.

So far as the Labour Relations Bill is concerned. I want to say that the Finance Ministry set up the Bhoothalingam Committee. What steps the Government are taking to implement the agreement of the workers which has stood due ?

The companies including Jaipur Udyog have not been depositing the Provident Fund amount deducted from the wages of the workers. Workers are not getting their Provident Fund amount. This action on the part of the companies have created resentments among worker. The Government should take steps to remove this resentments.

In connection with the Bonded Labour, the hon. Minister has stated that out of one million workers 28 thousand workers have been rehabilitated. This meagre number of rehabilatated workers does not give any credit to the Government. Will the Government not take any decision regarding casual labour and contract labour in the country ?

Only two pages of the Report makes mention about agricultural labour and the report says that it is matter of State Government. If this matter is left to the State Governments, the problem is not going to be solved.

I hope the hon. Minister will mention in his speech the steps that have been taken to prevent the industrial unrest.

Shri Ugrasen (Deoria) : I would to congratulate the hon. Minister for restoring to the workers their right of bonus and secondly, that the Government will consider the matter of paying 8.33% bonus.

My colleagues have said that there have been strikes. Had there been no strikes, the workers would have died, but they have not died. There is wide disparity between the income of poor workers and that of Tatas and Birlas etc.

If reasonable wages are not paid to workers, they will resort to strikes.

So far as the Bidi workers are concerned, an award was there regarding worker's dues against Mohanlal Hargovind. But the firm has been lingering the matter as it has filed the matter in courts. Similarly, the WIMCO never paid the worker's dues.

If there are workers' duesagainst any industrialist files a petition in court and reaps harvest. If the hon. Minister removes this lacuna, the situation may improve. When recovery certificate is issued against any firm. The amount should immediately be recovered, no matter if that has to be done by way of attachment of property.

The lacuna in the Industrial Disputes Act should be removed.

Worker's representatives should be given participation in management.

Workers in sugar mills in Uttar Pradesh are not paid bonus. Besides, seasonal workers should be given fifteen days' or one month's gratuity instead of 7 day's gratuity.

The E.S.I. Scheme is applicable to sugar and textile mills. The owners deduct amount from the worker's wages but they do not deposit it.

Twenty crores rupees are outstanding against the owners. They file petition to the court and thus get sufficient time. The law should be amended to ensure that the owners make payment in time.

It is essential to have one union in one industry. This should be taken into consideration while enacting law in regard to industrial relations.

The Government should see that crores of agricultural labourers in villages are organised so that justice is meted out to them. We hope that bonus will be given and such laws would be enacted which will benefit the labourers.

स्वदेशी काटन मिल कम्पनी लिमिटेड कानपुर तथा उनके अन्य एककों का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के बारे में

STATEMENT RE. TAKING OVER OF MANAGEMENT OF ENTIRE GROUP OF SWADESHI COTTON MILLS COMPANY LTD., KANPUR

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुझे इस सदन को यह बताते हुए हर्ष होता है कि सरकार ने कल शाम को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन एक अधिसूचना जारी करके स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के समूचे ग्रुप का प्रबंध अपने अधिकार में ले लिया है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड को उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 से सम्बद्ध उपबंधों के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रकार जिन औद्योगिक उपक्रमों को अधिकार में लिया गया है वे इस प्रकार हैं :—

(1) स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

(2) स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी, उत्तर प्रदेश जिसके तीन एकक हैं।

(3) स्वदेशी काटन मिल्स, मौवथ भंजन, उत्तर प्रदेश।

(4) मैसर्स राय बरेली टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, राय बरेली, उत्तर प्रदेश।

(5) स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी, और

(6) उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर, राजस्थान।

2. राष्ट्रीय वस्त्र निगम के यथोचित अधिकारप्राप्त अधिकारी पहले ही आज वहां जा चुके हैं तथा उन्होंने विभिन्न एककों का प्रबंध संभाल लिया है। इस सदन के साथ ही राज्य सभा में इस ग्रुप की मिलों के बारे में बार-बार उठने वाली मांग को सरकार ने इस कार्य के द्वारा उचित कार्रवाई करके पूरी कर दी है। अधिग्रहण के पीछे यही भावना है कि लोक-हित में इन मिलों के लिए एक स्वच्छ तथा कुशल प्रबंध की व्यवस्था की जाए। मैं सदन को इसका आश्वासन देता हूं कि ये एकक भूतपूर्व प्रबंधकों को वापस नहीं दिए जाएंगे।

3. इस कार्रवाई से पूर्व की घटनाओं ने जिनमें से कुछ काफी दुःखद थीं, माननीय सदस्यों को परेशान कर रखा था तथा साथ ही सारे देश की प्रबुद्ध जनता को चौंका रखा था। इसका इतिहास इस बात का साक्षी है कि किस तरह से केवल अपने हितों को देखने वाले सिद्धांतहीन निजी प्रबंधक बड़े समुदाय के जनहित के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं। पारिवारिक झगड़ों के कारण प्रबंधकों ने न केवल मिलों को तबाह ही कर दिया अपितु अनेक बार मजदूरों को उनकी उचित मजदूरी तक का भुगतान नहीं किया। वर्ष 1975 में दीवाली की पूर्व संध्या पर भी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था तथा उस समय प्रबंधकों ने इस कार्य हेतु डेढ़ करोड़ रुपये की उत्तर प्रदेश सरकार की जमानत पर बैंकों से उधार रुपया लेकर मजदूरी का भुगतान किया था। कम्पनी के कुप्रबंध के विरुद्ध लगातार शिकायतें प्राप्त होती थीं, अतः कम्पनी अधिनियम की धारा 299-क के अधीन कंपनी कानून बोर्ड को इस कंपनी की जांच करनी पड़ी तथा उसने कंपनी अधिनियम की धारा 408 के अधीन कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था जिसमें उससे पूछा गया था कि कंपनी को जनहित के विरुद्ध काम करने से रोकने के लिए कंपनी में निदेशक क्यों न नियुक्त कर दिए जाएं? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1976 के शुरू में कंपनी की जमानत देने के बावजूद भी कंपनी की दशा बिगड़ती चली गई और

एक बार फिर मजदूरों की देय राशि बकाया रह गई। कंपनी कानून बोर्ड द्वारा दिसम्बर, 1976 में किए गए मूल्यांकन से पता चलता है कि कंपनी को मजदूरी के रूप में 43 लाख रुपए भविष्य निधि की देय राशि के रूप में, 14 लाख रुपए कर्मचारी राज्य बीमा के, 4 लाख रुपए और कानून के अनुसार बोनस के 10 लाख रुपए की बकाया राशि देनी थी। यह बकाया राशि बिजली प्रभारों तथा अन्य खर्चों के रूप में सरकार को दी जाने वाली बड़ी बकाया राशि के अलावा थी। कंपनी में काफी कुप्रबंध के कारण उसके कार्यक्रम के बारे में वस्त्र आयुक्त द्वारा एक विशेष सर्वेक्षण किया जाना अनिवार्य हो गया था। प्रबंधकों ने मजदूरी का भुगतान न करने के ज़रिए अपनी कार्य संचालन की सामान्य प्रक्रिया की एक बार और पुनरावृत्ति की। अक्तूबर, 1977 में कुछ सप्ताह तक मजदूरी का भुगतान न किए जाने के कारण मजदूरों में असंतोष बढ़ने लगा और वे बेचैन होने लगे। इसी समय विद्युत् बोर्ड को भुगतान न किए जाने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार को रिसीवर की नियुक्ति करनी पड़ी जिसने अपने अधिकारों का प्रयोग करके स्वदेशी पोलिटैक्स के स्वदेशी काटन मिल्स में लगे एक करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों को अधिग्रहण कर लिया। मजदूरी का लगातार भुगतान न किए जाने के कारण श्रमिक स्थिति ने गम्भीर रूप धारण कर लिया और 6 दिसम्बर को दुःखद घटनाएं घटीं जिसमें लोगों की जानें भी गईं जिसके बाद स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर बन्द पड़ी रही।

4. यद्यपि बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों पर मजदूरी का भुगतान न किए जाने और बाद में जबरन मिल बन्द किए जाने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, फिर भी प्रबंधक परिवार का पारस्परिक कलह चलता रहा और मजदूरों और उनके सामूहिक हितों पर कोई गौर नहीं किया गया।

5. सरकार एक असमंजस में थी क्योंकि उसकी नीति राष्ट्रीय वस्त्र निगम को और नए दायित्व सौंपने की नहीं थी। किन्तु मजदूरों और कुल मिलाकर जनता के हितों को जोखिम में नहीं डाला जा सकता था और सरकार को नीति के अपवाद स्वरूप इन एककों का प्रबन्ध ग्रहण करने का निर्णय लेना पड़ा था। ऐसा निर्णय इस सम्बन्ध में इस बात से सन्तुष्ट हो जाने के बाद कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रबन्ध ग्रहण करने की स्थिति में नहीं है, किया गया था। किन्तु 11 मार्च, 1978 को प्रबन्धकों ने सरकारी हस्तक्षेप को रोकने के लिए जानबूझ कर तालाबन्दी उठा लेने की औपचारिकता पूरी करनी चाही किन्तु मजदूर ऐसे प्रबन्धकों के साथ सहयोग करने की मनोदशा में नहीं थे जिन्होंने उनकी विश्वसनीयता खो दी थी। तालाबन्दी का उठाया जाना केवल कागज़ पर लिखा रह गया और मजदूर काम पर उपस्थित नहीं हुए।

मैंने इन घटनाओं का थोड़ा विस्तार से उल्लेख किया है ताकि माननीय सदस्य निर्णय को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकें। किन्तु उन्हें इस बात से हैरानी भी हो रही होगी कि सरकार को केवल कानपुर एकक का ही, जिसके सामने ये विशेष समस्याएं थीं, अधिग्रहण न करके इस कम्पनी के सभी एककों का प्रबन्ध अपने हाथ में क्यों लेना पड़ा था। विभिन्न स्थानों में स्थित इस कम्पनी के छः एकक हैं और ये सभी एकक कम्पनी के केवल एक तुलनपत्र में सम्मिलित हैं यद्यपि कानपुर एकक का कुप्रबन्ध और वित्तीय दिवालियापन विभिन्न घटनाओं द्वारा प्रकट किया गया था किन्तु अन्य एककों में भी स्थिति बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं थी। एक सरकारी दल जिसने कम्पनी के कार्यों की जांच की थी तथा वस्त्र आयुक्त द्वारा किए गए व्यापक सर्वेक्षण से तथा कम्पनी कानून बोर्ड द्वारा पहले ही किए गए निरीक्षण से यह स्पष्ट हो गया था कि प्रबन्धक मण्डल मनुष्यों और मशीनों के उत्पादन सम्बन्धी तथ्यों को एक एकक से दूसरे एकक को स्वच्छन्दतापूर्वक हस्तांतरित करता रहा है। एक एकक की आस्तियां दूसरे एकक के लिए वित्त की व्यवस्था करने हेतु बन्धक रखी जाती रही हैं। पांच एककों के मामलों में पता चला है कि कार्यकारी पूंजी बिल्कुल थी ही नहीं। यह भी पता चला था कि सभी एककों में अन्धाधुन्ध निवेश और गिरवी रखने को बढ़ावा दिया गया था और इस प्रक्रिया में सभी एककों को बुरी तरह से ऋणग्रस्त बना दिया गया था।

इन सभी एककों के कर्मचारियों को देय उपदान की राशि इकट्ठी करके कानपुर स्थित मुख्यालय में रख दी गई है। यह तो स्पष्ट ही था कि केवल एक ही एकक को अधिकार में लिए जाने से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम में निहित प्रयोजन पूरा नहीं होगा, एक के बाद दूसरे एकक में हालत बिगड़ती जाती और सरकार के लिए भी यह उचित न होता कि इन एककों में स्थिति काबू के बाहर होने पर ही वह हस्तक्षेप करती। सिद्धान्ततः इसे छोड़ भी दिया जाए तो भी सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहेगी कि कंपनी के किसी भी एकक की आर्थिक जीव्यता को नष्ट करने के बाद सरकार को उसे सौंपे जाने का प्रयास अब आगे सहन नहीं किया जा सकता। गैर जिम्मेदार प्रबंध व्यवस्था का संचालन करने वाले सभी प्रबंधकों को इस प्रकरण से सबक सीखना चाहिए कि क्या एक ओर वे ऐसी कष्टकारक भूमिका निभा रहे हैं और दूसरी ओर समृद्धि की ओर बढ़ने की आकांक्षा कर सकते हैं।

6. इस ग्रुप में 2.14 लाख तकुए तथा 2,630 करघे हैं। इसमें 12,000 से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं जिनमें से लगभग 6000 कानपुर एकक में ही हैं जहां बार-बार तालाबंदी तथा मजदूर विरोधी कार्य हुए हैं। यह ग्रुप औसतन 60,000 किलोग्राम से भी अधिक धागा तथा प्रतिदिन लगभग 2 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन करता है। पड़ने वाला प्रभाव इतना दूरगामी है कि निजी प्रबन्ध द्वारा राष्ट्रीय साधनों का अपव्यय किया जाता रहे और बहुसंख्यक जनता तथा मजदूरों का अहित होता रहे और सरकार एक मूक दर्शक बनी रहे, ऐसा नहीं हो सकता।

7. राष्ट्रीय वस्त्र निगम पर इस ग्रुप के बढ़ जाने से निःसन्देह बड़ा भार पड़ेगा क्योंकि उसके साधनों पर पहले से ही काफी बोझ है। आकार की दृष्टि से यह ग्रुप राष्ट्रीय वस्त्र निगम की सहायक कम्पनी जैसा बड़ा होगा और इसलिए यह निर्णय किया गया है कि इस ग्रुप का प्रबंध तुरन्त ही धारक कम्पनी द्वारा सीधे किया जाए। पहले ही मैंने माननीय सदस्यों को बताया है कि कैसे राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित एककों में स्थिति बदलती रही है और यही कारण है कि सरकार को एक लचीला रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला है और इस दल के प्रबंध को राष्ट्रीय वस्त्र निगम को सौंपना पड़ा है।

8. स्वदेशी काटन मिल्स का प्रबंध हाथ में लिए जाने की घटना क्रम हमें यह बताता है कि वर्तमान स्थितियों में एक परिवार द्वारा किया जाने वाला प्रबंध आज के समय के साथ नहीं चल सकता। परिवार के आपसी मनमुटाव से 1 लाख से भी अधिक लोगों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दुर्लभ पूंजी एवं अन्य साधन नष्ट हो जाते हैं। इस घटनाओं से हमें यह सोचने को विवश होना पड़ता है कि इस प्रकार की प्रबन्ध व्यवस्था के दिन अब लद गए और उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं रह गई है। माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि आज के संदर्भ में देश में निजी पूंजी अथवा साधनों जैसी कोई भी चीज़ नहीं रह गई है। वस्तुतः करदाताओं द्वारा प्रस्तुत धन राशि से ही अधिकतर सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं का निर्माण हुआ है जिनसे भिन्न-भिन्न एककों को समर्थन प्राप्त होता है। चाहे प्रबन्ध व्यवस्था अलग-अलग ही क्यों न हो, आज के संदर्भ में किसी परिवार के विशेष प्रबन्ध को उचित नहीं कहा जा सकता। ये प्रमुख विषय है जिसका एक उदाहरण स्वदेशी मिल्स का इतिहास प्रस्तुत करता है और हमें इस विषय में सावधानीपूर्वक कार्य करना है।

9. मुझे विश्वास है कि सरकार के इस निर्णय से हम इन एककों के अधिकांश कर्मचारियों के चेहरों पर पुनः खेलती हुई मुस्कान देख सकेंगे।

Demands for Grants ;1978-79—contd.

Shri Y.P. Shastri (Rewa) : I congratulate the hon. Minister for his bold step taken to safeguard the interest of workers.

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उन्होंने गोलीबारी के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : इस मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों के साथ मिल कर काम करना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। श्रम मंत्री ऐसी योजनाए और नीतियां बनाएं जिससे देश में बेकार पड़ी श्रम शक्ति का उपयोग हो सके। मैं उनका ध्यान बेरोजगारों की संख्या में खेतिहर श्रमिकों की ओर दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदय: यदि आप और समय चाहते हैं तो सोमवार को अपना भाषण जारी रखिए क्योंकि अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों की कार्यवाही को लेगी।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

16वां प्रतिवेदन

श्री विनोद भाई बी० राठे (जामनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन से, जो 12 अप्रैल, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय: प्रश्न है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 16वें प्रतिवेदन से, जो 12 अप्रैल, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

अंग्रेजी भाषा को अतिरिक्त सम्पर्क भाषा बनाए रखने के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: CONTINUANCE OF ENGLISH AS ADDITIONAL LINK LANGUAGE

सभापति महोदय: सभा श्री एस० डी० सोमसुंदरम् द्वारा 17 मार्च, 1978 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेगी :—

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह पण्डित नेहरू द्वारा संसद् को दिए गए इस दृढ़ आश्वासन को क्रियान्वित करने के लिए संविधान में संशोधन करे कि सम्पर्क भाषा हिन्दी के अलावा अंग्रेजी भाषा भी तब तक अतिरिक्त सम्पर्क भाषा बनी रहेगी जब तक अहिन्दी भाषी लोग चाहेंगे।"

श्री युवराज अपना भाषण जारी रखें।

Shri Yuvraj (Katihar) : The Hindi is fully competent to claim the status of national language and the constitution has formally done so by declaring it as a national language.

It is easily understood. The British rule had caused tremendous set back to the development of Hindi and now today we are giving pleas in support of English as a link langnage. The first and foremost characteristic of a nation is its language in which it function. Only two percent people of the country know English and the rest understand Hindi. If the administration had been honest in implementing the spirit of the constitution then certainly Hindi would have got it due place in this country. But efforts are being made to declare English as additional link language. Language is not a legal question. It is pruely a question of culture and indication. The language prroblem can be solved though cooperation of all the people. Today the question is whether we want to continue English which has been thrust upon us ? We have amended the Official Language Act again and again just to continue English. It is a pity that we are advocating for English which is responsible for destroying the cultural heritage and emotional integrations in the country.

Great people like Raja Ram Mohan Rai, Shri Kesav Rai had made efforts to give Hindi its due place. Many well known scholars and litteratures of non Hindi States have expressed that only Hindi can become the link language. I shall appeal to the people of non Hindi states that Hindi is a language which is easily understood and this should be accepted.

Shri Pius Tirkey (Alipurduar) : The language problem is very old. It is unfortunate that we made the Britishers to leave the country but retained their language. A section of the people in the Government is advocating for English because they want their hold in the administration and keep the common man off from it. They are conspiring to exploit the common man.

The common man does not understand the language of offices and courts. The sooner Hindi becomes the link language, the better it will be. The opponents of Hindi should keep this fact to mind that it will be easy to teach Hindi in the country than English. If we make some efforts in this direction then we can secured in giving Hindi its due place.

श्री बी० पी० मण्डल (माधोपुर) : मुझे यह जानकर दुख हुआ है कि कुछ माननीय सदस्य अभी भी अंग्रेजी जारी रखने के हिमायती हैं। मैं हिंदी सीखने में दक्षिण के लोगों को कठिनाई को समझता हूं और न मैं चाहता हूं कि उन पर हिंदी थोपी जाए। परन्तु दक्षिण के लोग यदि हिंदी सीखना चाहें तो मैं समझता हूं कि इसमें उनको कठिनाई नहीं होगी। आखिर उन्होंने अंग्रजी भी सीखी है। यदि किसी दक्षिण भारतीय भाषा को संपर्क भाषा का दर्जा दिया जाए तो मैं उस भाषा को सीखने के लिए तैयार हूं परन्तु अंग्रेजी को जारी रखना हमें दासता और अंग्रेजी शासन की याद दिलाता है। जब अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां आकर अपनी भाषा में बोलते हैं और हमारे मंत्री आदि उनसे अंग्रेजी में बात करते हैं, तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। मैं अंग्रेजी जानबूझ कर बोल रहा हूं ताकि दक्षिण के हमारे भाई इसे समझ सकें। डा० राममनोहर लोहिया, महात्मा गांधी जसे मनीषी भी अंग्रेजी को समाप्त कर हिंदी को लाना चाहते थे। इसको यदि नुकसान पहुंचा है तो वह उत्तर के हिंदी समर्थकों द्वारा जल्दबाजी करने के परिणामस्वरूप हुआ है।

एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए जिसमें अंग्रेजी को पूरी तरह से समाप्त करने के उपायों पर विचार होना चाहिए। हिंदी के साथ हम दक्षिण की भाषा को भी सीख सकते हैं परन्तु अंग्रेजी को सदा के लिए समाप्त किया जाना चाहिए। इससे विश्व में हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर): जब मैं इस सभा के लिए चुन कर यहां ग्राया तो उस समय डा० लोहिया ग्रौर शायद श्री गुप्त भी सभा के सदस्य थे। ग्रौर जब मैंने चर्चा में भाग लेते समय ग्रपनी मातृ भाषा कन्नड़ में बोलने का दावा किया था तो डा० लोहिया ने मेरा समर्थन किया था क्योंकि खुद वह भी हिन्दी को किसी पर लादना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि हिन्दी धीरे-धीरे ग्राए।

भारत के ग्रनेक राज्यों में विभिन्न भाषाएं हैं। जिन राज्यों में जनता पार्टी का राज्य है उन्हें हिन्दी क्षेत्र कहा जाता है। परन्तु संविधान निर्माताग्रों ने भाषा के मामले को इस दृष्टिकोण से नहीं देखा था। संविधान का मसौदा तैयार करते समय सरकारी भाषा के बारे में एक समिति नियुक्त की गई थी। बाद में मौलाना ग्रब्बुल कलाम ग्राजाद, पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री बाल कृष्ण शर्मा तथा श्री के० सन्थानम थे। समिति ने सुझाव दिया था कि 10 वर्ष तक तो सरकारी भाषा ग्रंग्रेजी रहेगी ग्रौर उसके बाद उसे दो-तिहाई मत से ग्रागे पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

एक विकासशील ग्रर्थव्यवस्था वाले देश में भाषा को विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारी भाषा सम्बन्धी नीति की न केवल दक्षिणी राज्यों ने बल्कि ग्रन्य कई राज्यों ने भी ग्रालोचना की है। ग्रासाम में लोग ग्रासामी चाहते हैं परन्तु हिन्दी सीखने में भी उन्हें संकोच नहीं है।

मेरी दूसरी भाषा हिन्दी है। हम हिन्दी के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु हम देश की सभी भाषाग्रों के लिए समान ग्रादर चाहते हैं। परन्तु ग्राज का शासक दल ग्रौर उसके मंत्री हिन्दी से ग्रन्य भाषाग्रों ग्रौर उनके बोलने वाले सदस्यों के प्रति यहां सभा में जो रवैया ग्रपना रहे हैं उससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इस संदर्भ में मैं केवल श्री राजनारायण को ही ग्रन्तर्ग्रस्त नहीं पाता। जब गृह मंत्री कर्नाटक में गए तब भी उन्होंने लोगों के विरोध के बावजूद हिन्दी में भाषण दिया जबकि लोग उसे नहीं समझते थे। इस प्रकार उन्होंने हिन्दी को थोपने जैसा वातावरण पैदा किया।

वैसे कर्नाटक में भी लोग हिन्दी सीखना चाहते हैं। परन्तु क्या देश के ग्रन्य भागों में ग्रन्य क्षेत्रीय भाषाग्रों को सिखाने-पढ़ाने की कोई व्यवस्था की गई है?

केरल ग्रौर कर्नाटक राज्यों के साथ ऐसी भाषा में पत्र-व्यवहार किया जाता है जिसे वे लोग समझते ही नहीं। फिर वे भी कभी-कभी उस भाषा में उत्तर देते हैं जिसे यहां के लोग नहीं समझ पाते। ये विवाद हैं। यहां किसी भाषा के प्रति ग्रवमान का प्रश्न नहीं है।

ग्रनेक एसे देश हैं जहां प्रशासन में कई-कई भाषाग्रों में कार्य होता है। कनाडा, सोवियत संघ ग्रादि ग्रनेक ऐसे देश हैं। परन्तु यहां की सरकार के पास तो इस संबंध में कोई कार्यक्रम या नीति ही नहीं है। त्रिभाषा फार्मूले को क्रियान्वित नहीं किया गया है। रेल टिकटों पर कई-कई भाषाग्रों में गन्तव्य स्थानों के नाम लिखे होने से गड़बड़ हो जाती है। गलत गाड़ी में बैठ कर ग्रादमी कहीं का कहीं पहुंच जाता है ग्रौर मुसीबत में पड़ता है। कुछ सदस्यों का कहना है कि हिन्दी भाषियों की संख्या देश में ग्रधिक है। परन्तु यदि ग्राप ग्रहिन्दी भाषियों की संख्या के साथ तुलना करें तो पाएंगे कि यहां ग्रंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कहीं ग्रधिक है। इस संकल्प को पेश करने वाले सदस्य श्री सोमसुन्दरम् तमिल नाडु के हैं। तमिल नाडू में भी हिन्दी से कोई घृणा नहीं करता है परन्तु वह देश में परस्पर सम्पर्क कायम करने का उचित ग्रधिकार मांग रहे हैं ताकि देश में एकता की भावना पैदा हो।

ग्रतः हिन्दी थोपने से कुछ लाभ नहीं होगा। सभी भाषाग्रों का विकास होना चाहिए। मंत्री महोदय सारी स्थिति को समझें ग्रौर कोई सर्वमान्य हल निकालें।

Shri Samar Guha (Contai) : Some of our friends have with all enthusiasm at their credit are asking for the spread, propogation and progress of Hindi and they claim that Hindi is a must for our country's integrity and progress. They want to do away with English since the British rule is over an Indian language should be the national and official language of the country. It is true that according to the provisions in the constitution of India Hindi would be our official language but why only they should stress upon Hindi ; why not others too. Are the non-Hindi speaking people not patriots or have no love for the country's progress and development ? It would be wrong to say that. Then why such a sense of fear or apprehension ? This aspect has got to be looked into. Let me warn you that the language issue is like a potential volcano and if this issue is handled in such an irresponsible manner it may explode and creat untold problems as is presently being observed as a result of casteism. I would therefore, suggest that any step in this direction i.e. in spreading Hindi should be taken keeping in view the geographical, historical, cultural and linguistic situation of the country and that no haste should be made in this respect. It won't be wise to impose Hindi on others.

The committee which dealt with this issue had also advised in 1967 that though Hindi shall be the official language English would continue to be a link language.

Why then such a haste ?

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

Shri Smar Guha : Please give me some more time. It is a very serious issue.

सभापति महोदय : मंत्री ने 4.15 बजे सायं उत्तर देना है। खैर आप दो मिनट और बोल लीजिए।

Shri Samar Guha : I am speaking in Hindi here for the first time still I am not getting enough opportunity. (*interruption*) I am not against Hindi; I am only warning you against such an over-enthusiasm. Mahatma Gandhi had always said that 'Hindustani' would be our national language. He never used the word 'Hindi' for it. If you want to enrich Hindi, you should choose and incorporate into it words from other languages. But it is not being done so. On the other hand a narrow attitude is being adopted. They are for Hindi only. What will, then happen to the Non-Hindi people? You have to ponder over why non-Hindi people are afraid of Hindi.

An All India Linguistic Conference, presided over by Chief Justice of Calcutta Shankar Prasad Mitra, was held in which people from South. Punjab etc. took part and they opined that we should act upon as had been advised by the Parliamentary Committee in 1967.

I therefore, appeal that you should proceed in this matter with restraint. I also suggest for the constitutions of a committee to suggest how to convert Hindi into Hindustani and then how to progress and spread it. And non-Hindi people should be given at least 70 per cent representation in this committee.

We should therefore honour and follow the formula suggested by the Parliamentary Committee 1967. Hindi is not only the national language; Bengali and other 15 languages are also national languages. Therefore, there should be an equitable distribution of central patronage and grants in this behalf.

Kindly I would appeal that the reason for the fear for Hindi in the minds of the non-Hindi speaking people should be probed and their minds understood. Otherwise there is every likelihood of the situation becoming explosive and there would be a danger to the very integrity of the country. This is my warning.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : It is a matter of cause that even after 30. years of our Independence there is a language dispute in our country. I don't agree with the suggestion that Hindi should come since it is spoken by 50 to 60 per cent peop e here. We have to have it only with the good wishes and sympathies of all the people of the country We don't want bring Hindi at the cost of division in the country. The fault in this respect lies both with the pro-Hindi and anti-Hindi people. Pro-Hindi people are over enthusiastic and harty where as anti-Hindi people show hatred for this language.

I do admit that English does have a role in India as also in the world and also that English is still the language of our High Courts and Supreme Court. And it shall continue as such for some more time to come. But we don't want to bring in Hindi until we make sure that people from South India too want to adore and learn Hindi as their our language.

But there are people who for their own vested interests want to keep the language issue alive and also to make a political gain out of it. They should not do so.

When I visited Andamans where people speaking Tamil, Telugu, Bengali and Hindi live. I found them conversing with each other in Hindi and not in English. Thus I found Andaman as an ideal place in this respect. But certainly we don't want to impose Hindi on any one. Let Hindi take its own time in coming in as the link language of the nation.

Yet I won't like Hindi or any other Indian language being equated with a foreign language i.e. English. It is not bad to read or learn English. We do want to learn English since it has its own role in the world as also its vital place in Science, Technology etc. but still it is a foreign language and it will have to go from our country sooner or later.

Quoting Shri Charan Singhs' statement in this respect the whole thing is aimed at again politicising the issue. He had simply asked whether we could not remain in political life if he speaks in Hindi and not in English. He had asked a very valid question for which they had no answer.

I, therefore, appeal that we should not raise the language issue here in the Parliament or outside. It is not in the interest of the nation. I support the three language formula and urge for its implementation.

***श्री ए० सुन्ना साहिब** (पालघाट) :: मैं केरल वासी होते हुए भी तमिल में बोल रहा हूं तथा मैं हिन्दी में भी बोल सकता हूं और संस्कृत भी जानता हूं।

मैं निर्विवाद रूप से यह कह सकता हूं कि तमिल देश की प्राचीनतम भाषा है और इसमें केवल 18 व्यंजन तथा 12 स्वर हैं और यह सबसे सरल भाषा है। फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि हिन्दी भाषी लोग तमिल अथवा कोई दक्षिण भारतीय भाषा सीखने का क्या प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो यह शिकायत है कि वे लोग इन भाषाओं के बदले अंग्रेजी को अधिक सम्मान दे रहे हैं। अंग्रेजी भाषा को विदेशी तथा साम्राज्यवादी भाषा समझते हुए भी यहां की क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखा रहे हैं। आप मुझे हिन्दी भाषा का विरोधी न समझें।

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी में रूपान्तरण ।

*Summarised translated version based on english translation of the speech delivered in Tami.l

आप जरा सोचें कि 'एशिया के प्रकाश' श्री जवाहर लाल नेहरू ने क्यों कहा था कि जब तक अहिन्दी भाषी चाहेंगे अंग्रेजी भाषा यहां बनी रहेगी। वह चाहते थे कि हिन्दी अंग्रेजी के समान समृद्ध भाषा बने तथा अंग्रेजी भी तब तक हमारे सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक विकास में अपना योग दान देती रहे। भाषाई उन्माद की बजाय उन्हें देश की अखण्डता अधिक प्यारी थी। वह इसको महत्व नहीं देते थे कि हिन्दी भाषियों की संख्या कितनी कम या अधिक है।

हम हिन्दी भाषा के विरुद्ध नहीं वल्कि इसके लादे जाने के विरुद्ध हैं। कोई चीज थोपने से हिंसात्मक प्रतिक्रिया होती है। मैं अपने चुनाव क्षेत्र में हिन्दी प्रचार सभा का अध्यक्ष हूं और हिन्दी भाषा के विकास में रुचि रखता हूं। क्या कोई स्वर्गीय श्री रामास्वामी मुदालियार तथा स्वर्गीय श्री सत्य मूर्ति से अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है? अंग्रेजी उनकी विचारधारा का वाहन थी, विवाद का स्रोत नहीं। रवीन्द्र नाथ ठाकुर के 'जन गण मन' ने लोगों के दिलों में राष्ट्रीयता को जगाया चाहे वे किसी भी भाषा को बोलने वाले थे। भाषा एक भावनात्मक अभिव्यक्ति है और इसे परस्पर समझ बूझ और विचार विनिमय का स्रोत होना चाहिए। अब यदि केरल के मुख्य मंत्री को हिन्दी में पत्र मिलता है तो स्वभावतः ही वह प्रतिक्रियास्वरूप मलयालम में उत्तर भेजेंगे।

हम दक्षिण भारतीय भी उतनी ही राष्ट्रीय एकता चाहते हैं जितना अन्य लोग चाहते हैं भाषा का उपयोग सबके भले के लिए होना चाहिए और इसे देश की समृद्धि में योगदान का स्रोत बनना चाहिए। देश के लिए एक सम्पर्क भाषा का चुनाव करने का काम अहिन्दी भाषी दक्षिणी राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यही श्री नेहरू के प्रति महानतम सम्मान होगा।

Shri Ram Vilas Paswan (Hazipur): Madam Chairman, it is very sad to Note that some of us are not able to speak in our own mother tongue here in our own country's Parliament, and suggest that English should continue. The leader of Russian delegation visiting this country speaks in Russian only. It is such a powerful delegation but is capable to manage with their own national language; whereas Shri Hegde spoke in English. We are so good for nothing follows that even after 30 years of freedom. We want that English should continue.

[**Mr. Deputy Speaker** *in the Chair*
उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

Let me explain that we don't want to impose Hindi but certainly we want that English should vanish from our country. It is a derive of exploitation. The people from South who support English are not doing justice with the Harijans and bacaward people of their regions. How may people in South known English ? It is less than 4 to 5 per cent only people living in cities are used to English and they only are demanding the continuation of English.

I feel ashamed of pointing out that when we contact the secratariat on phone, and we hear the answer 'I don't know Hindi, The position today is that a person not knowing English is not entitled to come to the Parliament I don't say Hindi should be imposed by certainly I would like English to go from here. Let us have one language from South and one from North as compulsory languages.

Shri Ramaswamy Naiker has been a leader in the South but none knows him in the North since he engaged himself in one language. Therefore two languages should be made compulsory.

The present IAS & IFS officers all belong to affluent classes and have studied in English schools. None of them studied in a village school. Let the home Minister convey this protest to the Education Minister.

We have pledged equal educational opportunities to all whether poor or rich. Theny we should have our own languages. English being a foreign language should not remain here. Those who claim that country would go into pieces if English is not there the themselves want to break the country.

With the words I strongly oppose it.

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : Mr. Deputy Speaker, the language policy of the Central Government is the same as it had been since the times of Pandit Nehru. There is no change in the policy not even in the emphasis. Even then some people are propagating that the Janata Government want to impose Hindi on the people in South.

Generally every country has its national language. In Canada there are two languages French and English. Now there is a demand for the division of the country on the basis of language. We have been rather unfortunate to be divided in small units since the time of Ashoka. Religion, language and caste have divided our country. Nothing can be so shameful for our country than this.

Hindi has been accepted by the founding father of the constitution not because Bangla or Tamil has not been developed but because the number of people who can speak and understand Hindi is more than those who understand another language. So it is an undisputed fact that no language other than Hindi can be the official language of the country.

It is for that reason that it was accepted as the official language at that time. It has been stated several times that Hindi is being accepted only because majority of the people of our country can understand it.

We have to take into consideration whether English can be continued all times to come. After attaining independence, China adopted Chinese as its official language. They are doing all their work in that language. Similar is the case with Japan. In Japan even education in science is being imparted through their national language. So if our country has to progress one way or the other we have to adopt one language for transacting business at least at central level.

One of my friends has stated that Central Government have correspondence with Southern State Governments through Hindi and that copies of rules, orders and enact ments are sent in Hindi. It is not so. These papers are sent in English correspondence between Centre and a State is done in English. But when many State Governments are concerned about the matter then the correspondence is done both in English and Hindi. This practice is followed in all the Departments. Government have not issued any instructions to correspond in Hindi only. If there is any mistake in this practice that can be corrected.

The Government want to develop all the languages that is why we have not called Hindi as the national language but only an official language.

Hindi is a very simple language and can easily be learnt within three months. There is no pressure or compulsion from the Government on any body to leaın Hindi. It is not proper to think that Hindi is being imposed. We have made our policy clear regarding Hindi so many times. Dr. Lohia used to say that it is proper to speak in Telgu and Tamil than in English. I thihk there is no need to raise the language controversy again and again. I hope that my hin friends will agree with me that there is no need to make any amendment in the constitution on this issue.

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम (तंजाबूर) : भाषा के विषय पर अधिकांश सदस्यों ने मेरे संकल्प का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि अंग्रेज़ी विदेशी भाषा है, अंग्रेज़ी भाषा आज विश्व में समझी तथा बोली जाती है। अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से ही हमें आधुनिक विज्ञान के लाभ प्राप्त हुए हैं। कुछ सदस्यों का यह कथन अनुचित है कि यदि कोई अंग्रेज़ी भाषा की मांग करता है तो वह देश भक्त नहीं है। श्री सुभाष चन्द्र बोस ने, जब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सब भाषाओं के लिए रोमन लिपि की मांग की थी। क्या वह देश भक्त नहीं थे ?

प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई और गृह मंत्री अनेक बार यह आश्वासन दे चुके हैं कि अहिन्दी भाषा-भाषियों पर हिन्दी नहीं थोपी जाएगी। उनके कथन से मैं और अनेक सदस्य बहुत प्रसन्न हुए हैं ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में एक राजभाषा क्रियान्विति समिति है और उसने इस बात पर विचार किया है कि हिन्दी का नोट लिखने और मसौदा तैयार करने में अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। समिति ने हिन्दी की प्रभावशाली ढंग से क्रियान्विति के लिए एक डायरेक्टर का पद 1500--2000 रु० के वेतनमान में बनाया है । यह योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेज़ी के प्रयोग को समाप्त करने का प्रयास है। इससे अहिन्दी भाषा-भाषियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भविष्य में अहिन्दी भाषा-भाषियों को एयर इंडिया और पर्यटन और नागर विमानन में हिन्दी का ज्ञान प्राप्त किए बिना नौकरी प्राप्त करना कठिन होगा। क्या यह उन पर हिन्दी थोपना नहीं होगा ?

अधिकांश तार-घरों में हिन्दी टेलीग्राम फार्म उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि हम पिछली दो शताब्दियों से अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं तथापि इससे हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को कोई आघात नहीं पहुंचा है। समस्त अंग्रेज़ी कार्य का हिन्दी में अनुवाद सम्भव नहीं है। प्रत्येक राज्य की अपनी क्षेत्रीय भाषा है जो स्थानीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। अंग्रेज़ी, जो अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है, का अन्तर्राष्ट्रीय और केन्द्र राज्य सम्बन्धों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों पर तीसरी भाषा का बोझ नहीं डालना चाहिए।

जनता सरकार का केवल हिन्दी भाषा-भाषियों की सहायता करने का विचार है।

देश को भाषा विवाद के कारण असाधारण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हिन्दी राष्ट्रीय भाषाओं में से एक भाषा है। हिन्दी को अब सम्पर्क भाषा का दर्जा दिया जा रहा है। यह अन्य राष्ट्रीय भाषाओं के साथ भेदभाव करना है। संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए और अंग्रेज़ी का प्रयोग सम्पर्क भाषा और अन्य भाषाओं—बंगाली, तमिल और तेलगू का प्रयोग सहयोगी भाषा के रूप में किया जाना चाहिए।

हिन्दी के लिए सरकार जो धन व्यय कर रही है वह मात्र धन की बरबादी है। आप देश, लोगों के कल्याण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में विचार करें और मेरे संकल्प का समर्थन करें।

गृह मंत्री ने बताया है कि अन्य भाषा-भाषियों की तुलना में हिन्दी भाषा-भाषियों की संख्या बहुत अधिक है। लेकिन हिन्दी भाषा-भाषी केवल एक क्षेत्र में बसे हुए हैं। वह भारत में दूर-दूर तक फैले हुए नहीं हैं। अतः अंग्रेजी को सम्पर्क भाषा बनाया जाना चाहिए। मैं गृह मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि यदि अहिन्दी भाषा-भाषी चाहें तो अंग्रेजी भाषा को सम्पर्क भाषा बनाने में सरकार को संविधान में संशोधन करने में क्या कठिनाई है। मैं अहिन्दी भाषा-भाषियों से भी इसका समर्थन करने का अनुरोध करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 और 2 मतदान के लिये रखे गये और स्वीकृत हुए

Amendment Nos. 1 & 2 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री सोमसुन्दरम् अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री एस० डी० सोम सुन्दरम् : मैं अपना संकल्प वापस नहीं ले रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह पण्डित नेहरू द्वारा संसद् को दिए गए इस दृढ़ आश्वासन को क्रियान्वित करने के लिए संविधान में संशोधन करे कि सम्पर्क भाषा हिन्दी के अलावा अंग्रेजी भाषा भी तब तक अतिरिक्त सम्पर्क भाषा बनी रहेगी जब तक अहिन्दी भाषी लोग चाहेंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was negatived

नेताजी राष्ट्रीय अकादमी का गठन करने के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE. SETTING UP OF NETAJI NATIONAL ACADEMY

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि अविभाजित भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने और हमारे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की सैद्धान्तिक संकल्पना उजागर करने में, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के वचन और कर्म से किए गए मौखिक योगदान को देशभक्तिपूर्ण मान्यता प्रदान करने हेतु, सरकार 'नेताजी राष्ट्रीय अकादमी' के नाम से एक वर्ष की अवधि के भीतर एक अखिल भारतीय महत्व के संस्थान की स्थापना करे जिसमें उन विषयों के विशिष्ट एवं उच्च अध्ययन की व्यवस्था हो जिनमें नेताजी की गहन रुचि थी, जैसे (i) उच्च सैन्य शास्त्र, (ii) भारतीय राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उद्देश्यों से संगत आधुनिक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विचारधाराएं, (iii) भारतीय राष्ट्रीय आयोजना की संकल्पना, (iv) भारतीय राष्ट्रीय एकता का स्वरूप और समस्याएं, (v) भारतीय स्वतन्त्रता के क्रांतिकारी आन्दोलनों का इतिहास और (vi) विश्व के लोगों में मैत्री और सद्भावना स्थापित करने में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का योगदान।"

भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने में महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनकी प्रतिष्ठा को जानबूझ कर समाप्त करने का प्रयास किया गया है और यह भावना पैदा की गई है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस दूसरे दर्जे के नेता

थे। जब मैं सर्वप्रथम संसद् सदस्य बना तो मैंने अनुभव किया कि भारत के एक महानतम क्रान्तिकारी की प्रतिष्ठा को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।

संसद् के केन्द्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्र का अनावरण करने में हमें 30 वर्ष का असाधारण समय लगा। इस कार्य की सब लोगों ने बहुत प्रशंसा की है।

मैंने 'नेताजी डैड आर अलाइव' नामक पुस्तक लिखी। मुझे आशा नहीं थी कि राष्ट्रपति उसका विमोचन करेंगे और मुझे यह भी आशा नहीं थी कि अध्यक्ष नेताजी सम्बन्धी समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मेरी पुस्तक का बहुत अधिक प्रचार हुआ।

नेताजी के जन्म दिवस पर न तो प्रधान मंत्री न ही जनता पार्टी अथवा अन्य पार्टी के अध्यक्ष ने कोई वक्तव्य दिया लेकिन केवल दिल्ली में ही नेताजी के पूरे आकार के दस प्रकार के पोस्टर हजारों स्थानों पर लगाए गए। केवल दिल्ली में हीं 25 अथवा 30 समारोह हुए। ऐसा जनता ने नेताजी की महानता को देखते हुए स्वयं किया।

सरकार चाहे नेताजी की प्रतिष्ठा और योगदान को कितना ही कम करने का प्रयास करे, जनता उनको नहीं भुला सकती।

गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सम्बोधित किया जाता है। लेकिन गत वर्षों में उनके लिए कुछ संग्रहालय, ग्रन्थालय और कुछ समारोहों के अतिरिक्त कुछ नहीं किया गया है। गांधी विचारधारा को समझने और उसकी क्रियान्विति के लिए बिल्कुल प्रयास नहीं गया है।

गांधी जी की विचारधारा को कोई महत्व नहीं दिया गया है। गत 30 वर्षों में नेताजीको भारत के राष्ट्रीय जीवन में कोई स्थान नहीं दिया गया है लेकिन गत 30 वर्षों में केवल एक ही व्यक्ति पंडित जवाहर लाल नेहरू, जिसने कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया, की विचारधारा को बहुत महत्व दिया जाता रहा है। शायद इस बात से कुछ लोगों को धक्का लगे कि पंडित नेहरू एक महान राष्ट्रीय नेता थे लेकिन देश को स्वतन्त्रता दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा है। उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का यथा सम्भव प्रयास किया गया है। इस सम्बन्ध में लेशमात्र भी संदेह नहीं है। आप यह सुन कर आश्चर्यचकित होंगे कि यह आदेश जारी किए गए कि सैनिक बैरकों और अन्य स्थानों पर नेताजी के चित्र न लटकाए जाएं। बहुत प्रयास के पश्चात् सरकार ने नेताजी के लेख और भाषणों का प्रथम खंड प्रकाशित करवाया। कालपात्र में पाए गए मूल पाठ से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि नेताजी की प्रतिष्ठा को कम करने का सरकार का राजनीतिक षड्यंत्र था। कालपात्र में रखे गए पत्रों में कहीं भी नेताजी का उल्लेख नहीं किया गया है।

नेताजी राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए बहुत प्रयास करने के बाद गत 30 वर्षों में केवल 2.80 लाख रुपये प्राप्त हो सके। अचानक ही नेशनल स्पोर्टस इन्स्टीट्यूट आफ पटियाला का नाम बदल कर नेताजी सुभाष चन्द्र नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ स्पोर्टस रखा गया।

नेहरू स्मारक संग्रहालय और ग्रन्थालय पर गत दो अथवा तीन वर्षों में लगभग एक करोड़ रुपये व्यय किए गए। नेहरू के नाम पर 85 केन्द्र हैं। यदि भारतीय युवकों का किसी को हृदय सम्राट् कहा जा सकता था तो वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ही थे। उन्होंने 30, 40 और 20 वर्ष की अवस्था में अधिकतम युवक सम्मेलनों की अध्यक्षता की। नेताजी की ही प्रेरणा से भगत सिंह ने नवजीवन भारत सभा का गठन किया।

इसमें सन्देह नहीं कि पंडित नेहरू एक महान् राष्ट्रीय नेता थे। उनका भारत की स्वतन्त्रता और निर्माण में भारी योगदान रहा। उन्होंने ही राष्ट्र को अनेक आधुनिक विचार दिए। लेकिन यह भावना पैदा करना कि नेहरू ही सब कुछ थे, यहां तक कि गांधी जी को भी महत्व न देना उचित नहीं है। गांधी जी को अलग-थलग कर दिया गया है। गांधीवाद को समाप्त कर उन्हें अवतार का दर्जा दे दिया गया है। गत तीस वर्षों में गांधी जी का कोई स्थान नहीं रह गया है।

जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद राष्ट्र के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। देश में राष्ट्रीय क्रान्ति आई है। राष्ट्र एक नए जीवन, नई विचारधारा की खोज में है जिससे हमारा युवा वर्ग नया जीवन आरम्भ कर सके।

विश्व के किसी भी देश में इस युग में शायद ही नेताजी के समान कोई महान क्रान्तिकारी उत्पन्न हुआ हो। क्या किसी अन्य देश में किसी क्रान्तिकारी ने ऐसे महान कार्य किए हैं। उन्होंने देश छोड़ दिया और अकेले ही नभ, जल और थल की हजारों मील लम्बी यात्रा की और विश्व के 20 देशों में क्रान्तिकारी सेना की स्थापना की।

राजनीति में आज स्वार्थ की भावना आ गई है और उससे राष्ट्रीय सेवा की भावना समाप्त हो गई है।

गांधी जी ने राष्ट्र को प्रेरणा दी और अपना जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया। दूसरे व्यक्ति नेताजी हुए हैं जिन्होंने देश के लिए त्याग किया और अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। उनके जैसे प्रतिष्ठावान व्यक्ति द्वारा ही नए जीवन का संचार किया जा सकता है। नेताजी ने ऐसे साहसिक कार्य किए जो किसी सामान्य व्यक्ति के लिए करना सम्भव नहीं। इस बारे में अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

रंगून में जब वह सलामी ले रहे थे तो एक ब्रिटिश विमान ने बम वर्षा की लेकिन वह चट्टान की तरह अडिग रहे और जापानी और बर्मा के जनरल और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भाग खड़े हुए। कुछ ही क्रान्तिकारियों में ऐसे साहस की भावना होती है।

जब रंगून खाली किया जा रहा था तो जापान सरकार ने नेताजी से अनुरोध किया कि ब्रिटिश सेना तेजी से आगे बढ़ रही है आप विमान लेकर रंगून से बैंकाक चले जाएं। नेताजी का कथन था कि यदि आप रानी झांसी ब्रिगेड के सब सैनिकों को विमान से भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं तब ही मैं उक्त विमान का उपयोग कर सकता हूं अन्यथा नहीं। नेताजी ने जापानी जनरल का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और गाड़ी से मौलेमिन गए और सारी झांसी ब्रिगेड ने 21 दिन तक दिन-रात निरन्तर यात्रा की। उनके जूते खुले थे, उनके पैर बुरी तरह सूजे हुए थे तथा उनमें से खून बह रहा था। लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोले। क्या विश्व के किसी देश में ऐसा उदाहरण मिलता है। लेकिन मुझे दुख है कि ऐसे प्रतिष्ठित और योग्य व्यक्ति की तीस वर्ष तक उपेक्षा की गई। जब कभी मुझे अवसर मिलता है मैं उनकी प्रतिष्ठा का गुणगान करने का प्रयास करता हूं। मैं ऐसा नेताजी की महानता को मानते हुए नहीं बल्कि देश के युवकों को प्रेरणा देने के लिए करता हूं।

मैंने उक्त संकल्प इसी उद्देश्य से पेश किया है। इस पर विधेयक के रूप में वर्ष 19[illegible] में भी चर्चा की जा चुकी है। इस सदन के सब दलों के लगभग 25 सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा में भाग लिया और इस विधेयक—नेताजी राष्ट्रीय अकादमी विधेयक—को पूर्ण समर्थन दिया। लेकिन मतदान में उक्त विधेयक पारित नहीं हो सका।

क्या शिवाजी के बाद ऐसा कोई स्वतन्त्रता सेनानी भारत ने पैदा किया ? नेताजी का योगदान बिल्कुल भिन्न रहा है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में विदेश में सेना बनाई। जहां ऐसी क्रान्तिकारी सेना बनाना सम्भव नहीं था। विभिन्न देशों में अनेक क्रान्तिकारी सेनाएं बनाई गईं लेकिन नेताजी द्वारा बनाई गई सेना की भांति नहीं।

वर्ष 1928 में जब नेताजी ने 'बंगाल वालिन्टियर्स' का गठन किया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन वही उनकी भावी 'मुक्ति सेना' का स्वप्न था।

क्या भारत में किसी प्रशासनिक संस्था का नाम नेताजी के नाम पर रखा गया ? क्या उन्हें उनकी बहादुरी के लिए किसी प्रकार का पुरस्कार दिया गया ?

संपूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना की हार हुई। इस पर जनरल कवाबे ने नेताजी के बारे में प्रशंसात्मक शब्द कहे थे। मैं पूर्व जर्मनी और पश्चिम जमनी की अनेक पुस्तकों में से उद्धरण दे सकता हूं जिसमें सर्वोच्च सेनापति के रूप में नेताजी की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है। परन्तु हमने क्या किया है ?

इसलिए मेरा सुझाव है कि इस नेताजी राष्ट्रीय अकादमी में उच्च सैन्य विज्ञान का अध्ययन किया जाना चाहिए।

स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में नेताजी को गलत समझा गया और उनके कथनों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। उन्हें भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा गया। किसी ने उन्हें नव फासिस्ट कहा तो किसी ने उन्हें केवल वामपन्थी बताया। वर्ष 1930 में जब मार्क्स के दर्शन के बारे में चर्चा हो रही थी, भारत में तीन व्यक्तियों ने, मनवेन्द्र नाथ राय, जवाहर लाल नेहरू और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने समाजवादी विचारधारा पर अपने विचार रखे। इस विषय पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अपने विचार थे। उन्होंने कहा था कि भारत को समाजवाद के प्रति अपना दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति, दर्शन, परम्परा और स्थिति पर आधारित रखना चाहिए। समाजवाद हमें राष्ट्रीय जीवन में मिलेगा। नेताजी का कहना था कि हमें विश्व के सभी देशों की राजनैतिक विचारधारा का अध्ययन करना चाहिए ताकि उसमें से सच्चाई सामने आ सके। यह राष्ट्र का कर्त्तव्य है कि वह विभिन्न मूल्यों का विश्लेषण करके देश के लिए एक राष्ट्रीय विचारधारा विकसित करे। उन्होंने अन्त में कहा था कि भारत को देश का निर्माण करने के लिए एक नव सामाजिक-राजनैतिक विचारधारा बनानी चाहिए ताकि न केवल भारत की अपितु समूचे विश्व की प्रगति हो ।

इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि एक राष्ट्रीय अकादमी का निर्माण किया जाना चाहिए जहां सामाजिक-राजनैतिक विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। यह भी सर्वविदित है कि नेताजी भारतीय राष्ट्रीय योजना के जन्मदाता थे। इसलिए राष्ट्रीय योजना को भी अध्ययन का विषय बनाया जाना चाहिए। कालपात्र की सामग्री के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन वर्ष 1920 में आरम्भ हुआ था। वास्तविकता यह है कि यह आंदोलन इससे पूर्व आरम्भ हो चुका था। कालपात्र की सामग्री में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद का ज़िक्र नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बारे में संतुलित अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

नेताजी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय संग्रहालय आदि नेताजी के जीवन और कार्यों के बारे में सामग्री एकत्रित कर रहे हैं। वे नेताजी के लेखों और भाषणों को भी प्रकाशित कर रहे हैं परन्तु उनका कार्य सीमित है। मेरा उद्देश्य इससे नितांत भिन्न है । नई जनता सरकार से मेरा अनुरोध

है कि पिछले तीस वर्षों में इस क्रांतिकारी के प्रति की गई गलतियों का निराकरण करे और नेताजी के नाम पर इस राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना करके इसमें उन विषयों के मौलिक अध्ययन तथा विशेषीकृत अध्ययन की व्यवस्था की जाए जिनमें नेताजी रुचि रखते थे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बी० पी० मण्डल और श्री हुकम देव नारायण अपने संशोधन पेश कर सकते हैं।

श्री बी० पी० मण्डल (मधेपुरा) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुबनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य (उलूबेरिया) : मैं श्री समर गुह के संकल्प का समर्थन करता हूं।

Shri Ugrasen (Deoria) : I support the resolution moved by Shri Samar Guha. I want to till clearly that during independence struggle the congress Socialist Party backed out of is assurances gives to Netaji. Had the Indian National Army not been active, the Britishers would not have left the country. Only spinning the charkha would not have budged them. The jawans of Indian National Army showed their brawery everywhere and they laid down their lives to achieve their ends. The sailors' revolt took place because of Indian National Army. We are only asking you to establish an Academy, where the science which Netaji had propagated, should be taught. It is not a big demand. Any race which forgets its glorious past cannot do anything. The military science introduced by Britishers is still being taught here. It dces not conform with the needs of the country. In view of these consideration I support the resolution moved by Shri Samar Guha. If a National Defence Academy is established, then it will serve great purpose. I fully hope that everyone will support the resolution Students coming out of this Academy after ten years will not hesitate to lay down their lives for this sake of the country. It is imperative that such Academy should be set up in memory of such person who showed bacon light to the country and gave inspiration to its people.

इसके पश्चात् लोकसभा सोमवार, 17 अप्रैल, 1978/27 चैत्र, 1900 (शक) तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 17th April, 1978/Chaitra 27, 1900 (Saka).

MGIPRRND—14 LSS/78—II N.S.—16-10-78—210